वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2014 - 15

एसबीबीजे
S B B J

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

टोल फ्री नं. : 1800 180 6005

www.sbbjbank.com

निदेशक मण्डल की सभा का दृश्य
Meeting of the Board of Directors in Progress

सूचना

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

वार्षिक साधारण सभा एवं रजिस्टर बंद की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अंशधारकों की 54वीं वार्षिक साधारण सभा, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, भारतीय विद्या भवन, के.एम. मुशी मार्ग, ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर में मंगलवार, दिनांक 16 जून, 2015 को अपराह्न 3 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जायेगी, जिसमें 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता, इसी अवधि में बैंक के कार्यप्रणाली एवं क्रियाकलापों पर निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन तथा तुलन-पत्र व लेखों के सम्बन्ध में संपरीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार कर पारित किया जायेगा।

बैंक के अंशधारकों का रजिस्टर मंगलवार, दिनांक 9 जून 2015 से सोमवार, दिनांक 15 जून 2015 तक (दोनो दिन मिलाकर), 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की वार्षिक साधारण सभा हेतु बन्द रहेगा।

मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: जयपुर
दिनांक: 11 मई, 2015

(ज्योति घोष)
प्रबन्ध निदेशक

NOTICE

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
Head Office, Tilak Marg, 'C' Scheme,
JAIPUR - 302005

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Fifty- fourth Annual General Meeting of the Shareholders of State Bank of Bikaner and Jaipur will be held in the Maharana Pratap Auditorium, Bharatiya Vidya Bhavan, K.M. Munshi Marg, Opp. O.T.S., Jaipur - 302015 on Tuesday, the 16th June, 2015 at 3.00 p.m. (Indian Standard Time) to discuss and adopt the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts for the period 1st April, 2014 to 31st March, 2015.

The register of sharehlders of the Bank shall remain closed from Tuesday, the 9th June, 2015 to Monday, the 15th June, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for the year ended 31st March, 2015.

By ORDER OF THE BOARD

Place: Jaipur
Date: 11th May, 2015

(Jyoti Ghosh)
Managing Director

विषय – सूची **CONTENTS**

उल्लेखनीय तथ्य Highlights	03 03
निदेशक मण्डल Board of Directors	04 04
निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन Directors' Report	08 09
कॉरपोरेट अभिशासन Corporate Governance	42 43
बासेल–III प्रकटीकरण Basel-III Disclosures	70 71
स्वायत्त लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Independent Auditors' Report	130 131
तुलन–पत्र Balance Sheet	134 134
लाभ–हानि खाता Profit & Loss Account	136 136
तुलन–पत्र एवं लाभ हानि खाते की अनुसूचियां Schedules of Balance Sheet and Profit & Loss Account	138 138
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Principal Accounting Policies	150 151
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	164 165

उन्नति का एक दशक 2006–2015
A Decade of Progress 2006-2015

(₹ in Crore)
(₹ करोड़ में)

संकेतक Indicators	पूंजी एवं आरक्षितियां Capital & Reserves	कुल व्यवसाय Total Business	परिचालन लाभ Operating Profit	निवल लाभ Net Profit	शाखाओं की संख्या No. of Branches	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय Average Business per Employee	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) Net Profit per Employee (₹ in lakh)
मार्च March 2006	1405.66	37790	481.03 @	145.03	832	2.77	1.20
मार्च March 2007	1653.71	49246	679.20 @	305.80	844	3.56	2.57
मार्च March 2008	1713.21	59427	661.18 @	315.00	850	4.45	2.73
मार्च March 2009	2046.47	69312	892.84 @	403.45	860	5.55	3.55
मार्च March 2010	2417.40	81622	903.73 @	455.16	861	6.28	3.96
मार्च March 2011	2850.81	95596	1140.25 @	550.88	902	7.51	4.84
मार्च March 2012	4164.88	111558	1489.61 @	652.03	950	8.27	5.42
मार्च March 2013	4764.13	130590	1712.87 @	730.24	1037	9.00	5.91
मार्च March 2014	5355.92	139208	1694.66 @	731.69	1148	9.77	5.62
मार्च March 2015	6012.68	155392	2104.11 @	776.87	1261	11.00	6.02

@ निवेशों के मूल्यांकन के लिए भारिबैं द्वारा जारी पुनरीक्षित दिशानिर्देशों का दृष्टिगत करते हुए।

Keeping in view revised RBI guidelines on valuation of investments.

उल्लेखनीय तथ्य
HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

		2013-14	2014-15
कुल व्यवसाय अन्तर बैंक जमाओं सहित Total Business including inter-bank deposits		139208	155392
जमाराशियाँ Deposits		73875	84239
कुल अग्रिम Total Advances		65333	71153
अग्रिम (निवल) Advances (Net)		64172	69548
निवेश (निवल) Investments (Net)		17750	22465
निवल लाभ Net Profit		731.69	776.87
जमाओं की लागत Cost of Deposits		7.04%	7.01%
अग्रिमों पर आय Yield on Advances		11.27%	10.98%
निवल ब्याज अन्तर Net Interest Margin		3.62%	3.37%
प्रदत्त पूंजी एवं आरक्षितियां Paid-up Capital & Reserves		5355.92	6012.68
प्रति अंश आय (₹ में) Earning per Share (in ₹)		104.53	110.98
प्रति अंश पुस्तक मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)		765.13	858.95
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio	बासेल-II के अनुसार As per Basel - II	11.71%	11.69%
	बासेल-III के अनुसार As per Basel - III	11.55%	11.57%
लाभांश दर Dividend Rate		143%	143%
सकल गैर-निष्पादित आस्तियां Gross Non Performing Assets		2732.78	2945.14
सकल गैर-निष्पादित आस्तियां प्रतिशत Gross NPA%		4.18%	4.14%
निवल गैर-निष्पादित आस्तियां प्रतिशत Net NPA%		2.76%	2.54%
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम Advances to Priority Sectors		23641	27844
कृषि क्षेत्र को अग्रिम Advances to Agriculture		10962	11927
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिम Advances to Micro and Small Enterprises		9464	10838
निर्यात वित्त Export Finance		2740	2544
शाखाओं की कुल संख्या Total Number of branches		1148	1261
कर्मचारियों की संख्या Number of Employees		13359	13238
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय Average Business per Employee		9.77	11.00
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाखों में) Net Profit per Employee (₹ in lakh)		5.62	6.02

निदेशक मण्डल (31 मई, 2015 को)

श्रीमती अरून्धति भट्टाचार्य अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर, मेडम कामा रोड, मुम्बई – 400 021	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन पदेन अध्यक्ष
श्री ज्योति घोष प्रबन्ध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर 302005	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (एए) के अधीन मनोनीत
श्रीमती मालविका सिन्हा मुख्य महाप्रबन्धक, सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, गारमेंट हाऊस, डा. ऐनी बेसेन्ट रोड़, मुम्बई-400018	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत
श्री वी. जी. कन्नन प्रबंध निदेशक एवं स.का. (स. एवं अ.) भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर, मुम्बई – 400 021	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत
श्री बी रमेश बाबू मुख्य महाप्रबन्धक, (स.एवं अ.), भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर, मुम्बई – 400 021	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत
श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव महाप्रबन्धक, (स.एवं अ.), सहयोगी बैंक विभाग भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर, मुम्बई – 400 021	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत
श्री रतन कुमार रुंगटा 61/45, प्रताप नगर सांगानेर, टोंक रोड जयपुर – 302030	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत
श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव एम.एम.बी. 1/207, सैक्टर-बी, एस.बी. आई. कॉलोनी, सीतापुर रोड़ योजना, जानकीपुरम, लखनऊ-226021	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन चयनित निदेशक
श्री भारत रतन बी. रतन एण्ड एसोसियेट्स, दुकान सं. 408-409, महक टावर, कैलाश सिनेमा रोड़ सिविल लाइंस, लुधियाना – 141001	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत
श्री गुलाब सिंह उप सचिव, भारत सरकार, आईएफ-I वित मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
श्री सुनील दत्त बाली 'मुस्कान', 4/83, विद्याधर नगर, जयपुर	अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीबी) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
श्री अरूण कूलवाल एकल खिड़की परिचालक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर अं.का., जयपुर-302001	अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीए) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31ST MARCH, 2015)

Smt. Arundhati Bhattacharya Chairman, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai-400021	Chairman, ex-officio under clause (a) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
Shri Jyoti Ghosh Managing Director, State Bank of Bikaner and Jaipur Head Office, Tilak Marg, Jaipur - 302 005	Nominated under clause (aa) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Smt. Malvika Sinha Chief General Manager, Department of Cooperative Bank Supervision, Reserve Bank of India, Garment House, Dr. Annie Besant Road, Mumbai-400 018	Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri V.G. Kannan MD & GE (A&S) State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai-400021	Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri B. Ramesh Babu Chief General Manager (A&S) State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai-400021	Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri Ramesh Chandra Srivastava General Manager (A&S) Associate Banks Department State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai-400021	Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri Ratan Kumar Roongta 61/45, Pratap Nagar Sanganer Tonk Road Jaipur-302030	Elected director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri Himkar Ramchandra Srivastava MMB-1/207, Sector-B, SBI Colony, Sitapur Road Yojna, Jankipuram, Lucknow-226021	Elected director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri Bharat Rattan B. Rattan & Associates, Shop No. 408-409, Mahak Tower, Kailash Cinema Road, Civil Lines Ludhiana-141001	Nominated by the State Bank of India under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri Gulab Singh Dy. Secretary Govt. of India, IF-I Ministry of Finance Department of Financial Services (Banking Divison) IIIrd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament street, New Delhi-110001	Nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the Act.
Shri Sunil Dutt Bali Muskan, 4/83, Vidhyadhar Nagar, Jaipur	Nominated by the Central Government under clause (cb) of sub-section (1) of section 25 read with sub section (2A) of section 26 of the Act.
Shri Arun Koolwal S.W.O. State Bank of Bikaner & Jaipur, Z.O. Jaipur - 302001	Nominated by the Central Government under clause (ca) of sub-section (1) of section 25 read with sub-section (2A) of section 26 of the Act.

निदेशक मण्डल (31 मार्च, 2015 को)
BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31st March, 2015)

श्रीमती अरून्धति भट्टाचार्य
अध्यक्ष
Smt. Arundhati Bhattacharya
Chairman

श्री वी.जी. कन्नन
प्रबन्ध निदेशक एवं स.का. (स.एवं.अ.)
Shri V. G. Kannan
Managing Director & GE (A&S)

श्री ज्योति घोष
प्रबन्ध निदेशक
Shri Jyoti Ghosh
Managing Director

श्री बी. रमेश बाबू
Shri B. Ramesh Babu

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
Shri Ramesh Chandra Srivastava

श्री गुलाब सिंह
Shri Gulab Singh

श्रीमती मालविका सिन्हा
Smt. Malvika Sinha

श्री रतन कुमार रूंगटा
Shri Ratan Kumar Roongta

श्री हिमकर रामचन्द्र श्रीवास्तव
Shri Himkar Ramchandra Srivastava

श्री भारत रतन
Shri Bharat Rattan

श्री सुनील दत्त बाली
Shri Sunil Dutt Bali

श्री अरूण कूलवाल
Shri Arun Koolwal

नवसज्जित एसएमएस हाइवे, जयपुर शाखा की ई-लॉबी का अवलोकन करती हुई तत्कालीन जयपुर रियासत के राजपरिवार की युवरानी दिया कुमारी व प्रबंध निदेशक।

Her Highness Princess Diya Kumari of the erstwhile royal family of Jaipur State and the Managing Director at the e-lobby of the refurbished branch premises of SMS Highway, Jaipur branch

हमारी एसएमएस हाइवे, जयपुर शाखा का नवसज्जित आंतरिक परिसर

Refurbished interior of our SMS Highway, Jaipur branch

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम,1959 की धारा 43(1) के निबंधनों के तहत भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार को निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की अवधि : 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक मंडल को बैंक के 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन व साथ ही अंकेक्षित तुलन पत्र एवं लाभ हानि खातों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2014-15 अत्यधिक उथल पुथल व असमंजस से परिपूर्ण वित्तीय वर्ष रहा। तेल मूल्यों में तीव्र गिरावट, विनिमय दर में त्वरित समायोजन, ECB का परिमाणात्मक सुधार कार्यक्रम, ग्रीस को लेकर चिंताएँ, मध्य-पूर्व में भौगोलिक-राजनीतिक तनाव आदि व साथ ही यूरो क्षेत्र तथा यूरोपियन संघ के आर्थिक व राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंताएँ कुछ ऐसे चुनिन्दा कारक हैं जो कि प्रमुखता से छाए रहे। 2014 की वैश्विक वृद्धि प्रारम्भिक अनुमानों से कम रही और 2013 की 2.5% की दर में आंशिक बढ़ोतरी के साथ 2014 में 2.6% हो गयी। वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी लय व गति को पकड़ने के लिए संघर्षरत है, क्योंकि जहां एक ओर उच्च आय देश वैश्विक वित्तीय संकट की विरासत से जूझ रहे हैं, वहीं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ पहले की अपेक्षा कम ऊर्जावान हैं।

उच्च आय देशों में देखे जा रहे सुधारों, तेल मूल्यों में कमी और विकासशील देशों के आंतरिक उथलपुथल में उतार से संबल पाते हुए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2015 में 3% व 2016 में 3.3% वृद्धि होने का अनुमान है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की दर 2014 में 4.4% से बढ़ कर 2015 में 4.8% और 2016 में 5.3% होने की आशा है। तेल की मूल्यों में कमी के फलस्वरूप वास्तविक आय तेल निर्यातक देशों से निकल तेल आयातक देशों की ओर विशाल मात्रा में उन्मुख व अग्रसर होगी।

अमेरिका व ब्रिटेन में जहां श्रम बाजारो में सुधार और समावेशनोन्मुख मौद्रिक नीति के चलते व्यावसायिक गतिविधि ने अपनी गति पकड़ी है, वहीं यूरो क्षेत्र और जापान, जहां वित्तीय संकट का प्रभाव अभी भी विद्यमान है व साथ ही आधारभूत जटिल समस्याएँ भी आपस में गुंथी हुई हैं, में सुधार बहुत ही सीमित रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में भी उतार जारी है। अन्य विकासशील देशों में 2014 में निराशाजनक वृद्धि ने कमजोर बाह्य मांग, घरेलू नीतियों के संकुचन, राजनीतिक अनिश्चय तथा आपूर्ति संबन्धित विवशताओं को परिलक्षित किया। मंद बाह्य मांग का प्रभाव भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा महसूस किया गया जहां निर्यातों पर काफी ज्यादा असर पड़ा।

लचीले पदार्थ मूल्य, लगातार कम होती ब्याज दरें किन्तु प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक नीतियों में तेजी से आ रही विविधता व कमजोर वैश्विक व्यापार वैश्विक परिदृश्य को संचालित करने वाले प्रमुख कारक रहे हैं। 2014 के मध्य से तेल की कीमतों में आई तीव्र गिरावट ने भी वैश्विक गतिविधि को आधार प्रदान किया व साथ ही तेल-आयातक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि प्रयासों को भी परोक्ष रूप से समर्थित किया।

कुल मिलाकर 2017 के दौरान वैश्विक वृद्धि में सामान्य दर से ही बढ़ोतरी होने की आशा है। उच्च आय देशों में श्रम बाज़ारों में धीरे-धीरे आ रहे सुधार, वित्तीय समेकन में आ रही गिरावट व अभी भी कम वित्तीय लागतों के चलते यह वृद्धि दर 2014 के 1.8% से बढ़कर 2015-17 में 2.2% रहने की संभावना है। विकासशील देशों में वृद्धि का धीमे धीमे गति पकड़ते हुए 2014 में 4.4% से बढ़कर 2015 में 8% व 2017 तक 5.7% रहना प्रक्षेपित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

देश के समग्र विकास में व्यापक परिवर्तन लाने तथा उसे नयी दिशा प्रदान करने के दृढ़ इरादों से प्रेरित व अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत से केंद्र में नयी सरकार के गठन के परिप्रेक्ष्य में 2014 को अर्थव्यवस्था के लिए आशा व सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत वर्ष के रूप में जाना जा सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने देश में पूंजी व ऋण के रूप में ₹2.72 लाख करोड़ का निवेश करते हुए सेंसेक्स को 30000 की रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर पहुंचाया। समग्र आर्थिक परिदृश्य हताशा से आशा में बदलता हुआ प्रतीत होने लगा। दूसरी ओर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 20 मार्च 2015 को समाप्त सप्ताह में 339.99 अरब डॉलर के अबतक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गए। इन सुधरे हुए विदेशी मुद्रा भंडारों ने देश को अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि किए जाने की दशा में रूपये की संभावित गिरावट से मुकाबला करने के लिए एक काफी मजबूत व बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है, हालांकि यह संभावना बाज़ार द्वारा पहले से ही नकार दी गयी प्रतीत होती है।

हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष यथा 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.4% की दर से वृद्धि होने की आशा है। यद्यपि अर्थव्यवस्था ने प्रथम तिमाही में 5.7%, दूसरी तिमाही में 5.3% तथा तीसरी तिमाही में 7.5% की वृद्धि दर्ज की, तथापि प्रथम दो तिमाहियों के वृद्धि आंकड़े आधार वर्ष के 2011-12 में परिवर्तन फलस्वरूप

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE STATE BANK OF INDIA, THE RESERVE BANK OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF INDIA IN TERMS OF SECTION 43(1) OF THE STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS) ACT 1959

PERIOD COVERED BY REPORT : 1ST APRIL, 2014 TO 31ST MARCH, 2015

The Board of Directors of State Bank of Bikaner and Jaipur have pleasure in presenting this Annual Report together with the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2015.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC SCENARIO

GLOBAL ECONOMY

2014-15 had been a year of greater volatility and uncertainty. The decline in oil prices, adjustments in exchange rate, quantitative easing program of ECB, concerns over Greece, geo-political tension in Middle East etc., as well as concern over economic and political future of Euro area and European Union are some of the factors which were at play. The global growth in 2014 was lower than initially expected and picked up only marginally in 2014 to 2.6%, from 2.5% in 2013. The global economy is struggling to gain momentum as many high-income countries continue to grapple with legacies of the global financial crisis, while emerging economies are less dynamic than in the past.

World GDP is expected to grow by 3% in 2015 and 3.3% in 2016, supported by gradual recovery in high-income countries, low oil prices, and receding domestic headwinds in developing countries. Developing economies are expected to see an increase in growth from 4.4% in 2014 to 4.8% in 2015 and 5.3% in 2016. Lower oil prices will lead to sizeable real income shifts to oil-importing countries from oil-exporting ones.

While economic activity in the United States and the United Kingdom has gathered momentum as labor markets heal and monetary policy remains accommodative, the recovery has been limited in the Euro Area and Japan as legacies of the financial crisis linger, intertwined with structural bottlenecks. China is also undergoing a deceleration. Slower growth in other developing countries in 2014 reflected weak external demand, domestic policy tightening, political uncertainties and supply-side constraints. The impact of meek external demand was faced by emerging economies such as India where exports took most of the hit.

Some major forces driving the global outlook are soft commodity prices, persistently low interest rates, increasingly divergent monetary policies across major economies and weak world trade. The sharp decline in oil prices since mid-2014 also acted as a support to global activity and indirectly supported the growth initiatives in oil-importing developing economies.

Overall, global growth is expected to rise moderately through 2017. High-income countries are likely to see growth of 2.2% in 2015-17, up from 1.8% in 2014, on the back of gradually recovering labor markets, ebbing fiscal consolidation, and still low financing costs. In developing countries, growth is projected to gradually accelerate, rising from 4.4% in 2014 to 4.8% in 2015 and 5.4% by 2017.

INDIAN ECONOMY

The year 2014 can be construed as the year of hope and positive sentiments for the economy as the government in the centre was formed with a huge majority riding on the promises of turnaround in the overall development of the country. FIIs pumped in ₹2.72 lakh crore into the country in 2014-15 in the form of equity and debt taking the Sensex to its record high of 30000. The overall economic scenario seemed to change from distress to a hopeful one. India's forex reserves on the other hand touched an all time high of $339.99 billion in the week ended 20th March 2015. The improved reserves have put the country in a much better position to tackle the probable Rupee weakness when the U.S. Fed actually starts increasing the rates, although the market seems to have already discounted this factor.

The Indian Economy is expected to grow at a rate of 7.4% in the just concluded financial year i.e., 2014-15. While the economy registered a growth of 5.7% in Q1, 5.3% in Q2 and 7.5% in Q3, the growth numbers for first two quarters were revised later to 6.5% and 8.2% respectively on account of change in the base year to 2011-12. The

तदुपरान्त संशोधित करते हुए क्रमश: 6.5% व 8.2% कर दिये गए। आधार वर्ष गणना में परिवर्तन ने 2013-14 की वृद्धि आंकड़ों को बदल कर 6.9% करते हुए 2014-15 की अपेक्षाओं में भी सुधार ला दिया। 5% से भी कम रहे वृद्धि स्तर के अब 6% से अधिक की ओर प्रवसन होने से समग्र व्यावसायिक अभिरुचि को आवश्यक प्रेरणा दी है।

मुद्रास्फीति के मोर्चे पर देश को आसमान छूते थोक मूल्य सूचकांक से कुछ राहत मिली जो कि मार्च' 14 के 6% के स्तर से गिरकर फरवरी 2015 में 2.06% की ऋणात्मक (negative) मुद्रास्फीति स्तर पर आ गया। समेकित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ने भी भारी गिरावट देखी और यह मार्च'14 के 8.31% से गिरकर नवम्बर'14 में 4.38% पर आ गया। यद्यपि यह आंशिक रूप से बढ़कर फरवरी'15 में 5.37% हो गया किन्तु यह रिजर्व बैंक के जनवरी'15 तक 8% CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य से बहुत ही नीचे था और जनवरी'16 के 6% लक्ष्य से भी कम रहते हुए संतोषप्रद स्थिति में था।

बैंकिंग उद्योग

वर्तमान वर्ष में बैंकों द्वारा साख की मांग में कमी व दबावग्रस्त आस्तियों में वृद्धि देखी गयी। धीमी आर्थिक वृद्धि और उपभोग में कमी के चलते औद्योगिक व व्यापार जगत से आशा से भी कम उत्पन्न मांग के फलस्वरूप मौजूदा वित्तीय वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर साख वृद्धि दो अंकों के स्तर को नहीं छू सकी। साख की संकुचित/मंद मांग का एक प्रमुख कारण चौतरफा मंद व्यवसाय अभिरुचि और इसी कड़ी में कार्पोरेट इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक पत्र बाज़ार व विदेशी स्त्रोतों से, जिनकी दरें भारतीय बैंकों की बेस दर से कम हैं, पूंजी आपूर्ति का विकल्प चुनना माना जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारत का गैर-शासकीय बाह्य ऋण में सितंबर' 14 में पिछले वर्ष में इसी अवधि के सापेक्ष 12% की वृद्धि हुई। कुल ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) का 35.4% अंशदान है।

अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल जमाओं में पिछले वर्ष की 14.1% वृद्धि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10.9% की वृद्धि देखी गयी, जबकि अग्रिमों में यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की 13.9% के सापेक्ष 9.2% रही। चौतरफा व्यापार व मांग में मंदी के कारण आस्ति गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बढ़ने लगीं। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (Gross NPAs) मार्च'14 में 4.1% से बढ़कर सितंबर'14 में 4.5% हो गई। इनकी प्रभावग्रस्त आस्तियां (stressed assets) भी मार्च, 2014 के 10% स्तर से बढ़कर सितंबर'14 में 10.7% हो गई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (PSBs) की प्रभावग्रस्त आस्तियां 12.9% थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चौंकाने वाले कदम के अंतर्गत पहले जनवरी व फिर मार्च में दोनों ही अवसरों पर रेपो रेट में 25 आधार अंक (basis points) की कटौती कर बाज़ार व उद्योग को खुशी प्रदान की। संवैधानिक तरलता अनुपात (SLR) भी कम हो कर अब 21.5% हो गया है, जिसने बैंकों को न केवल और ज्यादा तरलता प्रदान की है बल्कि साथ ही नियामक निर्देशों के अनुरूप एक स्वस्थ तरलता अनुपात (Liquidity Coverage Ratio) बनाए रखने में भी सहायता दी है। दिसम्बर में मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि में कमी और तेल मूल्यों में गिरावट के साथ साथ सरकार द्वारा अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य की अनुपालना के प्रति दर्शाई गयी वचनबद्धता इस कटौती का प्रमुख कारक रही।

दृष्टिकोण

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रथम द्विमासिक वित्तीय नीति पत्र में यद्यपि 2014-15 में 7.5% की वृद्धि के विरुद्ध 2015-16 में 7.8% वृद्धि का पूर्वानुमान किया है, किन्तु यह एक गिरावट दर्शाते पूर्वाग्रह के साथ किया गया है ताकि अभी तक भी विद्यमान मंद व कुछ हद तक मंथर चल रहा समग्र आर्थिक मनोभाव परिलक्षित हो। दूसरी ओर जहां सरकार ने अपने बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8 से 8.5% तक वृद्धि प्रक्षेपित की है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इसे 7.5% पर प्रक्षेपित करते हुए अनुदानों में कटौती किए जाने, विस्तृत/ व्यापक कर सुधारों के क्रियान्वयन किए जाने व एक मजबूत मौद्रिक नीति ,जो कि वृद्धि की गति को न केवल बनाए रखे अपितु उसे और तेजी से बढ़ाए, को बनाए रखे जाने पर विशेष बल दिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में साख की मांग में मंदी और परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एक अंक की ही साख वृद्धि परिलक्षित हुई। जमाओं में भी वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम रही। वर्तमान वर्ष में मांग के पुनर्जीवित होने व तदनुसार साख की मांग में उठान होने की आशा है।

अवसर व चुनौतियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्तमान वर्ष में वृद्धि के पुनर्जीवन से मांग में वृद्धि व तदनुसार व्यवस्था में साख में वृद्धि होने की आशा है।

एक युवा ऊर्जावान जनसंख्या वर्ग, आवास व अन्य सामाजिक सुविधाओं को लेकर बढ़ती हुई आकांक्षाओं से परिपूर्ण एक निरंतर बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग व साथ ही आय अर्जन कोष्ठक में अधिकाधिक लोगों का समावेशन, ये सभी समग्र रूप से बैंकों के लिए एक ऐसी विपुल व्यवसाय संभावना के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं जो कि अब तक भी आंशिक रूप से ही अछिद्रित, अनछुई रही है। हाल ही में कृषि क्षेत्र भी, बढ़े हुए कृषि मशीनीकरण-उन्नत उपकरणों के प्रयोग व कृषि उत्पादों तथा साथ ही भूमि अधिग्रहण के प्रतिफलस्वरूप दिये जा रहे बेहतर लाभकारी मूल्यों/ मुआवजा राशि के कारण, एक बड़े उपभोक्ता वर्ग के रूप में उभरा है।

change in base year calculation changed the growth figures for 2013-14 to 6.9% and improved the expectations for 2014-15. The migration to 6% plus levels from the sub 5% growth has given the necessary push to the overall business sentiment.

On the inflation front, country got some respite from the soaring wholesale price index falling from 6% in Mar'14 to a negative inflation of 2.06% in February 2015. Combined CPI also saw a big fall as it came down from 8.31% in Mar'14 to 4.38% in Nov'14, however, it inched up slightly to 5.37% in Feb'15, which was way below RBI's CPI inflation target of 8% by Jan'15 and comfortably below 6% target by Jan'16.

BANKING INDUSTRY

Current year saw low credit offtake and increasing stressed assets for the banks. Credit growth in the current fiscal could not reach double digit levels due to lower than expected demand from the industry on the backdrop of low economic growth and lower consumption. One of the reasons for muted credit growth may be attributed to the overall low business sentiment and further, the corporate opted for raising funds from the commercial paper market and overseas sources where rates are lower than base rate of Indian banks. India's non-government external debt, as a result increased by 12% in Sept'14 over the same period previous year to touch a total of $367.48 billion. Out of the total debt ECB has a share of 35.4%.

Aggregate deposits of the SCBs showed growth of 10.9% in the current fiscal as against previous year growth of 14.1%, while advances growth stood at 9.2% against 13.9% previous fiscal. The asset quality concerns continued to build up, because of the overall trade and demand slowdown. The Gross NPAs of the SCBs increased from 4.1% in Mar'14 to 4.5% in Sept'14. The stressed assets touched a high of 10.7% in Sept'14 from 10% in March, 2014, while PSBs stressed assets stood at 12.9%.

RBI in its surprise move cut the Repo rate twice by 25 basis points each, first in January and second in March, 2015 giving cheers to the market and the industry. The SLR also stands reduced to 21.5% now, giving more liquidity cushion to banks and also to help them maintain a healthy Liquidity Coverage Ratio as per the regulatory norms. The cut was fueled by lower than expected increase in inflation in December and falling crude oil prices along with government's commitment to adhering to its fiscal deficit target.

OUTLOOK

RBI has, in its first bi-monthly monetary policy statement, raised its forecast for growth in 2015-16 to 7.8% as against 7.5% for 2014-15, but with a downward bias so as to reflect that the overall economic sentiment still continues to remain lukewarm and somewhat muted. On the other hand, while the Government had, in its budget, predicted a growth of 8 to 8.5% in the current fiscal, the International Monetary Fund (IMF) has projected the same to remain at 7.5%, with emphasis on reducing subsidies, implementation of comprehensive tax reforms and maintaining a tight monetary policy towards sustaining as also accelerating the growth momentum.

The FY 2014-15 witnessed a muted credit demand resulting in a single digit credit growth for the year. The deposit growth also remained relatively low. The current year may witness some revival in demand, thus leading to credit pick-up.

OPPORTUNITIES & THREATS

Indian economy is one of the fastest growing economies in the world. The revival of growth in the current year is expected to give rise to increased demand thereby pushing up the credit growth in the system.

The advantages emanating out of a young, vibrant population and a burgeoning middle class with increasing aspirations for housing and other social amenities, coupled with more and more people joining the income earning bracket, all translate into a vast potential for the banks, which still remains partially untapped. Of late, the agriculture sector, too, has, owing to increased farm mechanisation and better remunerative prices for agricultural produce as also compensation in lieu of land acquisition, seen an upsurge in their income levels and have emerged as a big consumer class.

The rise in the infrastructure projects in the country have the ability to spur the growth cycle by way of the multiplier effect they have on overall business growth in the economy. The "Make in India" campaign being aggressively pursued by the Government is likely to bring in further domestic and overseas investment in this sector.

देश में तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अर्थव्यवस्था में समग्र व्यवसाय वृद्धि पर पड़ने वाले उनके चक्रात्मक प्रभाव के कारण वृद्धि चक्र को और गतिमान बनाने की क्षमता है। सरकार द्वारा आक्रामक रूप से प्रचारित प्रोत्साहित किए जा रहे ''मेक इन इंडिया'' अभियान के फलस्वरूप भी इस क्षेत्र में और अधिक घरेलू व विदेशी निवेश आने की संभावना है।

यद्यपि बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, के लिए कई अवसर है, तथापि लाभप्रदता पर दबाव, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट तथा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के रूप में अंतर्निहित चुनौतियाँ भी है जो कि मार्जिन कम कर रही हैं। बैंकों को न केवल उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए इन चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा, अपितु साथ ही आगे बने रहने के लिए सतत व निर्बाध रूप से नवोन्मेषन, नवप्रयोग व नवचिंतन करते रहना होगा।

राजस्थान अर्थव्यवस्था

राजस्थान भारतीय आर्थिक परिदृश्य में एक उभरता हुआ राज्य है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि व पशुपालन आधारित होने के उपरांत भी देश के औद्योगिक मानचित्र पर तेज़ी से उभर रही है। राजस्थान को चुनिन्दा क्षेत्रों में निवेश हेतु सबसे पसंदीदा राज्य बनाने व अंतत: वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्जित करने के उद्देश्य से सरकार विविध कदम उठा रही है। औद्योगिक वृद्धि की समग्र गति को और तेज़ी प्रदान करने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार, संरक्षित किए जाने वाले विकास को सुनिश्चित करने तथा लघु, मध्यम व वृहद उद्योगों को सुदृढ़ किए जाने पर राज्य द्वारा विशेष बल दिया गया है।

विगत पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक) में राज्य ने औसतन 8.5% की सुदृढ़ वृद्धि दर दर्शाई है। राजस्थान अपने खनिज भंडारों तथा पर्यटक स्थलों के लिए विख्यात है जो कि उसकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में प्रमुख योगदान रखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राजस्थान का योगदान करीब 4.7% है, जो कि मुख्यत: प्राथमिक क्षेत्र द्वारा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक (secondary) और तृतीयक (tertiary) क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं व इन दोनों क्षेत्रों का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में अनुमानत: 80% तक का समग्र योगदान है। सीमेंट, सिरेमिक्स, खनिज व खनन, हस्तशिल्प और पर्यटन मुख्य उद्योग हैं।

राज्य में बढ़ते हुए उद्योगों के कारण राजस्थान देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनने के पथ पर अग्रसर है। औद्योगिक विकास में तेज़ी लाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सरकार ने राज्य में कुछ नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। भारत में खदान व खनन के क्षेत्रों में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्त्रोत है। यहाँ नमक, तांबा व जस्ते के प्रचुर भंडार हैं। केयर्न इंडिया द्वारा राजस्थान में तेल की खोज ने राजस्थान को तेल व गैस अन्वेषण के विश्व मानचित्र पर पहले ही ला दिया है।

वर्तमान बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर अधिक बल दिया गया है। 14000 मेगावाट की सौर ऊर्जा व 26000 मेगावाट के सोलर पार्क का राज्य में विकास तथा 10000 कि.मी सड़क का निर्माण व नवीनीकरण इसके मुख्य बिन्दुओं में एक हैं। बजट ने उपभोक्ता उत्पाद उद्योग व नए-नवोन्मेषी उपक्रमों (new start ups) को करों में राहत दी। साथ ही जनसाधारण द्वारा अचल संपत्ति के क्रय व विक्रय से जुड़े रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी गयी।

निगमित परिचालन

व्यवसाय निष्पादन

बैंक का व्यवसाय ₹1.50 लाख करोड़ के मील के पत्थर के आंकड़े को पार करते हुए मार्च 2014 के ₹139208 करोड़ के स्तर में ₹16184 करोड़ (11.62%) की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2015 की समाप्ति पर ₹155392 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया। मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान कुल जमाएँ ₹10364 करोड़ (14.02%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹84239 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई जबकि अग्रिम ₹5820 करोड़ (8.91%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹71153 करोड़ के स्तर पर पहुँच गए। जहां बैंक की जमाओं की लागत 2013-14 में 7.04% से घटकर 2014-15 में 7.01% हो गई, वहीं अग्रिमों पर प्रतिफल भी 11.27% से घटकर 10.98% हो गया।

कोष एवं निवेश

केंद्र में एक स्थायी सरकार के कारण 10 वर्ष प्रतिफल (yield) 8.50% से 8.80% के बीच नए 10 वर्ष बेंचमार्क की घोषणा होने तक बना रहा, जो कि जुलाई, 2014 में 8.40% पर आ गया। प्रतिफल में गिरावट की प्रवृत्ति सितंबर, 2014 में मुद्रास्फीति में कमी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) आंकड़ों में गिरावट और वित्तीय समेकन के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर में कटौती किए जाने की अपेक्षा में आरंभ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी, 2015 तथा मार्च, 2015 में प्रत्येक अवसर पर दर में 25 आधार अंक (bps) की कटौती के कारण 10 वर्ष बेंचमार्क प्रतिफल ने 7.64% के अंतर दिवसीय न्यूनतम स्तर को छुआ। तथापि, वैश्विक कारकों से व अमेरिका में दर में वृद्धि की आशंका से प्रतिफल 7.80% की ओर बढने लगा।

केंद्र में नई सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदम, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की सतत आवक व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 25 आधार अंक (bps) प्रत्येक की एक के तुरंत बाद दूसरी कटौती के परिणामस्वरूप बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ क्योंकि नई सरकार से आशाओं तथा अनुकूल मुद्रास्फीति आंकड़ों ने सकारात्मक माहौल सृजित हो गया था। सेंसेक्स व निफ्टी ने दिनांक 04 मार्च, 2015

While there are many opportunities for the banks, especially the public sector ones, there are some inherent threats as well in the form of pressure on profitability, decline in asset quality, and increasing competition, which is driving down the margins. The banks have not only to brace themselves up and try to make the best out of the available resources, but to consistently improvise, invent and innovate for staying ahead.

RAJASTHAN ECONOMY

Rajasthan is one of the emerging states in the Indian eco-system. Rajasthan economy, though primarily agricultural and pastoral, is rising fast on the industrial map of the country. Government is initiating a variety of measures to make Rajasthan the most preferred State for investment in identified sectors and to ultimately achieve global competitiveness. The State has laid special emphasis on accelerating the overall pace of industrial growth, increasing employment opportunities, improving productivity, ensuring sustainable development and strengthening small, medium and large industries.

On an average, the state has grown at a robust 8.5% rate in the last five years (FY 2008-09 to FY 2013-14). Rajasthan is well known for its mineral endowment and tourist locations that are important contributors to its GSDP. Rajasthan accounts for a contribution of around 4.7% to India's GDP, largely through the primary sector. The secondary and tertiary sectors are crucial for Rajasthan's economy, together they account for around 80% of the state's GSDP. Cement, ceramics,

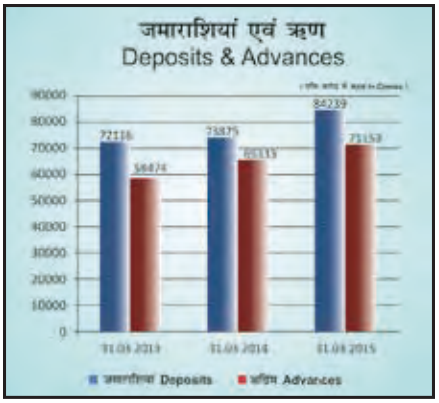

minerals and mining, handicrafts and tourism are key industries.

With growing industries in the state, Rajasthan is on the road to become major industrial hub in the country. Pitching for faster industrial development, Government has announced some new industrial areas in the state. Rajasthan is pre-eminent in quarrying and mining in India. The state is the second largest source of cement. It is rich in salt deposits, copper and zinc. The Oil discovery in Rajasthan by Cairn India has already brought Rajasthan on the world map of Oil and Gas exploration.

In the current budget, more thrust has been given on infrastructure development of the state. Development of 14000 MW of solar energy and 26000 MW of solar park in the state and construction and renewal of 10000 km of road were some of the key points. The budget gave a number of tax sops for the consumer goods industry and the new start ups. It also gave exemption in the registration and stamp duty for sale and purchase of immovable property to the public individuals.

CORPORATE OPERATIONS

BUSINESS PERFORMANCE

The Bank crossed a milestone business figure of ₹1.50 lac crores and reached a level of ₹155392 crore as at end of March, 2015 as against ₹139208 crore as at end of March, 2014, registering a growth of ₹16184 crore (11.62 %). The total deposit increased by ₹10364 crore (14.02 %) to reach a level of ₹84239 crore while advances increased by ₹5820 crore (8.91%) to reach a level of ₹71153 crore as at end of March, 2015. The cost of deposits of the Bank decreased from 7.04% in 2013-14 to 7.01% in 2014-15, while yield on advances also decreased from 11.27% to 10.98%.

TREASURY AND INVESTMENTS

A stable government at the centre saw the 10 year yield in the range of 8.50% to 8.80% till the announcement of new 10 year benchmark, which came at 8.40% in July, 2014. Downward trend of yield started from September, 2014 in anticipation of rate cut by the RBI on the backdrop of easing inflation, declining IIP numbers and fiscal consolidation. The 10 year benchmark yield touched an intraday low of 7.64% due to rate cut by the RBI by 25 bps each in January, 2015 and March, 2015. However, due to global factors the yield moved upwards to 7.80% apprehending a rate hike in the US.

As a result of various reform measures taken by the new government at the centre, continued FII inflows and back to back rate cuts by the RBI of 25 bps each, the market scaled to new highs as positive sentiment was created on expectations from the new government and favorable inflation figures. The Sensex and the Nifty touched the historical high of 30024.74 and 9119.20 on

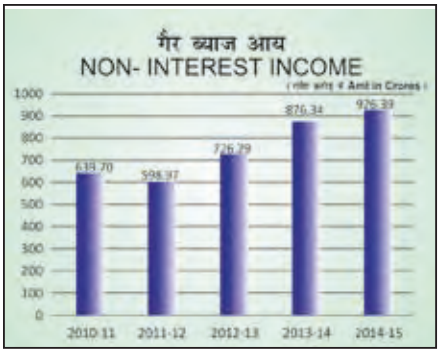

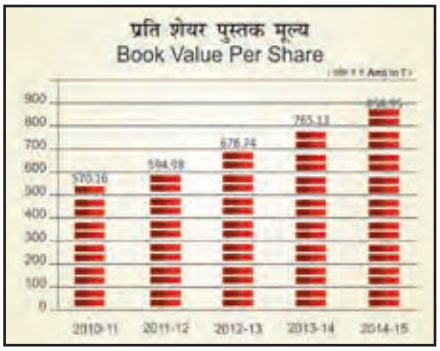

को क्रमशः 30024.74 व 9119.20 की ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुआ।

बैंक का निवल निवेश 31 मार्च, 2014 को ₹17750.27 करोड़ से बढ़कर व 26.57% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2015 को ₹22465.42 करोड़ हो गया। 2014-15 में निवेश से अर्जित लाभ 2013-14 के ₹138.63 करोड़ से बढ़कर (11.09%) ₹154.01 करोड़ हो गया। 2014-15 में निवेश पर प्रतिफल 7.75% था।

विशिष्ट वित्तीय तथ्य

निवल ब्याज आय

बैंक की कुल ब्याज आय वर्ष 2013-14 के ₹8168.56 करोड़ से बढ़कर व 10.24% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2014-15 में ₹9005.45 करोड़ हो गई। ब्याज व्यय गत वर्ष के ₹5344.78 करोड़ के विरुद्ध 13.45% बढ़कर ₹6064.02 करोड़ हो गया। निवल ब्याज आय वर्ष 2013-14 के ₹2823.78 करोड़ में 4.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2941.43 करोड़ हो गई। निवल ब्याज मार्जिन (NIM)मार्च 2015 के अंत में 3.37% रहा।

गैर ब्याज आय

बैंक की गैर ब्याज आय 5.71% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 में ₹876.34 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹926.39 करोड़ हो गयी। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि का प्रमुख कारण निवेश के विक्रय पर अर्जित लाभ में ₹15.38 करोड़ की वृद्धि तथा अपलिखित खातों में ₹16.19 करोड़ की वसूली रही है।

परिचालन व्यय

परिचालन व्यय 2013-14 के ₹2005.45 करोड़ में 13.71% की गिरावट दर्ज करते हुए 2014-15 में ₹1763.71 करोड़ हो गए। इसका मुख्य कारण कर्मचारी प्रावधानों का 2013-14 के ₹543.69 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹254.90 करोड़ हो जाना रहा।

लाभ

2014-15 के दौरान परिचालन लाभ गत वर्ष के ₹1694.66 करोड़ में 24.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2104.11 करोड़ हो गया। निवल लाभ भी 6.17% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 में ₹731.69 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹776.87 करोड़ हो गया।

लाभांश

बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 में 143% का अन्तरिम लाभांश अर्थात ₹14.30प्रति इक्विटी शेयर (शेयर का अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर) घोषित किया गया जो कि गत वर्ष के 143% लाभांश अर्थात ₹14.30 प्रति शेयर के समतुल्य था। शेयर धारकों की अन्तरिम लाभांश पात्रता ज्ञात करने हेतु रिकार्ड तिथि 31.03.2015 थी। अन्तरिम लाभांश को ही अंतिम लाभांश माना जाए।

मुख्य वित्तीय संकेतक

आस्तियों पर अर्जित प्रतिफल गत वर्ष के 0.87% के विरुद्ध 2014-15 में 0.84% हो गया। मार्च 2015 के अंत में इक्विटी पर प्रतिफल 12.92% रहा। प्रति अंश आय 2013-14 में ₹104.53 से बढ़कर 2014-15 में ₹110.98 हो गयी। जबकि प्रति अंश पुस्तक मूल्य वर्ष 2013-14 के ₹765.13 से बढ़कर 2014-15 में ₹858.95 हो गया। मार्च 2015 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक का बासेल-II व बासेल-III मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्रमशः 11.69% व 11.57% हो गया है जो कि मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के दौरान बासेल-II व बासेल-III के अनुसार क्रमशः 11.71% व 11.55% था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% के मानदंड से काफी उपर रहा। बैंक का सकल गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) व निवल गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात मार्च 2014 के अंत में क्रमशः 4.18% व 2.76% से घटकर मार्च 2015 के अंत में क्रमशः 4.14% व 2.54% हो गया है। गत वर्ष का प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय ₹9. 77 करोड़ से बढकर 2014-15 के दौरान ₹11.00 करोड हो गया। प्रति कर्मचारी निवल लाभ वर्ष 2013-14 के ₹5.62 लाख से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹6.02 हो गया है। प्रति शाखा औसत व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹121.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹123.22 करोड़ हो गया है।

साख प्रबंधन

अर्थव्यवस्था में व्याप्त समग्र शिथिलता व तदनुसार निवेश गतिविधि के स्तर में कमी के कारण समग्र साख मांग 2014-15 के दौरान मंद बनी रही। तथापि, बैंक ने गुणवत्तापूर्ण साख वृद्धि और त्वरित साख विपणन पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा। 2013-14 में 11.72% की वृद्धि के विरुद्ध बैंक के कुल अग्रिमों में 2014-15 में 8.90% की वृद्धि रही।

बैंक के वाणिज्यिक व संस्थागत (सी एंड आई) खंड के अग्रिम (खाद्य साख के अतिरिक्त) जहां 0.38% की आंशिक

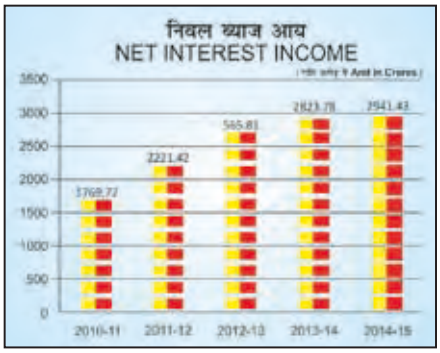

March 04, 2015 respectively.

The Bank's net investment increased from ₹17750.27 crore as on 31st March, 2014 to ₹22465.42 Crore on 31st March, 2015 registering a growth of 26.57%. Profit from sale of investment for the year 2014-15 rose to ₹154.01 crore as against ₹138.63 crore for the year 2013-14 which is an increase of 11.09%. Return on investment stood at 7.75% for 2014-15.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

NET INTEREST INCOME

The Bank's total interest income increased from ₹8168.56 crore during 2013-14 to ₹9005.45 crore during 2014-15, recording a growth of 10.24%. Interest expenditure increased by 13.45% to ₹6064.02 crore, as against ₹5344.78 crore in the previous year. The net interest income recorded a growth of 4.16% to ₹2941.43 crore, as against ₹2823.78 crore in 2013-14. The net interest margin (NIM) stood at 3.37% at the end of March 2015.

NON-INTEREST INCOME

The non-interest income of the Bank has increased by 5.71% from ₹876.34 crore in 2013-14 to ₹926.39 crore during 2014-15. The increase during the year as compared to the last year is mainly on account of increase in profit on Sale of Investment of ₹15.38 crore and recovery in Written-off accounts to the tune of ₹16.19 crore.

OPERATING EXPENSES

The operating expenses declined by 13.71% from ₹2005.45 crore in 2013-14 to ₹1763.71 crore during 2014-15. This is due to decrease in staff provisions from ₹543.69 crore in 2013-14 to ₹254.90 crores during 2014-15.

PROFIT

During 2014-15, the operating profit increased to ₹2104.11 crore, recording a growth of 24.16% as against ₹1694.66 crore in the previous year. The net profit recorded a growth of ₹45.18 crores (6.17%) from ₹731.69 crore in 2013-14 to ₹776.87 crore in 2014-15.

DIVIDEND

During the year 2014-15, the Bank declared an Interim Dividend of 143-% i.e. ₹14.30 per equity share (face value of share ₹10/- per share) which is same as the dividend of 143-% i.e. ₹14.30 per share declared in the previous year. Record date for ascertainment of entitlement of shareholders for Interim Dividend was 31.03.2015. Interim dividend may be treated as final dividend.

KEY FINANCIAL INDICATORS

The Return on Assets of the Bank stood at 0.84% during 2014-15 as against 0.87% in the previous year. The return on equity (ROE) stood at 12.92% at the end of March, 2015. The earnings per share increased from ₹104.53 in 2013-14 to ₹110.98 in 2014-15, while the book value per share improved from ₹765.13 in

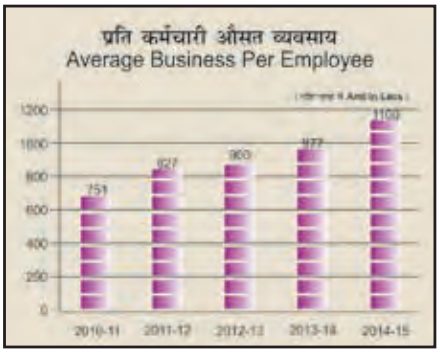

2013-14 to ₹858.95 in 2014-15. As at the end of March, 2015. the capital adequacy ratio of the Bank stood at 11.69% and 11.57% as per Basel-II and III norms respectively, as against 11.71% and 11.55% as per Basel-II and III norms respectively, as at the end of March, 2014. This was well above the RBI benchmark of 9%. The Bank's Gross NPA ratio and Net NPA ratio decreased from 4.18% and 2.76% respectively as at the end of March 2014 to 4.14% and 2.54% respectively, at the end of March, 2015. The average business per employee increased to ₹11.00 crores during 2014-15, as against ₹9.77 crores in the previous year. The net profit per employee increased to ₹6.02 lacs in 2014-15, compared to ₹5.62 lacs during 2013-14. The average business per branch increased to ₹123.22 crore during 2014-15, as against ₹121.26 crore in the previous year.

CREDIT MANAGEMENT

The overall credit demand remained muted during the FY 2014-15 due to overall slowdown in the economy leading to lower level of investment activity. However, the Bank continued to focus on qualitative credit growth and faster credit delivery. Total advances of the Bank grew by 8.90% during 2014-15, as against growth of 11.72% during 2013-14.

वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 के विरूद्ध ₹139 करोड़ बढ़े, वहीं गैर वाणिज्यिक व संस्थागत खंड, जिसमें वैयक्तिक, लघु व्यवसाय तथा कृषि अग्रिम शामिल हैं, में ₹5765 करोड़ (20.51%) की वृद्धि हुई।

उद्योग के विभिन्न खंडों में व्याप्त दबाव के मद्देनजर वित्त पोषण प्रदान किए जाने हेतु प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों व अन्य क्षेत्र यथा रियल एस्टेट, टेक्सटाइल तथा गैर-बैंकिंग वाणिज्यिक इकाइयों (NBFCs) आदि पर अधिक बल रहा।

वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक तथा दबावग्रस्त बाजार परिदृश्य के आलोक में शीर्ष प्रबंधन द्वारा अति महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ देश के प्रमुख केन्द्रों पर किए गए गहन संवाद व नियमित संपर्क के फलस्वरूप कई अच्छे गुणवत्तापूर्ण अग्रिम प्रस्ताव प्राप्त करने में सफलता मिली।

वैयक्तिक बैंकिंग

वैयक्तिक बैंकिंग खंड पर विशेष ध्यान पूर्व की भांति केन्द्रित रहा। 2014-15 के दौरान बैंक के रिटेल परिचालन ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। वैयक्तिक खंड जमाएँ 16.60% वृद्धि दर्शाते हुए मार्च, 2015 के अंत में बढ़कर ₹57462 करोड़ हो गयी। नए ग्राहकों का अधिग्रहण प्रमुख केंद्र बिन्दु बना रहा तथा वर्ष के दौरान 34 लाख नए चालू व बचत खातों के खोले जाने के फलस्वरूप ग्राहक आधार में 26% वृद्धि दर्ज की गयी। बैंक की बचत खाता जमाएँ भी 13.90% वृद्धि दर्शाते हुए ₹28536 करोड़ हो गई।

वैयक्तिक वित्त

वैयक्तिक खंड अग्रिम के संबंध में बैंक अपने उत्पादों व सेवाओं को बाजार की आशाओं के अनुरूप अधिकाधिक परिष्कृत व उत्कृष्ट बनाने हेतु कटिबद्ध रहा। अधिकांश प्रमुख वैयक्तिक खंड उत्पादों व उनकी विशेषताओं को परिष्कृत किया जा चुका है।

बैंक के आवास ऋण तथा वैयक्तिक ऋण संवितरण में क्रमशः 24.23% तथा 22.53% की सुदृढ़ वृद्धि देखी गयी। समग्र वैयक्तिक खंड अग्रिम पोर्टफोलियो भी वर्ष के दौरान 18.36% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹12187 करोड़ हो गया।

ऑनलाइन स्वीकृतियाँ : आवास ऋण व कार ऋण हेतु ऑनलाइन सैद्धांतिक स्वीकृति ने काफी संख्या में नए ग्राहकों को हमारी ओर आकर्षित किया है। वर्ष के दौरान क्रमशः ₹598.50 करोड़ तथा ₹382.70 करोड़ के आवास ऋण व कार ऋण की सैद्धांतिक (in-principle) स्वीकृतियाँ प्रदत्त की गई।

प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम

बैंक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करता है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अग्रिमों की कुल वृद्धि का 60% से अधिक प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत दर्ज हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 40% के मानदंड के विरूद्ध 31 मार्च 2015 के अंत में बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम समायोजित निवल बैंक साख (ANBC) का 42.52% थे। आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम 2014-15 में ₹4203 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए ₹23641 करोड़ से बढ़कर ₹27844 करोड़ हो गए। इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक शाखा स्तर के परिचालन प्राधिकारियों को कृषि, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (MSE), शिक्षा, आवास, निर्यात वित्त आदि की ओर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु अभिप्रेरित कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों अंतर्गत लक्ष्यों / उप लक्ष्यों तथा उत्पादों/योजनाओं के प्रति परिचालन स्टाफ में अधिक जागरूकता लाये जाने हेतु भी विशेष बल दिया जा रहा है।

कृषि

कृषि क्षेत्र को अग्रिम बैंक की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बनी रही। कृषि अग्रिमों का स्तर मार्च 2014 के ₹10962

करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 के अंत में ₹11927 करोड़ हो गया।

गत वर्ष के ₹7669 करोड़ के विरुद्ध समीक्षा वर्ष में कृषि में साख प्रवाह ₹9672 करोड़ रहा। कुल कृषि ऋण समायोजित निवल बैंक साख (ANBC) का 18.21% है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1928 करोड़ साख सीमा के 71046 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। मार्च 2015 के अंत तक कुल किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या 628428 थी।

वित्तीय समावेशन योजना (FI Plan) 2013-16 अंतर्गत प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन योजना (FIP Plan): 2013 -16 के अनुसार बैंक द्वारा मार्च, 2015 तक 3144 गांव बी. सी. द्वारा कवर किए जाने थे। इसके विरुद्ध बैंक ने 7048 गाँवों को कवर कर लिया है। बैंक का शाखा नेटवर्क भी वर्तमान वर्ष के दौरान 117 शाखाओं के खोले जाने के उपरांत 1250 शाखाओं के मील के पत्थर को पार करता हुआ 1261 हो गया। बी. सी. चैनल के माध्यम से 6,00,000 खाते खोलने के लक्ष्य के विरुद्ध 935299 खाते खोले जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) अंतर्गत प्रगति

बैंक ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रधानमंत्री जन-धन योजना को उत्साहपूर्वक अंगीकार करते हुए 24.61 लाख खाते खोल दिये हैं, जिनमें से 11.24 लाख खाते ग्रामीण क्षेत्र में तथा 13.37 लाख खाते शहरी क्षेत्रों में हैं। इस योजना यथा PMJDY अंतर्गत 31.03.2015 तक ₹599.66 करोड़ जमा

The Bank's Commercial & Institutional (C&I) segment advances (other than food credit) during the FY 2014-15 marginally grew by 0.38% with an increase of ₹139 crore over FY 2013-14, whereas non C&I segment comprising personal, small business and agricultural advances grew by ₹5765 crore (20.51%).

In the backdrop of stress in the various segments of the industry, the impetus of financing remained mainly towards top rated PSUs and other sectors such as Real Estate (RH), textiles and NBFCs etc.

In view of the prevailing competitive and stressed market scenario, closer interaction and regular meetings by the Top Management with high value customers at major centers in the country resulted in booking of several good quality advances.

PERSONAL BANKING

Personal Banking Segment continued to be the thrust area. The Bank's retail operations recorded robust growth during the year 2014-15.

Personal Segment deposits recorded a growth of 16.60%, and increased to ₹57462 crores as at end of March, 2015. Acquisition of new customers remained one of the focus area consequently resulting in increase of customer base by 26% with opening of 34 lac new CASA accounts during the year. The Bank's savings account deposits also grew by 13.90% during the year to ₹28536 Crores.

PERSONAL FINANCE

In Personal Segment lending, Bank was committed to fine tune the products and service delivery to the market expectations. Most of the prime P Segment products have undergone fine tuning in its features.

The Bank's Home loan and Personal loan disbursements recorded a robust growth of 24.23% and 22.53%, respectively. The overall P Segment loan portfolio has grown by 18.36% to ₹12187 Crores during the year.

Online approvals: Online in-principal approval for Home loans and Car loans have attracted good number of new customers to our fold. In-principal approvals of ₹598.50 crores and ₹382.70 Crore were accorded during the year for Home loans and Car loans respectively.

PRIORITY SECTOR LENDING (PSL)

Bank gives utmost importance to lending to Priority Sector and during the FY 2014-15, more than 60% of the total growth in advances is registered under priority sector. The Priority Sector Advances of Bank was 42.52% of ANBC at the end of 31st March 2015, as against the RBI stipulation of 40%. In value terms priority sector advances grew ₹4203 crore from ₹23641 crore to ₹27844 crore during 2014-15. To meet the specific need of this sector Bank is sensitizing the operating functionaries at the branch level to give special attention to Agriculture, MSE, Education, Housing, Export Credit etc. Special thrust is also given on increasing awareness among operative staff about targets/ sub-targets and products/schemes for lending to Priority Sector.

AGRICULTURE

Lending to agriculture remained one of the major thrust areas of the bank. The outstanding level of agriculture advances increased from ₹10962 crore as at the end of March 2014 to ₹11927 crore as at the end of March 2015.

The flow of credit in agriculture stood at ₹9672 crore during the current financial year as against ₹7669 crore during the last financial year. Agriculture advances constitute 18.21% of the Adjusted Net bank Credit (ANBC).

The Bank has issued 71046 Kisan Credit Cards (KCC) with sanctioned limit of ₹1928 crore during the financial year 2014-15. The Total number of KCCs stood at 628428 at end of March, 2015.

PROGRESS UNDER FI PLAN (2013-16)

As per RBI FIP Plan (2013-16), the Bank was required to cover 3144 villages by BCs up to March, 2015. As against this, the Bank has covered 7048 villages. Bank's Branch Network has also crossed the milestone of 1250 branches to touch 1261 branches by opening 117 branches during the year. 935299 accounts have been opened through BC channel against the target of 6,00,000.

PROGRESS UNDER PMJDY

The Bank took the PMJDY Scheme announced by the Hon'ble Prime Minister in true spirit and 24.61 lac accounts have been opened under PMJDY, out of which 11.24 lac accounts are in rural areas and 13.37 lac accounts are in urban areas. Deposit of ₹599.66 crore has been mobilized and 21.52 lac Rupay Debit Cards have been issued under PMJDY up to 31.03.2015.

संग्रहण हो चुका है तथा 21.52 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

बैंक ने अपने आवंटित उप सेवा क्षेत्रों (SSAs: Sub Service Areas) में प्रति परिवार एक खाता खोलने के लक्ष्य को 31.12.2014 से पूर्व ही प्राप्त कर लिया।

रुपे डेबिट कार्ड में ₹1.00 लाख का बीमा अंतर्निहित है एवं जिन लाभार्थियों ने अपना खाता 15-08-2014 से 26-01-2015 की अवधि के दौरान पहली बार खोला है, उन्हें ₹30 हजार का जीवन बीमा कवर (LIC स्कीम) भी उपलब्ध है।

उप सेवा क्षेत्र (SSA) कवरेज की स्थिति

हमारे बैंक को राजस्थान में हमारे सेवा क्षेत्र एवं अन्य राज्यो मे 1948 उप सेवा क्षेत्र (SSA) आवंटित किए गए हैं। इनमें से 1935 उप सेवा क्षेत्र (SSA) राजस्थान में हैं। हमने बैंक शाखाएँ खोलकर अथवा कार्पोरेट/व्यक्तिगत बी.सी. लगाकर समस्त उप सेवा क्षेत्रों (SSAs) को कवर कर लिया है।

वित्तीय साक्षरता

बैंक के अग्रणी जिलो मे 9 वित्तीय साक्षरता व साख परामर्श केंद्र (FLCC) हैं एवं 31.03.2015 तक 1298 परामर्श कैंपों का आयोजन किया गया है जिनमें 91511 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। इनमें से 39422 व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुके हैं और 1529 व्यक्ति साख सहबद्धता से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के लागू होने के बाद बैंक (SBBJ) ने 312 वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किए हैं, जिनमे 16182 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। हमारी ग्रामीण शाखाएँ नियमित रूप से ग्रामीणों से मिलकर वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित कर रही हैं। इन कैंपों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाता है तथा इनमें वित्तीय साक्षरता सामग्री वितरित की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT / DBTL)

हमारी सभी शाखाएँ खातो मे आधार सीडिंग का कार्य एकल एवं सामूहिक (bulk) रूप में करने में समर्थ हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए हमारी नामित नोडल शाखा NPCI मैपर पर दैनिक आधार पर सीडेड डाटा को अपलोड कर रही है। हमने प्रमुख समाचार पत्रों में आधार सीडिंग की स्थिति सुधारने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करवाए हैं।

मार्गदर्शी बैंक योजना

बैंक राजस्थान के नौ जिलों यथा बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद तथा उदयपुर में मार्गदर्शी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। बैंक वार्षिक साख योजना की तथा भारत सरकार, राजस्थान सरकार व नाबार्ड द्वारा लागू की गयी विविध विकासोन्मुखी व गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वयन व निगरानी/समीक्षा में कार्यरत है। 2014-15 की वार्षिक साख योजना अंतर्गत 9 मार्गदर्शी जिलों को आवंटित ₹4564 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष हमने वार्षिक लक्ष्यों का 139% प्राप्त करते हुए ₹6342 करोड़ वितरित किए।

सूक्ष्म वित्त (स्वयं संहायता समूह)

मार्च 2015 के अंत तक बैंक नें 44624 स्वयं संहायता समूहो को साख सहबद्द किया है, जिनमें ₹535.70 करोड़ बकाया शेष है। इनमें से 35654 खाते महिला लाभार्थियों के हैं, जिनमें ₹467.29 करोड़ बकाया शेष है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के 24 राज्यों के 24 पिछडे जिलों में बतौर SHPI Anchor NGO के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण हेतु एक प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया था। इस प्रोजेक्ट को तदुपरान्त 150 पिछडे जिलों, जिनमें 109 वाम कट्टरपंथी (Left Wing Extremism: LWE) जिले भी शामिल है, में विस्तारित कर दिया गया। मार्च 2015 तक 1000 के लक्ष्य के विरुद्ध बाड़मेर जिले में गैर सरकारी संगठन (NGO) ने वर्ष के दौरान 1269 स्वयं सहायता समूहों को बचत बैंक सहबद्धता द्वारा तथा 1090 स्वयं सहायता समूहों को साख सहबद्धता द्वारा जोड़ा है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार संचालन सम्बन्धी कौशल प्रदान करने हेतु हमारे बैंक ने बीकानेर, हनुमानगढ़, बाडमेर जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही एवं नाथद्वारा (जिला-राजसमन्द) में आठ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी : RSETI) स्थापित किए हैं।

मार्च, 2015 के अंत तक इन संस्थानों द्वारा 39911 उम्मीदवारों को स्थानीय मांग व आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदत्त कराये जाने के उपरांत 4795 उम्मीदवार विभिन्न रोजगारों से जुड़ गए हैं तथा 18180 उम्मीदवारों ने अपना स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर दिया है। 9666 व्यक्तियों को ₹6589.75 लाख की साख सहबद्धता प्रदान की है। हमारी समस्त आरसेटी ने AA+/AB रेटिंग अर्जित की हुई है जो कि समग्र अच्छी स्थिति दर्शाता है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत उद्यमियों को वित्तपोषित करने में बैंक सदा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRML) अंतर्गत बैंक ने 114 लाभार्थियों को ₹100.53 लाख की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत 690 लाभार्थियों को ₹3028.99 लाख स्वीकृत किए गए तथा पीओपी (PoP) अंतर्गत 511 लाभार्थियों को ₹1365.89 लाख स्वीकृत किए गए।

The Bank completed the task of opening of one account per household in its allocated SSAs Sub Service Areas) before 31.12.2014.

Rupay debit card having inbuilt insurance cover of Rs. one lac and Life Cover (LIC Scheme) of ₹30,000/- is also available to the beneficiaries who opened their accounts for the first time from 15.08.2014 to 26.01.2015.

STATUS OF SSA COVERAGE

The Bank has been allotted 1948 SSAs (Sub Service Areas) in our Service Area in Rajasthan and in other States. Out of this, 1935 SSAs are in Rajasthan. The Bank covered all these SSAs either by opening of branches or by engagement of Corporate/ Individual BCs.

FINANCIAL LITERACY

The Bank has 9 FLCCs in its Lead Districts and till 31.03.2015, 1298 counseling camps have been organized and 91511 people counseled in such programs. Out of these, 39422 people are linked to Banking system and 1529 people have benefited with credit linkage. After launch of PMJDY, SBBJ has organised 312 Financial Literacy camps, where 16182 persons have been counseled. Our rural branches regularly meet the villagers and hold Financial Literacy Camps. Wide publicity is ensured and financial literacy material is distributed in those camps.

DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT/ DBTL)

All our branches are enabled for individual & bulk seeding of Aadhar numbers in accounts. Our nodal branch for DBT is uploading the seeded data on NPCI mapper on daily basis. We have issued newspaper advertisements in leading newspapers to improve our Aadhaar Seeding position.

LEAD BANK SCHEME

Bank is shouldering Lead Bank responsibility in nine Districts in the State of Rajasthan viz. Bikaner, Barmer, Hanumangarh, Jaisalmer, Jalore, Pali, Sirohi, Rajsamand and Udaipur. The Bank has been implementing and monitoring the Annual Credit Plan and other developmental and poverty eradication schemes launched by the Govt. of India, Govt. of Rajasthan and NABARD. Against target of ₹4564 crore in 9 Lead Districts for Annual Credit Plan for the year 2014-15, we have disbursed ₹6342 Crore, achieving 139% % of the annual targets.

MICRO CREDIT (SHGs)

At the end of March, 2015, the Bank has credit linked a total of 44624 Self Help Groups with outstanding amount of ₹535.70 crore, out of which 35654 accounts are of women beneficiaries with outstanding amount of ₹467.29 crore

Ministry of Finance, Govt. of India launched a project for financing to Women Self Help Groups with the support of Anchor NGO as SHPI in 24 backward Districts of 24 States in the country, later on it was extended to 150 back ward Districts, including 109 Left Wing Extremism (LWE) districts. In Barmer District, NGO has Linked 1269 SHGs by SB Linkage and 1090 SHGs by Credit Linkage during the year against the targets of 1000 up to March, 2015.

RURAL SELF EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTES (RSETI)

In order to impart job- oriented skills to rural unemployed youth, the Bank has set-up eight RSETIs at Bikaner, Hanumangarh, Barmer Jaisalmer, Jalore, Pali, Sirohi and Nathdwara (Distt. Rajsamand).

By the end of March, 2015, 39911 candidates have been imparted training for various local demand jobs in these institutions and by imparting skill trainings, 4795 candidates have been engaged in various jobs and 18180 candidates have started their own ventures. 9666 persons have been credit linked amounting to ₹6589.75 lac. All our RSETIs have secured AA+/ AB rating indicating overall good position.

GOVERNMENT SPONSORED SCHEMES

The Bank continued to play a pioneering role in financing entrepreneurs under various governments sponsored schemes. Under National Rural Livelihood Mission (NRLM scheme) the Bank sanctioned amount of ₹100.53 lacs to 114 beneficiaries. Similarly, under Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) an amount of ₹3028.99 lacs was sanctioned to 690 beneficiaries and ₹1365.89 lacs to 4511 beneficiaries under POP.

REGIONAL RURAL BANK

Rajasthan Marudhara Gramin Bank (RMGB) has come into existence on 01.04.2014 with the amalgamation of the erstwhile Marudhara Gramin Bank (MGB), sponsored by SBBJ and Mewar Anchalik Gramin Bank (MAGB), sponsored by ICICI Bank). The Bank is playing vital role in the economy of the 15 districts of their

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

एसबीबीजे द्वारा प्रायोजित तत्कालीन मरुधरा ग्रामीण बैंक (MGB) तथा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रायोजित मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक (MAGB) के विलय उपरांत दिनांक 01.04.2014 को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (RMGB) अस्तित्व में आया। बैंक इसके 15 जिलों की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक तथा गैर प्राथमिक दोनों ही क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

एसबीबीजे आरएमजीबी (RMGB) को प्रबंधकीय सहयोग तथा पुनर्वित्त के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। आरएमजीबी की समस्त शाखाएँ कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) पर कार्यरत हैं तथा इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। आरएमजीबी ने अपने पाँच ऑनसाइट एटीएम व एक मोबाइल एटीएम भी स्थापित किया है। 31.03.2015 को आरएमजीबी की ₹6332 करोड़ की जमाएँ व ₹4572 करोड़ के अग्रिम थे। आरएमजीबी ने ₹90 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र 5.77 करोड़ इकाइयों के अपने वृहद नेटवर्क, जो कि 8 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित कर रहा है, 6000 से अधिक उत्पाद निर्मित कर रहा है और जिसका विनिर्माण उत्पादों में 45% का तथा निर्यात में लगभग 40% का योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 31 मार्च 2015 को बैंक का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) को प्रदत्त कुल अग्रिम ₹11719 करोड़ था जो कि 144400 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रदत्त किया हुआ है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंड बैंक द्वारा चिन्हित समग्र वृद्धि का एक प्रमुख क्षेत्र है तथा इसका बैंक के कुल अग्रिम में 15% से अधिक का अंशदान है। समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने 25804 से अधिक नयी एमएसएमई इकाइयों को ₹2555 करोड़ राशि की साख सुविधा प्रदत्त करवाई गयी। एमएसई को प्रदत्त ₹10 लाख तक के ऋण की राशि ₹1424 करोड़ थी।

बैंक सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना अंतर्गत एमएसई क्षेत्र को ₹1 करोड़ तक के समपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण उपलब्ध करवा रहा है। इस गारंटी योजना अंतर्गत पात्र एमएसई खातों में ₹100 लाख तक की साख सीमा पर 50 से 85% गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। बैंक ने सीजीटीएमएसई अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹122 करोड़ के 3149 नए खातों को कवर किया है।

सरकारी व्यवसाय

बैंक अपनी 985 अधिक्रत शाखाओं के माध्यम से राज्य/केंद्र सरकार के लिए सरकारी व्यवसाय का कार्य करती है। आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर, मूल्य संवर्धित कर (वैट) आदि का भौतिक चालान द्वारा एवं इलेक्ट्रोनिक तरीके से संग्रहण किया जाता है। बैंक द्वारा केंद्रीयक्रत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) की स्थापना की गयी है जो कि पेंशन की गणना करने के साथ-साथ सभी शाखाओ मे पेंशनर्स के खातों में इसे जमा भी करती है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा ऑन लाइन वेतन भुगतान करने के उद्देश्य से ऑन लाइन ट्रेजरी शाखा भी है। वर्तमान में हमारी ऑनलाइन ट्रेजरी शाखा 9.75 लाख राज्य सरकार संबंधी लेनदेन 18000 डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फाइलों के माध्यम से प्रतिमाह निष्पादित कर रही है। वर्ष 2014-15 में सरकारी व्यवसाय से ₹96.18 करोड़ की कमीशन आय हुई।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक अपनी विदेशी विनिमय व्यवसाय हेतु 'बी' श्रेणी में अधिकृत 69 एवं 'सी' श्रेणी में अधिकृत 184 शाखाओं तथा 4 व्यापार वित्त केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (टीएफ़सीपीसी) के नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों/आयातकों, अन्य निवासी एवं अनिवासी ग्राहकों को विदेशी विनिमय सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करता है।

हमारा मुम्बई में स्थित विदेशी विनिमय लेनदेन केन्द्र एवं सभी 'बी' श्रेणी में अधिकृत शाखाएँ आधुनिक तकनीकी व द्रुतगामी संचार व्यवस्था से सुसज्जित हैं तथा स्विफ़्ट द्वारा आपस में एवं सम्पूर्ण विश्व में स्थित 750 से अधिक विदेशी बैंकों के कार्यालयों से जुडे हुए हैं। बैंक के विश्व की सभी प्रमुख मुद्राओं में 21 नोस्त्रो खाते हैं एवं विश्व के अन्य सभी प्रमुख बैंकिंग समूहों से भी खाता रहित संवाददाता सम्बन्ध हैं। अनिवासी भारतीय ग्राहकों हेतु धन-प्रेषण के लिए स्विफ़्ट, ऑनलाइन प्रेषण सुविधा व खाडी देशों में स्थित 4 विनिमय गृहों के साथ गठबन्धन हैं।

विदेशी विनिमय बाजार के उतार चढ़ाव की गतिविधियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा एकल स्वामित्व विदेशी मुद्रा कारोबार भी किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2014-15 में बैंक का मर्चेन्ट विदेशी मुद्रा कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समयावधि के ₹31678 करोड की तुलना में ₹492 करोड़ की आंशिक गिरावट (1.56%) के साथ ₹31186 करोड रहा।

हमारी अनिवासी जमाएं मार्च 2014 के आधार स्तर ₹1384 करोड से बढकर समीक्षा वर्ष के दौरान ₹246 करोड (17.77% %) की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2015 के अंत में ₹1630 करोड हो गई।

हमारी निर्यात साख मार्च 2014 के आधार स्तर ₹2740 करोड की तुलना में ₹196 करोड (7.15%) की आंशिक गिरावट के साथ मार्च 2015 के अंत में ₹2544 करोड रहीं।

area of operation by extending financial assistance to both priority and non priority sectors.

SBBJ continues to provide managerial support and financial assistance by way of refinance etc. to RMGB. All branches of RMGB are on CBS platform and provide Electronic Fund Transfer facility. RMGB has installed its five on site ATMs and one mobile ATM. RMGB has a deposit of ₹6332 crore and advances of ₹4572 crore as on 31.03.2015. RMGB recorded a net profit of ₹90 crore.

बैंक द्वारा वित्तपोषित इकाई को नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "नगरीय परिवहन में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2014" से सम्मानित किया गया।

A unit financed by the Bank is the recipient of the "National Award for Excellence in Urban Transport 2014" from the Ministry of Urban Development, Government of India.

II) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

The Micro, Small and Medium enterprises(MSME) sector contributes in a big way to the growth of Indian Economy with a vast network of over 5.77 crore units, creating employment for more than 8 crore people, manufacturing more than 6000 products, contributing about 45% of manufacturing output and about 40% of exports. As on 31st March, 2015, Bank's total exposure to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector was ₹11719 crore in more than 144000 MSME units. MSME Segment is one of the key growth areas identified by the Bank and constitutes more than 15% of Bank's total advances. During the year, Bank has sanctioned credit facilities to more than 25804 new MSME units amounting to ₹2555 crore. The loans upto ₹10 lacs in MSE is ₹1424 crore.

Bank is extending collateral free loans up to ₹1.00 crore to MSE sector under CGTMSE Scheme of Credit Guarantee Trust, which provides 50 to 85% guarantee cover on eligible MSE accounts for limit up to ₹100 lacs. Bank has covered 3149 fresh accounts amounting to ₹122 crore during the FY 2014-15 under CGTMSE.

GOVERNMENT BUSINESS

The Bank conducts Government Business on behalf of State/ Central Government through 985 Authorized Branches. Income Tax, Central Excise, Service Tax, Value Added Tax (VAT) etc. are collected through physical chalans and also through the electronic mode. The Bank has established a Centralized Pension Processing Centre (CPPC) which calculates as well as credits pension to the accounts of pensioners across all the branches. Bank also has an online treasury Branch for online payment of salary of Rajasthan Govt. employees on behalf of the State Govt. Presently our online Treasury Branch is processing 9.75 lakh State Govt. transactions received through 18000 digitally signed files in a month. During 2014-15, the Bank has earned ₹96.18 crore commission income from Government business.

INTERNATIONAL BANKING

The Bank provides Foreign Exchange related services to exporters/ importers, other resident and non-resident customers through a network of 69 Authorized Category "B" and 184 category 'C' branches and 4 Trade Finance Central Processing Centres (TFCPC).

Bank's forex dealing room at Mumbai and all the authorized category 'B' branches are equipped with latest technology for real-time communication and are connected through SWIFT network with more than 750 offices of foreign banks throughout the world. The Bank maintains 21 NOSTRO accounts in all major currencies and non-account correspondent banking relationship with all major banking groups in the world. To facilitate NRI customers for inward remittances, there is online remittance facility and tie-up with 4 Gulf based Exchange Houses.

The Bank also undertakes proprietary Forex trading to increase profit by taking advantage of market movements. Our Merchant forex turnover stood at ₹31186 crore at the end of March

औद्योगिक पुनर्वास

31.03.2015 की समाप्ति पर, बैंक की पुस्तकों में 19 बड़ी रुग्ण / कमजोर इकाईयों का कुल बकाया ₹278.55 करोड़ था। निगमित ऋण पुनर्सरचना (सीडीआर) के 47 मामलों में बैंक का सकल वित्त ₹3038.36 करोड़ एवं बीआईएफआर के 18 मामलों में बैंक का सकल वित्त ₹343.27 करोड़ है। बैंक 4 मामलों में बीआईएफआर की परिचालन एजेंसी के रुप में कार्य करता रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में मूल रूप से कठोर आर्थिक परिदृश्य की अपरिहार्यता से उत्पन्न स्थितियों के आलोक में सीडीआर तंत्र के अधीन 8 खातों, जिनमे बैंक का सकल वित्त ₹996.28 करोड़ है, को पुनर्सरचित किया गया।

गैर निष्पादित आस्ति प्रबंधन

बैंक बड़े मूल्य के खातों में गहन अनुवीक्षण, ऋण वसूली अभिकरणो (डीआरटी) एवं बीआईएफ़आर (BIFR) के साथ गहन अनुवर्तन, व्यावसायिक दृष्टि से उपादेय खातों की पुनर्सरचना, वसूली हेतु प्रतिभूतिकरण/ रोडा (SARFAESI / RODA) अधिनियमों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने जैसे उपायों द्वारा गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को नियंत्रित करने के लिए बहुविधिक व बहुआयामी रणनीति अपनाए हुए है। प्रधान कार्यालय में पदस्थापित महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों व सहायक महाप्रबंधकों को अंचलों/क्षेत्रों के एनपीए स्तर की प्रभावी निगरानी में सहायता प्रदान करने हेतु समन्वयक/सहायक (mentor) की भूमिका दी गयी है। न्यायालयों के साथ अनुवर्तन एवं निष्पादन याचिका दाखिल करने पर वांछित ध्यान दिया गया। समीक्षा वर्ष में वसूली शिविरों, बैंक अदालतों व लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिनके परिणाम उत्साहवर्धक रहे। वसूली शिविर प्रत्येक गाँव में प्रति सप्ताह आयोजित किए जा रहे हैं। एनपीए तथा संग्रहण हेतु अग्रिम (AUCA) अंतर्गत वसूली की प्रबंधन समिति द्वारा अंचलों व उप महाप्रबंधक वाली शाखाओं के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित चर्चा/समीक्षा की जाती रही है। स्थिति को नियंत्रित/नियमित करने हेतु तथा खातों को एनपीए होने से यथासंभव बचाए जाने के उद्देश्य से बैंक के पास उपलब्ध विविध विकल्पों के साथ साथ SMA तथा संभाव्य एनपीए वर्ग के खातों पर भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाती है। ''ऋण निगरानी केंद्र'' (loan tracking centre) भी प्रधान कार्यालय व अंचल स्तर से मानक अनियमित खातों की निगरानी/ट्रैकिंग करते हैं। इन उपायों को अपनाए जाने तथा प्रतिभूतिकरण (SARFAESI) अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी प्रयोग करते हुए बैंक को स्वीकार्य समझौता प्रस्ताव भी प्राप्त हुए जिनके परिणामस्वरूप एनपीए में अच्छी वसूली हुई।

2014-15 में एनपीए स्तर में ₹1687.45 करोड़ की अभिवृद्धि हुई है। तथापि, इसी अवधि में ₹1475.09 करोड़ की वसूली/ अभ्युत्थान भी हुआ है। समीक्षा वर्ष में संग्रहण हेतु अग्रिम (AUC) खातों में ₹92.38 करोड़ की अत्यंत प्रभावपूर्ण वसूली रही है। मार्च, 2015 के अंत में बैंक का सकल गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) अनुपात 4.14% व निवल गैर निष्पादित आस्ति अनुपात 2.54% रहा।

बैंक की जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में एक स्वतंत्र ज़ोखिम प्रबन्धन संरचना मौजूद है। शीर्ष स्तर पर निदेशक मण्डल की ज़ोखिम प्रबन्धन समिति (RMCB) है जो बैंक में ज़ोखिम प्रबन्धन हेतु नीतियों एवं युक्तियों का कार्य देखती है। आस्ति-देयता प्रबन्धन समिति (ALCO), बाज़ार ज़ोखिम प्रबन्धन समिति (MRMC), साख़ ज़ोखिम प्रबन्धन समिति (CRMC) एवं परिचालन ज़ोखिम प्रबन्धन समिति (ORMC) RMCB की सहायता करती हैं। यह उप-समितियां उनके अपने कार्यक्षेत्र से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण समस्याओं/गतिविधियों को RMCB के समक्ष प्रस्तुत करती है। बैंक के समक्ष आने वाली मुख्य ज़ोखिमों के पहचान, मापन एवं प्रबन्धन हेतु तरलता जोखिम, बाज़ार जोखिम, साख़ जोखिम तथा परिचालन ज़ोखिम प्रबन्धन नीतियाँ हैं। गतिशील व्यवसाय वातावरण को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है। प्रधान कार्यालय में एकीकृत ज़ोखिम प्रबन्धन विभाग अन्य विभागों/ परिचालन इकाइयों, जो कि अपने व्यवसाय कार्यक्षेत्र से संबंधित जोखिम प्रबंधन का कार्य कर रहे है, के मध्य निरंतर सामंजस्य/ समन्वय बने रहने हेतु एक समन्वयक का कार्य करता है।

जोखिम प्रबंधन कार्य

तरलता ज़ोखिम एवं ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन हेतु एक व्यापक आस्ति देयता प्रबन्धन प्रणाली (ALM) लागू है, जिसके अंतर्गत आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) द्वारा निर्धारित विवरणों जैसे संरचनात्मक तरलता विवरण, अल्पावधि गतिशील तरलता, ब्याज दर जोखिम संवेदनशीलता विवरण (परम्परागत तथा अवधि अंतराल पद्धतियाँ), तरलता तथा आय पर तनाव परीक्षण आदि के माध्यम से तरलता तथा ब्याज दर जोखिमों की पहचान, मापन तथा निगरानी की जाती है। ALCO द्वारा इन विवरणों पर विस्तृत चर्चा की जाती है तथा जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते है। बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन (ALM) नीति के अनुसार, आकस्मिकता निधीयन योजना की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक की बेंचमार्क उधार दर (आधार दर तथा बीपीएलआर) तथा जमाओं के लिए कार्ड दरों पर गहन चर्चा तथा निर्णय ALCO द्वारा लिए जाते है।

बाज़ार जोखिम का प्रबंधन, मुख्यतया विभिन्न नीतियों की अनुपालना, विभिन्न जोखिम सीमाओं यथा स्थिति सीमा, हानि रोधक सीमा, प्रबंधन कार्यवाही उत्प्रेरक तथा अन्तिम हानि उत्प्रेरक के साथ निवेश एवं व्यापारिक गतिविधायों के संचालन को

2015, as against ₹31678 crore for the same period in last financial year representing a marginal decrease of ₹492 crore (1.56 %) during the year.

Our NRI deposits stood at ₹1630 crore at the end of March 2015 as against the base of ₹1384 crore in March 2014, registering a growth of ₹246 crore (17.77%).

Our export credit stood at ₹2544 crore at the end of March, 2015 as against ₹2740 crore at the end of March, 2014, recording a marginal decrease of ₹196 crore (7.15 %) during the financial year.

INDUSTRIAL REHABILITATION

As at end of 31st March, 2015, the Bank had 19 large sick /weak units on its books with aggregate outstanding of ₹278.55 crore. There are 47 Corporate Debt Restructuring cases with aggregate exposure of ₹3038.36 crore and 18 BIFR cases with exposure of ₹343.27 crore. The Bank has been acting as BIFR's Operating Agency in 4 cases. During the year under review 8 accounts with aggregate exposure of ₹996.28 crore have been restructured under CDR mechanism as warranted basically by the tight economic scenario.

NPA MANAGEMENT

The Bank continues with its multipronged strategy of controlling

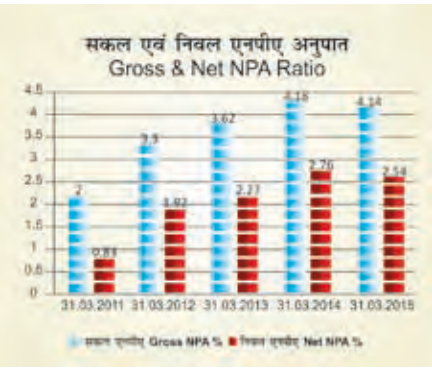

Non-Performing Assets (NPAs) through intensive monitoring of large value accounts, close follow-up with DRT/BIFR, restructuring of viable accounts and effectively utilizing the remedies available under the SARFAESI and RODA Acts. GMs, DGMs and AGMs posted at Head Office have been assigned the role of mentors of Zones / Regions and Branches to provide support and monitor the NPA level. Due emphasis has been given to follow-up with the Courts and filing of Execution Petitions. During the year, Recovery Camps, Bank Adalats and Lok Adalats were organized for NPA recovery, the results of which were quite encouraging. Recovery camps are being held in every village, every week. The progress in NPA / AUC recovery is being discussed / reviewed by the Management Committee over Video conferencing with all the Zones and DGM headed branches. The accounts in SMA / Probable NPA category are also discussed through video conferencing in addition to various foray available at the Bank to regularize the position and to avoid any account slipping into NPA. The "Loan Tracking Centers" monitor / track the irregular standard accounts from Head Office as well as Zones. Pre-emptive measures such as restructuring etc. are also under taken, as per RBI guidelines. By adopting the above measures and utilizing the provision of SARFAESI Act effectively, Bank has also received a number of acceptable compromise proposals which has resulted in good recovery in NPA. There has been an addition of ₹1687.45 crore in NPA during 2014-15. However, there has been recovery / up-gradation to the tune of ₹1475.09 Crore. The recovery in AUC accounts have particularly been impressive during the year under review, aggregating ₹92.38 crore. At the end of March 2015, gross NPA ratio of the Bank stood at 4.14% and Net NPA ratio stood at 2.54%.

RISK MANAGEMENT STRUCTURE OF THE BANK

The Bank has an independent Risk Management Framework in place. At the apex level, there is a Risk Management Committee of the Board (RMCB), which oversees the policies and strategies for Risk Management in the Bank. Asset Liability Management Committee (ALCO), Market Risk Management Committee (MRMC), Credit Risk Management Committee (CRMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) provide support to RMCB. These sub-committees place all critical issues/ development in their respective areas before the RMCB. The Bank has Policies for identification, measurement and management of major risks – liquidity risk, market risk, credit risk and operational risk. These policies are reviewed and updated from time to time, keeping in view the dynamic business environment. Integrated Risk Management Department (IRMD) acts as the nodal centre for coordination with other departments/ operating units engaged in managing risk in their respective business areas.

RISK MANAGEMENT FUNCTION

A comprehensive Asset Liability Management (ALM) System is in place for effective management of Liquidity Risk and Interest Rate Risk, which are identified,

जोखिम स्थितियों की लगातार निगरानी द्वारा किया जाता हैं। बैंक के निवेश संविभाग की सुदृढता के मूल्यांकन हेतु बैंक की दबाव परीक्षण नीति के अनुसार शेयर सूचकांकों में गिरावट, बॉण्ड अर्जन में वृद्धि तथा विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव जैसी घटनाओं को समेटते हुए बाज़ार ज़ोखिम परिदृश्य का विश्लेषण समीक्षा वर्ष के दौरान निरंतर किया गया।

उधार जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने एक उधार अनुमोदन प्रक्रिया तैयार करके मानकीकरण किया है, जिसमे प्रस्तावों का व्यापक उधार श्रेणी निर्धारण शामिल है। खुदरा ऋणों के लिए बैंक जोखिम स्कोरिंग मॉडल का उपयोग करता है। साख़ ज़ोखिम के विस्तार के नियंत्रण हेतु आतंरिक एवं विवेकपूर्ण मानदंड बेंचमार्क, वित्तीय अनुपात, एकल उधारकर्ता एवं उधारकर्ता समूह एक्सपोज़र, उद्योग विशेष एवं क्षेत्र विशेष में एक्सपोज़र, संवेदनशील क्षेत्र में एक्सपोज़र, नये एक्सपोज़र लेने हेतु बाधा दर इत्यादि स्थापित किये गये हैं। साख़ निरुपण प्रणाली एवं स्पष्टत: परिभाषित अधिकारों का प्रत्यायोजन बैंक की साख़ नीति का अभिन्न अंग है।

परिचालन ज़ोखिम प्रबन्धन हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना एक मुख्य साधन है जिसमें कर्तव्यों का वर्गीकरण, स्पष्ट प्रबन्धन रिपोर्टिंग एवं पर्याप्त परिचालन नियमावली शामिल हैं। अधिकांश परिचालन ज़ोखिम घटनाओं का कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमज़ोर सामंजस्य अथवा वर्तमान आंतरिक नियंत्रण विधियों का पालन नहीं करना है। बैंक ने परिचालन ज़ोखिम प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु उचित प्रणाली एवं कार्यविधि विकसित की गई है।

बासेल-III पूंजीगत ढाँचा

बासेल-III पूँजी विनियम 01.04.2013 से लागू कर दिये हैं तथा इसका पूर्ण कार्यान्वन 2019 तक होना हैं। तदनुसार बैंक बासेल-III ढाँचे के स्तंभ-I के अनुसार ज़ोखिम भारित आस्ति अनुपात में पूँजी की गणना कर रहा है। बासेल-III ढाँचे के स्तंभ-III के अंतर्गत बाजार अनुशासन में सुधार हेतु एवँ पूँजी आधार की स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से बैंक के वार्षिक विस्तृत प्रतिवेदन में तथा बैंक की वेबसाईट (www.sbbjbank.com) पर बासेल-III प्रकटीकरण किया गया है।

बैंक ने साख़, परिचालन तथा बाज़ार ज़ोखिमों के लिए बासेल-II दिशानिर्देशों के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण पर चरणबद्ध रूप में पारगमन का निश्चय किया है।

अंतर कार्यालय लेनदेनों का मिलान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक प्रविष्टि उद्गम की तिथि के 6 माह के अन्दर मिलान हो जाना चाहिए। मार्च 2015 की समाप्ति तक बैंक द्वारा 28.02.2015 तक की खड़ी की गई सभी अंतर शाखा डेबिट लेनदेन प्रविष्टियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 माह की समय सीमा से काफी पहले ही मिलान कर लिया गया है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी प्रावधानों को लागू करने हेतू वचनबद्ध है एवं बैंक का लक्ष्य है कि सभी प्रविष्टयों का मिलान उनके सृजित/खड़ी किए जाने के दो माह के भीतर ही कर लिया जाये।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक समस्त शाखाओं में सुस्थापित सीबीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्कृष्ट कोटि की सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ उपलब्ध करवा रहा है। सीबीएस में कुछ अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ व सुविधाएं यथा विविध कार्य संपादित करने में सक्षम एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ्लेक्सि जमा योजना, मल्टी सिटि चेक सुविधा, स्थानीय व बाह्य चेकों का त्वरित संग्रहण, सभी प्रकार के डेबिट/क्रेडिट लेनदेन हेतु ईसीएस सुविधा आदि का समावेश किया गया है। सीबीएस में ही नए ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी भी लागू कर दिया गया है तथा अब आधार नंबर रखने वाले ग्राहकों को नए खाते खुलवाते समय किसी प्रलेखीय प्रमाण को लाने/प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

एटीएम

समीक्षा वर्ष में बैंक ने 289 नए नेटवर्क संबद्ध एटीएम स्थापित करते हुए व साथ ही 7 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके 42 एटीएम को बदलते हुए अपने एटीएम की कुल संख्या को 1843 पर पहुंचा दिया। समस्त एटीएम स्टेट बैंक समूह एटीएम के नेटवर्क से संबद्ध हैं जो कि बैंक के 91.17 लाख से अधिक एटीएम कार्ड

बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम का शुभारंभ

Mobile ATM launched by the Bank.

measured and monitored by the ALCO through the prescribed statements, viz. Statement of Structural Liquidity, Statement of Short Term Dynamic Liquidity, Statement of Interest Rate Risk Sensitivity (Traditional and Duration Gap methods), Stress Testing on Liquidity and Earnings etc. ALCO discusses these statements in detail and takes corrective actions whenever necessary. As per the Bank's ALM Policy, a Contingency Funding Plan is reviewed on a quarterly basis. Bank's Benchmark Lending Rates (Base Rate and BPLR) and Card Rates for Deposits are discussed and decided by the ALCO.

Market Risk is largely managed through adherence to various policies, in the conduct of the investment and trading activities along with adherence to various risk limits like position limits, stop loss limits, Management Action Trigger (MAT) and Cut Loss Triggers (CLT) through constant monitoring of the risk positions. Scenario Analysis on market risk covering events such as decline in stock markets, rise in bond yields and foreign exchange rate movements are conducted regularly as per the Stress Testing Policy of the Bank to assess resilience of Investment portfolio.

For Credit Risk management, the Bank has a structured and standardised credit approval process which includes comprehensive credit rating of proposals. For retail loans, Bank uses a risk scoring model. In order to control the magnitude of credit risk, internal and prudential norms on benchmark, financing ratios, single borrower or borrower-group exposure, industry specific and sector-specific exposure, exposure to sensitive sectors, hurdle rate for taking a fresh exposure etc. have been set up. Credit appraisal systems and a clearly defined delegation of powers form an integral part of the Bank's Loan Policy.

One of the major tools for managing operational risk is to put in place a well established internal control system, which includes segregation of duties, clear management reporting lines and adequate operating procedures. Most of the operational risk events are associated with weak links in internal control systems or laxity in complying with the existing internal control procedures. The Bank has suitable systems and procedures for managing and control of operational risks.

BASEL-III CAPITAL FRAMEWORK

Basel-III capital framework has come into effect from April 01, 2013 and shall be fully implemented by 2019. Accordingly, the Bank is computing Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as per Pillar-I of Basel-III Framework. With a view to improve market discipline under Pillar-3 of Basel-III framework and to improve transparency of capital base, Basel-III Disclosures have been made by the Bank in the Comprehensive Annual Report as also on Bank's website (www.sbbjbank.com).

Bank plans to move over to advanced approaches of Basel-II guidelines for Credit, Market & Operational Risks in prescribed phased manner.

RECONCILIATION OF INTER OFFICE TRANSACTIONS

As per RBI guidelines, all the entries need to be reconciled within a period of six months from the date of their origin. By the end of March, 2015, the Bank had reconciled all Inter-Branch debit transactions, originated till 28.02.2015 i.e. well before the time limit of six month prescribed by the RBI. The Bank is further committed to perform better and aim to reconcile the entries within two months period from the date of their origin.

INFORMATION TECHNOLOGY

Bank is providing hi-tech state of the art services through well established CBS platform across all the branches. Value Added Services like multi functional ATMs, Internet Banking, Mobile Banking, flexi deposit scheme, multi city cheque facility, instant credit of local and outstation cheques, ECS facility, etc. for all type of Debit/ Credit transactions in CBS, e-KYC for creation of new customers has been introduced in CBS and now customers having Aadhaar number need not bring any documentary proof for opening of new accounts.

AUTOMATED TELLER MACHINES (ATMs)

Bank has installed 289 new networked ATMs during the year to take the tally of ATMs to 1843 including replacement of 42 ATMs of 7 years old/Damaged ATMs. All the ATMs are connected to the network of State Bank Group ATMs, thereby enabling more than 91.17 lac card holders of the Bank to have free of cost access to over fifty five thousand ATMs of the State Bank Group all over the country. During the year Bank has also launched one mobile ATM in the city of Jaipur.

Bank has 50 Cash Deposit Machines (CDMs) at various onsite ATM kiosks and 2 Bunch Note Acceptor (BNA) machines

धारकों को स्टेट बैंक समूह के समूचे देश में फैले पचपन हज़ार से अधिक एटीएम का निशुल्क उपयोग किए जाने की सुविधा दे रहे हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने जयपुर नगर में एक मोबाइल एटीएम का भी शुभारंभ किया।

बैंक ने विभिन्न ऑनसाइट एटीएम कियोस्कों पर 50 नकदी जमा मशीनें (CDMs) तथा शाखाओं के बैंकिंग हालों में व साथ ही एटीएम कक्षों में 2 थोक नोट स्वीकर्ता (Bunch Note Acceptor) मशीनें स्थापित की हैं। ये मशीनें एटीएम-सह-डेबिट कार्ड के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं तथा ₹100, ₹500 व ₹1000 के मूल्य वर्ग के नोटों में ₹49900 की नकदी जमा स्वीकार करती हैं। मशीन द्वारा जमा लेनदेन की रसीद ग्राहक को दे दी जाती है व तुरंत ही उसके खाते में राशि जमा कर दी जाती है।

स्वयं सेवा कियोस्क

बैंक की विभिन्न शाखाओं में 75 स्वयं सेवा कियोस्क स्थापित किए गए हैं तथा ग्राहक इन कियोस्कों पर एटीएम-सह-डेबिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय व गैर-वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं। एसएसके समाधान उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुकूल टच् स्क्रीन आधारित ग्राहक इंटरफेस है।

एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा बिल भुगतान

बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न सुविधा प्रदाता सेवाओं यथा टेलीफ़ोन बिल, मोबाइल बिल, बीमा प्रीमियम, एसबीआई क्रेडिट कार्ड भुगतान, प्रमुख शिक्षण संस्थानों की फीस जमा तथा सिद्धि विनायक मंदिर को दान की सुविधा प्रदान करवा रहा है।

एसबीबीजे इंस्टापे–यह एक केंद्रीयकृत समाधान उपलब्ध करवाया गया है जिसके अंतर्गत बिना किसी पूर्व पंजीयन के लगभग सभी प्रकार के सुविधा बिल भुगतान/ रीचार्ज/दान/ बीमा प्रीमियम/पत्रिका शुल्क आदि दिया जा सकता है।

ग्रीन रेमिट कार्ड प्लस (जीआरसी+)

बैंक ने स्टेट बैंक समूह के भीतर ही कम मूल्य के गैर–होम शाखा नकदी जमा लेनदेनों को औपचारिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रीन रेमिट कार्ड प्लस (जीआरसी+) का शुभारंभ किया है। शाखा में आने वाले वे ग्राहक, जिनका कि कोई बैंक खाता नहीं है (उदाहरणार्थ प्रवासी कामगार) आवेदन कर सकते हैं तथा जीआरसी+ कार्ड का उपयोग किसी भी सहयोगी बैंक की शाखा में कर सकते हैं। जीआरसी+ कार्ड के माध्यम से वे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं सहित किसी भी सहयोगी बैंक की शाखा में लाभार्थी द्वारा संचालित खाते में नकदी प्रेषण कर सकते हैं। यह एक विशेष लाभार्थी के खाते से जोड़ा जा चुका (mapped) चुंबकीय पट्टीयुक्त (magnetic stripe) कार्ड है जिसमें प्रेषणकर्ता का नाम व मोबाइल नंबर व साथ ही लाभार्थी का नाम व खाता संख्या समाहित रहता है। एटीएम-सह-डेबिट कार्ड के विपरीत जीआरसी+ कार्ड का **बगैर पिन** के वर्तमान में ग्रीन चैनल काउंटर (GCC) पर उपयोग किया जा सकता है तथा इसे भविष्य में नकदी जमा लेनदेन के लिए नकदी जमा मशीनों (CDMs) पर भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

ई-लॉबी का शुभारंभ

युवा पीढ़ी व नए दौर के ग्राहकों को नवीनतम तकनीकी आधारित प्रयोगों/प्रयासों द्वारा आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न स्थानों पर 12 ई-लॉबियों का शुभारंभ किया, जो कि ग्राहकों को उत्कृष्ट तकनीक से सुसज्जित सेवाओं यथा एटीएम, नकदी जमा मशीनों (CDM), स्वयं सेवा कियोस्क (त्वरित निधि अंतरण व पासबुक प्रिंटिंग सुविधा सहित), ई-पासबुक प्रिंटर, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, सूचना कियोस्क, चेक ड्रॉप-बॉक्स व ग्राहक सूचना दर्शाते एलईडी स्क्रीन से युक्त हैं। बैंक ने राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी कही जा सकने वाली ई-लॉबियों में से एक ई-लॉबी का अपनी एसएमएस हाइवे शाखा, जयपुर में शुभारंभ किया।

प्रीपेड कार्ड

रुपए प्रीपेड कार्ड (eZPay कार्ड) विशेषकर ऐसे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए तथा छात्रों को जेब खर्च व छात्रवृति भुगतान करने की सुविधा देने हेतु प्रारम्भ किया गया है, जो कि माह में मात्र एक या दो लेनदेन करते हैं व खाता भी इसी प्रयोजन से रखते हैं। रुपए प्रीपेड कार्ड (eZPay कार्ड) उन कार्पोरेट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, जिन्हें अपने स्टाफ व विक्रेताओं को विविध भुगतान करने होते हैं। इन कार्डों का पुनर्भरण (reload) किया जा सकता है व इन्हें इनकी वेधता अवधि के दौरान किसी भी एटीएम पर अथवा किसी भी POS

बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी ई-लॉबी का दृश्य

A view of an e-lobby launched by the Bank

in the Banking Halls of Branches and have been installed at on-site ATM rooms. These machines are operable through ATM-cum-Debit card and are capable of accepting cash upto ₹49,900/- in denominations of ₹100/-, ₹500/- and ₹1000/- bills. Receipt of the deposit transaction is given to the customer and cash is immediately credited to customer's account on real time basis.

SELF SERVICE KIOSK (SSK)

75 Self Service Kiosks (SSKs) have been installed at various branches of our Bank and customers can perform financial and non-financial transactions using State Bank ATM-cum-Debit Cards at these SSKs. The SSK solution has user friendly touch screen based customer interface

BILL PAYMENT THROUGH ATM AND INTERNET BANKING:

Bank is providing utility bill payment of Telephone bill, Mobile bill, Insurance premium, SBI Credit Card payments, fee deposit of some important educational institutions and donations to Siddhi Vinayak Temple through Internet Banking.

SBBJ Instapay- A Centralized solution for almost all types of Utility Bill payments/Recharge/ Donations/Insurance Premium/ Magazine Subscription, where no prior registration is required has been made available.

GREEN REMIT CARD PLUS (GRC+):

Bank has rolled-out the Green Remit Card Plus (GRC+) initiative to formalize Non-Home Branch Cash Deposit transactions of small value within State Bank Group. Walk-in customers, not having bank account (e.g. migrant workers) can apply and use GRC+ card at any AB branch. Through GRC+ card they can remit cash to Beneficiary holding account with any SB Group branch, including SBI branches. It is a Magnetic stripe card mapped to a particular beneficiary's account which will contain remitter's name and mobile number along-with beneficiary's name and account number. In contrast to ATM-cum-Debit card, GRC+ card is used **without PIN** at Green Channel Counter (GCC) at present and will be used at Cash Deposit Machine (CDMs) as well in future for Cash Deposit transactions.

ROLL OUT OF e-LOBBY

To attract the young generation & accustomed customers with latest technology driven initiatives, the Bank rolled out 10 e-Lobbies at various locations, facilitating the customers with state of art technology aided services like ATMs, Cash Deposit Machine (CDM), Self service Kiosk (having immediate fund transfer and pass book printing facility), e-Pass Book Printer, Internet Banking Kiosk, Information Kiosk, Cheque Drop-box and LED screens for customer information display. The Bank has rolled out one of the largest e-Lobby in Rajasthan state at SMS Highway Jaipur Branch.

PREPAID CARDS

The Rupee Pre-paid Card (eZPay Card) has been launched, particularly for salaried persons and students for pocket money and scholarship payments, who undertake only one or two transactions in a month and maintain account for the purpose. The Rupee Pre-paid Card (eZPay Card) is equally useful for the Corporate, who have to make various payments to their staff and vendors. The cards can be reloaded and can be used in any ATM or with any POS merchant, any number of times during their validity period.

BANK RENOVATES HERITAGE BUILDING OF SMS HIGHWAY, JAIPUR

Our SMS Highway, Jaipur branch

हमारी एसएमएस हाइवे,जयपुर शाखा का नवसज्जित बैंकिंग हाल

Renovated banking hall of our SMS Highway, Jaipur branch

हरित प्रयोग अंतर्गत बैंक के प्रधान कार्यालय भवन परिसर में स्थित 5 एटीएम को सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने के उद्देश्य से हरित प्रयोग अंतर्गत 10 KW का सोलर पावर पैक स्थापित किया गया है

As a part of the Bank's Green Initiatives, a Solar Power Pack of 10KW has been installed at the HO building for facilitating the ATMs installed therein to run on solar energy

मर्चेन्ट के यहाँ अनेक बार प्रयोग में लाया जा सकता है।

बैंक द्वारा एसएमएस हाइवे, जयपुर शाखा भवन की विरासत की नवसज्जा

हमारी एसएमएस हाइवे, जयपुर शाखा का उदघाटन मई, 1952 में तत्कालीन जयपुर रियासत के महाराजा सवाई मानसिंहजी द्वारा किया गया था तथा यह एक गुलाबी आवरण युक्त विरासत भवन में स्थापित है जो कि गुंबदों-झरोखों से सुसज्जित राजस्थानी स्थापत्य कला की एक उत्कृष्ट कृति बना रहा है।

बैंक ने भवन परिसर की विरासत और उससे जुड़ी राजसी धरोहर को यथावत बनाए रखते हुए शाखा की नवसज्जा करवाई है।

अतएव बैंक ने अत्यंत गौरव की अनुभूति के साथ अपनी पहली ई-लॉबी उस परिसर में स्थापित किया जाना उपयुक्त पाया जहां से छह दशक पूर्व उसने अपनी व्यवसाय यात्रा प्रारम्भ की थी।

तदनुसार, ई-लॉबी व नवसज्जित शाखा परिसर का उदघाटन दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को तत्कालीन जयपुर रियासत के राजपरिवार की युवरानी दिया कुमारी के कर-कमलों द्वारा किया गया।

हरित प्रयोग

बैंक ने अपने विविध कार्यालय भवनों, स्टाफ कालोनियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों की छतों पर सोलर फोटो वोल्टयिक (एसपीवी) स्वतंत्र (stand alone) ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते हुए हरित प्रयोग किए हैं व इस प्रकार न केवल पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था पर निर्भरता कम की है, अपितु साथ ही पारंपरिक ऊर्जा व जीवाश्म ईंधन के संरक्षण व तदनुसार हरित व अनुकूल पर्यावरण बनाए जाने में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त बैंक ने प्रधान कार्यालय भवन में स्थापित 5 एटीएम को सौर ऊर्जा पर संचालित किए जाने के उद्देश्य से 10KW का सोलर पावर पैक स्थापित किया है। साथ ही, बैंक हाउस व स्टाफ कालोनी, ज्योति नगर, जयपुर की प्रकाश आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रमशः 10KW व 15KW के सोलर पावर पैक भी स्थापित किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण, निरीक्षण एवं अंकेक्षण

बैंक में सुरक्षित एवं बेहतर परिचालन की दृष्टि से समुचित आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु एक सुस्थापित, सुगठित व स्वतंत्र अंकेक्षण प्रणाली एवं तन्त्र विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम आधारित निरीक्षण के अंतर्गत निर्दिष्ट जोखिम आधारित आंतरिक अंकेक्षण अनुसार आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है, जिसमे अंतर्निहित व्यवसाय जोखिम व आंतरिक नियंत्रण तंत्र के आधार पर जोखिम के आकलन किए जाने पर विशेष बल रहता है।

जोखिम अनुभूति की दृष्टि से शाखाओं को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है व उनका विभिन्न स्तरों पर अंकेक्षण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान 775 शाखाओं एवं 50 व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (बीपीआर) केन्द्रों का आंतरिक अंकेक्षण किया गया।

संगामी अंकेक्षण

बैंक के 31.03.2014 को अग्रिमों का 66.62 प्रतिशत तथा जमाओं का 40.11 प्रतिशत आवृत करती हुई 122 शाखाओं तथा व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (बीपीआर) अंतर्गत 36 केन्द्रों/ प्रसंस्करण केन्द्रों को संगामी अंकेक्षण की परिधि में लाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय के 12 विभागों को भी संगामी अंकेक्षण हेतु सम्मिलित किया गया है।

सूचना प्रणाली (IS) अंकेक्षण

शाखाओं का सूचना प्रणाली अंकेक्षण उनकी नियमित अंकेक्षण व निरीक्षण के ही एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता है। बैंक में सूचना प्रणाली अंकेक्षण प्रकोष्ठ विद्यमान है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति एवं भारतीय स्टेट बैंक के नीति प्रलेख के अनुरूप तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा कोर बैंकिग प्रोजेक्ट, अंचल कम्प्यूटर केन्द्रों आदि सहित प्रधान कार्यालय संस्थानों का सूचना प्रणाली अंकेक्षण करता है।

मार्च, 2015 के अन्त तक बैंक की 99.82

was inaugurated in May,1952 by His Highness Sawai Mansinghji, the then Maharaja of Jaipur State and is housed in a pink coloured heritage building that continues to be a masterpiece of Rajasthani architecture replete with domes and canopies. The Bank, while retaining the heritage structure in its pristine glory and royal legacy associated with the premises, has renovated/refurbished the branch. It was therefore felt befitting for the Bank to roll out/set up its first e-lobby in the premises wherefrom it embarked upon its banking journey six decades ago. Accordingly, the e-lobby and refurbished branch premises were inaugurated on 24th December, 2014 by Her Highness Princess Diya Kumari of the erstwhile royal family of Jaipur State.

GREEN INITIATIVES

The Bank has adopted green initiatives by having installed Solar Photo Voltaic (SPV) Stand Alone Power Plants at the rooftops of its various office buildings, staff colonies and training centres, thereby not only reducing dependence on conventional lighting system but also in conserving conventional energy and fossil fuels resulting in green eco-friendly environment.

Besides, the Bank has installed Solar Power Pack of 10KW for making the 5 ATMs installed in the HO building to run on solar energy as also Solar Power Packs of 10 KW and 15 KW for fulfillment of the lighting needs of the Bank House and the Staff Colony,Jyoti Nagar,Jaipur respectively.

INTERNAL CONTROL, INSPECTION AND AUDIT

The Bank has in place a well established independent audit system and structure to ensure adequate internal control for safe and sound operations. Internal Audit is carried out under Risk Focused Internal Audit (RFIA) as envisaged under Risk Based Supervision of RBI with focus on assessment of risk on the basis of inherent business risk and internal control mechanism.

The branches have been categorized into three groups as per risk perception and are subject to varying degrees of audit. During FY 2014-2015, 775 Branches and 50 Business Process Re-engineering (BPR) centres have been subjected to Internal Audit.

CONCURRENT AUDIT

122 branches and 36 Centres/ Processing Centres (under BPR initiatives) covering 66.62% of advances and 40.11% of deposits as on 31.03.2014 (besides 12 Head Office Departments) have been placed under Concurrent Audit.

INFORMATION SYSTEM (IS) AUDIT

IS Audit of the branches is conducted as an integral part of regular Audit & Inspection. Information System Audit Cell is in place to conduct IS audit of major IT establishments, Head Office establishments including Core Banking Project, Zonal Computer Centres, etc. in accordance with Policy Document of SBI, I.T. Policy, IT Security Policy and I.S. Audit Policy of the Bank which conforms to the guidelines issued by RBI from time to time.

As at the end of March, 2015, 99.82% of the Bank's branches were rated "Well Controlled" and "Adequately Controlled".

KNOW YOUR CUSTOMER/ ANTI MONEY LAUNDERING / COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM MEASURES

Bank follows Reserve Bank of India/ Government of India guidelines on Know Your Customer/ Anti Money Laundering / Combating of Financing of Terrorism. Prescribed documents relating to the identity and address are obtained from customers while opening their accounts.

The Bank has set up Anti Money Laundering Cell at the Head Office, which uses AMLOCK utility centrally listed at State Bank GITC to examine and identity suspicious transactions. The customers' accounts have been divided into different risk categories and alerts are generated once any transaction exceeds a predefined threshold limit. These alerts help in identification of suspicious transactions, which are further reported to Financial Intelligence Unit, Government of India, in appropriate cases.

DEMAT SERVICES

Our Bank is providing Depository Participant Services with National Securities Depository Limited NSDL) to our customers, wherein they can hold their securities as electronic book entries and transfer securities, without actually handling physical scripts. Customers can also obtain loans against Demat shares. SBBJ is registered with NSDL as a Depository Participant.

प्रतिशत शाखाएं "सुनियंत्रित" एवं "पर्याप्त रुप से नियंत्रित" श्रेणी में वर्गीकृत थीं।

अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध उपाय

बैंक अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन/ आतंकवाद को वित्तपोषित किए जाने के प्रतिरोध हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के नीति निर्देशों का पालन करती है। ग्राहकों से उनके खाते खोलते समय उनकी पहचान व पते संबन्धित निर्धारित प्रमाण/दस्तावेज़ लिए जाते हैं।

संदेहास्पद लेनदेन की पहचान और जांच के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में धनशोधन निवारण प्रकोष्ठ (anti money laundering cell) स्थापित किया हुआ है जो कि स्टेट बैंक जीआईटीसी में केन्द्रित एमलोक (AMLOCK) सुविधा का उपयोग संदेहास्पद लेनदेन की पहचान और जांच के लिए करता है।

ग्राहकों के खातों को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया हुआ है तथा जब भी एक पूर्वनिर्धारित सीमा से अधिक कोई भी लेनदेन होता है, चेतावनियाँ जारी हो जाती हैं। ये चेतावनियाँ संदेहास्पद लेनदेनों को पहचानने में सहायक हैं जिन्हें उपयुक्त मामलों में वित्तीय खुफिया सूचना इकाई (financial intelligence unit), भारत सरकार को रिपोर्ट कर दिया जाता है।

डीमैट सेवाएँ

हमारा बैंक अपने ग्राहकों को नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजेटरी लिमिटेड से सहभागिता करते हुए डिपाजेटरी प्रतिभागी सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत वे अपने शेयरों (scrips) को भौतिक रूप से संभाले रखने के बजाए इन्हें इलेक्ट्रोनिक खाता प्रविष्टियों के रूप में रख सकते हैं व इनका हस्तांतरण भी कर सकते हैं। ग्राहक डीमैट शेयरों के विरुद्ध ऋण भी ले सकते हैं। एसबीबीजे एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपाजेटरी प्रतिभागी (depository participant) के रूप में पंजीकृत है।

ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहक सेवा में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता रहा है। ग्राहक संतुष्टि से ग्राहक प्रसन्नता की ओर हम सदैव प्रयासरत हैं।

ग्राहकों को प्रदत्त की जा रही ग्राहक सेवा की समीक्षा करने हेतु शीर्ष प्रबंधन स्तर पर निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति एवं ग्राहक सेवा की स्थायी समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। ऐसी ही समितियां शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों में भी कार्य कर रही हैं, जो कि सेवा मानकों में निरंतर सुधार हेतु सहायक है।

बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और बैंक ने स्वेच्छापूर्वक ''ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता'' का कोड अपनाया है। बैंक पारदर्शिता के साथ उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। बीसीएसबीआई के समन्वय से समय समय पर ग्राहकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते रहते हैं।

ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र

बैंक में एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है जो ग्राहकों की विविध समस्याओं का समाधान करता है। एक असंतुष्ट ग्राहक शाखा/क्षेत्रीय/अंचल या प्रधान कार्यालय के स्तर पर कहीं भी अपनी लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है अथवा बैंक की वेबसाइट पर दर्शाये फॉर्म पर ऑनलाइन अथवा ई-मेल द्वारा भी शिकायत दर्ज कर पावती प्राप्त कर सकता है।

बैक का ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र 'एसएमएस अनहैप्पी (sms unhappy)' ग्राहकों को एक सामान्य एसएमएस संदेश के माध्यम से अपने सुझाव/शिकायतें व्यक्त करने की सुविधा देता है। सन्देश प्राप्त होने पर बैंक के हैप्पी रुम का समर्पित स्टाफ ग्राहक को उसकी शिकायत के निवारण हेतु तुरंत कॉल करता है। इसके फलस्वरूप शिकायतों का निस्तारण समय असाधारण रुप से घट कर 48 घंटे से भी कम रह गया है व तदनुसार ग्राहकों के संतुष्टि स्तर में वृद्धि सुनिश्चित हो रही है।

शिकायतों / बैंकिग लोकपाल के कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. एलईजीबीसी 60/0.09.005/2006-07 दिनांक 22.02.2007 के अनुसार ग्राहकों की शिकायतों एवं बैंकिग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों के सम्बन्ध में सूचना नीचे सारणी में दी गई है:-

(अ) ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या	107
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	7574
(ग)	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	7676
(घ)	वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	5

(ब) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के प्रारम्भ में कार्यन्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	3
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	7
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये अधिनिर्णयों की संख्या	8*
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित ने किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	0

*2 मामलों में अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को स्वीकारते हुए बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय को खारिज कर दिया।

सूचना का अधिकार

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की सदैव

CUSTOMER SERVICE

Bank continues to accord top priority for improvement in Customer Service. It is always our endeavor to move from customer satisfaction to customer delight.

At the Top Management level, meetings of the Customer Service Committee of the Board and Standing Committee on Customer Service are convened at regular intervals to review the position of customer service rendered. Similar Committees are also functioning at Branches, Zonal and Regional Offices, which help in continuous improvement in service standards.

The Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has voluntarily adopted a 'Code of Bank's Commitment to Customers'. Bank is committed to provide services of highest order in a transparent manner. Awareness Camps are being organized from time to time in co-ordination with BCSBI.

CUSTOMER GRIEVANCES REDRESSAL MECHANISM

The Bank has put in place a multi pronged grievances redressal mechanism to suit varied customer requirements. An aggrieved customer can either make a written complaint at branch / Regional / Zonal / Head Office of the Bank or make an online submission in the form provided on the Bank's website / through e-mail against acknowledgement.

The Bank's Customer Redressal System, "SMS Unhappy", facilitates customers to air their feedback / grievances through the process of a simple SMS message. On receipt of the message, the Bank's dedicated "Happy Room" staff calls back the customer for the purpose of grievance redressal. This has reduced complaint resolution time drastically, to below 48 hours, ensuring enhanced customer satisfaction levels.

DISCLOSURE OF COMPLAINTS/ UNIMPLEMENTED AWARD OF BANKING OMBUDSMAN:-

In terms of RBI circular DBOD. No.Leg BC.60/09.07.005/2006-07 dated 22.02.2007, the information in respect of customer complaints and awards passed by the Banking Ombudsman is given in the table below :-

A. CUSTOMER COMPLAINTS

(a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	107
(b)	No. of Complaints received during the year	7574
(c)	No. of Complaints re-dressed during the year	7676
(d)	No. of Complaints pending at the end of the year	5

B. AWARDS PASSED BY THE BANKING OMBUDSMAN

(a)	No. of un-implemented Awards at the beginning of the year	3
(b)	No. of Award Passed by the Banking Ombudsman during the year	7
(c)	No. of Awards implemented dur-ing the year	8*
(d)	No. of un-implemented Awards at the end of the year	0

(*Excluding 2 cases where appeal allowed and award passed by BO set aside by the Appellate Authority)

RIGHT TO INFORMATION

Bank has always complied with the provisions of the Right to Information Act, 2005. We ensure that that information sought through RTI applications is provided efficiently and effectively in a time bound manner as per the provisions of the RTI Act, 2005. The appeals are also redressed timely, while complying with the directives of the Hon'ble Central Information Commission (CIC) in this regard.

In financial year 2014-15 up to 31.03.2015, the Bank received 1667 applications under the RTI Act, 2005, out of which 1632 applications were disposed off and 35 applications were awaiting disposal as on 31.03.2015.

In financial year 2014-15, up to 31.03.2015, the Department also received 108 appeals under the RTI Act, 2005, out of which 108 appeals were disposed off as on 31.03.2015.

BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

Business Process Re-engineering (BPR) initiatives stabilized further during 2014-15 and their coverage was extended to more branches. Bank operates 12 city-centric loan CPCs, viz. Retail Assets Central Processing Centre (RACPC)/ Small & Medium Enterprises City Credit Centre (SMECCC)/ Retail Assets and Small & Medium Enterprises City Credit Centre (RASMECCC) having end-state at 11 centres with 301 branches linked to them. Coverage of Rural Central Processing Centre (RCPC) was increased to 428 branches at 21 centres.

Non loan CPCs/initiatives viz.

अनुपालना की है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सूचना का अधिकार अंतर्गत प्राप्त विभिन्न आवेदनों में वांछित सूचना का सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी व समयबद्ध निस्तारण हो। अपीलों का भी समयबद्ध निवारण किया जाता है व समानान्तर रूप से माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक को 31.03.2015 तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कुल 1667 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 1632 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया तथा 35 आवेदन 31.03.2015 को निस्तारण हेतु लंबित थे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही 31.03.2015 तक सूचना का अधिकार विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कुल 108 अपीलें प्राप्त हुई व इन सभी 108 अपीलों का निस्तारण कर दिया गया ।

व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (बीपीआर) अभिक्रम और अधिक स्थिर हुए तथा उनकी व्याप्ति और अधिक शाखाओं तक बढ़ाई गई हैं । बैंक 11 केन्द्रों पर, 12 शहर केन्द्रस्थ केन्द्रीय ऋण प्रक्रिया केन्द्र यथा आरएसीपी/एसएमईसीसीसी/आर एएसएमसीसीसी का संचालन कर रहा है तथा अंतिम चरण (End State) तक उनसे संबद्ध 301 शाखाएं हैं। ग्रामीण केन्दीयकृत प्रसंस्करण केंन्द्र (RCPC) की व्याप्ति 21 केंन्द्रों पर 428 शाखाओं तक बढ़ाई गई है ।

गैर ऋण प्रक्रिया केन्द्र/अभिक्रम यथा एलसीपीसी, टीएफसीपीसी, सीएसी, सीपीपीसी, क्लीयरिंग सीपीसी, एमपीएसटी, आरएमपीबी से भी ग्राहक सेवा में और अधिक सुधार में मदद मिली है।

मुद्रा प्रबंधन

राजस्थान में हमारे बैंक का सर्वाधिक विपणन अंश (market share) होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में हमारी 199 शाखाओं को एवं देश के अन्य भागों में स्थित 12 शाखाओं को मुद्रा तिजोरी शाखाओं के रूप में नामित किया है। हमारी समस्त मुद्रा तिजोरी शाखाएँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर रही हैं।

परस्पर विक्रय

बैंक ने अपने समस्त वित्तीय उत्पादों को ग्राहकों को सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने तथा गैर ब्याज आय को और अधिक बढाने हेतु जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, म्यूच्यूअल फण्ड एवं क्रेडिट कार्ड उत्पादों का विपणन जारी रखा। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक को परस्पर विक्रय गतिविधियों से ₹25.30 करोड की कुल आय हुई ।

सामाजिक सेवा बैंकिंग

एक जागरूक व जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते व समाज की सेवा करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों यथा वृक्षारोपण, निः शुल्क स्वास्थ्य जांच तथा रक्तदान शिविर, प्याऊ व वाटर कूलर की स्थापना, खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार/किट का प्रायोजन, मेधावी छात्रों का सम्मान आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित प्रमुख सामाजिक सेवा गतिविधियां निम्न हैं:-

- विभिन्न सरकारी विद्यालयों में बालिका छात्राओं के लिए 404 शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गयी, जिनमे 362 शौचालय राजस्थान में स्थित विद्यालयों में थे।
- तीन अस्पतालों - ग्लोबल हॉस्पिटल तथा रिसर्च सेंटर (माउंट आबू), भारत सेवाश्रम संघ (पुष्कर) व केयरवेल हॉस्पिटल (जयपुर) - को एंब्यूलेंस प्रदान की गई।
- "अक्षय पात्र फाउंडेशन", जो कि जयपुर के 1436 सरकारी विद्यालयों में 150000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवा रहा है, की रसोई के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
- रणथंभोर बाघ अभयारण्य को घायल व बीमार पशुओं को उपचार केन्द्रों पर लाने हेतु एक बाघ बचाव वाहिनी प्रदान की गयी।
- समीपवर्ती गांवों के 300 गरीब बच्चों को लाने के लिए जयपुर के नजदीक जग्गा की बावड़ी स्थित राजमाता गायत्री देवी बाल निकेतन को स्कूल बस दान दी गयी।
- थैलेसिमिक बच्चों के निःशुल्क उपचार को प्रतिबद्ध व स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाये जाने में सेवारत कोटा ब्लड बैंक सोसाइटी को एक मोबाइल रक्त दान वाहिनी दान दी गयी।
- सशस्त्र बल झण्डा दिवस कोष को वित्तीय सहायता व साथ ही युद्ध विधवाओं का सीकर में सैनिक बोर्ड के माध्यम से सम्मान।
- बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा सरकारी/निगम विद्यालयों में अध्ययनरत गरीब परिवारों की एक छात्र को गोद लेकर उसकी शिक्षा निर्बाध जारी रखने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष 2014-15 में 117 शाखाएँ खोलीं, जिसमें 32 शाखाएँ टियर 5 व 6 में स्थित व बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे ग्रामीण केन्द्रों (unbanked rural centres in Tier V and VI) में खोली गई ।

31.03.2015 को बैंक की कुल 1261 शाखाएँ थीं, जिनका भौगोलिक क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्नानुसार था:-

Liability Central Processing Centre (LCPC), Trade Finance Central Processing Centre (TFCPC), Currency Administration Cell (CAC), Central Pension Processing Cell (CPPC), Clearing CPC (CCPC), Multi Product Sales Team (MPST), Relationship Manager- Personal Banking (RMPB), Housing Loan Sales Team (HLST) have helped in further improvement of customer service.

CURRENCY MANAGEMENT

Owing to our Bank having the highest market share in Rajasthan, RBI has designated our Bank's 199 branches as Currency Chest branches in the state and 12 Currency Chest branches in other parts of the country. All our Currency Chest branches are undertaking the activities prescribed by RBI in an efficient manner.

CROSS SELLING

The Bank continues to market life and non-life insurance, mutual fund and credit card products to provide a full bouquet of financial products to its customers and augment its non interest income. The bank earned a total income of ₹25.30 Crores from cross selling activities during financial year 2014-15.

जनवरी 2015 में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित तृतीय एसबीबीजे मैराथन का शुभारंभ

Commencement of 3rd SBBJ Marathon held at SMS Stadium, Jaipur in January, 2015

COMMUNITY SERVICES BANKING

As a responsible Corporate Citizen, the Bank undertakes various community based social activities to serve the community at large. These include tree plantation, free health check up and blood donation camps, establishing of water huts and water coolers, sponsoring prizes/ kits for sports competitions, honouring meritorious students etc. The major CSR initiatives undertaken by the Bank during the year are as follows:-

- Extended financial support for construction of 404 toilets for girl students across various Government schools including 362 toilets in schools located in Rajasthan.
- Ambulances were provided to three hospitals – Global Hospital and Research Center (Mount Abu), Bharat Sevashram Sangha (Pushkar) and Carewell Hospital (Jaipur).
- Installation of a Solar Plant at “Akshaya Patra Foundation” for their kitchen which has been providing free Mid-day meals to more than 1,50,000 children in 1436 Government schools, in Jaipur.
- Provided a Tiger Rescue Van to Ranthambhore Tiger Reserve

बैंक द्वारा एशियाई खेलों 2014 में राजस्थान से पदक विजेताओं का सम्मान

Felicitation of Asiad 2014 winners from Rajasthan by the Bank

ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
478	312	236	235	1261

बैंक ने राजस्थान में स्थित समस्त बैंकों में दिनांक 31.03.2015 को 1013 शाखाओं, जिसमें 762 शाखाएँ ग्रामीण व अर्द्ध शहरी केन्द्रों पर स्थित हैं, के वृहद नेटवर्क के रूप में अपना वर्चस्व बनाए रखा।

बैंक सतत रूप से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा जन साधारण के समग्र उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

मानव संसाधन विकास

दिनांक 31.03.2015 को बैंक में कार्मिकों की संख्या 13238 थी जिसका श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

दिनांक 31.03.2015 को					इनमें से	
स्टाफ संवर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा	सामान्य	कुल	महिलाएं	अल्पसंख्यक
अधिकारी	1089	528	3658	5275	692	349
लिपिक	869	550	3330	4749	870	292
अधीनस्थ	355	245	1812	2412	121	108
सफाई कर्मचारी	637	26	139	802	236	7
कुल योग	**2950**	**1349**	**8939**	**13238**	**1919**	**756**

31.03.2015 को बैंक के कार्मिकों की कुल संख्या में 2950 (22.28%) अ.जा. एवं 1349 (10.19%) अ.ज.जा श्रेणी से हैं जो कि अपेक्षित प्रतिशत से अधिक है। बैंक में अ.जा./अ.ज.जा कार्मिकों के हितों के संरक्षण हेतु अ.जा./अ.ज.जा प्रकोष्ठ पहले से ही विद्यमान है। हमारे बैंक में सरकारी निर्देशानुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन हो रहा है।

कार्मिकों को नए व विविध आयामों यथा कोर बैंकिंग सोल्यूशन, टेलीबैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, विपणन, परस्पर विक्रय, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी आदि से परिचित व अभ्यस्त करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बैंक सदैव ही कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जाने एवं अधिक संवेदनशील बनाए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता आ रहा है ताकि वे ग्राहकों की अपेक्षाओं की कुशल ढंग से पूर्ति कर सकें व तकनीकी युक्त परिवेश में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं प्रभावीपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकें।

मानव संसाधन किसी भी संगठन का महत्वपूर्ण घटक होता है व इसका उत्तरोत्तर विकास आज कॉर्पोरेट जगत में चिंता का एक प्रमुख विषय है। मानव संसाधान प्रबंधन रणनीतियों व व्यवसाय रणनीतियों के परस्परिक समन्वय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से गृह स्तर पर एवं प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानो में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सभी श्रेणियों के कुल 8443 कर्मचारियों, जिसमे प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 898 कर्मचारी भी शामिल थे, को वर्ष के दौरान बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में बैंकिंग और तकनीकी संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बैंक ने वर्ष के दौरान अधिकारी संवर्ग ग्रुप ए/बी में पदोन्नति के लिए पात्र 268 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिपिक उम्मीदवारों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया। तथापि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारियों में लिपिकीय वर्ग में पदोन्नति हेतु पात्र उम्मीदवार न होने से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान निम्नांकित विशेष कार्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित की गई:-

- पूर्णिमा कॉलेज समूह (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध व एआईसीटीई से अनुमोदित) द्वारा 37 सहायक महाप्रबंधकों / नियंत्रकों के लिए एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया
- एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भुवनेश्वर द्वारा 'स्वयं और दूसरों को प्रेरित करते हुए कार्यनिष्पादन अभिवृद्धि' विषय पर 39 सहायक महाप्रबंधकों / शाखा प्रमुखों के लिए एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- वर्ग पंचम तक के सेवानिवृत होने जा रहे अधिकारियों को सेवानिवृति उपरांत परिदृश्य से अभ्यस्त करवाने व वित्तीय प्रबंधन तथा स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए 'अपनी दूसरी पारी की योजना बनाएँ' 'शीर्षक से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता द्वारा हमारे स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, जयपुर में हमारे महाप्रबंधकों व उप महाप्रबंधकों के लिए एक उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- बैंक के 63 वरिष्ठ साख अधिकारियों के लिए एक पाँच दिवसीय सघन साख प्रबंधन कार्यक्रम आईएलडी, जामडोली मे आयोजित किया गया जिसमें बैंक के वर्तमान एवं सेवानिवृत उच्च प्रबन्धन कार्यपालक समन्वयक रहे।

इसके अतिरिक्त, कार्मिकों को विभिन्न ज्वलंत विषयों से अवगत करने हेतु 21 सेमिनार / कार्यशालाएं आयोजित की गई।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 अधिकारियों को

for transporting wounded and sick animals to rescue centres.

- Donated a school bus to Rajmata Gayatri Devi Bal Niketan in Jagga Ki Bawri village near Jaipur for ferrying 300 poor children from nearby villages.
- Donated a Mobile Blood Donation Van to Kota Blood Bank Society, committed for free care of thalassemic children and creating awareness about voluntary blood donation.
- Financial assistance to Armed Forces Flag Day Fund as also honouring war widows at Sikar through Sainik Board.
- Branches of the Bank continue to adopt one girl child each from poor families with an objective of providing financial assistance to them for pursuing their studies in Government/ Municipal schools.

BRANCH EXPANSION

During 2014-15, the Bank opened 117 branches including 32 branches in unbanked rural centres in Tier V and VI.

As on 31.03.2015, the total number of branches of the Bank stood at 1261, the geographical distribution thereof being as under:-

Rural	Semi Urban	Urban	Metro	Total
478	312	236	235	1261

The Bank continued to maintain its dominant presence amongst all other banks in the State of Rajasthan with a network of 1013 branches in the State as on 31.03.2015, with 762 branches located in rural and semi urban areas and plays a pivotal role in the socio-economic development, alleviation of poverty and resultant overall uplift of the masses in the State.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31.03.2015, the Bank had a staff strength of 13238 employees, with the following break up:-

AS ON 31.03.2015					OUT OF WHICH	
STAFF CADRE	SC	ST	GENERAL	TOTAL	WOMEN	MINORITY
OFFICERS	1089	528	3658	5275	692	349
CLERKS	869	550	3330	4749	870	292
SUB-STAFF	355	245	1812	2412	121	108
SAFAI KARAMCHARI	637	26	139	802	236	7
TOTAL	2950	1349	8939	13238	1919	756

Out of the Bank's total staff strength as on 31.03.2015, 2950 (22.28 %) belong to SC and 1349 (10.19 %) to ST categories which is well above the required percentage. A SC/ST cell with objective to safeguard interests of SC/ST employees is also well in place. Reservation policy is implemented in our Bank as per Government guidelines.

Necessary complement of staff has been made available for working in new frontiers like core banking solution, tele-banking, internet banking, ATMs, credit / debit cards, marketing, cross selling, business process re-engineering etc. The Bank has been according high priority to training and sensitization of staff members to respond to the customers' expectations and deliver modern banking facilities in the technology-driven environment.

Human Resources are the most essential constituents of an organization and their progressive development is a major corporate concern. In order to bring in proper integration of human resources management strategies with the business strategies, various training programmes in-house and at Apex Training Institutes are arranged.

A total no of 8443 employees of all categories, including 898 employees of the sponsored RRBs, were provided training on various subjects related to banking and technology at Staff Training Centres of the bank during the year. The Bank has also provided pre-promotion training to 268 SC/ST clerical candidates, eligible for promotion to officer cadre Group A / B & NIL SC / ST sub-staff candidates eligible for promotion to clerical cadre during the year.

Special Programmes / Workshops were also arranged during the year:-

- A Management Development Programme (MDP) by Poornima Group of Colleges (affiliated to Rajasthan Technical University & approved by AICTE) for 37 AGMs / Controllers.
- MDP on "Enhancing Performance through Motivating Self and Others" for 39 AGM Branch Heads by the Asian School of Business Management, Bhubaneshwar.

फैंकफुर्त स्कूल, जर्मनी द्वारा एनआईबीएम, पुणे तथा फ्रैंकफुर्त स्कूल, जर्मनी में आयोजित बैंकिंग व वित्त में उत्कृष्टता हेतु नेतृत्व संबंधी विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया गया।

बैंक ने अपने कार्मिकों की समग्र कुशलता में अभिवृद्धि व सुधार लाने तथा उन्हें अधिक प्रभावशाली, व्यवहार कुशल व पेशेवर बनाने के उद्देश्य से विशेष रूप से परिकल्पित 'आरोहण' कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।

स्टाफ कल्याणार्थ

बैंक अपने कार्मिकों का हौसला, उत्साह व अभिप्रेरणा को सदैव ऊंचा बनाए रखने में विश्वास रखता है, उन्हें अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आस्तियां मानता है तथा उनके कल्याण को सर्वोच्च वरीयता देता है।

बैंक द्वारा निम्नांकित स्टाफ कल्याण गतिविधियां आयोजित की गई:-

- कर्मचारियों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- विभिन्न अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श सेवा उपलब्ध करवाना।
- एसबीआई लाईफ की समूह बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को ₹8.00 लाख (दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹16.00 लाख) तक का बीमा कवर।
- कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आवास ऋण, अधिविकर्ष सीमा (वैयक्तिक ऋण), भविष्य निधि ऋण, वाहन ऋण जैसे विभिन्न ऋणों की बकाया राशि में कुल ₹3.00 लाख तक माफ करने की अनुमति प्रदान करना।
- मृतक कर्मचारी की एक संतान को शिक्षा हेतु एक बार ₹10,000 का भुगतान किया जाना।
- सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही कर्मचारियों की मृत्यु पर स्टाफ कल्याण कोष से ₹10,000 की सीमा तक दाह-संस्कार के खर्च का पुर्नभुगतान।
- जो कर्मचारी बीमारी के कारण अवैतनिक अवकाश पर हैं, उन्हें प्रतिमाह ₹15000 (सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान 24 माह तक) का भुगतान
- बैंक द्वारा जैसलमेर, चण्डीगढ, मसूरी, जयपुर, मनाली, मुम्बई, गोवा, देहली, हरिद्वार, कटरा, बेंगलूरू, माउण्ट आबू, वृन्दावन, उदयपुर, कोटा, कोची, जोधपुर व पुरी में अवकाश गृह स्थापित किए गए हैं। यह सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं।
- वर्ष के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया।

औद्योगिक संबंध

बैंक में अधिकारियों के साथ-साथ कामगार कर्मचारियों के सौहार्दपूर्ण एवं मधुर सम्बन्धों का एक लम्बा इतिहास रहा है। कर्मचारी यूनियन और अधिकारी एसोसिएशन ने बैंक के चौतरफा विकास के लिए तहे दिल से सहयोग दिया है। बैंक में मुद्दों को संयुक्त परामर्श एवं वार्तालाप द्वारा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर निपटाने की एक सुव्यवस्थित एवं सतत परामर्श प्रणाली कार्यरत है।

सतर्कता प्रशासन

सतर्कता प्रशासन, बैंक में प्रबन्धन का अभिन्न अंग है। बैंक में सतर्कता का अर्थ, दैनिक व्यवहारों में निर्धारित प्रणाली एवं कार्यविधि के अनुसार निगरानी रखना तथा साथ ही अधिकारिक लेनदेनों में विवेकपूर्ण, पारदर्शी एवं अनुशासित होना है। सतर्कता गतिविधि का मुख्य कार्य सामान्यत: संस्था के अथवा उसके किसी भाग में कार्यविधि अथवा प्रणालीगत असफलता के लक्षणों का पता लगाना है। अतएव सतर्कता, संस्था में अधिकारों अथवा स्वविवेक शक्तियों के ऐसे दुरुपयोग, जो कि संस्था के लिए हानिकारक हो सकते हैं, के विरुद्ध कार्य करती है। वाणिज्यिक जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का ही हिस्सा होता है। वास्तव में, बैंक में सतर्कता गतिविधियों का उद्देश्य सूक्ष्म एवं वृहद् दोनों स्तर पर प्रबन्धन कार्यकुशलता के स्तर में वृद्धि करना है।

बैंक में उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतर्कता विभाग कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस हेतु प्रथम व महत्वपूर्ण साधान 'निवारक सतर्कता' है, जिसकी पालना प्रत्येक स्टाफ सदस्य, जो कि परिचालन से जुड़ा हुआ है, के द्वारा अपने कार्य निष्पादन में करना आवश्यक है।

स्टाफ की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि करने के लिए निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। साथ ही अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी निवारक सतर्कता पर सत्र जोड़े गये हैं। इस प्रकार बैंक के प्रशिक्षण पटल का उपयोग कर्मचारियों में सतर्कता कार्य यथा ऐसे क्षेत्र जहां कर्मचारियों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, घटित हो रही धोखाधाड़ी/ गम्भीर अनियमितताओं की प्रकृति, सतर्कता बिन्दु का निर्धारण एवं कर्मचारियों के सही कार्यो को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, आदि के प्रति जागरुक करने हेतु सफलतापूर्वक किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिये गये सुझावों एवं आपसी विचारविमर्श से परिचालन जोखिम की पहचान करने व उसको निरन्तर सुधारने हेतु उपयोग किया गया है।

जिन शाखाओं में 10 या अधिक स्टाफ है तथा सभी प्रसंस्करण केन्द्रों, असन्तोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं एवं धोखाधाड़ी संभावित शाखाओं में सतर्कता निवारक समितियों का गठन किया गया है। निवारक सतर्कता समितियों की बैठक त्रैमासिक अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं तथा

- Programme "Plan your second innings" focusing on wealth management and health management for retiring officiers upto the level of Scale V is arranged to realign the participants to the post-retirement scenario.
- An Advanced Leadership Development Programme for our GMs and DGMs was conducted by IIM Kolkata at STC,Jaipur.
- A five day Intensive Credit Management programme for 63 senior credit officers of the Bank was held at ILD, Jamdoli, which was facilitated by our present and retired top management functionaries.

In addition to this 21 seminars / workshops were conducted on various burning issues to update employees.

During the current financial year, we have deputed 02 officers for specialized training programme on leadership for excellence in Banking and Finance at Frankfurt School, Germany which was conducted at NIBM Pune and at Frankfurt School, Germany.

The Bank also launched 'Aarohan' program, which has been especially formulated and rolled out to improve the overall efficiency of the employees and make employees more professional.

STAFF WELFARE

The Bank believes in keeping the morale and motivation of the employees high, considers employees as its most important assets and accords high priority to their welfare.

The Bank undertook following staff welfare activities:-

1. Granting of Scholarship to the meritorious wards of the employees.
2. Providing free medical consultancy services at various hospitals.
3. Insurance cover for employees to the extent of ₹8.00 lac (₹16.00 lac for accidental death) under Group Insurance scheme of SBI Life.
4. A total amount of ₹3.00 lac outstanding in various loan a/cs viz. Housing Loan, Overdraft limit (Personal loan), PF Loan, Conveyance Loan is allowed to be waived for employees who die in harness.
5. A one-time award of ₹10,000/- for education to one ward of the deceased employee is also paid.
6. Reimbursement of Funeral Expenditure is being made to the extent of ₹10000/- from staff welfare fund for both serving and retired employees.
7. For employees who are on leave for debilitating sickness and are on loss of pay, an amount of ₹15000/- per month (upto 24 months during the entire service period) is paid.
8. The Bank has set up Holiday Homes at Jaisalmer, Chandigarh, Mussoorie, Jaipur, Manali, Mumbai, Goa, Delhi, Haridwar, Katra, Bengaluru, Mt. Abu, Vrindavan, Udaipur, Kota, Kochi, Jodhpur and Puri. This facility is also available for retired employees.
9. Various cultural and sports activities were organized during the year.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Bank has a long history of harmonious and cordial relations with both supervising as well as workmen employees enlisting their total commitment, support and cooperation. The Employee's Union and Officers' Association have extended their wholehearted cooperation for the all-round growth of the Bank. A well established and ongoing consultative machinery is functioning at various tiers of the administration for resolving issues through joint consultations and negotiations.

VIGILANCE ADMINISTRATION

Vigilance Administration is an integral part of the managerial function in the Bank. The main focus of vigilance activity is generally to detect the symptoms of procedural/ Systemic failures in a particular part or organization as a whole. Thus, vigilance works against any possible abuse/ misuse of power and exercise of discretion which might otherwise cause loss to the organization. Taking commercial risk is part of any banking business. As such, the purpose of vigilance activity in the Bank is to enhance the level of managerial efficiency in the Bank, both at micro as well as macro level.

Preventive Vigilance training programmes have been conducted to improve skills of the staff. Further, session on the preventive vigilance have been slotted in other training programmes as well. Thus, the training platform of the Bank has been used effectively to create awareness amongst all officials about Vigilance function, areas of concerns where officials need to pay more attention, nature

इन बैठकों में स्टाफ को विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों के बारे में जागरुक किया जाता है। इन बैठकों के कार्यवृत को प्रोसेस कर सुझावों को परिचालित किया जाता है।

स्टाफ सदस्यों में सतर्कता जागरुकता बढ़ाने हेतु एक गृह पत्रिका "सतर्कता सन्देश", प्रत्येक तिमाही प्रकाशित की जा रही है। निवारक उपायों में अनेक नयी पहल की गई है जैसे बायोमेट्रिक लोगिन सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक वाउचर वेरीफिकेशन, आवेदक द्वारा ऋण आवेदन की स्थिति के लिए ऑनलाइन ट्रेकिंग, ऋण स्वीकृति पूर्व उचित सावधानी प्रक्रिया इत्यादि। धोखाधड़ी पकड़ने और धोखाधड़ी के प्रयास को विफल करने पर स्टाफ हेतु पहचान एवं सतर्कता पुरस्कार (recognition and alertness award) योजना लागू की गई है।

सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से निपटारा किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो अन्वेषण भी करवाया जाता है।

स्टाफ उत्तरदायित्व के मामलों में सतर्कता बिन्दु अथवा अन्यथा का निर्धारण करने के लिए बैंक में एक स्वतंत्र आन्तरिक सलाहकार समिति गठित की हुई है।

बैंक द्वारा निविदा प्रक्रिया (वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करना, नीलामी आदि) में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है। बैंक द्वारा जारी निविदाओं को बैंक की वेबसाइट के साथ ही भारत सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।

बैंक में व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत कोई भी स्टाफ सदस्य, प्रदत्त अधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग की घटना अथवा दुराचार की सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को उपलब्ध करवा सकते हैं व जिसमे कि शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग द्वारा 263 शिकायतों का निवारण किया गया, 94 अन्वेषण किये गये तथा 45 निवारक सतर्कता निरीक्षण किये गये। सतर्कता निहित बिन्दु वाले अनुशासनात्मक कार्यवाही के 92 मामले भी 2014-15 निपटाये गये।

राजभाषा

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन न केवल संवैधानिक अनिवार्यता है बल्कि व्यावसायिक आवश्यकता भी है। बैंक ने वर्ष के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु हर संभव प्रयास किए। साथ ही हिंदी भाषा के माध्यम से बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के कई उपाय किए।

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति की और राजभाषा अधिनियम/राजभाषा नियम के तहत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रलय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया।

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे। बैंक के इंफोनेट साइट पर राजभाषा विभाग के पोर्टल पर विविध उपयोगी सामग्री जैसे हिंदी टंकण सीखने का सॉफ्टवेयर, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप, वार्षिक कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों/ कर्मचारियों को यूनिकोड की सहायता से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

बैंक की राजभाषा गृह पत्रिका "उपवन" का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इस पत्रिका को गत दो वर्षों से लगातार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा हैं।

हमारे पटना क्षेत्रीय कार्यालय को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व) द्वारा व बिहार के माननीय राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी के कर-कमलों से "क" क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही, नगरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) कोटा, बैंक नराकास जोधपुर एवं बैंक नराकास जयपुर द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक को पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय कार्यालय, पटना व अहमदाबाद तथा रेवाड़ी शाखा के निरीक्षण के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी हमारे प्रयासों की सराहना की।

अंकेक्षण

भारतीय स्टेट बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सनदी लेखाकारों की चार फर्मों यथा मै. एम.के. अग्रवाल एंड कंपनी, दिल्ली, मै. चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता, मै. उबेरोय सूद एंड कंपनी, दिल्ली तथा मै. पीएसडी एंड एसोसिएट्स, जयपुर की नियुक्ति अनुमोदित की। 2013-14 में 664 शाखाओं / केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्रों के अंकेक्षण के सापेक्ष समीक्षा वर्ष 2014-15 में 742 शाखाओं / केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्रों का अंकेक्षण करवाया गया है।

उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक मण्डल एतदद्वारा उल्लेख करता है कि:-

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया और उससे विचलन की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

2. उन्होने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है, उनका सतत प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं, जो कि 31 मार्च, 2015 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ या हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं।

of fraud/ serious irregularities taking place, determination of vigilance angle and how bonafide actions of the officials can be protected.

Preventive Vigilance Committees have been set up in the branches having staff of 10 or more and all the processing centres irrespective of the staff strength, unsatisfactory rated branches and fraud prone branches. Meeting of preventive vigilance committees are held regularly where staff is sensitizd towards various preventive vigilance measures. Minutes of these meetings are processed and suggestions for improvements in this regard are circularized.

An in-house magazine titled as "Vigilance Bulletin" is published every quarter with an objective to create vigilance awareness amongst staff. Many new initiatives have been taken as preventive measures like Biometric login system, Electronic Voucher Verification, Online tracking of status of loan application by the applicant, better pre-sanction due diligence process etc. Scheme of Recognition & Alertness Award for the staff in respect of detection and foiling of frauds is available.

Complaints received in the Vigilance Department have been processed expeditiously and wherever required investigations have been conducted.

The Bank has an independent Internal Advisory Committee for determination of Vigilance angle or otherwise in staff accountability matters.

Whistle Blower Policy has been implemented in the Bank whereby any staff member can provide information to the Chief Vigilance officer on any malpractices or instances of misuse of officials powers where the identity of informer is kept secret.

The department has disposed of 263 complaints, 94 Investigations have been conducted and 45 preventive vigilance inspections were conducted. 92 disciplinary cases having vigilance angle have been concluded during the year 2014-15.

RAJBHASHA

The implementation of Official Language Policy in the Bank is not only a statutory requirement but also a business need. The Bank made all possible efforts to comply with the statutory provisions relating to the official Language Policy of the Govt. of India during the year and took several initiatives to provide benefit of Bank's different schemes to the masses through Hindi Language.

During the year 2014-15, the Bank made significant progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements framed under the Official Language Act / Official Language Rules. The Bank made all possible efforts to achieve the targets set by Official Language Deptt. Ministry of Home affairs, Govt. of India.

Bank continued its efforts to promote use of Hindi in the field of information Technology. Various useful materials like Hindi typing tool, format of Quarterly Progress Report, Annual Programme etc. were made available on the portal of Rajbhasha Vibhag. Officers/ employees were imparted desk training to work on computer in Hindi with the help of Unicode.

Bank's quarterly in House Rajbhasha magazine "Upwan" is being published regularly. Since last two consecutive years this magazine had been awarded consolation prize by the Reserve Bank of India.

Our Patna Regional Office has been awarded second prize by Implementation Office(East) Official Language Department,Ministry of Home Affairs, Govt. of India. The said prize was handed over by Shri Keshri Nath Tripathi, Governor of Bihar. Representatives of Govt. of India also inspected our Regional Office, Ahmedabad, Patna and Rewari branch and appreciated our efforts. Town official language implementation Committee (TOLIC) Kota, Bank TOLIC Jodhpur and Jaipur awarded our Bank for official language implementation.

AUDIT

State Bank of India, with the concurrence of the Reserve Bank of India, approved the appointment of 4 firms of Chartered Accountants viz. M/s M.K. Agarwal & Co. of Delhi, M/s Chaturvedi & Co. of Kolkata, M/s Uberoi Sood & Kapoor of Delhi and M/s PSD & Associates of Jaipur as the Statutory Central Auditors of the Bank for the year 2014-15. During the period under review, the scope of audit covered 742 branches/ centralised processing units as against 664 branches/ centralised processing units covered in 2013-14.

RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of directors hereby states:-

1. That in the preparation of the annual accounts, the applicable Accounting Standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;

3. उन्होने बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधाड़ी एवं अन्य अनियमितताएँ रोकने और इसका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड अनुरक्षित करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है, और

4. उन्होने वार्षिक लेखों को वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन की विवरणी संलग्न हैं।

अभिस्वीकृति

निदेशक मण्डल सम्माननीय ग्राहकों, प्रतिष्ठित अंशधारकों तथा जनसाधारण विशेष से प्राप्त संरक्षण एवं उनके द्वारा बैंक के प्रति प्रकट किये गये विश्वास के लिए कृतज्ञ है एवं निदेशक मण्डल इसके लिए अपना हार्दिक साधुवाद अभिलिखित करता हैं। निदेशक मण्डल, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य नियामक एजेन्सियों का उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये मूल्यवान सहयोग एवं दिशा-निर्देशों के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हैं।

निदेशक मण्डल बैंक की सर्वांगीण उन्नति, विकास व वृद्धि के लिए सभी स्टाफ सदस्यों के बहुमूल्य योगदान, समर्पण भावना एवं उनकी गहन लगन के लिए एवं कर्मचारी यूनियन व अधिकारी संगठन द्वारा निभाई गई रचनात्मक भूमिका का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हैं।

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ज्योति घोष

प्रबन्ध निदेशक

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 06 मई, 2015

2. That they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March, 2015, and of the profit or loss of the Bank for the year ended on that date;
3. That they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and
4. That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

CORPORATE GOVERNANCE

The details on Corporate Governance are annexed.

ACKNOWLEDGMENT

The Board of Directors is grateful to the valued customers, esteemed shareholders and the public at large for their patronage and confidence reposed in the Bank and places on record its deep appreciation. The Board of Directors thanks the Government of India, State Bank of India, Reserve Bank of India and other regulatory agencies for their valuable support and guidance throughout the year.

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the commitment, sense of involvement and dedication exhibited by each staff member and constructive role played by the Employees' Union and Officers Association in the overall development, growth and prosperity of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Jyoti Ghosh

Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 06 May, 2015

कॉरपोरेट अभिशासन

बैंक की दृष्टि एवं लक्ष्य

बैंक ने अपनी अंतर्निहित विशिष्टताओं, मूल्यों संस्कृति एवं अभिलाषाओं को निम्नलिखित दृष्टि एवं लक्ष्य आलेखों के रूप में सूत्रबद्ध किया है। बैंक की दृष्टि एवं लक्ष्य वक्तव्य निम्नत: हैं-

दृष्टि (विजन)- ''एक अत्याधुनिक, ग्राहकोन्मुख, मूल्य-समर्पित तथा उच्चकोटि की निगमित अभिशासन पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्ध व्यावसायिक रूप से सुप्रबंधित बैंकिग संगठन एवं अंशधारकों की पूँजी में निरन्तर अभिवृद्धि करते हुए समस्त हित धारकों व समाज के कल्याण हेतु निष्ठावान संस्थान बनना।''

लक्ष्य (मिशन)- ''उच्च अभिप्रेरित, व्यावसायिक गुणवत्तायुक्त ग्राहक सेवा व देखभाल, लागत को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग द्वारा ग्राहकों के कार्यों पर धयान केन्द्रित करने वाले दक्ष कर्मचारी वर्ग द्वारा उनकी समस्त बैंकिंग आवश्यकताओं का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध करवाना, सभी हिताधिकारियों की समस्त अपेक्षाओं के पारदर्शी, उचित एवं वास्तविक प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी प्रबन्धकीय सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपूर्ति करना, संस्थागत सामजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के उद्देश्य से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देते हुए प्रत्येक को सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयत्नशील रहना।''

उक्त संशोधित दृष्टि एवं लक्ष्य वक्तव्य में इन महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशिष्टताओं पर बल दिया गया है- अत्याधुनिक बैंक बनना, अच्छी अभिशासन पद्धतियाँ अपनाना, समस्त हितधारकों और समाज का हित, समस्त ग्राहकों को निर्बाध समाधान प्रदान करना, लागत को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग, पारदर्शी/वास्तविक/स्वच्छ/ प्रकटीकरण, प्रतिसंवेदी प्रंबंधकीय सिद्धांत, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन तथा राजस्थान राज्य में वित्तीय समावेशन लागू करना है।

बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन संहिता

बैंक के दृष्टि एवं लक्ष्य आलेखों में उल्लेखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में श्रेष्ठ कॉरपोरेट अभिशासन एवं व्यवहारों की स्वीकृति पहला कदम है। तदनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन की संहिता स्वीकार की है:-

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ प्रथा के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन, प्रबन्धन को प्रभावी और व्यवसाय-नियंत्रण को सुगम बनाता है। इसके फलस्वरूप, बैंक अपने समस्त हितधारकों को सर्वोत्तम परिणाम देने में समर्थ होता है। संक्षेप में, इसके उद्देश्य निम्नत: हैं:

- अंशधारकों की पूँजी में वृद्धि करना
- अंशधारियों के साथ-साथ ग्राहकों, कर्मचारियों तथा व्यापक स्तर पर समाज सहित अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को समग्र, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाना।
- निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम गुणवत्तापूर्ण ऐसा कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के निदेशक मण्डल की नियमित बैठकें हों, वह प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान करे, प्रबन्धन पर नियंत्रण रखे तथा कार्यपालकों के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण का ढ़ाँचा स्थापित करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की लगातार समीक्षा करना।
- नीतिगत विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबन्धन प्रक्रिया स्थापित करना।
- निदेशक मण्डल अपनी भूमिका का प्रभावोत्पादक ढंग से निर्वाह कर सके, इसके लिए निदेशक मण्डल को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध करवाना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक प्रबन्धन के सभी पक्षों तथा बैंक के अन्तिम निष्पादन और निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हो। प्रबन्ध निदेशक की भूमिका, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 एवं समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 तथा इसमें हुए समस्त संशोधनों के अनुरूप भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों एवं अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एवं यदि कोई विचलन है तो, यह मण्डल को रिपोर्ट किये जाने हेतु एक वरिष्ठ कार्यपालक को निदेशक मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है।

निदेशक मण्डल

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का गठन 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के विलय से हुआ। बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम

CORPORATE GOVERNANCE

BANK'S VISION AND MISSION

The Bank has codified its ethos, values, culture and aspirations in its Vision and Mission statements. The Vision and Mission statements of the Bank are as under:-

Vision: "To be a state-of-the-art, customer-centric, values driven and professionally managed banking organisation; committed to the highest standards of good corporate governance practices; perpetual enhancement of the wealth of the shareholders and welfare of all stakeholders and the society".

Mission: "To provide one stop solutions to all the banking needs of customers through a highly motivated, professional and efficient human resources pool with quality of service, customer care and customers' business in focus by efficient use of Information Technology in a cost effective manner; meeting the expectations of all stakeholders through transparent, true and fair disclosures and responsive management principles in all the activities; to strive to fulfil corporate social responsibility with special emphasis on financial inclusion throughout the State of Rajasthan and aiming to provide the best banking services to one and all".

As such, the vision and mission statements lay emphasis on being state-of-the-art bank, adopting good corporate governance practices, welfare of all stakeholders and the society, providing one stop solution to all customers, efficient use of information technology in a cost effective manner, transparent/ true/ fair disclosures, responsive management principles, fulfilling corporate social responsibility and implementing financial inclusion in the State of Rajasthan.

BANK'S CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Adoption of best corporate governance and practices is the first step in realising the goals set forth in our Vision and Mission statements and accordingly the Bank has adopted its code of Corporate Governance:

The State Bank of Bikaner and Jaipur is committed to the best practices in the area of Corporate Governance. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business, which in turn, enables the Bank to deliver the best results to all its stakeholders. The objectives can be summarised as:

- To enhance shareholders' value.
- To protect interests of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large.
- To comply with directives of RBI, SEBI and other regulatory authorities.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and to achieve excellence at all the levels.
- To provide corporate leader-ship of the highest standard for others to emulate.

The Bank is committed to:

- Ensure that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership, exercises control over management and monitors executive performance.
- Establish a framework of strategic control and continuously review its efficacy.
- Establish clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Provide free access to the Board to all relevant information, advice, resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensure that the Managing Director has line of responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Managing Director is also guided by the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Subsidiary Banks General Regulations, 1959 with all amendments.
- Ensure that a senior executive is made responsible to the Board to ensure compliance with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the Board and report deviation, if any, to the Board.

BOARD OF DIRECTORS

The State Bank of Bikaner & Jaipur was formed in 1963 by amalgamation of the State Bank of Bikaner & State Bank of Jaipur. The Bank is governed by State Bank of

1959 एवं समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम 1959 से शासित होता है। निदेशक मण्डल का गठन अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया गया है, जो स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौते के उपबन्धों की भी अनुपालना करता है।

निदेशक मण्डल का नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के पदेन अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। बैंक के निदेशक मण्डल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं- प्रबन्ध निदेशक (कार्यपालक), दो नामित निदेशक (एक भारत सरकार से एवं एक भारतीय रिजर्व बैंक से), अधिकतम पाँच निदेशक भारतीय स्टेट बैंक से जिनमें से, अधिकतम तीन उस बैंक के अधिकारी हों (केन्द्र सरकार की सलाह से भारतीय स्टेट बैंक गैर अधिकारी निदेशक नामित करेगा), एक-एक निदेशक प्रत्येक कामगार और गैर-कामगार कर्मचारियों से और अंशधारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुने हुए अधिकतम तीन निदेशक (भारतीय स्टेट बैंक से नामित को सम्मिलित करते हुए)।

वर्तमान में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त, बारह निदेशक हैं, इनमें से तीन निदेशकों को अंशधाारियों द्वारा चुना/नामित किया गया है।

अनुलग्नकों I (क) व I (ख) में क्रमश: निदेशक मण्डल की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति तथा अन्य निदेशक मण्डलों/मण्डल समितियों, जिसमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं, विवरण दिया गया है। गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-II में दिया गया है।

निदेशकों को सामान्य यात्रा एवं विराम व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा मण्डल की बैठक में शामिल होने के लिए प्रति बैठक ₹10,000 तथा निदेशक मण्डल की समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए प्रति बैठक ₹5,000 (18.10.2011 से) शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैठक में शामिल होने के लिए अध्यक्ष, बैंक के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक, जो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के अधिकारी हैं, को शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों ने यह घोषणा की है कि उनका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है।

वर्ष 2014-15 में प्रबन्ध निदेशक को भुगतान किया गया वेतन एवं भत्ते

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री बी श्रीराम एवं श्री ज्योति घोष को वेतन एवं भत्तों के रूप में कुल ₹30,81,085.27 का भुगतान किया गया। इसमें अनुलाभों पर बैंक द्वारा भुगतान किया गया कर सम्मिलित है-

क्रम संख्या	नाम	वेतन एवं भत्ते	प्रोत्साहन	अनुलाभ	अनुलाभों पर कर	योग
1	श्री बी. श्रीराम	794,311.16	7,30,000.00	84,498.00	68,280.00	16,77,089.16
2	श्री ज्योति घोष	11,61,749.11	0.00	16,7,652.00	74,595.00	14,03,996.11

वर्ष 2014-15 में निदेशकों को बैठकों के लिए दिया गया शुल्क

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों को मण्डल तथा इसकी विभिन्न समितियों की बैठकों के लिए कुल ₹ 7,75,000/- के शुल्क का भुगतान किया गया।

निदेशक मण्डल: वर्ष के दौरान परिवर्तन

श्री ज्योति घोष, को भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खण्ड (एए) के अधीन, **श्री बी. श्रीराम** के 16.07.2014 को उनकी पदोन्नति प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (नेशनल बैंकिंग), भारतीय स्टेट बैंक के पद पर होने के कारण दिनांक 16.10.2014 से बैंक के मंडल में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री वी.जी.कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं समनुषंगी समूह) भारतीय स्टेट बैंक, को **श्री एस. विश्वनाथन** के दिनांक 30.04.2014 को अधिवर्षिता पर पहुँचने के कारण, दिनांक -21.01.2014 से मंडल में मनोनीत किया गया।

श्री बी.रमेश बाबू, मुख्य महाप्रबंधक (सहयोगी एवं समनुषंगी समूह) भारतीय स्टेट बैंक, को **श्री आर.एन. मेहरा** के दिनांक 30.04.2014 को अधिवर्षिता पर पहुँचने के कारण दिनांक- 05.05.2014 से मंडल में मनोनीत किया गया।

श्री राजेश टी मनुबरवाला का कार्यकाल 19.04.2014 को पूर्ण होने के कारण पदत्याग किया गया।

श्री भारत रतन का कार्यकाल 14.05. 2014 को पूर्ण होने के कारण पदत्याग किया गया।

श्री आर.सी.श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (सहयोगी एवं समनुषंगी समूह) भारतीय स्टेट बैंक, को **श्री पूर्ण चंद्र जेना** के दिनांक-16.07.2014 से कार्पोरेट कार्यालय से स्थानांतरित होने के कारण मंडल में दिनांक-17.07.2014 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत किया गया।

श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव, निदेशक, को भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 के धारा 25 की उप धारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन **श्री अरूण कुमार सराफ** का कार्यकाल दिनांक-11.08.2014 को पूर्ण होने के कारण दिनांक 21.02.2015 को चुना गया।

श्री भारत रतन, निदेशक, को भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुन: नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल श्री एस. विश्वनाथन, श्री बी. श्रीराम, श्री आर.एन.मेहरा, श्री राजेश. टी. मनुबरवाल, श्री पूर्ण चंद्र जेना और श्री अरूण कुमार सराफ द्वारा मंडल के साथ उनके सहचर्य के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा अभिलिखित करता है एवं मंडल के नए निदेशकों का स्वागत करता है।

India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Subsidiary Banks General Regulations, 1959, as amended from time to time. Board of Directors is constituted according to the provisions of the Act and also complies with the provisions of the Listing Agreement entered with the Stock Exchanges.

The Board of Directors is headed by the Chairman of State Bank of India, as ex-officio Chairman of the Bank. Other members of the Board are; the Managing Director (Executive), two nominee Directors (one from the Govt. of India and other from RBI), not more than 5 Directors nominated by State Bank of India, of whom not more than 3 shall be officers of that Bank (nomination of non-official director by SBI shall be in consultation with Central Government) , one Director each from employees - workmen and non workmen, respectively and not more than three Directors elected in the prescribed manner by the shareholders (including nominated by SBI).

At present, besides the Chairman and the Managing Director, there are 10 Directors on the Board including three Directors elected/ nominated by the shareholders.

Details of attendance of each Director at the meetings of the Board of Directors and number of other Committees of the Board of Directors in which he is a member or chairperson are given in annexure I(a) and I(b) respectively. Brief resume of the other non-executive Directors are also presented in Annexure II.

The Directors are paid sitting fee of Rs.10,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and Rs.5000/- for attending meetings of the various Committees of the Board (w.e.f. 18.10.2011) apart from reimbursement of usual traveling and halting expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman, the Managing Director and the Directors who are officials of SBI, RBI and Government of India.

All the non-executive Directors have declared that they do not have any pecuniary relationship vis-à-vis the Bank.

SALARY AND ALLOWANCES PAID TO THE MANAGING DIRECTOR IN 2014-15

A sum of ₹30,81,085.27 was paid as total remuneration to Shri B. Sriram and Shri Jyoti Ghosh, Managing Director during the financial year 2014-15. It includes tax on perquisites paid by the Bank and incentives as given below:

S.N.	Name	Salary & Allowance	Incentive	Perquisites	Tax on Perquisites	Total
1	Shri B. Sriram	7,94,311.16	7,30,000.00	84,498.00	68,280.00	16,77,089.16
2	Shri Jyoti Ghosh	11,61,749.11	0.00	1,67,652.00	74,595.00	14,03,996.11

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS IN 2014-15

A sum of ₹ 7,75,000/- was paid as total sitting fees to the Directors for the meetings of the Board and its various Committees during the financial year 2014-15.

BOARD OF DIRECTORS : CHANGES DURING THE YEAR

Shri Jyoti Ghosh, appointed as the Managing Director of the Bank's Board w.e.f 16.10.2014 under clause (aa) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 vice **Shri B. Sriram** who relinquished the office on 16.7.2014 on his elevation as MD & GE (National Banking), SBI.

Shri V. G. Kannan, Managing Director & GE (A & S Group), SBI nominated on the Board by SBI on 21.10.2014 vice **Shri S. Vishvanathan**, who relinquished the office on 30.4.2014 on his superannuation.

Shri B. Ramesh Babu Chief General Manager (A & S Group), SBI nominated on the Board by SBI on 5.5.2014 vice **Shri R.N. Mehra,** who relinquished the office on 30.4.2014 on his superannuation.

Shri Rajesh T. Manubarwala demitted the office after completion of his tenure on 19.04.2014.

Shri Bharat Rattan demitted the office after completion of his tenure on 14.05.2014.

Shri R.C. Srivastava General Manager (A & S Group), SBI nominated on the Board by SBI on 17.7.2014 vice **Shri Purna Chandra Jena,** who relinquished the office on 16.7.2014 on his transfer from Corporate Office.

Shri Himkar Ramchandra Srivastava- Director, under clause (d) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959 elected on 21.2.2015 vice **Shri Arun Kumar Saraf** who demitted the office after completion of his tenure on 11.08.2014.

Shri Bharat Rattan- Director, under clause (d) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959 re-nominated on 1.3.2015 by State Bank of India.

The Board of Directors places on record its deep sense of appreciation for the valuable contributions made by Shri S. Vishvanathan, Shri B Sriram, Shri R.N. Mehra, Shri Rajesh T Manubarwala, Shri Purna Chandra Jena and Shri Arun Kumar Saraf during their association with the Board and welcomes the new Directors on the Board.

मण्डल के नये निदेशकों का परिचय

वर्ष 2014-2015 के दौरान मण्डल में शामिल हुए निदेशकों की संक्षिप्त जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है-

श्री ज्योति घोष, बैंक के प्रबंध निदेशक को बैंकिंग का तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस बैंक तथा अन्य सहयोगी बैंकों में कई दायित्वों का निर्वाह किया। बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व, वे स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद में मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यिक बैंकिंग) के पद पर कार्यरत थे।

अपने पूर्व दायित्वों में, वे उप महाप्रबंधक (स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला), महाप्रबंधक (स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर एवं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) के पद पर रहे। वे सितंबर 2002 से दिसंबर 2006 तक भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) में भी आईबीओ के रूप में पदस्थापित रहे।

श्री वी.जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं समनुषंगी): भारतीय स्टेट बैंक में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। भारतीय स्टेट बैंक में कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महाप्रबंधक एवं मुख्य महाप्रबंधक के पदों पर विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया।

श्री बी. रमेश बाबू, मुख्य महाप्रबंधक (सहयोगी एवं समनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक ने उप महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के पदों पर रहते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया । वे 25.12.2010 से 22.05. 2012 तक बैंक में निदेशक थे।

श्री आर.सी. श्रीवास्तव, को भारतीय स्टेट बैंक में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। भारतीय स्टेट बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उप महाप्रबंधक के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया।

श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव, निर्वाचित निदेशक, को तीन दशक से ज्यादा का बैंकिंग अनुभव है। उन्हें स्टेट बैंक समूह में उप महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक के रूप में साख प्रस्तावों के कार्य का विशेष रूप से अनुभव है।

श्री भारत रतन, पेशे से एक सनदी लेखाकार हैं। जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनिमय, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन मनोनीत किया गया है। वे दिनांक 15.05.2011 से 14.05.2014 तक बैंक के निदेशक रहे।

अन्य गैर कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक II में दिया गया है।

निदेशक मण्डल की बैठकें

वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मण्डल की 10 बैठकें दिनांक 23.4.2014, 02. 06.2014, 25.06.2014, 24.07.2014, 26. 09.2014, 29.10.2014, 23.12.2014, 28. 01.2015, 10.03.2015, और 25.03.2015 को हुई। निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विस्तृत विवरण अनुलग्नक 1(क) में दिया गया है।

साधारण सभा की बैठकें

बैंक के अंशधारियों की वर्ष 2013-14 की 53वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक 02 जून 2014 को प्रात: 11.30 बजे महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें निदेशक मण्डल के निम्न निदेशकों ने भाग लिया:-

श्रीमती अरून्धति भट्टाचार्य	श्री बी. श्रीराम
श्री पूर्ण चन्द्र जैना	श्री बी.रमेश बाबु
श्री गुलाब सिंह	श्री रतन कुमार रूंगटा
श्री सुनील दत्त बाली	श्री अरुण कूलवाल

इससे पूर्व की दो वार्षिक साधारण सभाओं की बैठकें वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए क्रमश: दिनांक 24.05.2012 (प्रात: 11:30 बजे) एवं 07.06.2013 (प्रात: 11:30 बजे) जयपुर में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान अंशधारकों की एक साधारण सभा दिनांक 20.02.2015 को जयपुर में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु आयोजित की गई। बैठक में निदेशक श्री रतन कुमार रूंगटा, बैठक के अध्यक्ष, श्री ज्योति घोष, प्रबन्ध निदेशक, श्री एस डी बाली उपस्थित थे। उक्त बैठक में श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव एक निर्वाचित निदेशक के रूप में घोषित किये गये।

मण्डल की समितियाँ

निदेशक मण्डल ने मंडल की निम्नलिखित 11 समितियाँ गठित की हैं-

1. निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति
2. निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति
3. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति
4. निदेशक मण्डल की निदेशक समिति
5. बड़ी राशि की धोखाधड़ियों के अनुवीक्षण हेतु विशेष समिति
6. निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति
7. निदेशक मण्डल की हितधारक सम्बन्ध समिति
8. निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशक मण्डल की नामांकन समिति
10. मंडल की वसूली समिति
11. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति (ईसी)

निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति का गठन समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम 1959 के नियम 38 (1) (ए), (बी) एवं (सी) के प्रावधानों के तहत किया गया है, जिसमें प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन तीन नामित निदेशक, जिनमें से अधिकतम दो भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी होंगे और एक निदेशक अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन अंशधारियों द्वारा चुना गया हो, सम्मिलित हैं। समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 19.03.2015 को किया गया।

BIO-DATA OF THE NEW DIRECTORS OF THE BOARD

Brief resume of the Directors who joined the Board of Directors during 2014-15 is furnished below: -

Shri Jyoti Ghosh, Managing Director of the Bank has over three decades experience in Banking. During his career, he handled various assignments in the Bank and other Associate Banks. Prior to his appointment as Managing Director of the Bank, he was Chief General Manager (Commercial Banking) in State Bank of Hyderabad.

In his earlier assignments, he was Dy. General Manager (State Bank of Patiala), General Manager (State Bank of Indore & State Bank of Hyderabad) . He was also posted in SBI, Frankfurt (Germany) as IBO during the period September, 2002 to December, 2006.

Shri V.G. Kannan, Managing director & Group Executive (A&S), SBI, has over three decades experience in SBI. During his career with SBI, handled various assignments as General Manager and Chief General Manager.

Shri B. Ramesh Babu, Chief General Manager (A&S), SBI handled various assignments as Dy. General Manager and General Manager. He was Director of the Bank from 25.12.2010 to 22.05.2012.

Shri R.C. Srivastava, has more than three decades experience in SBI. During his career with SBI, handled various assignments as Dy. General Manager.

Shri Himkar Ramchandra Srivastava, elected Director and has more than three decades experience, particularly in handling credit proposals as Dy. General Manager and General Manager in the State Bank Group.

Shri Bharat Rattan, is a Chartered Accountant by profession. He is nominated under clause (d) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959. He was Director of the Bank from 15.05.201 to 14.05.2014.

Brief Bio-Data of other Non Executive Directors is furnished in Annexure-II.

BOARD MEETINGS

During the year 2014-15, 10 meetings of the Board of Directors were held on 23.4.2014, 2.6.2014, 25.6.2014, 24.7.2014, 26.9.2014, 29.10.2014, 23.12.2014, 28.1.2015, 10.03.2015 and 25.3.2015. Details of the attendance of the Directors are as per Annexure I (a).

GENERAL BODY MEETINGS :

53rd Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for the financial year 2013-14 was held at Maharana Pratap Auditorium, Jaipur on, 2nd June, 2014 at 11.30 a.m., and was attended by the following Directors on the Board:

Smt. Arundhati Bhattacharya	Shri B. Sriram
Shri Purna Chandra Jena	Shri B. Ramesh Babu
Shri Gulab Singh	Shri Ratan Kumar Roongta
Shri Sunil Dutt Bali	Shri Arun Koolwal

The previous two Annual General Meetings for the financial year 2011-12 and 2012-13 were held at Jaipur on 24.05.2012 (11.30 am) and 07.06.2013 (11.30 am) respectively.

Besides, during the year, a meeting of the General Body of shareholders was convened at Jaipur on 20.02.2015 to elect a director under clause (d) of sub section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. The meeting was attended by directors viz. Shri Ratan Kumar Roongta, Chairman of the Meeting, Shri Jyoti Ghosh, Managing Director, Shri S.D. Bali, Directors of the Bank. Shri Himkar Ramchandra Srivastava was declared elected as Director in the Meeting.

COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors has constituted 11 Committees of the Board, viz.

1. Executive Committee of the Board
2. Audit Committee of the Board
3. Risk Management Committee of the Board
4. Directors' Committee of the Board
5. Special Committee to Monitor Large Value Frauds
6. Customer Service Committee of the Board
7. Stakeholders' Relationship Committee of the Board
8. Remuneration Committee of the Board
9. Nomination Committee of the Board
10. Recovery Committee of the Board
11. IT Strategy Committee of the Board

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BOARD (EC)

The Executive Committee of the Board is constituted as per the regulation 38(1) (a), (b) and (c) of the Subsidiary Banks General Regulations 1959, and consists of Managing Director, three Directors nominated under clause (c) of sub section (1) of Section 25 of the SBI (SB) Act, 1959 by State Bank of India of whom not more than two shall be officers of the State Bank of India, and one Director elected by the shareholders under clause (d) of sub section (1) of Section 25 of the Act. The Committee was last reconstituted on 19/3/2015. EC presently has 4 members of the Board of Directors viz. Managing Director, SBI Nominee Directors

वर्तमान में कार्यकारिणी समिति में निदेशक मंडल से निम्न 4 सदस्य हैं-

प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक श्री बी रमेश बाबू और श्री आर सी श्रीवास्तव तथा स्वतंत्र निदेशक श्री हिमकर आर श्रीवास्तव।

अन्य कोई निदेशक, जो बैठक में भाग लेने के इच्छुक हों, भाग ले सकते हैं। कार्यकारिणी समिति मण्डल के समय-समय पर विशेष अथवा सामान्य निर्देशों के अलावा बैंक के सभी तत्कालिक विषयों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत है।

कार्यकारिणी समिति की बैठक कम से कम माह में एक बार होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यकारिणी समिति की 13 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण अनुलग्नक 1 (ग) में दिया गया है।

निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति का पुर्नगठन दिनांक 10.03.2015 को हुआ। लेखा परीक्षा समिति में वर्तमान में निदेशक मण्डल के 4 सदस्य हैं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक के मनोनीत निदेशक तथा दो स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। श्री भारत रतन, इस समिति के 10.03.2015 से अध्यक्ष हैं। 31.03.2015 को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य इस प्रकार हैं-

(i) श्री भारत रतन-अध्यक्ष
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक-सदस्य
(iii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक-सदस्य
(iv) श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव-सदस्य

मण्डल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के कुल लेखा परीक्षा कार्य के अवलोकन के साथ-साथ दिशा-निर्देश भी उपलब्ध कराती है। मण्डल की लेखा परीक्षा समिति की मुख्य भूमिका, कार्यों एवं अधिकारों में सम्मिलित है:-

- बैंक की वित्तीय सूचना प्रक्रिया को देखना एवं यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण में वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
- सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक के भुगतान को अनुमोदित करना।
- मण्डल को वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना, विशेष संदर्भ में-
  - (ए) मण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु, निदेशक दायित्व विवरण में शामिल करने के लिए मामलों की आवश्यकता।
  - (बी) लेखांकन नीतियों एवं कार्यप्रणाली में परिवर्तन, यदि कोई हो, कारण सहित।
  - (सी) प्रबन्धन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अनुमान आधारित मुख्य लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - (डी) लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात वित्तीय विवरण में किये गये महत्त्वपूर्ण समायोजन।
  - (ई) वित्तीय विवरण के संबंध में सूचीबद्ध एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं की अनुपालना।
  - (एफ) सम्बधित पक्षों के लेनदेन को प्रकट करना।
  - (जी) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में योग्यता।
- मण्डल को तिमाही वित्तीय विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना।
- सांविधिक एवं आन्तरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन, आन्तरिक नियंत्रण कार्यविधि की पर्याप्तता की प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना।
- निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता, यदि कोई हो, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के ढाँचे, विभाग के कार्यकारी विभागध्यक्ष की वरीयता एवं स्टाफ, रिपोर्टिंग का ढाँचा, आंतरिक लेखा परीक्षा की निरंतरता एवं कार्यक्षेत्र सहित, की समीक्षा करना। महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उनके अनुवर्तन पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना।
- एसीबी वृहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबन्धन, सूचना तंत्र अंकेक्षण नीति तथा लेखांकन नीतियां/प्रणालियों की समीक्षा करती है।
- महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उनके अनुवर्तन पर आंतरिक अंकेक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना।
- किसी सन्देहात्मक जालसाजी एवं अनियमितता या महत्त्वपूर्ण प्रकृति की आन्तरिक नियंत्रण विधि की विफलता, जो कि आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आन्तरिक अन्वेषणों के दौरान पाए गए मामलों की समीक्षा करना तथा मण्डल को सूचित करना।
- लेखा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी संबंधित क्षेत्र को ज्ञात करने हेतु लेखा परीक्षा के पश्चात् वार्तालाप करना।
- जमाकर्ताओं, बंधकधारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने के मामले में) एवं लेनदारों को भुगतान में सम्भावित चूक के कारणों को देखना।
- व्हिसल ब्लोवर कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
- केवाईसी/एएलएम के दिशानिर्देशों, खण्ड 49 की अनुपालना व सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना, अन्तर-शाखा समायोजन खातों, अन्तर-बैंक एवं नोस्ट्रो खातों में लम्बे समय से प्रविष्टियों का मिलान न होना, शाखाओं की शेष पुस्तकों में बकाया, जालसाजी एवं सभी मुख्य आन्तरिक प्रबंध व्यवस्था व घोष तथा जिलानी समिति की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- भा.रि.बैंक द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट व संपरीविक्षकों के एलएफएआर और अन्य आन्तरिक अंकेक्षकों के रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही।

लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा करती है-

Shri B. Ramesh Babu and Shri R.C. Srivastava and Independent Director-Shri Himkar R. Srivastava. Any other Director wishing to attend the meeting has an option to do so. The Executive Committee, apart from the special or general directions of the Board given from time to time, is empowered to take decisions in respect of all current business of the Bank.

The meeting of the Executive Committee is required to be held at least once in a calendar month. 13 meetings of the Executive Committee were held during the year 2014-15 {details given in Annexure 1(c)}.

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

The Audit Committee of the Board was reconstituted on 10.03.2015. ACB has presently 4 members of the Board of Directors, including RBI and SBI Nominee Directors and two independent non-executive Directors. Shri Bharat Rattan, is the Chairman of the Committee w.e.f. 10/03/2015. The members of ACB as on 31.03.2015 are:

i) Shri Bharat Rattan- Chairman

ii) RBI Nominee Director - Member

iii) SBI Nominee Director – Member

iv) Shri Himkar Ramchandra Srivastava- Member

ACB provides directions as also oversees the total audit function in the Bank. The major role, functions and powers of the ACB include: -

- to oversee the Bank's financial reporting process and disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- to approve any payment to Statutory Auditors for any other service rendered by the Statutory Auditors.
- to review, with the Management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:

(a) Matters required to be included in the Director's Responsibility Statement to be included in the Board's Report.

(b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same.

(c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by Management.

(d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings.

(e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements.

(f) Disclosure of any related party transactions.

(g) Qualifications in the draft audit report.

- Review, with the Management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
- Review, with the Management, performance of Statutory and Internal Auditors, adequacy of the internal control systems.
- Review the adequacy of inspection and audit function, if any, including the structure of the Internal Audit Department, staffing and seniority of the official heading the Department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
- ACB reviews the Bank's financial , Risk Management, IS Audit Policies and Accounting policies/ systems of the Bank to ensure greater transparency.
- Discuss with Internal Auditors of any significant findings and follow up thereon.
- Review the findings of any internal investigations by the Internal Auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discuss with Statutory Auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
- Look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
- Review the functioning of the Whistle Blower mechanism.
- Focus on follow up of KYC-AML guidelines, compliance of clause 49 and other guidelines issued by SEBI from time to time, Inter-Branch adjustment account, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank & Nostro Accounts, arrears in balancing books of branches, frauds, other areas of housekeeping and status of implementation of Ghosh & Jilani Committee recommendations.
- ACB follows up on all the issues raised in RBI's Annual Financial Inspection Reports under Section 35 of Banking Regulation Act, 1949 and Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors and other Internal Audit Reports.

The Audit Committee also reviews the following information:

(ए) प्रबंधन वार्तालाप एवं वित्तीय स्थिति मूल्यांकन एवं परिचालन परिणाम।

(बी) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण सम्बधित पक्ष लेन-देन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित) का विवरण।

(सी) प्रबंधकीय पत्र/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों के लिए पत्र।

(डी) आंतरिक नियंत्रण की कमियों के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

उपरोक्त भूमिका का निर्वहन करते हुए मण्डल की लेखा परीक्षा समिति में सन्दर्भित शर्तों के अन्तर्गत किसी भी कार्यकलाप का अन्वेषण करवाने, कर्मचारियों से सूचना लेने एवं बाहरी स्त्रेत से कानूनी एवं व्यावसायिक सलाह लेने की शक्ति निहित है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें हुई, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की गई। (जिनका विवरण अनुलग्नक-I (डी) में दिया गया है।)

निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी)

निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति में निदेशक मण्डल के 5 सदस्य यथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक, और तीन गैर-कार्यपालक निदेशक (श्री रतन कुमार रूंगटा, श्री भारत रतन एवं श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव) हैं। जोखिम प्रबन्धन समिति का पिछला पुनर्गठन 10.03.2015 को किया गया। मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति एकीकृत जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों से निपटने के लिए नीति निर्धारित करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान, मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई।

मण्डल की निदेशक समिति

भारत सरकार के दिनांक 24.10.1990 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक में निदेशक समिति कार्य कर रही है। समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी बैंक) भारतीय स्टेट बैंक, प्रबन्ध निदेशक (एसबीबीजे), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक सदस्य हैं। निदेशक समिति सतर्कता एवं अनुशासन सम्बन्धी अन्य मामलों के निस्तारण की समीक्षा करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई।

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों के अनुवीक्षण हेतु विशेष समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की राशियों वाली धोखाधड़ियों की निगरानी एवं अनुवर्तन हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति का पुनर्गठन 10.03.2015 को किया गया था। इस विशेष समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जाती है तथा जब भी कोई 1 करोड़ रूपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी सामने आती है तो उसकी समीक्षा की जाती है। समिति के सदस्यों में प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री भारत रतन एवं श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई।

मण्डल की ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया। समिति का पुनर्गठन 10.03.2015 को किया। वर्तमान में समिति के 5 सदस्य हैं यथा प्रबन्ध निदेशक, श्री रतन कुमार रूंगटा, श्री भारत रतन (गैर कार्यपालक निदेशक) और अधिकारी कर्मचारी निदेशक एवं कामगार निदेशक। वर्ष 2014-15 के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई।

मण्डल की हितधारक सम्बन्ध समिति

मण्डल की हितधारकों की संबंध समिति स्टॉक एक्सचेन्जों के साथ सूचीबद्ध समझौते के खण्ड 49 की अनुपालना में निदेशक मण्डल की हितधारक संबंध समिति (पूर्व में अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति) का पुनर्गठन 10.03.2015 को स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में किया गया। एसआरसीबी में निहित वर्तमान निदेशकों के नाम हैं- श्री रतन कुमार रूंगटा, अंशधारी निदेशक-अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक - सदस्य और श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव, अंशधारी निदेशक-सदस्य।

वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए एसआरसीबी की 4 तिमाही बैठकें आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 16 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का निपटान संतोषजनक रूप से किया गया। दिनांक 31.03.2015 को कोई शिकायत लम्बित नहीं थी। दिनांक 31.03.2015 को अंशों के हस्तांतरण से सम्बधित एक माह से अधिक पुराना कोई आवेदन लम्बित नहीं है। बैंक अदावाकृत लाभांश के मामलों में अंशधारकों से नियमित अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

मण्डल की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैकिंग प्रभाग), के पत्र एफ सं 20/1/2005-बीओ-1 दिनांक 9 मार्च 2007 के अनुसार सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारत सरकार से स्वीकार्य उद्देश्यात्मक वक्तव्य (एसओआई) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स पर आधारित व्यापक परिमाणात्मक मानकों के तहत निष्पादन से संबधित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निष्पादन का मूल्यांकन मण्डल की एक उप-समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक, (2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं (3) दो अन्य

(a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.
(b) Statement of significant related party transactions (as defined by the Audit Committee), submitted by Management.
(c) Management letters/letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors.
(d) Internal Audit reports relating to internal control weaknesses.

In fulfillment of the above role, the Audit Committee has the powers to investigate any activity within its terms of reference, to seek information from employees and to obtain outside legal and professional advise.

6 meetings of ACB were held during the year 2014-15, with at least one meeting in each quarter {details furnished in Annexure 1(d)}.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD (RMCB)

The RMCB consists of 5 members of the Board of Directors viz. Managing Director, SBI Nominee Director and three Non-Executive Directors (viz. Shri Ratan Kumar Roongta, Shri Bharat Rattan and Shri Himkar Ramchandra Srivastava). The RMCB was last reconstituted on 10.03.2015. RMCB oversees the policy and strategy for integrated risk management related to various risk exposures of the Bank. 5 meetings of RMCB were held during the year 2014-15.

DIRECTORS' COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Govt. of India directives dated 24.10.1990, the Directors' Committee of the Board is functioning in the Bank. The Committee consists of Managing Director & Group Executive (Associate Banks) SBI, the Managing Director (SBBJ), RBI Nominee Director and the Govt. Nominee Director. The Committee is required to review the disposal of vigilance and other disciplinary action cases. 4 meetings of the Committee were held during the year 2014-15.

SPECIAL COMMITTEE TO MONITOR LARGE VALUE FRAUDS

In terms of RBI guidelines, a Special Committee of Directors was constituted for monitoring and follow-up of cases of frauds involving amounts of Rs.1 crore and above. The committee was reconstituted on 10.3.2015. The Special Committee meets and reviews at least four times in a year and as and when a fraud involving an amount of Rs.1 crore and above comes to light. The members of the Committee are Managing Director, SBI Nominee Director, Govt Nominee Director, Shri Bharat Rattan, and Shri Himkar Ramchandra Srivastava. 4 meetings of this Committee were held during the year 2014-15.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE OF THE BOARD

The Customer Service Committee of the Board was constituted in terms of RBI guidelines. The Committee was reconstituted on 10/3/2015. The present Committee consists of 5 members viz. Managing Director, Shri Ratan Kumar Roongta, Shri Bharat Rattan(Non-Executive Directors), Officer Employee Director and Workmen Director. 4 meetings of the Committee were held during the year 2014-15.

STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE OF THE BOARD (SRCB)

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Stakeholders Relationship Committee of the Board (earlier named as Shareholders'/Investors' Grievance Committee)has been reconstituted on 10/3/2015 under the Chairmanship of an independent Director. The SRCB presently consists of the following Directors, viz. Shri Ratan Kumar Roongta, Shareholder Director-Chairman, Managing Director, Member and Shri Himkar Ramchandra Srivastava, Shareholder Director– Member.

The Committee held 4 quarterly meetings during 2014-15 to review the position of complaints received. During the year, 16 complaints were received and all were satisfactorily resolved. As on 31.03.2015, no complaint was pending. No application for transfer of shares was pending for more than one month as on 31.03.2015. The Bank is regularly following up with the shareholders in the matter of unclaimed dividends.

REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter F.No.20/1/2005-BO.I dated March 9, 2007, the Government has decided that the whole time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters under the Statement of Intent (SoI) entered into with the Government of India. The evaluation of performance would be done by a Sub-Committee of the Board consisting of (i) Government Nominee Director, (ii) RBI Nominee Director, and (iii) two other Directors. The Remuneration Committee was reconstituted on 24.05.2013 with the Directors viz.

निदेशक शामिल होंगे। दिनांक 24.05.2013 को परिश्रमिक समिति का पुर्नगठन किया गया है यथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक, एवं दो अन्य निदेशक यथा (i) श्री रतन कुमार रूंगटा (ii) श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव। वर्ष 2014-15 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

मण्डल की नामांकन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, चुने हुए निदेशकों की "योग्य एवं समुचित" स्थिति के निर्धारण हेतु निदेशक मण्डल की नामांकन समिति का पुनर्गठन दिनांक 10.03.2015 को हुआ। समिति में निहित वर्तमान निदेशकों के नाम हैं- (i) श्री रतन कुमार रूंगटा-अध्यक्ष (ii) सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं (iii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक। वर्ष के दौरान, इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गई।

निदेशक मंडल की वसूली समिति

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित खातों में वसूली की समीक्षा करने हेतु वसूली समिति का गठन किया गया है। इस समिति में प्रबंध निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक (श्री रतन कुमार रूंगटा)। वसूली समिति की बैठक कम से कम माह में एक बार होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 के दौरान 11 बैठकें आयोजित की गई।

मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति का गठन एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 10.03.2015 को किया गया। इस समिति में श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव अंशधारी निदेशक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सदस्य और श्री रतन कुमार रूंगटा अंशधारी निदेशक-सदस्य हैं।

अनुपालना अधिकारी का नाम व पद (शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स)

श्रीमती अरुणा नितिन दक, मुख्य प्रबन्धक (शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स) को अनुपालना अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की गई:- आईआईसीए गुडगांव में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों के लिए पुन: अभिमुखिकरण कार्यक्रम एवं एनएसई मुंबई द्वारा आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति पर निदेशकों के लिए सेमिनार। विस्तृत विवरण बैंक की वेब साईट www.sbbjbank.com पर उपलब्ध है।

लेखा पद्धति में परिवर्तन

बैंक के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अवधरणा के आधार पर तैयार किये जाते हैं जो कि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धान्त हैं। इसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक/भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक/सहायतार्थ नोट एवं भारत में बैंकिंग उद्योग में स्वीकार्य व्यवहार शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के लेखा मानक एवं स्वीकार्य लेखा के सम्पूर्ण विवरण तुलन पत्र की अनुसूची 18 में हैं। वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में यह परिवर्तन किया गया है:- अचल आस्तियों पर अवमूल्यन हेतु अपलिखित बही मूल्य पद्धति के स्थान पर सीधी रेखा पद्धति अपनाई गई है।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किये गये सूचीबद्ध समझौते के अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत बैंक द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारियों हेतु आदर्श आचार संहिता को अपनाया गया जो कि बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित व्यक्तियों से आचार संहिता की अनुपालना की घोषणा ली गई है एवं अनुपालना का प्रमाण पत्र अनुलग्नक III में दर्शाया गया है।

बैंक ने अपने निदेशकों एवं पदस्थापित कामगारों के लिए भी बैंक की प्रतिभूति के आन्तरिक व्यापार को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनायी है। दिनांक 31.03.2015 को निदेशकों के पास बैंक के अंशों की सूची अनुलग्नक 1 (ई) में दर्शाई गई है।

अन्य प्रकटन

बैंक, अपने प्रमोटरों, निदेशकों एवं प्रबन्धन, उनके अनुषंगियों अथवा संबंधियों के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेन-देन से असम्बद्ध रहा है जो वृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित स्टाक एक्सचेन्जों, सेबी, भारिबैं अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा लागू एवं निर्धारित नियमों और विनियमों का विगत 3 वर्षो के दौरान पालन किया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक में व्हिसल ब्लोवर नीति बनाई गई है तथा कर्मचारियों द्वारा सेवा नियमों के विरूद्ध किए गए अनैतिक अभ्यास एवं व्यवहार की रिपोर्टिंग सहित व्हिसल ब्लोवर के हित/पहचान को सुरक्षित रखने के प्रावधानों के साथ इसे बैंक की वेब-साईट (www.sbbjbank.com) पर प्रदर्शित किया गया है।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौते के खण्ड 49 की सभी शर्तो को पूरा किया है-बशर्ते कि खण्ड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों तथा उन प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक एंव भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अथवा मार्ग निर्देशों का अतिक्रमण न कर रहे हों।

Government Nominee Director RBI Nominee Director and two other Directors, viz. (i) Shri Ratan Kumar Roongta (ii) Shri Himkar Ramchandra Srivastava. One meeting of the Committee was held during 2014-15.

NOMINATION COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of RBI's guidelines, a Nomination Committee of the Board was constituted to determine 'fit and proper' status of the elected Directors. The Committee was reconstituted on 10/03/2015. The Committee consists of the following Directors viz. (i) Shri Ratan Kumar Roongta – Chairman, (ii) Government Nominee Director, and (iii) SBI Nominee Director. During the year, two meetings of the Committee were held.

RECOVERY COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Govt. of India guidelines, the Recovery Committee has been constituted to monitor progress in recovery in NPA accounts. The Committee consists of Managing Director, Govt Nominee Director, an Independent Director (Shri Ratan Kumar Roongta). The meeting of the Recovery Committee is required to be held at least once in a calendar month. 11 meetings of the Recovery Committee were held during the year 2014-15.

IT STRATEGY COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Govt. of India guidelines, the IT Strategy Committee has been constituted on 10.3.2015 under the Chairmanship of an independent Director. The Committee consists of Shri Himkar Ramchandra Srivastava Shareholder Director-Chairman, Managing Director, Member and Shri Ratan Kumar Roongta, Shareholder Director– Member.

NAME AND DESIGNATION OF COMPLIANCE OFFICER (SHARES AND BONDS)

Smt Aruna Nitin Dak, Chief Manager (Share & Bonds) has been designated as the Compliance Officer.

TRAINING TO INDEPENDENT DIRECTORS

During the Financial Year 2014-15, the training programmes attended by independent directors were; Re-orientation programme for Directors and Senior Management officials by IICA at Gurgaon and Seminar for Directors on Nomination and Remuneration Committee by NSE at Mumbai. Details are placed on Bank's website at www.sbbjbank.com.

CHANGES IN ACCOUNTING TREATMENT

The financial statements of the Bank are prepared under the historical cost convention. They conform to the Generally Accepted Accounting Principles in India, which comprise the statutory provisions, regulatory/ RBI guidelines, accounting standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. Detailed disclosures as per RBI guidelines/ accounting standards of ICAI and accounting treatment are given in Schedule 18 of the Balance Sheet. During the year there has been a change in the accounting policy, the method of depreciation on fixed assets was changed from Written Down Value (WDV) method to Straight Line Method (SLM) for which disclosures have been made, wherever required.

CODE OF CONDUCT

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, the Bank has adopted a Model Code of Conduct for its Board Members and senior management functionaries, which has also been uploaded on the Bank's website. The declaration for compliance with the Code of Conduct has been taken from the persons concerned and a certificate affirming the compliance is placed at Annexure-III.

The Bank has also framed a code of conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's securities. Number of Bank's shares held by the Directors as on 31.03.2015 is given in Annexure 1(e).

OTHER DISCLOSURES

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

A Whistle Blower Policy has been put in place and displayed on the Bank's website (www.sbbjbank.com) for reporting any unethical practices and behavior by employees in violation of their service rules, with a provision for protection on interest/ identity of the whistleblower.

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India (Subsidiaries

निदेशक मण्डल का गठन, लेखा-परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों, सामान्य विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान हैं।

बैंक द्वारा खण्ड 49 के अनुसार लागू सभी गैर सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना की गई है। सिर्फ घोषित अर्धवार्षिक वित्तीय कार्य -निष्पादनों एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के सारांश को अंशधारकों को प्रेषित नहीं किए गए क्योंकि विस्तृत जानकारी बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित की गई है।

अनुपालन प्रमाण पत्र

संस्थागत अभिशासन की शर्तों की अनुपालना का प्रमाण पत्र, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्धता समझौते के खण्ड 49 (vii) में वर्णित नियमनुसार पत्र लेखा परीक्षकों से प्राप्त कर लिया गया है और इसे अनुलग्नक iv के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संपुष्टि की जाती है कि खण्ड 49 की शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

सम्प्रेषण माध्यम

वर्ष 2014-15 के वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं तिमाही परिणाम एक अंग्रेजी वित्तीय दैनिक समाचार-पत्र के सभी संस्करणों में और एक/दो क्षेत्रीय हिन्दी समाचार-पत्रें (राजस्थान के समस्त संस्करणों) में प्रकाशित करवाये गये। इन परिणामों को बैंक की वेवसाइट www.sbbjbank.com पर भी उपलब्ध करवाया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी अंशधरकों को भेजी गई। तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन वित्तीय विश्लेषकों के साथ प्रेस सभा की गई जिसमें प्रबंध निदेशक द्वारा बैंक की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा प्रेस एवं वित्तीय विश्लेशकों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस घोषणा को बैंक की वेब-साईट पर प्रदर्शित किया जाता है।

हरित पहल

कारपोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 17/2011 दिनांक 21.04.2011 एवं परिपत्र संख्या 18/2011 दिनांक 29.04.2011 के साथ पठित कारपोरेट अभिशासन में हरित पहल के तहत इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कागज रहित अनुपालना स्वीकृत की गई है। उपरोक्त सरकारी पहल के अन्तर्गत बैंक नोटिस/प्रपत्र, वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंशधारकों एवं जमाकर्ताओं द्वारा बैंक को उपलब्ध करवाये गये ई-मेल पते पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

बैंक की वैबसाइट www.sbbjbank.com पर भी प्रलेख का पूरा मूल पाठ उपलब्ध रहेगा। बैंक के रजिस्टर्ड कार्यालय पर नोटिस/प्रलेखों की वास्तविक प्रतियां मय वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालय समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।

ई-मेल पते का पंजीकरण

भौतिक रुप में धारित अंशों के अंश धारक अपना ई-मेल पता cmshare@sbbj.co.in पद पर अपना नाम और फोलियो नम्बर के साथ पंजीकृत कर सकते हैं।

इलेक्ट्रोनिक रुप में धारित अंशों के अंश धारकों से निवेदन है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के यहाँ अपना ई-मेल पता दर्ज करवायें।

अदावाकृत शेयर्स

सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 5 अ के साथ सेबी के परिपत्र क्रमांक-सीआईआर / सीएफडी / डीआईएल / 10/2010, दिनांक 16.12.2010 के अनुसार अदावाकृत शेयरों को "अदावाकृत उचंत खाता-एसबीबीजे" में अंतरित कर दिया गया है। उपरोक्त सेबी के परिपत्र मय सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 5 अ के अनुसार 31.03.2015 को अदावाकृत शेयरों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
1.	वर्ष के दौरान 'अदावाकृत उचंत खाते' में अंतरित किए गए बकाया शेयरों एवं शेयर धारकों की संख्या	134	6618
2.	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते में से शेयर अंतरण हेतु बैंक में आए	1	50
3.	शेयरधारकों की संख्या जिनको अदावाकृत उचंत खाते में से शेयर अंतरित किया गया	1	50
4.	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या व शेयरधारकों की संख्या	133	6568

Banks) Act, 1959, the Rules and Regulations made thereunder, and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India and State Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive directors' compensation, the appointment, re-appointment of the statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

A certificate of compliance of conditions of Corporate Governance, as stipulated in Clause 49(vii) of the Listing Agreement with the Stock Exchanges has been obtained from the Auditors and placed at Annexure-IV. It is confirmed that stipulations of Clause 49 have been complied with.

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2014-15 were published in one English financial daily (all editions) and one/two Regional Hindi newspapers (all Rajasthan editions). The results were also displayed on the Bank's website www.sbbjbank.com. The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. After the announcement of quarterly, half-yearly and annual results a Press cum Analyst meet is held on the same day, in which the Managing Director makes a presentation on Bank's performance and answers the queries of the media and investment analysts. The presentation is thereafter published on the website of the Bank.

GREEN INITIATIVE

The Ministry of Corporate Affairs (M C A), Government of India, has advocated "Green Initiative in Corporate Governance" through its Circular No. 17/2011 dated 21.04.2011 read with Circular No. 18/2011 dated 29.04.2011 by allowing paperless compliances through electronic mode for service of documents. In line with the Government initiative as above, the Bank will send notices/ documents including Annual Report comprising of balance sheet, profit and loss account, director's report, auditor's report etc. in electronic form to the email address provided by the shareholders and made available to the Bank by the Depositories.

Full text of the documents will also be made available on the Bank's website www.sbbjbank.com. As before, physical copies of the notices/documents including Annual Reports, will be available for inspection during office hours at the Registered Office of the Bank.

Registration of email address:

For shares held in physical form, shareholders can register their email address at 'cmshare@sbbj.co.in' mentioning their name and folio number or write to the Bank. For shares held in electronic form, Shareholders are requested to register their email address with their Depository Participant (DP).

UNCLAIMED SHARES

As per SEBI's circular CIR/CFD/DIL/10/2010 dated December 16, 2010 read with clause 5A of the listing Agreement, the Bank has transferred the unclaimed shares in unclaimed suspense Account, i.e. "Unclaimed Suspense Account-SBBJ". In terms of the said SEBI's circular read with clause 5A of the listing Agreement, the details with respect to the unclaimed shares of the company for the year ended 31st March, 2015 is as under:

S.No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of shares
1	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares transferred to the Unclaimed Suspense Account during the year.	134	6618
2	No. of shareholders who approached for transfer of shares from the Unclaimed Suspense Account during the year	1	50
3	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	1	50
4	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year.	133	6568

सामान्य अंशधारियों के लिए सूचना

(ए) अंशधारियों की वार्षिक सामान्य सभा स्थल दिनांक एवं समय	जयपुर, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, भारतीय विद्या भवन, के.एम. मुंशी मार्ग, ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर मंगलवार 16 जून 2015, अपराह्न 3.00 बजे
(बी) वित्तीय कैलेण्डर	01.04.2014 से 31.03.2015
(सी) खाताबन्दी/रिकार्ड की तिथि	अंतरिम लाभांश हेतु रिकार्ड तिथि 31.03.2015 वार्षिक साधारण सभा हेतु खाताबन्दी 09 जून 2015 से 15 जून 2015
(डी) लाभांश भुगतान तिथि	अन्तरिम लाभांश- 10.04.2015
(ई) अंश बाजार में सूचीकरण	बी.एस.ई. व एन.एस.ई., मुम्बई
(एफ) स्टॉक कोड	501061 (मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज), एवं एसबीबीजे (एन.एस.ई.)
(जी) अंश अन्तरण अभिकर्ता	मैसर्स एमसीएस लिमिटेड, एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I, नई दिल्ली-110020
01.04.2015 से	मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टावर-बी, प्लाट सं-31 एवं 32, सर्वे सं- 116/22, 115/24, 115/25, फाईनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड्डा, सेरिलिंगम्मपल्लि मंडल रंगा रेड्डी, जिला हैदराबाद-500008, टेलिफोन-040-67162222, टोल फ्री- 18003454001, ई-मेल- einward.ris@karvy.com
(एच) अंश अन्तरण प्रणाली	अंश अन्तरण अभिकर्त्ता के माध्यम से अंशों का अन्तरण/नामान्तरण बैंक की "अन्तरगृही अंश अन्तरण समिति" के अनुमोदन द्वारा।
(आई) अंशों का अभौतिकीकरण व तरलता	बैंक के अंशों का अभौतिकीकरण हो चुका है। एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त आईएसआईएन संख्या आईएनई 648ए01026 है। दिनांक 31.03.2015 तक 95.58% बैंक अंशों का अभौतिकीकरण हो चुका है।
(जे) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या कोई परिवर्तनीय विलेखों के परिवर्तन की तिथि और पूंजी पर सम्भाव्य प्रभाव	शून्य
(के) अदावाकृत लाभांश	जिन शेयर धारकों ने विगत वर्षों के लाभांश वारण्ट नहीं भुनाये हैं अथवा लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे शेयर्स एवं बॉड्स विभाग, प्रधान कार्यालय, जयपुर से डुप्लीकेट लाभांश वारण्ट जारी किये जाने हेतु सम्पर्क करें।

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 में संशोधान के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन अधिनियम, 2007 (9 जुलाई 2007 से प्रभावी) के मद्दे नजर यह अनिवार्य है कि उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करें। अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि, अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि(IEPF) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस राशि का उपयोग धारा 125 के अंतर्गत उल्लेखित उद्देश्यों से यथाविधि किया जाएगा और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान हेतु कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

बाजार मूल्य आँकड़े

माह	एसबीबीजे का अंश मूल्य (बीएसई)		बीएसई सूचकांक		बीएसई बैंकेक्स	
	अधितम	न्यूनतम	अधितम	न्यूनतम	अधितम	न्यूनतम
अप्रैल 2014	371.60	318.25	22939.31	2297.51	15177.24	14221.94
मई 2014	564.00	339.65	25375.63	22277.04	17986.32	14617.49

INFORMATION FOR GENERAL SHAREHOLDERS

a) Annual General Meeting Place Venue Date & Time	Tuesday, 16th June, 2015 at 3.00 p.m. Jaipur Maharana Pratap Auditorium, Bhartiya Vidya Bhawan, K.M. Munshi Marg, Opp. O.T.S., Jaipur Tuesday, 16th June 2015 3.00p.m.
b) Financial Year	01.04.2014 to 31.03.2015
c) Date of Book Closure/ Record Date	Record Date for Interim Dividend: 31.03.2015 Book Closure for AGM: 9th June, 2015 to 15th June, 2015
d) Dividend Payment Date	Interim Dividend :- 10.04.2015
e) Listing on Stock Exchanges	BSE & NSE, Mumbai
f) Stock Code	501061 (BSE), SBBJ (NSE)
g) Share Transfer Agent	M/s. MCS Limited F 65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi- 110020
w.e.f. 01.04.2015	M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium, Tower-B Plot No. 31 & 32, Survey No. 116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal Ranga Reddy Dist. Hyderabad 500 008 Tel no. : 040-6716 2222; Toll Free18003454001Email: einward.ris@karvy.com
h) Share Transfer System	Through Share Transfer Agent. Transfer/Transmission of shares approved by the Bank's "In-house Share Transfer Committee".
i) Dematerialisation of Shares And liquidity	The Shares of the Bank have been dematerialized. The ISIN No. allotted by NSDL/CDSL is INE 648A01026. As on 31.03.2015, 95.58% shares of the bank have been dematerialized.
j) Details of outstanding GDRs/ ADRs/ warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity.	NIL
k) Unclaimed Dividend	The shareholders who have not encased their dividend warrants or have not received dividend of previous years, are requested to contact Shares & Bonds Department at Head Office, Jaipur for issue of duplicate dividend warrants.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 vide State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Act, 2007 (w.e.f. 09.07.2007), it is required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account". The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 125 of the Companies Act, 2013, which shall be used for the purpose and in the manner specified in the Section and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

MARKET PRICE DATA

MONTHS	SBBJ's Share Price BSE		BSE SENSEX		BANKEX	
	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW
April 2014	371.60	318.25	22939.31	22197.51	15177.24	14221.94
May 2014	564.00	339.65	25375.63	22277.04	17986.32	14617.49

जून 2014	660.00	505.00	25725.12	24270.20	18019.44	16921.35
जुलाई 2014	707.00	543.00	26300.17	24892.00	17894.69	16431.47
अगस्त 2014	667.00	583.55	26674.38	25232.82	18292.85	16834.25
सितम्बर 2014	692.80	557.10	27354.99	26220.49	18672.95	17356.60
अक्टूबर 2014	632.80	539.00	27894.32	25910.77	19518.89	17319.79
नवम्बर 2014	623.30	547.00	28822.37	27739.56	21311.89	19385.77
दिसम्बर 2014	677.75	540.00	28809.64	26469.42	21665.73	20052.02
जनवरी 2015	713.85	621.00	29844.16	26776.12	23903.82	20861.57
फरवरी 2015	685.95	609.10	29560.32	28044.49	22911.67	20859.62
मार्च 2015	648.55	583.10	30024.74	27248.45	23656.72	20271.76

31.03.2015 के अनुसार अंशधारिता की संवितरण अनुसूची

अंशधारिता की सीमा		फोलियो की सं.	अंशधारिता का प्रतिशत	अंशधारिता की संख्या	अंशों का प्रतिशत
से	तक				
1	500	56704	96.08	4931866	7.05
501	1000	1144	1.93	850192	1.21
1001	2000	582	0.99	875768	1.25
2001	3000	245	0.41	635609	0.91
3001	4000	109	0.19	377515	0.54
4001	5000	52	0.09	241160	0.34
5001	10000	92	0.16	661689	0.95
10001	50000	59	0.10	1211360	1.73
50001	100000	13	0.02	916226	1.31
100000 के उपर		15	0.02	59298615	84.71
	कुल	**59015**	**100.00**	**70000000**	**100.00**

अंशधारियों की स्थिति (31 मार्च, 2015 को)

श्रेणी कूट	अंशधारकों का वर्ग	धारित अंशों की कुल संख्या	कुल अंशों से धारित अंशों का प्रतिशत
i	ii	iii	iv
ए	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह		
	भारतीय स्टेट बैंक	52549924	75.07
बी	गैर प्रवर्तक		
I.	म्युचुअल फंड/ भारतीय यूनिट ट्रस्ट	4757780	6.80
II.	वित्तीय संस्थान / बैंक	28661	0.04
III.	बीमा कंपनियां	1527304	2.18
IV.	विदेशी संस्थागत निवेशक	922504	1.32
V.	कॉरपोरेट निकाय	1547563	2.21
VI.	वैयक्तिक	8503668	12.15
VII.	अनिवासी भारतीय	162286	0.23
VIII.	अन्य	310	0.00
	कुल ए+बी	70000000	100.00

पत्र व्यवहार के लिए पता :
मुख्य प्रबन्धक (शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स)
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, सी-स्कीम
जयपुर-302 005 (राजस्थान)
फोन: 0141-5101539, 2227452
फैक्स: 0141-5101176, 2227452
ई- मेल: cmshare@sbbj.co.in

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम, टावर-बी, प्लाट सं -31 एवं 32
सर्वे सं-116/22, 115/24, 115/25, फाईनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुढा
सेरिलिंगम्मपल्लि मंडल रंगा रेड्डी, जिला हैदराबाद- 500008
टेलिफोन-040-67162222, टोल फ्री-18003454001
ई-मेल- einward.ris@karvy.com

June 2014	660.00	505.00	25725.12	24270.20	18019.44	16921.35
July 2014	707.00	543.00	26300.17	24892.00	17894.69	16431.47
August 2014	667.00	583.55	26674.38	25232.82	18292.85	16834.25
September 2014	692.80	557.10	27354.99	26220.49	18672.95	17356.60
October 2014	632.80	539.00	27894.32	25910.77	19518.89	17319.79
November 2014	623.30	547.00	28822.37	27739.56	21311.89	19385.77
December 2014	677.75	540.00	28809.64	26469.42	21665.73	20052.02
January 2015	713.85	621.00	29844.16	26776.12	23903.82	20861.57
February 2015	685.95	609.10	29560.32	28044.49	22911.67	20859.62
March 2015	648.55	583.10	30024.74	27248.45	23656.72	20271.76

DISTRIBUTION SCHEDULE OF SHAREHOLDING AS ON 31.03.2015

RANGE OF SHARE HOLDING		No. of Folio	Percentage of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shares
FROM	TO				
1	500	56704	96.08	4931866	7.05
501	1000	1144	1.93	850192	1.21
1001	2000	582	0.99	875768	1.25
2001	3000	245	0.41	635609	0.91
3001	4000	109	0.19	377515	0.54
4001	5000	52	0.09	241160	0.34
5001	10000	92	0.16	661689	0.95
10001	50000	59	0.10	1211360	1.73
50001	100000	13	0.02	916226	1.31
Above 100000		15	0.02	59298615	84.71
	TOTAL	**59015**	**100.00**	**70000000**	**100.00**

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2015

CATE-GORY CODE	CATEGORY OF SHAREHOLDER	TOTAL NUMBER OF SHARES	TOTAL SHAREHOLDING AS % OF TOTAL NO OF SHARES
(I)	(II)	(IV)	(VI)
(A)	**PROMOTER AND PROMOTER GROUP**		
	STATE BANK OF INDIA	52549924	75.07
(B)	**NON PROMOTERS**		
(a)	Mutual Funds /UTI	4757780	6.80
(b)	Financial Institutions /Banks	28661	0.04
(c)	Insurance Companies	1527304	2.18
(d)	Foreign Institutional Investors	922504	1.32
(e)	Bodies Corporate	1547563	2.21
(f)	Individuals	8503668	12.15
(g)	Non Resident Indians	162286	0.23
(h)	OTHERS	310	0.00
	Total (A+B) :	**70000000**	**100.00**

Address for correspondence:

Chief Manager (Shares & Bonds)
State Bank of Bikaner and Jaipur
Head Office, Tilak Marg,
"C" Scheme,
JAIPUR - 302 005
Phone : 0141- 5101539, 2227452
Fax : 0141-5101176, 2227452
E-mail : cmshare@sbbj.co.in

Karvy Computershare Pvt. Ltd.

Karvy Selenium, Tower-B Plot No. 31 & 32, Survey No. 116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal Ranga Reddy Dist. Hyderabad-500 008 Tel no. : 040-6716 2222; Toll Free18003454001

Email: einward.ris@karvy.com

अनुलग्नक - I (ए)

वर्ष 2014-15 में आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र. स.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठके जिनमें उपस्थित हुए	क्या वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित थे	अन्य निदेशक मण्डल/मण्डल समितियों की संख्या जिनमें ये निदशक/सदस्य/अध्यक्ष हैं
1	श्रीमती अरून्धति भट्टाचार्य	10	2	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-15 समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-16
2	श्री एस. विश्वनाथन (30.04.2014 तक)	1	1	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-लागू नहीं समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-लागू नहीं
3	श्री वी.जी. कन्नन (21.10.2014 से)	5	1	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-16 समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-23
4	श्री बी. श्रीराम (16.07.2014 तक)	3	3	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-लागू नहीं समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-लागू नहीं
5	श्री ज्योति घोष (16.10.2014 से)	5	5	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
6	श्रीमती मालविका सिन्हा	10	7	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
7	श्री राजीव एन मेहरा (30.4.2014 तक)	1	1	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-लागू नहीं समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-लागू नहीं
8	श्री बी. रमेश बाबू (05.05.2014 से)	9	6	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-7 समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-25
9	श्री पूर्ण चन्द्र जेना (16.07.2014 तक)	3	3	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-लागू नहीं समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-लागू नहीं
10.	श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव (17.07.2014 से)	5	5	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-5 समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-23
11	श्री रतन कुमार रूंगटा	10	10	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
12	श्री अरुण के. सराफ (11.08.2014 तक)	4	-	अ	अध्यक्ष/निदेशक-लागू नहीं समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-लागू नहीं
13	श्री गुलाब सिंह	10	10	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-1 समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
14	श्री सुनील दत्त बाली	10	10	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
15	श्री राजेश टी. मनुबरवाला (19.04.2014 तक)	0	0	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
16	श्री भारत रतन (14.05.2014 तक एवं 01.03.2015 से पुन: मनोनीत)	3	3	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
17	श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव (21.02.2015 से)	2	2	ला.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
18	श्री अरूण कूलवाल	10	10	उ.	अध्यक्ष/निदेशक-शून्य समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य
उ.-उपस्थित		अ.-अनुपस्थित		ला.-लागू नहीं	

ANNEXURE – I (a)

Details of Attendance of Directors at the Meetings of Board of Directors during 2014-15

S.No.	Name of Director	Meetings held during his/her tenure	Meetings Attended	Whether attended AGM	No. of other BODs/Board Committees he/she is a member Director/Chairperson
1	Smt Arundhati Bhattacharya	10	2	P	Chairman/Director- 15 Committee member/ Committee Chairman-16
2	Shri S. Vishvanathan (Upto 30.4.2014)	1	1	N.A.	Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman-N.A.
3	Shri V.G. Kannan (w.e.f. 21.10.2014)	5	1	N.A.	Chairman/Director-16 Committee member/ Committee Chairman-23
4	Shri B. Sriram (Upto 16.07.2014)	3	3	P	Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman-N.A.
5	Shri Jyoti Ghosh (w.e.f. 16.10.2014)	5	5	N.A.	Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman-Nil
6	Smt Malvika Sinha	10	7	P	Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman-Nil
7	Shri Rajeev N.Mehra (Upto 30.4.2014)	1	1	N.A.	Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman- N.A.
8	Shri B. Ramesh Babu (w.e.f. 05.05.2014)	9	6	N.A.	Chairman/Director-7 Committee member/ Committee Chairman-25
9	Shri Purna Chandra Jena (upto 16.07.2014)	3	3	P	Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman- N.A.
10	Shri Ramesh Chandra Srivastava (w.e.f. 17.7.2014)	5	5	N.A.	Chairman/Director-5 Committee member/ Committee Chairman-23
11	Shri Ratan Kumar Roongta	10	10	P	Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman-Nil
12	Shri Arun K. Saraf (Upto 11.8.2014)	4	-	N	Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman- N.A.
13	Shri Gulab Singh	10	10	P	Chairman/Director- 1 Committee member/ Committee Chairman Nil
14	Shri Sunil Dutt Bali	10	10	P	Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil
15	Shri Rajesh T. Manubarwala (Upto 19.4.2014)	0	0	N.A.	Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman N.A.
16	Shri Bharat Rattan (upto 14.05.2014 and re-nominated w.e.f. 01.03.2015)	3	3	N.A.	Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil
17	Shri Himkar Ramchandra Srivastava (w.e.f. 21.2.2015)	2	2	N.A.	Chairman/Director-Nil Committee member/ Committee Chairman-Nil
18	Shri Arun Koolwal	10	10	P	Chairman/Director-Nil Committee member/ Committee Chairman-Nil

P -Attended N - Not attended N.A. - Not applicable

अनुलग्नक - I (बी)

31.03.2015 को निदेशक मण्डल की सूची

क्र. स.	निदेशक का नाम	पदं	से नियुक्त	पता	समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य/ अध्यक्ष हैं
1	श्रीमती अरून्धति भट्टाचार्य	अध्यक्ष	07.10.2013	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट सेन्टर, मेडम कामा रोड़, मुम्बई-400 021	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - शून्य
2	श्री वी. जी. कन्नन	एसबीआई द्वारा मनोनीत निदेशक	21.10.2014	प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस ग्रुप) भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - शून्य
3	श्री ज्योति घोष	प्रबन्ध निदेशक	16.10.2014	प्रबन्ध निदेशक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर-302005	अध्यक्ष - 5 समिति के सदस्य - 3
4	श्रीमती मालविका सिन्हा	भारतीय रिर्ज़व बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक	22.08.2012	सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक गारमेंट हाउस, डॉ. एनीबेसेंट रोड़, मुंबई-400018	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - 3
5	श्री बी रमेश बाबू	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक	05.05.2014	मुख्य महाप्रबन्धक, (ए एवं एस समूह), सहयोगी बैंक विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर मुम्बई-400021	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - 5
6	श्री रमेश श्रीवास्तव	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक	17.07.2014	महाप्रबन्धक, (ए एवं एस), भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर मुम्बई- 400021	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - 5
7	श्री भारत रतन	निदेशक	01.03.2015	बी. रतन एण्ड एसोसिएट्स दुकान सं. 408 409, महक टावर कैलाश, सिनेमा रोड, सिविल लाईन्स लुधियाना-141001	अध्यक्ष - 1 समिति के सदस्य - 4
8	श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव	शेयरधारियों द्वारा चयनित निदेशक	21.02.2015	एम.एमबी-1/207 सेक्टर-बी, एसबीआई कॉलोनी, सीतापुरा रोड योजना, जानकीपूरम, लखनऊ- 226021	अध्यक्ष - 1 समिति के सदस्य - 6
9	श्री रतन कुमार रूंगटा	शेयरधारियों द्वारा चयनित निदेशक	12.08.2013	61/45, प्रताप नगर, सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर - 302030	अध्यक्ष - 2 समिति के सदस्य - 5
10	श्री गुलाब सिंह	केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	15.10.2013	उप सचिव, भारत सरकार, आईएफ-I वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - 5
11	श्री सुनील दत्त बाली	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	01.11.2012	मुस्कान, 4/83, विद्याधर नगर, जयपुर-302039	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - 1
12	श्री अरूण कूलवाल	कामगार कर्मचारी निदेशक	12.01.2014	एकल खिड़की परिचालक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अं.का., जयपुर-302005	अध्यक्ष - शून्य समिति के सदस्य - 1

*श्री बी.रमेश बाबू एवं श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव को मण्डल की लेखा परीक्षा समिति में प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है।

ANNEXURE – I (b)

LIST OF BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2015

	Name of Director	Designation	Appointed since	Address	No. of Committees of which he/ she is a Member/Chairperson
1	Smt Arundhati Bhattacharya	Chairman	07.10.2013	Chairman State Bank of India, Corporate Centre Madame Cama Road, Mumbai-400021	Chairman- Nil Committee Member-Nil
2	Shri V.G. Kannan	SBI Nominee Director	21.10.2014	Managing Director & GE (A & S Group) State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai	Chairman-1 Committee Member-Nil
3	Shri Jyoti Ghosh	Managing Director	16.10.2014	Managing Director State Bank of Bikaner and Jaipur Head Office, Tilak Marg Jaipur - 302 005	Chairman- 5 Committee Member-3
4	Smt Malvika Sinha	RBI Nominee Director	22.08.2012	Department of Cooperative Bank Supervision Reserve Bank of India Garment House, Dr. Annie Besant Road, Mumbai-400 018	Chairman- Nil Committee Member-3
5	Shri B. Ramesh Babu	SBI Nominee Director	05.05.2014	Chief General Manager (A & S Group) State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai	Chairman- Nil Committee Member-5
6	Shri Ramesh Chandra Srivastava	SBI Nominee Director	17.07.2014	General Manager (A&S) Associate Banks Department State Bank of India Corporate Centre, Mumbai-400021	Chairman-Nil Committee Member-5
7	Shri Bharat Rattan,	Director	01.03.2015	B. Rattan & Associates, Shop No. 408-409, Mahak Tower, Kailash Cinema Road, Civil Lines Ludhiana-141001	Chairman- 1 Committee Member-4
8	Shri Himkar Ramchandra Srivastava	Shareholder's elected director	21.02.2015	MMB-1/207, Sector-B, SBI Colony, Sitapur Road Yozna, Jankipuram, Lucknow-226021	Chairman-1 Committee Member-6
9	Shri Ratan Kumar Roongta	Shareholder's elected director	12.08.2013	61/45, Pratap Nagar Sanganer, Tonk Road, JAIPUR-302 030	Chairman- 2 Committee Member-5
10	Shri Gulab Singh	Central Government Nominee Director	15.10.2013	Dy Secretary, Govt. of India, IF-1, Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services (Banking Division), 3rd Floor, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi.-110001	Chairman- Nil Committee Member-5
11	Shri Sunil Dutt Bali	Officer Employee Director	1.11.2012	Muskan, 4/83, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302 039	Chairman- Nil Committee Member-1
12	Shri Arun Koolwal	Workmen Employee Director	12.01.2014	S. W. O. State Bank of Bikaner & Jaipur, Z. O., Jaipur-302 005	Chairman- Nil Committee Member-1

Shri B. Ramesh Babu & Shri Ramesh Chandra Srivastava are nominated on the Audit Committee of the Board in their respective capacities.

अनुलग्नक-I (सी)

वर्ष 2014-15 में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

क्र. स.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठकें जिनमें उपस्थित हुए
1.	**प्रबन्ध निदेशक** श्री बी. श्रीराम श्री ज्योति घोष	4 9	4 7 (2*)
2.	**भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित** श्री पी.सी. जेना श्री बी. रमेश बाबू श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव श्री बी. मणिवासगम श्री राजीव कुमार सक्सेना श्री एस.बी.जोशी	13	 2 3 3 1 3 1
3.	श्री रतन कुमार रूंगटा	13	11 1*
4.	श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव	3	1
5.	श्री अरूण कूलवाल	13	10*
6.	श्री भारत रतन	3	1
7.	श्री सुनील दत्त बाली	13	13*

*समिति के गैर सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित

अनुलग्नक-I (डी)

वर्ष 2014-15 में आयोजित मण्डल की अंकेक्षण समिति की बैठकों में उपस्थिति

क्र. स.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठकें जिनमें उपस्थिति
1.	**श्री भारत रतन** (गैर कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष) प्रथम कार्यकाल - 14.05.2014 तक द्वितीय कार्यकाल - 01.03.2015 से प्रभावी	2	2
2.	श्री रतन कुमार रूंगटा गैर कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष (दिनांक - 25.06.2014 से 09.03.2015 तक)	5	5
3.	**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित** श्रीमति मालविका सिन्हा	6	5
4.	**भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित** श्री बी रमेश बाबू श्री पी.सी. जेना श्री आर सी श्रीवास्तव	6	2 1 3
5.	श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव (गैर कार्यपालक निदेशक, सदस्य)	1	1

ANNEXURE - I(c)

ATTENDANCE OF EXECUTIVE COMMITTEE MEETINGS DURING 2014-15

S.No.	NAME OF DIRECTOR	MEETINGS HELD DURING HIS/ HER TENURE	MEETINGS ATTENDED
1.	Managing Director Shri B. Sriram Shri Jyoti Ghosh	 4 9	 4 7 (2*)
2.	SBI Nominee Shri P.C. Jena Shri B. Ramesh Babu Shri Ramesh Chandra Srivastava Shri B Manivasagam Shri Rajiv Kumar Saxena Shri S.B. Joshi	13	 2 3 3 1 3 1
3.	Shri Ratan Kumar Roongta	13	11 1*
4.	Shri Himkar Ramchandra Srivastava	3	1
5.	Shri Arun Koolwal	13	10*
6.	Shri Bharat Rattan	3	1
7.	Shri Sunil Dutt Bali	13	13*

*Meeting attended as non member of the Committee.

ANNEXURE - I(d)

ATTENDANCE OF ACB MEETINGS DURING 2014-15

S.NO	NAME OF DIRECTOR	MEETINGS HELD DURING HIS/HER TENURE	MEETINGS ATTENDED
1.	Shri Bharat Rattan Non Executive Director, Chairman (1st Term: till 14.5.2014) (2nd Term: w.e.f. 1.3.2015)	2	2
2.	Shri Ratan Kumar Roongta (Non Executive Director, Chairman from 25.6.2014 to 9.3.2015)	5	5
3.	RBI Nominee Smt. Malvika Sinha	6	5
4.	SBI Nominee Shri B. Ramesh Babu Shri P.C. Jena Shri R.C. Srivastava	6	2 1 3
5.	Shri Himkar Ramchandra Srivastava Non Executive Director	1	1

अनुलग्नक-I (ई)

निदेशकों के पास अंशों की संख्या (31.03.2015 को)

क्र. स.	निदेशक का नाम	निदेशकों के पास अंशों की संख्या
1.	श्रीमती अरून्धति भट्टाचार्य	शून्य
2.	श्री वी.जी. कन्नन	शून्य
3.	श्री ज्योति घोष	100
4.	श्रीमती मालविका सिन्हा	शून्य
5.	श्री बी. रमेश बाबू	शून्य
6.	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	शून्य
7.	श्री रतन कुमार रूंगटा	160
8.	श्री हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव	170
9.	श्री भारत रतन	100
10.	श्री गुलाब सिंह	शून्य
11.	श्री सुनील दत्त बाली	225
12.	बी अरूण कूलवाल	शून्य

अनुलग्नक-II

अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री रतन कुमार रूंगटा

श्री रतन कुमार, रूंगटा अंशधारकों द्वारा चयनित निदेशक है। वे सेवानिवृत बैंक अधिकारी है। इन्हें कार्पोरेट वित्त, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग,जोखिम पर केंद्रीत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और जन संपर्क आदि के क्षेत्र में तीन दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है।

श्री एस.डी. बाली

स्टेट बैंक (समनुषंगी) अधिनियम 1959 के धारा 25(1) (सीबी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी कर्मचारी निदेशक है। ये दिनांक 01.11.2012 से मंडल में शामिल हुए है।

श्री अरूण कूलवाल

श्री डी. के जैन के दिनाक 11.01.2014 को कार्यावधि समाप्ति कर सेवानिवृत होने के पश्चात स्टेट बैंक (समनुषंगी) अधिनियम 1959 के धारा 25 के उप धारा (1) के खण्ड (सीए) के अंतर्गत कामगार कर्मचारी निदेशक है।

अनुलग्नक - III

आचार संहिता की अनुपालन सम्बन्धी घोषणा

मैं, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक आचार संहिता की सभी मण्डल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा अनुपालना की अभिपुष्टि सुनिश्चित करता हूँ।

मुम्बई

06.05.2015

ज्योति घोष

प्रबन्ध निदेशक

ANNEXURE -I(e)

NUMBER OF SHARES HELD BY THE DIRECTORS (As on 31.03.2015)

S.No.	Name of Director	No. of Shares held by the Director
1.	Smt Arundhati Bhattacharya	Nil
2.	Shri V.G. Kannan	Nil
3.	Shri Jyoti Ghosh	100
4.	Smt Malvika Sinha	Nil
5.	Shri B. Ramesh Babu	Nil
6.	Shri Ramesh Chandra Srivastava	Nil
7.	Shri Ratan Kumar Roongta	160
8.	Shri Himkar Ramchandra Srivastava	170
9.	Shri Bharat Rattan,	100
10.	Shri Gulab Singh	Nil
11.	Shri Sunil Dutt Bali	225
12.	Shri Arun Koolwal	Nil

ANNEXURE – II

BRIEF RESUME OF OTHER NON-EXECUTIVE DIRECTORS

Shri Ratan Kumar Roongta, elected by the shareholders. He is a retired bank officer having over three decades of experience in the area of corporate finance, international banking, Risk Focused Audit and Inspection, Information Technology and public relations.

Shri S.D. Bali Officer Employee Director nominated by Central Government under section 25(1)(cb) of the Act, joined the Board w.e.f. 01.11.2012

Shri Arun Koolwal Workmen Employee Director, under clause (ca) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959 joined the Board on 12.1.2014 vise Shri D.K. Jain, who retired on 11.1.2014 after completion of tenure.

ANNEXURE – III

DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2014-15.

Mumbai
06.05.2015

Jyoti Ghosh
Managing Director

संस्थागत अभिशासन के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में सदस्यगण

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा संस्थागत अभिशासन की शर्तों, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 में अभिवर्णित है, की अनुपालना का परीक्षण किया है।

संस्थागत अभिशासन के शर्तों की अनुपालना प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा संस्थागत अभिशासन की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत विधि एवं इसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो एक लेखा परीक्षण है और न ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में अभिमत का प्रकटीकरण है।

हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोतम जानकारी में तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि स्टेट ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने उपर्युक्त वर्णित सूचीबद्ध समझौते में निर्दिष्ट संस्थागत अभिशासन की शर्तों की अनुपालन नियमानुसार की है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि हितधारक सम्बन्ध समिति (अंशधारियों/निवेशकों की शिकायत समिति) के अभिलेखानुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरूद्ध निवेशकों की कोई शिकायत एक महीने से अधिक समय से लम्बित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते है कि इस प्रकार की अनुपालना न तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबन्धन द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कार्यकलापों के संचालन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है।

वास्ते **चतुर्वेदी एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302137 ई

(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
(स.स. 12705)
साझेदार

वास्ते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 01411 एन

(सीए एम.के. अग्रवाल)
(स.स.14956)
साझेदार

वास्ते **पी.एस.डी. एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 004501 सी

(सीए प्रकाश शर्मा)
(स.स. 072332)
साझेदार

वास्ते **ओबेराय, सूद एण्ड कपूर**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001462 एन

(सीए संजय सूद)
(स.स. 80527)
साझेदार

स्थान: मुंबई,
मई 06, 2015

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of

State Bank of Bikaner and Jaipur

We have examined the compliance of conditions of corporate governance by the State Bank of Bikaner and Jaipur, for the year ended on the 31st March, 2015 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the State Bank of Bikaner and Jaipur with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the State Bank of Bikaner and Jaipur for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the State Bank of Bikaner and Jaipur.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the State Bank of Bikaner and Jaipur has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the State Bank of Bikaner and Jaipur as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee (Shareholders'/ Investors Grievance Committee).

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the State Bank of Bikaner & Jaipur nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of State Bank of Bikaner & Jaipur.

For Chaturvedi & Co.
Chartered Accountants
FR NO.302137 E

(CA Satish Chandra Chaturvedi)
(M.No.12705)
Partner

For M. K. Aggarwal & Co.
Chartered Accountants
FR NO. 01411N

(CA M.K. Aggarwal)
(M.No.14956)
Partner

For. P S D & Associates
Chartered Accountants
FR NO. 004501 C

(CA Prakash Sharma)
(M.No.072332)
Partner

For Uberoi Sood & Kapoor
Chartered Accountants
FR NO. 001462 N

(CA Sanjay Sood)
(M.No.80527)
Partner

Place : Mumbai
6th May, 2015

बासेल प्रकटीकरण

बैंक ने 31 मार्च, 2008 से बासेल-**II** रूपरेखा को अपनाया। बासेल-**II** निर्देशों को 1 अप्रैल, 2013 से क्रियान्वित किया गया। तदनुसार, 31.03.2015 को बैंक के लिए पिलर **III** प्रकटीकरण निम्न है:

पूंजी प्रबन्धन

पूंजी प्रबन्धन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक द्वारा निर्धारित व्यवसाय व्यूहरचना कार्यान्वयन के लिये बैंक के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है और विपरीत विपणन स्थितियों एवं बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित संकटों से पार पाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त कुशन भी उपलब्ध है।

9% के विनियामक न्यूनतम स्तर के विरूद्ध उच्च पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रखना बैंक का उद्देश्य है। विनियामक न्यूनतम के ऊपर आधिक्य पूंजी, भावी अग्रिम व्यवसाय वृद्धि को समर्थन प्रदान करने तथा साथ ही साथ किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए एक सुरक्षा भण्डार का कार्य करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपरीत परिस्थितियों में भी बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात विनियामक न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं आ सके।

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम, पूंजी एवं आय के मध्य सम्बन्धों के वृहद् सन्दर्भ मे, बैंक द्वारा जोखिम प्रबन्धन प्रक्रियाएं एवं व्यवहार विकसित किये गये हैं।

मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्य, बैंक की जोखिम लेने की क्षमता को निश्चित करते हैं, जो कि बैंक की पूंजी आयोजना एवं निष्पादन प्रबन्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं। बैंक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय में जोखिम प्रवृति एक अधिकतम जोखिम होता है, जो बैंक वहन करने का इच्छुक है ताकि विपरीत परिस्थितियों मं भी बैंक की लाभप्रदता एवं पूंजी आधार सुरक्षित रखा जा सकें। इन जोखिमों का प्रबन्धन, सीमाओं अथवा निवारक बिन्दुओं को, पूंजी, आय की अस्थिरता एवं केद्रीकृत जोखिमों के समस्त आयामों के लिये प्रयोग किया जा रहा है। सुपरिभषित अधिकतम जोखिम प्रवृत्ति द्वारा इन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है।

एकीकृत जोखिम प्रबन्धन दृष्टिकोण को अपनाते हुए, बैंक सुनिश्चित करना चाहता है कि जोखिमों की पहचान करने एवं उनको परिमाणित करने, प्रभावी जोखिम प्रबन्धन प्रणाली को विकसित करने के साथ, आय एवं जोखिम में एक उचित सन्तुलन बनाया जा सके। विशिष्ट जोखिमों के केन्द्रीकरण को दूर किया जा सके, उचित पूंजी ढाँचा तैयार किया जा सके, संसाधनों के इष्टतम आवंटन को प्राप्त किया जा सके तथा उच्च आस्ति गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखा जा सके। यह बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ करने एवं अंशधारकों के लिये अधिकतम लाभ अर्जित करने में योगदान देता है।

बैंक वृहद् रूप से जोखिम प्रकारों को निम्नानुसार वर्गीकृत एवं पारिभाषित करता है:

साख जोखिम	प्रतिपक्षकारकों की साख की स्थिति में गिरावट द्वारा उत्पन्न साख आस्तियों में वित्तीय हानि का जोखिम (ऑफ-बैलेंस शीट विलेखों सहित)
बाजार जोखिम	मार्केट कारकों के विपरीत दिशा में जाने, जैसे ब्याज दरों, प्रतिभूतियों का मूल्य एवं विदेशी विनिमय दरों में आये परिवर्तनों के द्वारा पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बैंक की आस्तियों एवं देयताओं के मूल्यों से उत्पन्न वितीय हानियां।
तरलता जोखिम	जब अस्वीकार्य हानियों के बिना बैंक अपनी देनदरियों को अपनी देय तिथि पर पूरा करने में असमर्थ लगे, इस कारण से उत्पन्न बैंक की आय एवं पूंजी का जोखिम।
परिचालन जोखिम	अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों अथवा तंत्र या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का जोखिम।
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम	यह एक ऐसा जोखिम है जब ब्याज दरों में आये परिवर्तनों के कारण बैंक की वित्तीय आस्तियों के मूल्यों में कमी आ जाती है और/अथवा बैंक की देयताओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ब्याज दर जोखिम प्राथमिक तौर पर आस्तियों एवं देयताओं में परिपक्वता असुंतलन से उत्पन्न होता है। इसका समग्र उद्देश्य ब्याज दर जोखिम से चालू एवं भावी आय अस्थिरता का प्रबन्ध करना है।

बैंक के समग्र जोखिम प्रबन्धन के लिए इसकी निम्नलिखित जोखिम प्रबन्धन समितियाँ हैं: बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति, साख जोखिम प्रबन्धन समिति, बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन समिति। इन समितियों के अतिरिक्त, बैंक की आस्ति एवं देयता प्रबन्धन समिति सतत् रूप से तरलता पथ एवं दर संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की निगरानी करती है।

विभिन्न जोखिम प्रबन्धन समितियाँ गुणात्मक एवं परिणात्मक परिप्रेक्ष्यों के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के जोखिमों पर चर्चा करती हैं एवं उनका गतिशीलतापूर्वक प्रबन्धन भी करती हैं। इन समितियों द्वारा किए गए विचार-विमर्शो के आधार पर विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए बैंक का निदेशक मण्डल, बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों का निर्धारण करता है।

बासेल-III ढाँचे पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में बैंक ने साख जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए बेसिक इण्डिकेटर दृष्टिकोण को अंगीकार किया है। पिलर-I के अनुसार विनियामक पूँजी आवश्यकता गणना के अतिरिक्त, बैंक अन्य जोखिमों का आकलन करता है तथा मार्केट के दबावों एवं बाहरी कारकों से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को झेलने के लिए कुशन के रूप में पूंजी की पर्याप्तता का निर्धारण करता रहता है।

BASEL DISCLOSURES

The Bank migrated to Basel-II framework w.e.f. 31st March, 2008, Basel-III guidelines have also been implemented w.e.f. 1st April, 2013, Accordingly, Pillar-III Discloures of the Bank as on 31.03.2015 are as under:

CAPITAL MANAGEMENT

Capital management is aimed at ensuring that there is sufficient capital to meet the requirement of the Bank as determined by its underlying business strategy and also that sufficient cushion is available to absorb unexpected shocks that could arise out of adverse market conditions and external factors.

The Bank aims to maintain Capital Adequacy Ratio (CAR) well above the regulatory minimum level of 9%. Excess capital above the regulatory minimum is for supporting anticipated future business growth and to serve as a buffer for any unexpected shocks thereby ensuring that the Bank's CAR does not fall below the regulatory minimum level even in adverse conditions.

RISK MANAGEMENT

The risk management processes and practices employed by the Bank have been developed in the wider context of the relationships between risk, capital and earnings.

The strategic objectives set by the Board determine the Bank's risk appetite, which is an important input for its capital planning and performance management. Risk appetite is the maximum risk the Bank is willing to accept in executing its business strategy while staying protected against events that may have an adverse impact on its profitability and capital base. Risks are being managed by using limits or checkpoints set across all dimensions of capital, earnings volatity and concentration risk. These limits are determined by a well-defined maximum risk appetite.

By adopting an integrated risk management approach, the Bank seeks to improve its methods for identifying and quantifying risks, to develop a more effective risk management system, to achieve a stable balance between earnings and risk, to eliminate concentrations of specific risks, to create an appropriate capital structure, to achieve optimal allocation of resources and to sustain high asset quality. This contributes to the strengthening of the financial health of the Bank and maximizing of shareholders' value.

The Bank broadly classifies and defines risk types as under:

Credit Risk	The Risk of financial loss in credit assets (including off-balance sheet instruments) caused by deterioration in the credit conditions of counterparties.
Market Risk	The risk of financial loss where the value of assets and liabilities could be adversely affected by changes in market variables such as interest rates, securities prices and foreign exchange rates.
Liquidity Risk	The risk to earnings and capital arising from a bank's potential inability to meet its liabilities when they become due without incurring unacceptable losses.
Operational Risk	The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.
Interest Rate Risk in Banking Book	The risk that value of bank's financial assets may decrease and/or the value of the bank's liabilities may increase because of changes in interest rates. Interest Rate Risk arises primarily from the maturity mismatch of assets and liabilities. The overal objective is to manage current and future earnings sensitivity to interest rate risk exposure.

The Bank has the following risk management committees in place for its overall risk management: Risk Management Committee of the Board, Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committlee and Operational Risk Management Committee. Besides these committees, the Bank's Assets-Liabilities Management Committe (ALCO) and Balance Sheet Management Group monitor the build-up of assets and liabilities across maturities for liquidity tracking and assessing rate sensitivity on an on going basis.

The various risk management committees discuss and dynamically manage the different types of risks both from qualitative and quantitatives Perstective. The Board of Directors lay down the Bank's risk management policies for various types of risk based on the discussions held by these comittees.

In terms of RBI guidelines on Basel-III framework, the Bank has adopted the Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. In addition to regulatory capital requirement of computation as per Pillar-I, the Bank also assess Liquidity Risk and Interest Rate Risk, and carries out stress tests on a regular basis to assess adequacy of the capital available as a cushion to withstand shocks from market forces and external factors.

बासेल-III प्रकटीकरण

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (NCAF) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों एवं हमारी प्रकटीकरण नीति के सन्दर्भ में बासेल-III ढांचे के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रकटीकरण, प्रकटीकरण सारणी (DF) 1 से 14 में संलग्न है।

प्रकटीकरण सारणी-1: लागू क्षेत्र

1. सारणी डीएफ-1: लागू किये जाने का दायरा-
   बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम जिसपर यह ढांचा लागू होता है
   स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर

क. (1) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समेकन हेतु विचार में लिये गये समूह हस्तियों की सूची

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या उस हस्ती को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करे	क्या उस हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके में अंतर को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके को स्पष्ट करे	यदि समेकन केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
शून्य						

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनो दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में न लिये गये समूह हस्तियों की सूची

संस्था का नाम/ निगमन देश	हस्ती का प्रधान कार्य	तुलन-पत्र की कुल इक्विटी जैसा कि विधिक तुलन पत्र में बताया गया है	कुल इक्विटी में बैंक की कुल धरिता राशि का प्रतिशत	हस्ती के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेशों को विनियामक ट्रीट्मेंट	तुलन-पत्र की कुल आस्तियां (जैसा कि विधिक हस्ती के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है।)
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	5 करोड	35%	जोखिम आधारित	8995.79 करोड़

(II) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन हेतु विचार में लिये गये समूह हस्तियों की सूची

संस्था का नाम/निगमन देश(जैसा कि ऊपर (i) क में शामिल किया गया है)	संस्था की प्रधान गतिविधि	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल तुलन-पत्र आस्तिया (जैसा कि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)
शून्य			

घ. सभी अनुषंगी में पूंजी में कमियां कि सकल राशि जिसे समेकन के विनियमक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात जिसे घटाया गया है:

संस्था का नाम/ निगमन देश	संस्था की प्रधान गतिविधि	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता राशि का प्रतिशत	पूंजी में कमियां
शून्य				

ड. बीमा संस्थाओं में कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित है:

संस्था का नाम/ निगमन देश	संस्था की प्रधान गतिविधि	कुल तुलन-पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी हस्ती की लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी/मताधिकार के अनुपात में बैंक की धारिता राशि का प्रतिशत	विनियामक पूंजी पर जोखिम भारण विधि की तुलना में पूर्ण कटौती विधि का प्रयोग करने का मात्रात्मक प्रभाव
शून्य				

Basel-III DISCLOSURES

In terms of Reserve Bank of India guidelines on New Capital Adequacy Framework (NCAF) and our Disclosure Policy, Qualitative and quantitative disclosures of Basel-III framework are appended in the Disclosure Tables (DF) 1 to 14.

Table DF-1 : Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

State Bank of Bikaner and Jaipur

(I) Qualitative Disclosures

a. List of group entitities considered for consolidation

Name of the entitity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
NIL						

b. List of group entitites not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entitity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	%age of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Rajasthan Marudhara Gramin Bank	Banking	5 crore	35%	Risk Weighted	8995.79 Cr.

(ii) Quantitative Disclosures :

c. List of group entitites considered for consolidation

Name of the entitity / Country of incorporation (as indicated in (i) a above	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL			

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Name of the entitity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	%age of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the banks's total interest in insurance entities, which are risk weighted :

Name of the entitity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	%age of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NIL				

च. बैंकिंग समूह के भीतर या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबन्ध या बाधायें

---------- लागू नहीं ----------

प्रकटीकरण सारणी-2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक की आईकैप (ICAAP) की नीति बोर्ड से अनुमोदित है।
- चालू व्यवसाय स्तर एवं अनुमानित भावी व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण आईकैप द्वारा किया गया है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-III के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला गया है।

  पूंजी पर्याप्तता का आकलन विनियामक न्यूनतम 9% के स्तर के ऊपर आँका गया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹करोड़ में)

साख जोखिम के लिए पूंजी के आवश्यकता		5451.91
मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो		5451.91
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर		0.00
बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता		
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		201.69
- ब्याज दर जोखिम		141.15
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)		2.25
- इक्विटी जोखिम		58.29
परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता		483.58
बेसिक इण्डिकेटर दृष्टिकोण		483.58
	कुल योग	6137.18
सामान्य इक्विटी-1, टियर-I एवं कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात		8.81%, 9.01%, 11.57%
	(₹करोड़ में)	
कुल एवं स्तरीय-I पूंजी पर्याप्तता अनुपात		
पूंजी स्तर	7887.75	
(स्तरीय-I) पूंजी	6147.34	
	कुल पूंजी पर्याप्तता	11.57%
	(स्तरीय-I)	9.01%
	जोखिम आधारित आस्ति	68190.91
	स्तरीय-I पूंजी (डी एफ-2)	6147.34
	कुल पूंजी (डी एफ-2)	7887.75

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group :

---------- **N.A.** ----------

DF-2 : CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

- Bank has a Boad-approved ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) Policy
- Capital requirement for current business levels and estimated future business has been assessed as per ICAAP
- CAR (Capital Adequacy Ratio) has been worked out based on Basel-II and Basel-III guidelines. CAR is estimated to be above the regulatory minimum level of 9%

Quantitative Disclosures:

(Rs. in crores)

Capital requirements for credit risk		5451.91
Portfolios subject to standardized approach		5451.91
Securitisation exposures		0.00
Capital requirements for market risk		
Standardised duration approach:		201.69
- Interest rate risk		141.15
- Foreign exchange risk (including gold)		2.25
- Equity risk		58.29
Capital requirements for operational risk		483.58
Basic indicator approach		483.58
	TOTAL	6137.18
Common Equity Tier-I, Tier-I and Total Capital ratio		8.81%, 9.01%, 11.57%
	(Rs. in Crores)	
Total and Tier-I capital adequacy ratio		
estimated at a capital level of Rs	7887.75	
and Tier-I capital of Rs	6147.34	
as per Table-2 above	Total CAR	11.57%
	CAR (Tier-1)	9.01%
	RWA	68190.91
	T-1 Capital (DF2)	6147.34
	Total Cap (DF2)	7887.75

प्रकटीकरण सारणी-3: साख जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण (ईक्विटी सहित)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(अ) सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण

1. अनर्जक (Impaired) आस्तियों की परिभाषा: बैंक इन श्रेणियों के लिए भारतीय रिर्ज़व बैंक की मौजूदा परिभाषाओं का पालन कर रहा है। (प्रयुक्त परिभाषाएँ परिशिष्ट-I में दी गइ हैं)।

II. साख जोखिम प्रबन्धन:

- जोखिम गवर्नेस ढाँचा मौजूद है (संगठन चार्ट परिशिष्ट-II के अनुसार)
  - साख जोखिम प्रबन्धन समिति एवं बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समितियां हैं जो साख जोखिम प्रबन्धन की समीक्षा करती हैं।
  - साख जोखिम से सम्बन्धित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ निम्नानुसार हैं:
  - साख जोखिम प्रबन्धन, प्रशमन सम्पार्श्विक नीति
  - साख जोखिम दाब परीक्षण नीति
  - साख जोखिम मॉडल सत्यापन नीति
  - जोखिम रेटिंग नीति
  - साख जोखिम आंकड़ा प्रबन्धन नीति
  - आई.आर.बी. परिसम्पति वर्गीकरण नीति
  - देश जोखिम प्रबन्धन नीति
- बैंक की नीतियाँ बेहतर साख जोखिम प्रबन्धन की आवश्यकताओं एवं जोखिम संकेद्रण को दूर करने की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं।
- इन नीतियों की समीक्षा आवधिक अन्तरालों पर की जाती है।
- एकल ऋण, समूह अस्तित्वों, विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों, विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र आदि के लिए ऋण जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई है।
- मूल्यांकन एवं स्वीकृति, प्रलेखन, निरीक्षण एवं अनुश्रवण, नवीनीकरण रख-रखाव, पुनर्वास एवं आस्तियों के प्रबन्धन के विशिष्ट मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों का निर्धारण, साख जोखिम प्रबन्धन एवं ऋण नीति में किया गया है तथा साथ ही साथ उचित प्राधिकारी ढाँचे के अन्तर्गत अनुमत नवोन्मेषण एवं विचलन के लिए पर्याप्त गुंजाइश का प्रावधान किया गया है।
- अग्रिमों का दाब परीक्षण छमाही अंतराल पर सीआरएमसी एवं आरएमसीबी के समक्ष समीक्षा हेतु रखा जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(₹करोड़ में)

	कोष आधारित	गैर-कोष आधारित	कुल योग
कुल सकल साख ऋण जोखिम एक्सपोजर	71152.77	56079.15	127231.92
साख जोखिम ऋण का भौगोलिक वितरण: (कोष/गैर कोष)			
i. समुद्रपारीय	0	0	0
ii. घरेलू	71152.77	56079.15	127231.92
ऋण जोखिमों का उद्योग-वार वितरण (कोष आधारित एवं गैर-कोष आधारित):	कृपया सारणी-'अ' देखें		
आस्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता एवं ब्याज दर संवेदनशीलता का विश्लेषण:	कृपया सारणी-'ब' देखें		

DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES: (INCLUDING EQUITIES):

Qualitative Disclosures:

(a) General Qualitative Disclosures

I. Definitions of "Impaired Assets": Bank is following extant RBI definitions of these categories. (The definitions used are given in Appendix-I).

II. Credit Risk Management:

Risk Governance Structure is in place (organization chart as per Appendix-II).

Credit Risk Management Committe and Risk Management Committee of the Board are the principal committees that review credit risk management

- Following Board-approved policies with regard to credit risk are in place:
- Credit Risk Management, Mitigation and Collateral Management Policy
- Credit Risk Stress Testing Policy
- Credit Risk Model Validation Policy
- Risk Rating Policy
- Credit Risk Data Management Policy
- IRB Asset Categorization Policy
- Country Risk Management Policy

- Bank's policies take into account the need for better credit risk management and avoidance of risk concentration
- Policies are reviewed periodically.
- Exposure limits for Single Borrower, Group Entities, different categories of borrowers, specific industry / sector etc. hace been stipulated.
- Specific norms and guidelines for appraisal and sanction, documentation, inspection and monitoring, renewal, maintenance, rehabilitation and management of assets have been stipulated in the Credit Risk Management and Loan Policy, with provision of adequate leg room for innovation and deviation permissible under a proper authority structure.
- Stress test on advances is carried out at half yearly intervals and placed before the CRMC and RMCB for review.

Quantitiative Disclosures :

(Amount in ₹ Crores)

	Fund Based	Non Fund Based	Total
Total Gross Credit Risk Exposures	71152.77	56079.15	127231.92
Geographic Distribution of Exposures: FB / NFB			
i- Overseas	0	0	0
ii- Domestic	71152.77	56079.15	127231.92
Industry Type Distribution of Exposures as per DSB returns (Fund based / Non Fund Based separately)	Please refer to Table 'A'		
Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets as used in ALM returns	Please refer to Table 'B'		

	सकल गैर-निष्पादित आस्तियों की राशि (i. से v का योग)	2945.14
	i. अवमानक ii. संदिग्ध-1 iii. संदिग्ध-2 iv. संदिग्ध-3 v. हानि	1118.65 878.03 732.73 127.40 88.33
	निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ	1769.17
	सकल अग्रिमों के प्रति सकल गैर-निष्पादित आस्तिय (%)	4.14%
	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (%)	2.54%
	सकल गैर-निष्पादित आस्तियों में उतार-चढ़ावः	2732.78
	गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात	
	i. प्रारम्भिक शेष (01.04.2014 को)	1687.45
	ii. परिवर्द्धन	1475.09
	iii कमी	2945.14
	iv. अन्तिम शेष (31.03.2015 को)	
	गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ावः	961.92
	i. प्रारम्भिक शेष (01.04.2014 को)	577.17
	ii. अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	363.12
	iii. अपलेखन	0.00
	iv. अधिक्य प्रावधानों का पुनरांकन	1175.97
	v. अन्तिम शेष (31.03.2015 को)	0
	बैंकिंग बही में गैर-निष्पादित निवेशों (सकल) की राशि	0
	गैर-निष्पादित निवेशों (बैंकिंग बही) के लिए किये गये प्रावधान की राशि	0
	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	
	i. प्रारंभिक शेष एन.पी.आई.प्रावधान (01.04.2014) ii. स्थित मूल्यहास प्रावधान/अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रावधान अपलेखन iii. आधिक्य प्रावधानों का पुनरांकन iv. अंतिम शेष (31.03.2015) को	16.38 0 11.54 4.84
	सकल अग्रिम	71152.77
	निवल अग्रिम	69548.42

	Amount of NPAs (Gross) i.e. SUM of (i to v)	2945.14
	i. Substandard	1118.65
	ii. Doubtful 1	878.03
	iii. Doubtful 2	732.73
	iv. Doubtful 3	127.4
	v. Loss	88.33
	Net NPAs	1769.17
	NPA Ratios	
	i) Gross NPAs to gross advances (%)	4.14%
	ii) Net NPAs to net advances (%)	2.54%
	Movement of NPAs (Gross)	
	i) Opening balance	2732.78
	ii) Additions	1687.45
	iii) Reductions	1475.09
	iv) Closing balance	2945.14
	Movement of Provisions for NPAs	
	i) Opening balance (01.04.2014)	961.92
	ii) Provisions made during the period	577.17
	iii) Write-off	363.t12
	iv) Write-back of excess provisions	0
	v) Closing balance (31.03.2015)	1175.97
	Amount of Non-Performing Investments	0
	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	0
	Movement of Provisions for Depreciation on Investments	
	Opening balance (01.04.2014)	16.38
	Provisions made during the period	0
	Write-off	0
	Write-back of excess provisions	11.54
	Closing balance (31.03.2015)	4.84
	GROSS ADVANCES	71152.77
	NET ADVANCES	69548.42

सारणी-अ

ऋण जोखिमों का उद्योगवार वितरण-कोष एवं गैर कोष आधारित (दिनांक 31.03.2015 को)

(₹करोड़ में)

क्रूट	उद्योग	कोष आधारित बकाया			गैर कोष आधारित बकाया	कुल बकाया
		मानक आस्तिया	गैर-निष्पादित आस्तियाँ	योग		
1	कोयला	262.65	0.28	262.93	102.52	365.45
2	खान	1305.20	35.95	1341.15	80.58	1421.73
3	लौह एवं इस्पात	5122.50	37.77	5160.27	1360.22	6520.49
4	धातु उत्पाद	836.40	2.06	838.46	215.37	1053.83
5	समस्त अभियात्रिकी	2125.01	197.92	2322.93	1885.52	4208.45
5.1	जिसमें (5) से इलेक्ट्रॉनिक्स	1029.84	154.96	1184.80	528.66	1713.46
6	विद्युत	3808.89	0.01	3808.90	632.62	4441.52
7	कॉटन टैक्सटाइल्स	1940.05	25.37	1965.42	218.30	2183.72
8	जूट टैक्सटाइल्स	10.49	1.15	11.64	11.91	23.55
9	अन्य टैक्सटाइल्स	1888.99	67.86	1956.85	121.13	2077.98
10	चीनी	49.75	8.03	57.78	0.01	57.79
11	चाय	10.22	0.30	10.52	0.30	10.82
12	खाद्य प्रसंस्करण	1227.83	192.35	1420.18	90.57	1510.75
13	वैजीटेबिल तेल एवं वनस्पति	446.98	14.66	461.64	386.06	847.70
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	7.11	8.67	15.78	6.36	22.14
15	कागज/कागज उत्पाद	237.50	279.82	517.32	154.23	671.55
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	833.95	51.63	885.58	316.37	1201.95
17	कैमिकल्स/डाइज/पेण्ट्स आदि	1032.47	99.41	1131.88	269.78	1401.66
17.1	जिसमें से खाद	71.79	0.08	71.87	7.01	78.88
17.2	जिसमें से पेट्रोकैमिकल्स	230.58	0.00	230.58	0.54	231.12
17.3	जिसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स	218.73	62.68	281.41	55.25	336.66
18	सीमेण्ट	681.93	4.78	686.71	243.75	930.46
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	97.38	4.49	101.87	43.16	145.03
20	रत्न एवं जवाहरात	846.69	152.78	999.47	290.69	1290.16
21	निर्माण	41.25	0.55	41.80	19.66	61.46
22	पेट्रोलियम	31.01	0.02	31.03	630.69	661.72
23	ऑटोमोबाइल्स एवं ट्रक	560.20	2.05	562.25	65.33	627.58
24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	बुनियादी ढाँचा	5984.00	250.55	6234.55	856.34	7090.89
25.1	जिसमें से ऊर्जा	2096.57	224.72	2321.29	215.52	2536.81
25.2	जिसमें से दूरसंचार	427.28	14.23	441.51	87.08	528.59
25.3	जिसमें से सड़क एवं बन्दरगाह	3020.47	10.66	3031.13	189.25	3220.38
26	अन्य उद्योग	803.57	29.73	833.30	109.06	942.36
27	एन.बी.एफ.सी. एवं व्यापार	5047.40	0.00	5047.40	80.59	5127.99
28	सकल अग्रिम के तुलन हेतु बचे हुए अग्रिम	32968.21	1476.95	34445.16	47888.04	82333.20
	कुल योग	**68207.63**	**2945.14**	**71152.77**	**56079.15**	**127231.92**

TABLE A
INDUSTRY-TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURE

(₹करोड़ में)

Code	INDUSTRY	Fund based Outstanding			NF O/S	Total Exposure
		Standard	NPA	Total		
1	Coal	262.65	0.28	262.93	102.52	365.45
2	Mining	1305.20	35.95	1341.15	80.58	1421.73
3	Iron & Steel	5122.50	37.77	5160.27	1360.22	6520.49
4	Metal Products	836.40	2.06	838.46	215.37	1053.83
5	All Engineering	2125.01	197.92	2322.93	1885.52	4208.45
5.1	Of which (005) Electronics	1029.84	154.96	1184.80	528.66	1713.46
6	Electricity	3808.89	0.01	3808.90	632.62	4441.52
7	Cotton Textiles	1940.05	25.37	1965.42	218.30	2183.72
8	Jute Textiles	10.49	1.15	11.64	11.91	23.55
9	Other Textiles	1888.99	67.86	1956.85	121.13	2077.98
10	Sugar	49.75	8.03	57.78	0.01	57.79
11	Tea	10.22	0.30	10.52	0.30	10.82
12	Food Processing	1227.83	192.35	1420.18	90.57	1510.75
13	Vegetable Oils & Vanaspathi	446.98	14.66	461.64	386.06	847.70
14	Tobacco/Tobacco Products	7.11	8.67	15.78	6.36	22.14
15	Paper / Paper Products	237.50	279.82	517.32	154.23	671.55
16	Rubber / Paper Products	833.95	51.63	885.58	316.37	1201.95
17	Chemicals/Dyes/Paints Etc	1032.47	99.41	1131.88	269.78	1401.66
17.1	of which fertilisers	71.79	0.08	71.87	7.01	78.88
17.2	of which Petrochemicals	230.58	0.00	230.58	0.54	231.12
17.3	of which Durgs & Pharmaceuticals	218.73	62.68	281.41	55.25	336.66
18	Cement	681.93	4.78	686.71	243.75	930.46
19	Leather & Leather Products	97.38	4.49	101.87	43.16	145.03
20	Gems & Jewellery	846.69	152.78	999.47	290.69	1290.16
21	Construction	41.25	0.55	41.80	19.66	61.46
22	Petroleum	31.01	0.02	31.03	630.69	661.72
23	Automobiles & Trucks	560.20	2.05	562.25	65.33	627.58
24	Computer Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Infrastructure	5984.00	250.55	6234.55	856.34	7090.89
25.1	of which Power	2096.57	224.72	2321.29	215.52	2536.81
25.2	of which Telecommunications	427.28	14.23	441.51	87.08	528.59
25.3	of which Roads & Ports	3020.47	10.66	3031.13	189.25	3220.38
26	Other Industuries	803.57	29.73	833.30	109.06	942.36
27	NBFCs & Trading	5047.40	0.00	5047.40	80.59	5127.99
28	Res. Adv to Bal. Gross Advances	32968.21	1476.95	34445.16	47888.04	82333.20
	Total	**68207.63**	**2945.14**	**71152.77**	**56079.15**	**127231.92**

सारणी-ब

31.03.2015 को आस्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अन्तर्प्रवाह	1-14 दिन	15 दिन-28 दिन	29 दिन - 3 माह	>3-6 माह	>6-1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल योग
1	नकद	558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.05
2	भारतीय रिर्ज़व बैंक के पास शेष	3907.88	22.27	198.61	133.63	276.45	1128.63	602.79	958.89	7229.15
3	अन्य बैंकों के पास शेष	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.66
4	निवेश	135.90	393.12	1469.33	588.58	704.47	5547.48	3270.68	10355.86	22465.42
5	अग्रिम	4041.38	491.70	2058.76	3339.36	4118.05	40725.40	4081.66	10692.11	69548.42
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.71	392.71
7	अन्य आस्तियां	765.78	1.55	508.82	515.12	106.09	27.80	5.76	27.21	1958.13
	योग	9558.65	908.64	4235.52	4576.69	5205.06	47429.31	7960.89	22426.78	102301.54

प्रकटीकरण सारणी-4:

साख जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर पोर्टफोलियों प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

	गुणात्मक प्रकटीकरण	टिप्पणी
I	उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों के नाम	घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियाँ- क्रिसिल, इकरा, केअर इण्डिया रेटिंगस एवं रिसर्च प्रा. लि., ब्रिकवर्क रेटिंग एवं एसएमई रेटिंग एजेंसी (SMERA) अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियाँ (IRA)- फिच रेटिंग (FITCH), मूडीज एवं एस एण्ड पी
II	अभिज्ञानित रेटिंग एजेन्सियों में पूर्व अवधि प्रकटीकरण से परिवर्तन, यदि कोई हो, एवं उनके कारण	कोई परिवर्तन नहीं
III	ऋण जोखिमों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है/ प्रयोग किया जाना है।	विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए, अभिज्ञानित रेटिंग एजेन्सी की रेटिंग का प्रयोग निम्नानुसार किया जाता है:
		(i) एक वर्ष से कम या इसके समान अवधि की संविदात्मक परिपक्वता सहित ऋण जोखिमों (नकद साख, अधिविकर्ष एवं अन्य परिक्रामी साखों को छोड़कर) के लिये अल्पावधि रेटिंग लागू होगी।
		(ii) घरेलू नकद साख, अधिविकर्ष एवं अन्य परिक्रामी साखों (अवधि पर विचार किये बिना) एव एक साल की अवधि के ऊपर दीर्घावधि ऋणों के लिए दीर्घावधि रेटिंग लागू होगी
		(iii) समुद्रपारीय ऋण जोखिमों के लिए, संविदात्मक परिपक्वता पर विचार किये बिना, आईआरए द्वारा दी गई दीर्घावधि रेटिंग लागू होगी।

TABLE-B

Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2015

(₹ in crs.)

Sl. No.	INFLOWS	1-14 DAYS	15-28 Days	29 Days and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upt 5 years	Over 5 years	TOTAL
1	Cash	558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.05
2	Balances with RBI	3907.88	22.27	198.61	133.63	276.45	1128.63	602.79	958.89	7229.15
3	Balances with other Banks	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.66
4	Investments	135.90	393.12	1469.33	588.58	704.47	5547.48	3270.68	10355.86	22465.42
5	Advances	4041.38	491.70	2058.76	3339.36	4118.05	40725.40	4081.66	10692.11	69548.42
6	Fixes Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.71	392.71
7	Other Assets	765.78	1.55	508.82	515.12	106.09	27.80	5.76	27.21	1958.13
	TOTAL	**9558.65**	**908.64**	**4235.52**	**4576.69**	**5205.06**	**47429.31**	**7960.89**	**22426.78**	**102301.54**

DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

5(a)	Qualitative Disclosures	Remarks
I	Name of credit rating agencies used	Domestic Credit Rating Agencies: CRISIL, ICRA, CARE, India Ratings & Research Pvt. Ltd., Brickworks Ratings and SME Ratings Agency of India limited (SMERA)
		International Rating Agencies (IRA): FITCH, Moody's and S&P
II.	Changes, if any, since prior period disclosures in the identified rating agencies and reasons for the same	No change
III.	Types of exposures for which each agency used/ to be used	Ratings done by the identified rating agency are to be used for various types of exposures as follows:
		(i) For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short term Ratings will be applicable.
		(ii) For domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Long Term exposures of over 1 year, Long Term Ratings will be applicable.
		(iii) For overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Ratings given by IRAs will be applicable.

IV	बैंकिंग बही में सार्वजनिक निर्गमित रेटिंग का तुलनात्मक आस्तियों में अन्तरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं का वर्णन	दीर्घावधि निर्गम विशिष्ट रेटिंग (हमारे निजी ऋण जोखिम अथवा उसी ऋण-ग्राहक/काउण्टर पार्टी द्वारा अन्य जारी ऋण) अथवा निर्गमकर्ता (ऋण-ग्राहक/काउण्टर पार्टी), रेटिंग निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/काउण्टर पार्टी को अन्य बिना रेटिंग किये गये ऋण जोखिमों में लागू किया जा सकता है।
		(i) अगर निर्गम विशिष्ट रेटिंग अथवा निर्गमकर्ता रेटिंग उसी काउण्टर पार्टी पर,बिना रेटिंग ऋण जोखिम पर समान जोखिम भार अथवा उससे अधिक जोखिम भार को प्रतिचित्रित करता है, तो उस पर वही जोखिम भार समनुदेशित किया जायेगा, अगर ऋण जोखिम सब तरह से रेटिंग किये गये ऋण जोखिम के बराबर अथवा कम है।
		(ii) उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/काउण्टर पार्टी ने कोई ऋण जारी किया है (जो कि हमारे बैंक से उधारी नहीं है), उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के बिना रेटिंग किये गये ऋण जोखिम पर लागू की जा सकती है अगर बैंक का ऋण जोखिम विशिष्ट रेटिंग किये गये ऋण जोखिम के बराबर अथवा वरिष्ठ है और बैंक का बिना रेटिंग किया गया ऋण जोखिम, रेटिंग किये गये ऋण की परिपक्वता के बाद वाला नहीं है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, जोखिम प्रशमन के बाद अर्थात् बकाया राशि (रेटिंग एवं बिना रेटिंग को एक साथ लेकर), का विभिन्न जोखिम श्रेणियों के अंतर्गत विवरण एवं उनमें से घटायी गयी राशि निम्नानुसार है :-

	(₹करोड़ मे)
• 100% जोखिम भार से कम	77655.76
• 100% जोखिम भार की दर से	30853.74
• 100% जोखिम भार से अधिक	15479.75
• कटौती की गई राशि, यदि कोई हो (साख जोखिम प्रशमन)	3242.68
योग	**127231.92**

प्रकटीकरण सारणी-5:

साख जोखिम प्रशमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

I सम्पार्श्वित मूल्यांकन एवं प्रबन्धन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम कम करने की एवं सम्पार्श्व प्रबन्धन की नीति स्थित है जो बैंक के पूंजी गणना के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस नीति का यह उद्देश्य ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन इस तरह करने का है जिससे विनियामक पूंजी समन्वय उनको प्रतिबिम्बित कर सकें।

नीति में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जो ऋण जोखिम के सम्पार्श्व (उचित हेयरकट के बाद) को पूर्णत: घटाते हुए संपार्श्व के मूल्य तक ऋण-जोखिम राशि में प्रभावी कमी लाता है। नीति में निम्नलिखित विषयों को संबोधित किया गया है:

(i) ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों का वर्गीकरण
(ii) ग्रहणीय ऋण जोखिम कम करने वाले तत्व
(iii) ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों का आवश्यक प्रलेखीकरण एवं कानूनी प्रक्रिया
(iv) सम्पार्श्व का मूल्यांकन
(v) सम्पार्श्व की अभिरक्षा
(vi) बीमा
(vii) ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों की निगरानी

IV	Description of the process used to transfer public issue rating onto comparable assets in the banking book	Long-term issue-specific ratings (our own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituents/counter-party) or issuer (borrower-constituents/counter-party) ratings can be applied to other unrated exposures of the same borrower-constituents/counter-party in the following cases:
		(i) If the issue-specific rating or issuer rating maps to a risk weight equal to or higher than the unrated exposures any other un-rated exposure on the same counter-party will be assigned the same risk weight, if the exposure rank pari-passu or junior to the rated exposure in all respects.
		(ii) in cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from our Bank), the rating given to that debt may be applied to Bank's unrated exposures if the Bank's exposure ranks pari-passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of Bank's unrated exposures are not later than maturity of rated debt.

Quantitative Disclosures:

The exposure amount after Risk Mitigation subject to Standardised Approach i.e. amount of outstanding (rated and unrated taken together) in different risk-buckets as well as the amount that are deducted, if any:

• Below 100% Risk Weight	:	(₹ in Crores)
• @ 100% Risk Weight	:	77655.76
• More than 100% Risk weight	:	30853.74
• Amount Deducted, if any	:	15479.75
(Credit Risk mitigation)	:	3242.68
TOTAL		**127231.92**

DF-5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

I Policies and Processes for Collateral Valuation and Management

A Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the Bank's approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation is in place. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.

The Policy adopts the Comprehensive Approach, with allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy:

(i) Classification of credit risk mitigants
(ii) Acceptable credit risk mitigants
(iii) Documentation and legal process requirements for credit risk mitigants
(iv) Valuation of collateral
(v) Custody of collateral
(vi) Insurance
(vii) Monitoring of credit risk mitigants

II साख जोखिम प्रबन्धन तकनीक के मुख्य प्रकार

क्र. सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण	टिप्पणी
i)	पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक	(i) बैंक में जमा रोकड़ (ऋणदाता बैंक द्वारा जारी जमा प्रमाण-पत्र अथवा तुलनात्मक विलेख, स्थिर जमा रसीदों सहित)
		(ii) सोना (बुलियन एवं ज्वैलरी दोनों सहित)। तथपि, सम्पार्श्विक ज्वैलरी का मूल्य 99.99% की शुद्धता पर आनुमानिक परिवर्तन (Notionally Convert) करने पर
		(iii) केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वार जारी की गई प्रतिभूतियाँ
		(iv) किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र, जिनके लिए कोई लॉक-इन-पीरियड परिचालन में नहीं है तथा जहां उन्हें धारित अवधि के अन्तर्गत भुनाया जा सकता है।
		(v) बीमा कम्पनी के घोषित समर्पण मूल्य सहित जीवन बीमा पॉलिसियाँ, जिन्हें बीमा क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किया जाता है।
		(vi) मान्यता प्राप्त साख रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग की गई ऋण प्रतिभूतियाँ, जिनके बारे में बैंक को उनकी मार्केट तरलता के बारे में पूर्ण विश्वास है, जो कि रेटिंगकृत है- (अ) कम से कम बीबीबी (-) जब इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी/संस्था और अन्य कम्पनी/संस्था द्वारा जारी किया जाता है (बैंकों एवं प्राइमरी डीलरों सहित) अथवा (ब) अल्पावधि ऋण विलेखों के लिए कम से कम पीआर3/पी3/एफ3/ए3
		(vii) ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ, जिनकी रेटिंग मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा नहीं की गई है, ये प्रतिभूतियाँ हैं: (अ) किसी बैंक द्वारी जारी; एवम (ब) किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध; एवं (स) वरिष्ठ ऋण के रूप में वर्गीकृत; एवं (द) जारीकर्ता बैंक के समान वरिष्ठता वाले समस्त रेटिंग किये गये निर्गमों की रेटिंग कम से कम बीबीबी (-) अथवा पीआर3/पी3/एफ3/ए3 किसी चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा; एवं (य) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके द्वारा इंगित होता हो कि निर्गम बीबीबी (-) अथवा पीआर3/पी3/एफ3/ए3 से नीचे रेटिंग किया गया है (जैसा कि लागू हो); एवं (र) प्रतिभूति की विपणन तरलता के बारे में बैंक को पूर्ण विश्वास है।
		(viii) बैंक के परिचालन क्षेत्र में प्रतिभूति विनियामक द्वारा विनियमित म्यूचुअल फण्ड्स की यूनिट, जहाँ: • यूनिट का मूल्य प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से उद्धत किया जाता है अर्थात् जहाँ पब्लिक क्षेत्र में एन ए वी (NAV) प्रतिदिन उपलब्ध है। • विलेखों में निवेश हेतु म्यूचुअल फण्ड सीमित है।
ii)	ऑन-बैलेंस शीट नैटिंग	जहाँ बैंक - (अ) के पास इस निष्कर्ष के लिए सुस्थापित विधिक आधार है कि नैटिंग अथवा ऑफसैंटिंग अनुबन्ध प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में प्रवर्तनीय है भले ही काउण्टर पार्टी की काई हैसियत नहीं हो या व पार्टी दिवालिया हो; (ब) उसी पार्टी के साथ ऋणों/अग्रिमों एवं जमाओं को, किसी भी समय निश्चित करने के लिए समर्थ है, जो नैटिंग अनुबन्ध की शर्ते पर हो; और (स) नैट आधार पर उचित ऋण जोखिमों का निगरानी एवं नियंत्रण करता है।
iii)	गारण्टी	जहाँ प्रत्याभूतियाँ प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अखण्डनीय एव बिना शर्त की हों तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में वर्णित परिचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों।

II Main types of credit risk management techniques:

S.No.	Qualitative Disclosures	Remarks
i)	Eligible financial collaterals	(i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the Bank
		(ii) Gold including both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery is arrived at after notionally converting these to 99.99% purity.
		(iii) Securities issued by Central and State Governments
		(iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates for which no lock-in period is operational and where they can be encashed within the holding period.
		(v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator.
		(vi) Debt securities rated by a recognized Credit Rating Agency in respect of which the Bank is sufficiently confident about the market liquidity, where these are rated a) at least BBB (-) when issued by public sector entities and by other entities (including banks and Primary Dealers): or b) at least PR3/P3/F3/A3 for short-term debt instruments.
		(vii) Debt securities not rated by a recognized Credit Rating Agency where these are: a) issued by a bank; and b) listed on a recognized exchange and c) classified as senior debt and d) all rated issues of the issuing bank of the same seniority are rated at least BBB(-) or PR3/P3/F3/A3 by a chosen Credit Rating Agency: and e) there is no information available that suggests that the issue justifies a rating below BBB(-) or PR3/P3/F3/A3 (as applicable) and f) Bank is sufficiently confident about the market liquidity of the security.
		(viii) Units of Mutual Funds regulated by the securities regulator in the jurisdiction of the Bank's operation, where: • a price for the units is publicly quoted daily i.e., where the daily NAV is available in public domain and • the mutual fund is limited to investing in the instruments.
ii)	On-balance sheet netting	Where the Bank:- a) has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counter-party is insolvent or bankrupt: b) is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counter-party that are subject to the netting agreement and c) monitors and controls the relevant exposures on a net basis,
iii)	Guarantees	Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional and satisfy the operational requirements detailed in the RBI guidelines

III जमानती काउण्टर पार्टी के मुख्य प्रकार एवं उनकी ऋण पात्रता:

पात्र जमानतियों की श्रृंखला (प्रति-जमानती)

(i) सप्रभु, सप्रभु कम्पनियाँ/संस्थाएँ (बीआईएस, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन केंद्रीय बैंक एवं यूरोपियन कम्यूनिटी के साथ-साथ भारतीय रिर्ज़व बैंक के दिशा-निर्देशों में सन्दर्भित एमडीबी, ईसीजीसी एवं सीजीटीएसआई), बैंक एवं काउण्टर पार्टी के कम जोखिम भार सहित प्राइमरी डीलर्स:

(ii) अन्य कम्पनियाँ/संस्थाएँ जिनकी रेटिंग एए (-) अथवा इससे बेहतर हो। इनमें मुख्य, अनुषंगी एवं सम्बंधित कम्पनियों, जिनका कि देनदार की अपेक्षा कम जाखिम भार है, के द्वारा उपलब्ध कराया गया गारण्टी कवर, प्रतिभूति की रेटिंग किसी कम्पनी/संस्था की रेटिंग की तरह होनी चाहिए, जो कम्पनी/संस्था (प्रत्याभूति सहित) समस्त देयताओं एवं वचनबद्धताओं को पूरा करती हों।

(IV) लिए गये प्रशमन के अन्तर्गत जोखिम संकेद्रण (साख अथवा विपणन) के बारे में सूचना:

कुल जोखिम प्रशामकों (Mitigants) के अंतर्गत जोखिम सघनीकरण

वित्तीय जोखिम प्रशामक	जोखिम प्रशामकों की बकाया राशि (कोष एवम् गैर कोष आधारित एक्सपोजर के लिये) (रू करोड में)	जोखिम सघनीकरण (प्रतिशत में)
नकद एवम् बैंक जमा	541.04	16.69
सोना	7.08	0.22
एल.आई.सी	0.00	0.00
एन.एस.सी/के.वी.पी/आई.वी.पी.	33.96	1.05
शेयर एवम् प्रतिभूतियां	51.27	1.58
साख पत्र/बैंक गारंटी पर मार्जिन	1003.81	30.97
प्रत्याभूतिदाता एवम् प्रतिप्रत्याभूति	0.00	0.00
सरकारी प्रतिप्रत्याभूति (राष्ट्रीय बचत-पत्रों के अलावा)	0.00	0.00
पारस्परिक निधि	0.00	0.00
अन्य	1604.35	49.49
कुल योग	**3241.51**	**100.00**

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रकटीकृत साख जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, कुल ऋण जोखिम जो कि आच्छादित किया गया है:

	(₹ करोड़ में)
हेयरकट्स के पश्चात पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक (स्टॉफ ऋणों को छोड़कर):	3241.51
प्रत्येक पृथक दर्शाये पोर्टफोलिओं में, गारंटी/साख डेरिवेटिव से पूरित एक्सपोजर (जब भी भारतीय रिजर्व बैंक से विशेषत: अनुमति प्राप्त हो):	शून्य

III Main types of guarator counter-party and their creditworthiness:

Range of eligible guarantors (counter-guarantors):

i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as MDBs referred to in RBI guidelines, ECGC and CGTMSE), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counter- party:

(II) Other entities rated AA(-) or better. These include guarantee cover provided by parent, subsidiary and affiliate companies that have a lower risk weight than the obligor. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entities.

IV Information about (credit or market) risk concentration within the mitigation taken:

Risk concentration under total Risk Mitigants

Financial Risk Mitigants	Outstanding amount of Risk Mitigants (after haircut) (For Fund Based & Non Fund Based Exposures) Rs. cr	Risk Concentration %
Cash & Bank Deposit	541.04	16.69
Gold	7.08	0.22
LIC	0.00	0.00
NSCs, KVP, IVP	33.96	1.05
Shares and Debentures	51.27	1.58
Margin Money from LC / BG	1003.81	30.97
Guarrantors & Counter Parties	0.00	0.00
Government Securities Excluding NSC	0.00	0.00
Mutual Funds	0.00	0.00
Others	1604.35	49.49
TOTAL	**3241.51**	**100.00**

Quantitative Disclosures:

For the disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:

(₹ in crores)

Eligible Financial Collateral (excl. staff loans) : 3241.51
(Tallies with the total given in the preceding table)

Other eligible Collateral (after Haircuts @) : 0.00
@ If haircuts are not applicable, this need not be netted off

प्रकटीकरण सारणी - 6: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क)	प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें निम्नलिखित की चर्चा हो :	बैंक के पास प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।
	• प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक का उद्देश्य, किस हद तक ये गतिविधियों अधारभूत प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के ऋण जोखिम को बैंक से दूसरी संस्थाओं को अंतरित करती है।	1. प्रतिभूतिकरण के गतिविधि के सम्बन्ध में उत्तोलन (लिवरेज) अनुपातों, आस्ति निष्पादन एवं गुणवत्ता, वांछनीय निवेश एवं परिपक्वता विषेशताओं को प्राप्त करना बैंक का उद्देश्य है। 2. विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) में आस्तिओं से ट्रांसफर पर बिक्री से होने वाली राशि का बैंक द्वारा अपफ्रंट के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी। 3. विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) द्वारा जारी अथवा जारी की जाने वाली प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को, बैंक द्वारा, उन प्रमाणपत्र के द्वारा जारी आस्तियों के बाकी जीवन के ऊपर परिशोधित किया जायेगा
	• प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिम (उदाहरण के लिए चलनिधि जोखिम प्रकृति)	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न (उदाहरण के लिये प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण सम्वर्धन प्रदाता, चल निधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता, सुरक्षा प्रदाता #) तथा प्रत्येक भूमिका में बैंक किस हद तक शामिल है।	लागू नहीं
	• @ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन की निगरानी करने के लिये स्थापित प्रणाली का वर्णन (उदाहरण के लिये, आधारभूत आस्तियों का उतार चढाव किस प्रकार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को प्रभावित करता है, जैसा कि बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है)	
	• #प्रतिभूतिकरण एक्स्पोजर के माध्यम से धारित जोखिम को कम करने के लिए ऋण कम करने वाले तत्वों के प्रयोग से सम्बन्धित बैंक की नीति का वर्णन	
	• यदि विनियामक नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो तो कोई बैंक ब्याज दर/ मुद्रा जोखिम को कम करने के लिये ब्याज दर स्वैप या मुद्रा स्वैप के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना को समर्थन दे सकता है।	लागू नहीं
	• यदि विनियामक नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो तो कोई बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव या अन्य समान उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन को ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखांकन नीतियां का संक्षेप, जिनमें निम्नलिखित सूचना भी हो:	
	क्या लेनदेन बिक्री है या वित्तपोषण	लागू नहीं
	धारित या खरीदी गयी स्थितियों के मुल्यांकन में प्रयुक्त विधि और मुख्य अवधारणाएं (इनपुट सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि की तुलना में विधियों और मुख्य अवधारणाओं में परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	यदि किसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों को वित्तीय समर्थन देने की बैंक से अपेक्षा की जाती है तो तुलन पत्र में देयता में उसे दर्शाने सम्बन्धी नीति	लागू नहीं

DF-6
SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH
QUALITATIVE DISCLOSURES

(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:	The Bank does not have securitisation exposure
	• the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the undrlying securitised exposures away from the bank to other entities.	1. Bank's objective in relation to Securitisatio activity is to achieve improvements on leverage ratios, asset performance & quality and to achieve desirable investment & maturity characteristics. 2. Loss on sale of transfer of assets to Special Purpose Vehicle (SPV) shall be recognised upfront by the Bank. 3. Bank shall amortize the profit on sale of the securitised assets over the life of the Pass Through Certificates (PTC) assets issued or to be issued by SPV.
	• the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets	NA
	• the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider@, protection provider#) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;	NA
	@ A bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/ currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.	
	# A bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.	
	• a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of Basel III Capital Regulation).	
	• a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;	NA
(b)	Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:	
	• whether the transactions are treated as sales or financings;	NA
	• methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	NA
	• changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	NA
	• policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.	NA

(ग)	बैंकिग बही में प्रतिभूतिकरण के लिये प्रयुक्त ईसीएआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिये प्रत्येक एजेंसी की सहायता ली गई है।	शून्य
परिमाणात्मक प्रकटीकरण : बैंकिग बही		
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपाजर की कुल राशि	शून्य
(ड.)	एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार (उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि आधारभूत प्रतिभूति के ब्यौरे सहित) वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा मान्य प्रतिभूतिकृत हानि एक्सपोजर के लिये	शून्य
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	शून्य
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पहले एक वर्ष के भीतर ओरिजिनेट होने वाली अस्तियों की राशि	शून्य
(झ)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) की कुल राशि तथा एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार लाभ हानि जिसे नहीं दर्शाया गया है।	शून्य
	निम्नलिखित की कुल राशि:	शून्य
	• धारित या खरीदा गया तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, जो एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत तुलनपत्रेत्तर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ञ)	i. धारित अथवा खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि तथा उससे जुड़ी पूंजी प्रभार, जिसका एक्सपोजर के अनुसार वर्गीकरण किया गया हो और प्रत्येक विनियामक पूंजी विधि के लिये विभिन्न जोखिम भार बांडों में भी वर्गीकरण किया गया हो। ii. टीयर 1 पूंजी से एक्सपोजर, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण सम्वर्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाये गये अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार)	शून्य
मात्रात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही		
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि जिसके लिये बैंक ने कुछ एक्सपोजर धारित किया है और जो बाजार जोखिम विधि के अधीन है–एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार विवरण	शून्य
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि: • धारित या खरीदा गया तुलनपत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, जो एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत हो, तथा	शून्य
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत तुलनपत्रेतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ड)	निम्नलिखित के लिये अलग-अलग धारित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि: • धारित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए समग्र जोखिम माप के अधीन है, और • प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विनिर्दिष्ट जोखिम के लिये प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन है और जिन्हे विभिन्न जोखिम भार बांडों में वर्गीकृत किया गया है।	शून्य
(ढ.)	निम्नलिखित की कुल राशि: • उन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षा, जो प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन है और जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बांडो में वर्गीकृत् किया गया है। • प्रतिभूतिकरण एक्स्पोजर जिन्हें पूरी तरह टीयर 1 पूंजी से घटाया गया है, कुल पूंजी से घतये गये ऋण सम्वर्धक आई / ओ तथा कुल पूंजी से घटाये गये अन्य एक्स्पोजर (एक्स्पोजर के प्रकार के अनुसार)	शून्य

(c)	In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	NA
Quantitative Disclosures: Banking Book		
(d)	The total amount of exposures securitised by the bank.	NIL
(e)	For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitised within a year	NIL
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.	NIL
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	NIL
(i)	Aggregate amount of:	NIL
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and	NIL
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type	NIL
(j)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	NIL
	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	NIL
Quantitative Disclosures: Trading Book		
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	NIL
(l)	Aggregate amount of:	NIL
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	NIL
	• off- balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	NIL
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	NIL
	• securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	NIL
	• securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	NIL
(n)	Aggregate amount of:	NIL
	• the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.	NIL
	• securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital(by exposure type).	NIL

प्रकटीकरण सारणी - 7:

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण द्वारा आधारित बाजार जोखिम गणना हेतु निम्न पोर्टफोलियों लिए गए है
  - (i) क्रय-विक्रय के लिए धारित एवं विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणियों की प्रतिभूतियाँ
  - (ii) क्रय-विक्रय धारित एवं विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणियों की प्रतिभूतियाँ की हेजिंग हेतु किए गए डेरिवेटिव व ट्रेडिंग हेतु किए गए डेरिवेटिव
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रय-विक्रय नितियाँ, निवेश नीति, विभिन्न आस्ति वर्गो के लिए परिभाषित बाजार जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों सहित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुयी है।
- कोष परिचालन में जोखिम की पहचान, निर्धारण, निगरानी एवं प्रतिवेदन की जिम्मेदारी बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग व मिड-ऑफिस की है।
- जोखिम प्रबंधन, निर्दिष्ट अंतरालों पर उच्च प्रबंधन वर्ग, बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति को वस्तु-स्थिति से अवगत कराते हुए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- एएफएस प्रतिभूतियों अथवा ट्रेडिंगं के लिए कोई भी डेरिवेटिव नहीं किये गये हैं।
- जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग निम्न पैमानों यथा-संशोधित अवधि, पीवी 01, ऋण जोखिम एवं अन्तर सीमाओं, वीएआर (VaR) आदि पर आधारित हैं।
- क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग के सम्बन्धा में विदेशी विनिमय की खुली पोजीशन सीमाएँ (डेलाइट/ओवरनाइट), व्यवहार-वार, कट-लॉस सीमाएँ, स्टॉप लॉस सीमाएँ, लाभ/हानि की समुचित रूप से निगरानी की जाती है तथा अपवाद सूचनाएँ (Exception Reports) नियमित आधार पर देखी जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अन्तर्गत विपणन जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता (9% की दर से):

(₹करोड़ में)

ब्याज दर जोखिम	141.15
ईक्विटी पोजीशन जोखिम	58.29
विदेशी विनिमय जोखिम	2.25
योग (बाजार जोखिम)	**201.69**

प्रकटीकरण सारणी - 8:

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :-

अ. बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन मुख्य जोखिम अधिकारी के अधीन, जो कि एकीकृत जोखिम गव्अर्नेस के भाग (अंग) के रूप में कार्यरत है।

ब. परिचालन जोखिम को नियंत्रित एवं कम करने हेतु नीति:

नीतियां, मैनुअल एवं संरचना निम्नानुसार है:-

DF-7

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

- The following portfolios are covered by the Standardised Duration approach for calculation of Market Risk:

  (i) Securities held under the Held for Trading (HFT) and available for Sale (AFS) categories.

  (ii) Derivatives entered into for hedging HFT & AFS securities and Derivatives entered into for Trading.

- Board approved Trading Policies, Investment Policy,Market Risk Management Policy with defined market risk management parameters for various asset classes are in place.
- Market Risk Management Department and Mid-Office are responsible for identification, assessment monitoring and reporting of market risk in treasury operations.
- Risk monitoring is an on-going process with the position reported to the top management, Market Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board at stipulated intervals.
- No Derivatives have been entered into for AFS securities or Trading.
- Risk management and reporting is based on parameters such as Modified Duration, PVO1, Exposure and Gap Limits, VaR, etc.,
- Forex Open Position limits (Daylight / Overnight), deal-wise cut-loss limits stop-loss limit, Profit / Loss in respect of cross currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.

Quantitative Disclosures:

Capital Requirement for Market Risk under Standardised Duration Approach (@ 9%):

(₹ in crores)

Interest Rate Risk	141.16
Equity Position Risk	58.29
Forex open position	2.25
Total for market risk	**201.69**

DF-8

OPERATIONAL RISK

Qalitative Disclosures:

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

The Operational Risk Management Department is functioning as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of Chief Risk Officer.

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk:

The following policies, manuals and frameworks are in place :

नीतियां

- बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की हुई है, जो कि परिचालन जोखिम के व्यवस्थित एवं अग्रसक्रिया पहचान, आंकलन, मापन, एक निरंतर समान संरचना स्थापित करती है।
- व्यवसाय सतत नीति (बी.सी.पी)
- हानि आंकड़ा प्रबंधन नीति
- के.वाई.सी. मानक एवं ए एम एल मापक नीति
- धोखाधडी जोखिम प्रबंधन नीति
- आउटस्रेसिंग नीति
- दबाव परीक्षण नीति

मैन्युअल एवं संरचना

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैन्युअल
- हानि आंकडा मैन्युअल
- व्यवसाय सतत योजना (बीसीपी) मैन्युअल
- परिदृश्य विशलेषण संरचना
- अभिसरण हेतु आंतरिक अंकक्षेण संरचना
- पूंजी निर्धारण संरचना

स. योजनाएं एवं प्रक्रियां

परिचालन जोखिम को नियंत्रित एवं कम करने हेतु निम्न उपाए किये जा रहे हैं :

- "बैंक की निर्देश पुस्तिका" (सामान्य निर्देश मैन्युवल ऋण एवं अग्रिम मैन्युवल) जिसमें विस्तृत रूप से बैंकिग लेनदेन संबंधित दिशा निर्देश दिए गये हैं। इन दिशा निर्देशों में संशोधन एवं सुधार नियमित तौर पर ई-परिपत्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी से संबंधित मैन्युअल एवं परिचालन निर्देश।
- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसमें विभिन्न स्तर पर अधिकारियों के विभिन्न वित्तीय एवं अवित्तीय लेन-देन संबंधित विस्तृत संस्वीकृति शक्ति की जानकारी दी गयी है।
- परिचालन जोखिम से होने वाली हानि पर जोखिम प्रबंधन बनाने के लिए मूल कारण विश्लेक्षण के साथ-साथ व्यापक आधारभूत आँकडा बनाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।
- जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए शाखाओं द्वारा नियर मिसेज (Near Misses) के साथ-साथ एक एक्सेल आधारित टेम्पलेट द्वारा हानि संग्रहण बनाने की प्रक्रिया विकसित की गयी है।
- स्टाफ प्रशिक्षण-परिचालन जोखिम के निविष्ट को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मलित किया गया है।
- सभी संभाव्य परिचालन जोखिम (धोखाधडी को छोडकर) हेतु बीमा कवच प्राप्त किया गया है।
- नियंत्रण प्रक्रिया के परीक्षण एवं पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु आंतरिक अंकेक्षण जिम्मेदार है। विधिक एव विनियामक आवश्यकताएँ को बनाए रखन, आचरण संहिता (Code of Conduct) नीतियां एवं प्रक्रियाएं को लागू करने के लिए उनके द्वारा निवर्तमान प्रणाली की समीक्षा की जाती है।
- जोखिम एवं नियंत्रण स्वयं पर आंकलन अभ्यास विभिन्न व्यवसायों / इकाईयों में कार्यशालाओं द्वारा किया जा रहा है। पहचान किए गए अति जोखिम को ओ.आर.एम.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं उसे मुख्य जोखिम संकेतक को अंतिम रूप देने एवं परिदृश्य बनाने में उसे निवष्ठि के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।
- बैंक ने मुख्य जोखिम संकेतक की पहचान की है एवं संकेतकों का आंकलन कर रही है जो नियमित मानकों से ऊपर हैं।
- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन वातावरण को सफलतापूर्वक बनाने के लिए अंचल स्तर पर जोखिम प्रबंधन कमेटी के साथ-साथ प्रधान कार्यालय में परिचालन जोखिम प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है।
- नये उत्पाद के जांच के लिए उत्पाद कमेटी एवं आउटस्रोसिंग जांच कमेटी बनी हुई है।
- आपदा के पश्चात व्यवसाय सतता, पुनारंभ एवं संकटपूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया से उबरने के लिए बैंक के पास व्यवसाय सतत प्रबंधन है।
- बैंक में बासेल-II के अनुरूप परिचालन जोखिम प्रबंधक संरचना (ओ आर एम एफ) है एवं बैंक ने उन्नत माप दृष्टिकोण में प्रवासन हेतु आर.बी.आई (RBI) को वित्तीय वर्ष 2014 के दूसरे क्वार्टर में जाने हेतु आवेदन किया है।

Policies

- Operational Risk Management Policy seeks to establish Operational Risk Management Framework (ORMF) for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks.
- Business Continuity Policy (BCP)
- Loss Data Management Policy
- KYC Standards and AML measures Policy
- Policy on Fraud Risk Management
- Outsourcing Policy
- Stress testing Policy for Operational Risk

Manuals and Frameworks

- Operational Risk Management manual
- Loss Data Manual
- Business Continuity Plan (BCP) Manual
- Scenario Analysis framework
- Internal Audit Framework for convergence
- Capital Computation Framework

C. Strategies and Processes

The following measures are being used to control and mitigate Operational risk:

- "Book Of Instructions" (i.e. Manual on General Instructions, Manual on Loans & Advances) which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to update these guidelines are being carried out regularly through e- Circulars, training programs, etc.
- Manuals and operating instructions relating to Business Process Re-engineering (BPR) Units.
- Delegation of Financial powers, which gives details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial and non- financial transactions.
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks in addition to root cause analysis has been initiated, to facilitate better risk management.
- An excel based template for collecting loss data, including Near Misses, from branches has been developed to facilitate better risk management.
- Training of Staff n`Inputs on Operational Risk are included as a part of the trainings programmes.
- Insurance cover is obtained for most of the potential operational risks excluding frauds.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the existing systems to ensure compliance with legal and regulatory requirements, code of conduct and the implementation of policies and procedures.
- Risk and Control Self Assessment (RCSA) exercise is being conducted at the various Business units through workshops. The Top risks identified are placed before ORMC and used as inputs for finalizing Key Risk Indicators (KRIs) and building Scenarios.
- The bank has finalized the Key Risk Indicators and is monitoring the Indicators where the levels are above the threshold.
- In order to successfully embed the operational Risk management culture across the Bank, Risk Management Committee have been constituted at the Zonal Level in addition to the Operational Risk Management Committee (ORMC) at the head office.
- Overall product Committee for vetting of new products and Outsourcing Vetting Committee are also in place.
- In order to ensure business continuity, resumption and recovery of critical business process after a disaster, the Bank has Business continuity Management in place.
- The Bank has in place the Operational Risk Management Framework (ORMF) as required under Basel III and has applied for migration to Advanced Measurement Approach (AMA) to RBI in Q2FY14.

द. जोखिम सूचना एवं मापन प्रणाली की संभावना एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी की सूचना की तत्काल प्रस्तुतीकरण की प्रणाली मौजूद है।
- व्यापक रूप से सतर्कता निवारक प्रणाली स्थापित है।
- उल्लिखित रूप से दर्शाये गए जोखिम को शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एवं व्यवसाय इकाई एवं जेड आर एम सी के मध्य इसे सूचित किया जाता है (आदान प्रदान किया जाता है) ताकि जमीनी स्तर पर जानकारी बढ़े।
- परिचालन जोखिम में साधारण माप दृष्टिकोण के अंतर्गत पूर्ण तीन वर्ष के सकल आय पर 15% पूंजी प्रभार है।
-

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार न्यूनतम (विनियामक पूंजी आवश्यकता के अनुसार) : ₹483.58 करोड़

प्रकटीकरण सारणी - 9:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (IRRBB)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- पारम्परिक अन्तर विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के आस्ति एवं देयता प्रबन्धन दिशा-निर्देशों के अनुसार आय-जोखिम का निर्धारण किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अवधि अन्तर विश्लेषण विधि, समग्र बैलेंस शीट को लेते हुए ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मापन किया जाता है।
- ईक्विटी के बाजार मूल्य का निर्धारण, अवधि अन्तर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए भी किया जाता है, जिसमें सुपरवाइजरी रिव्यू प्रक्रिया पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल बैंकिंग बही ऋण जोखिमों को परिकलित किया जाता है। (बेसल-II ढाँचे का पिलर-II)
- व्यावहारिक अध्ययनों पर आधारित प्रमुख पूर्वानुमान:

अ)	बचत बैंक खाता	:	ऐसी जमाओं के 100% को ब्याज सहित माना गया।
ब)	सावधि जमाएँ	:	अंत: स्थापित विकल्प के कारण ऐसी जमाओं का 2.00%, समय से पूर्व भुगतान।
स)	चालू जमाएँ	:	भारतीय रिज़र्व बैंक के दशा-निर्देशों के अनुसार आई.आर.आर. उद्देश्य के लिए दर संवेदनशीलता के रूप में लिया गया।
द)	मियादी ऋण	:	कुल मियादी ऋणों का 2.00%, समय से पूर्वभुगतान।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(i) निवल ब्याज अंतर में परिवर्तन:

हमारी आस्तियों/देयताओं के वर्तमान स्तर पर, एनआईआई में रु 196.95 करोड़ की वृद्धि/कमी की सम्भावना है, अगर ब्याज दर में 1% के ऊपर/नीचे की तरफ चलन होता है। (आस्तियों एवं देयताओं पर समानान्तर ब्याज दर परिवर्तन का अनुमान लगाते हुए बचत बैंक दर जो 4% पर स्थिर रही, को छोड़कर)।

(ii) ईक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) में परिवर्तन:

अ) सम्पूर्ण तुलन-पत्र पर विचार करते हुए ईक्विटी के बाजार मूल्य में रु 103.05 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी, अगर ब्याज दर में 1% के ऊपर/नीचे की तरफ चलन होता है।

ब) केवल बैंकिंग बही ऋण जोखिम पर विचार करते हुए ईक्विटी के बाजार मूल्य में रु 289.59 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी, अगर ब्याज दर में 1% के ऊपर/नीचे की तरफ चलन होता है।

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place.
- A comprehensive system of preventive vigilance has been established.
- Significant risk thrown up are reported to the Top management and shared with Business units and ZRMC so as increase the awareness at the grass root level.
- Basic Indicator Approach with a Capital charge of 15% of gross income for previous 3 years applied for Operational Risk.

Quantitative Disclosures:

Capital Charge on Operational Risk : Rs. 483.58 crores

(As per minimum regulatory capital requirement)

DF-9

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

- Earning at Risk (EaR) is measured as per ALM guidelines of RBI using Traditional Gap Analysis method.
- Impact of change in Interest Rates on Market Value of Equity (MVE) is measured using Duration Gap Analysis method, taking whole Balance Sheet, as per RBI guidelines.
- MVE is also measured using Duration Gap Analysis method, taking only Banking Book exposures into account as per RBI guidelines on Supervisory Review Process (Pillar-II of Basel-III framework).
- Key Assumptions used based on behavioral studies:
    a) Saving Bank deposits: 100% of such deposits treated as non-interest bearing
    b) Term deposits: 2% of such deposits prepaid due to embedded option
    c) Current deposits: taken as rate sensitive for IRR purpose as per RBI guidelines
    d) Term Loans: prepayment @ 2.00% of total term loans

Quantitative Disclosures:

(i) Change in NII

At the present level of our assets/ liabilities, NII is likely to increase / decrease by Rs. 196.95Cr with upward / downward movement in rate by 1% (assuming parallel rate change on assets and liabilities except Savings Bank rate that will remain at 4.0%).

(ii) Change in MVE

1. Taking the whole Balance Sheet, MVE will increase / decrease by Rs. 103.05 cr. if there is an upward/ downward movement in interest rate by 1%.
2. Taking only Banking Book exposures into account, MVE will increase / decrease by Rs.289.59 cr. if there is an upward / downward movement in interest rate by 1%.

प्रकटीकरण सारणी - 10

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से सम्बन्धित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

डेरिवेटिव संविदा पर होने वाले एक्सपोजर सीईएम विधि द्वारा निकाला जाता है, जिसमें 2.00% सभाव्य मूल को पोटेंशियल फ्युचर एवं धनात्मक एमटीएम के रूप में लिया जाता है, यदि वह करेंट एक्स्पोजर में लिया गया हो। आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार, प्रतिपक्षकारें के विरुद्ध, उस प्रकार के सम्विदा के अंतर्गत साख तुल्य अथवा एक्सपोजर पीएफई एवंम सीई को जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹करोड़ में)

	एमटीएम मूल्य	चालू साख एक्सपोजर
मुद्रा स्वॉप	0	0
फोर्वड दर सम्विदा	0	0
करेंसी फ्युचर	0	0
कैप / फ्लोर	0	0
आप्शन	0	0
विदेशी विनिमय सम्विदा	35645.96	207.76
साख डीफाल्ट स्वाप-खरीद कवच	0	0
साख डीफाल्ट स्वाप-बिक्री कवच	0	0
कुल योग	**35645.96**	**207.76**

डीएफ-11

(₹करोड़ में)

विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किये जाने वाला बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		**बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि**	**संदर्भ सं.**
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	936.64	**(क+ख)**
2	प्रतिधारित आय	0.00	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ)	5070.70	**(ग)**

DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures:

The exposure on account of entering into such derivative contracts is arrived at through CEM method wherein 2% of the notional principal is taken as Potential Future Exposure and Positive MTM, if any, is taken as Current exposure. The credit equivalent or the exposure against the counterparty as per RBI guidelines, on account of such contracts, is derived by adding the PFE and CE

Quantitative Disclosures:

(₹in Crores)

	MTM Value	Current Credit Exposure
Currency Swaps	0	0
Forward Rate Agreement	0	0
Currency Futures	0	0
Caps / Floors	0	0
Options	0	0
Foreign Exchange Contract	35645.96	207.76
Credit Default Swaps-Sell protection	0	0
Credit Default Swaps-Buy protection	0	0
Total	**35645.96**	**207.76**

DF-11

(₹in Crores)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2013 to December 31, 2017)	Amount Subject To Pre-Basel III Treatment	Reference Number
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	936.64	(A+B)
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	5070.70	(C)

4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुरने नियम के अनुसार मान्य करना (ग्रांडफादर्ड)	0.00	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	6007.34	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	मॉर्टगेज-सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10	आस्थगित कर संपित्त	0.00	
11	नकदी-प्रवाह बचाव रिज़र्व	0.00	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल आस्तियां	0.00	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही पदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17	समान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस-होल्डिंग	0.00	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन (10%) की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) निवल	0.00	
20	मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	जिसमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
24	जिसमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	जिसमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	**(घ)**
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0	

4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
	Public sector capital injections grandfathered until1 January 2018	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET 1)	0	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	6007.34	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilites	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid- in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exeeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	(D)
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	

26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	0	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यवय	0	
	बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अवसूल हानियों को बाहर निकाल देना (भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक)	0	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] उदाहरण के लिए: आस्थगित कर आस्तियां	0	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] उदाहरण के लिए: अमूर्त आस्तियां	0	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0	
28	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	6007.34	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	0	
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहार (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किये गये पूंजी लिखत	200.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	0	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियां द्वारा जारी किए गए लिखत	0	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	200.00	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	0	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है	0	

26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which lane not been conodidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Common Equity Tier 1 In Respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in INdian context)	0.00	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	0.00	
	of which: [NSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. intagible assets]	0.00	
27	Regulatory adjustment applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier1**	0.00	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	6007.34	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilites under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	200.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	200.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	

40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क + 41ख)	0	
41क	जिसमें से : गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0	
41ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नही किया गया है	0	
	बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] जैसे: आस्थगित कर आस्तियां	0	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] जैसे : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50% पर कटौती की गई है]	0	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]	0	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0	
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	0	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	200.00	
44क	**पूंजी पर्याप्तता गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	140.00	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44क)**	6147.34	
	टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	200.00	
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहार (फेज आउट) होने अधीन सीधे जारी किये गये पूंजी लिखत	1650.00	**(च) ग्रांडफादर्ड**
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तीसरे पक्षों द्वारा (टियर 2 समूह में अनुमत राशि तक) धारित टियर 2 लिखत (तथा 5वीं और 34वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियां द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
50	प्रावधान	553.41	**(छ)**
51	**विनियामक समायोजनों करने से पूर्व टियर 2 पूंजी**	2403.41	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	0.00	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाए, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है	0.00	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल	0.00	

40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a + 41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Additional Tier 1 In Respect of Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	0	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	0	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	0	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]	0	
42	Regulatory adjustment applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	200.00	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	140.00	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)(29 + 44a)**	6147.34	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	200.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1650.00	(E) Grandfathered
48	Tier 2 instruments (and CET 1 and AT1 instruments not included in row 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions	553.41	(F)
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	2403.41	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	

56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क/56ख)	0.00	
56क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनकों बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	
	बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें] जैसे: विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 2 में से 50% पर कटौती की गई है]	0.00	
	जिसमें से : [समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें]		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	2403.41	
58क	**पूंजी पर्याप्तता गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	1740.41	
58ख	**टियर 2 पूंजी के रुप में मान्य अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0.00	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क + 58ख)**	1740.41	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58ग)	7887.75	
	बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	0.00	
	जिसमें से : रुपये 15 करोड़ के टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	0.00	
	जिसमें से :		
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	68190.91	
60क	जिसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भरित आस्तियां	60576.75	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	2241.07	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	5373.09	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियां के प्रतिशत के रूप में)	8.81%	
62	टियर 1 (जोखिम भारतीय आस्तियां के प्रतिशत के रूप में)	9.01%	
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियां के प्रतिशत के रूप में)**	11.57%	
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियां के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.50%	
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	0.00	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाए	0.00	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षाए	0.00	
68	बफर की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियां के प्रतिशत के रूप में)	8.81%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (अगर बासेल III से भिन्न हो, तो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यनतम अनुपात (अगर बासेल III से भिन्न हो, तो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल III से भिन्न हो, तो)	7.00	

56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiares	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied to Tier 2 in Respect of Amount Subject to Pre-Basel III Treatment	0	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	6	
58	**Tier 2 capital (T2)**	2403.41	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	1740.41	
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)**	1740.41	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	7887.75	
	Risk Weighted Assets in respect of Amount Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]	0.00	
	of which:.....		
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	68190.91	
60a	of which: total credit risk weighted assets	60576.75	
60b	of which: total market risk weighted assets	2241.07	
60c	of which: total operational risk weighted assets	5373.09	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.81%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.01%	
63	**Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	11.57%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET 1requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	8.81%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00	

71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल III से भिन्न हो, तो)	9.00	
कटौती कि लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	56.40	
74	मॉटगेज-सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
टियर 2 प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स)			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	553.41	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 पूंजी में प्रावधानों के शामिल किये जाने की (पर कैप)	757.21	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 पूंजी में प्रावधानों के शामिल किये जाने की	0.00	
फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)			
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	0.00	
81	कैप के कारण सीईटी 1 में शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अविध पूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	0.00	
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	140.00	
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधि पूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	60.00	
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	987.00	
85	कैप के कारण टी 2 में शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधि पूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	663.00	

टेम्पलेट के लिए टिप्पणियां		
पंक्ति सं.	**विवरण**	**राशि (रुपये करोड़ में)**
10	संचित हानियों से संबंधित आस्थगित कर आस्तियां	
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोडकर) आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये अनुसार कुल	0.00
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृ)	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईंक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00

71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	56.40	
74	Mortagage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
Applicable caps on the inclusin of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	553.41	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	757.21	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposure subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	140.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	60.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	987.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	663.00	
Notes to the template			
Row No.	Particular	(₹ in Crores)	
10	Deferred Tax assets associated with accumulated losses		
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0	
	Total as indicated in row 10	0	
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0	
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0	
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital		
	of which: Increase in Tier 2 capital	0	

50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	553.41
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व	0.00
	पंक्ति 50 का योग	553.41
44क	पूंजी पर्याप्तता की गणना में शामिल नहीं की गई ज्यादा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और 44क में रिपोर्ट की गई स्वीकार्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी का अंतर)	60.00
	जिसमें से : ज्यादा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58ख में टियर 2 पूंजी माना गया है	0.00
58a	पूंजी पर्याप्तता की गणना में शामिल नहीं की गई ज्यादा टियर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में रिपोर्ट की गई टियर 2 पूंजी और 58क में रिपोर्ट की गई टियर 2 पूंजी का अंतर)	
26b	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया हो तो :	663.00
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	56.40
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	141.00

डीएफ-12

चरण -1

बैंक के विनियामक समेकन और लेखांकन समेकन में कोई अंतर नहीं है।

चरण -2

(राशि करोड़ रूपये में)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र
	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार
पूंजी तथा देयताएं		
प्रदत्त पूंजी	70.00	70.00
जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	70.00	70.00
जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	5942.67	5942.67
जिसमें से : शेयर प्रिमियम	866.64	866.64
जिसमें से : लाभ-हानि खाते का अतिशेष	0.00	0.00
जिसमं से : अन्य आरक्षित निधियां	5076.03	5076.03
अल्प शेयर धारियों का हित	0.00	0.00
कुल पूंजी	6012.67	6012.67
जमाराशियां	84239.28	84239.28
जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	975.30	975.30
जिसमें से : ग्राहक जमाराशियां	83236.98	83236.98
जिसमें से : अन्य जमाराशियां (विवरण दें)	0.00	0.00
उधार	7573.39	7573.39
जिसमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00

50	Eligible Provisions included in Tier 2	553.41	
	Eligible Revaluation Reserves included Tier 2	0	
	Total of row 50	553.41	
44a	Excess AT1 not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a	60.00	
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0	
58a	Excess T2 not reckoned for capital adequacy (difference between T2 as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0	
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	663.00	
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	56.40	
	(ii) Increase in risk weighted assets	141.00	

DF-12

STEP - 1

There is no difference between the regulatory consolidation and accounting consolidation of the Bank.

STEP-2

(Rs. in Crores)

		Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
	Capital & Liabilites		
i	Paid-up Capital	70.00	70.00
	of which: Amount eligible for CET1	70.00	70.00
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00
	Reserves & Surplus	5942.67	5942.67
	of which: Share Premium	866.64	866.64
	of which : Balance in P & L Account	0.00	0.00
	of which : Other Reserves	5076.03	5076.03
	Minority Interest	0.00	0.00
	Total Capital	6012.67	6012.67
ii	Deposits	84239.28	84239.28
	of which: Deposits from banks	975.30	975.30
	of which : Customer deposits	83236.98	83236.98
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	Borrowings	7573.39	7573.39
	of which: From RBI	0.00	0.00

जिसमें से : बैंकों से	1656.25	1656.25
जिसमें से : अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	2792.14	2792.14
जिसमें से : अन्य (गौण देयतायें)	1650.00	1650.00
जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	1275.00	1275.00
जिसमें से : पूंजी लिखत (आई पी डी आई)	200.00	200.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	4476.20	4476.20
जिसमें से : गुडविल से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
जिसमें से : मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
जिसमें से : अन्य (शेष)	0.00	0.00
कुल	**102301.54**	**102301.54**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	7787.20	7787.20
बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	149.66	149.66
निवेश	22465.42	22465.42
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	20632.26	20632.26
जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
जिसमें से : शेयर	134.44	134.44
जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	448.61	448.61
जिसमें से : अनुषंगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाये	56.40	56.40
जिसमें से : अन्य (वाणिज्यि पत्र, म्युच्युअल फण्ड आदि)	1193.70	1193.70
ऋण तथा अग्रिम	69548.42	69548.42
जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	1889.44	1889.44
जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	67658.98	67658.98
अचल आस्तियां	392.71	392.71
अन्य आस्तियां	1958.31	1958.31
जिसमें से : गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	0.00	0.00
गुडविल	0.00	0.00
अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर) पेंशन एवं ग्रेच्युटी दायित्वों के अपरिशोचित व्यय	0.00	0.00
आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00
समेकन पर गुडविल	0.00	0.00
लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
कुल आस्तियां	**102301.54**	**102301.54**

	of which: From banks	1656.25	1656.25
	of which: From other institutions & agencies	2792.14	2792.14
	of which: Other (subordinate debts)	1650.00	1650.00
	of which: Outside India	1275.00	1275.00
	of which: Capital instruments (IPDI)	200.00	200.00
	Other liabilities & provisions	4476.20	4476.20
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	**102301.54**	**102301.54**

B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	7787.20	7787.20
	Balance with banks and money at call and short notice	149.66	149.66
	Investments	22465.42	22465.42
	of which: Government securities	20632.26	20632.26
	of which: Other approved securities	0.00	0.00
	of which: Shares	134.44	134.44
	of which: Debentures & Bonds	448.61	448.61
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	56.40	56.40
	of which: Others (Commerical) Papers, Mutual Funds etc.)	1193.70	1193.70
	Loan and advances	69548.42	69548.42
	of which: Loans and advances to bank	1889.44	1889.44
	of which: Loans and advances to customers	67658.98	67658.98
	Fixed assets	392.71	392.71
	Other assets	1958.13	1958.13
	of which: Goodwill and intangible assets out of which:	0.00	0.00
	goodwill	0.00	0.00
	Other intangibles (excluding MSRs) Unamortised Pension & Gratuity Liabilty	0.00	0.00
	Deferred tax assets	0.00	0.00
	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	**102301.54**	**102301.54**

डीएफ-13

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के प्रकटीकरण के लिए टेम्पलेट

		अंश	लोअर टियर -II (श्रंखला -VI)	लोअर टियर -II (श्रंखला -V)	लोअर टियर -II (श्रंखला -I)	उपर टियर-II (श्रंखला-II)	आईपीडीआई बॉण्ड (श्रंखला-I)	बासेल III अनुपालक टियर-II (श्रंखला-I)
1	**जारीकर्ता**	**स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर**						
2	विशिष्ट पहचानकर्ता जैसे: सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता	आईएनई-648ए01026	आईएनई-648ए09037	आईएनई-648ए09078	आईएनई-648ए09045	आईएनई-648ए09052	आईएनई-648ए09060	आईएनई-648ए08013
3	लिखतों का नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून						
विनियामक ट्रीटमेंट								
4	संक्रमणकालिक बासेल III नियम	सीईटी 1	टी2	टी2	टी2	टी2	एटी2	टी2
5	उत्तर-संक्रमणकालिक बासेल III नियम	सीईटी 1	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	सामान्य शेयर	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	उच्चतर टियर 2 ऋण लिखत	उच्चतर टियर 2 ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	बासेल III अनुपालक टियर-III ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (करोड़ रुपये में, अद्यतन की गई तिथि के अनुसार)	70	500	500	150	300	200	200
9	लिखित का सममूल्य	10/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की ईक्विटी	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तिथि	विभिन्न दिनांक	10.08.2006	20.03.2012	23.03.2007	15.10.2007	20.03.2008	20.03.2015

DF-13

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Equity	Lower tier-II (Series-VI)	Lower tier-II (Series-V)	Upper tier-II (Series-I)	Upper tier- II (Series-II)	IPDI Bonds (Series-1)	Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series I)
1	Issuer							
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE-648A01026	INE-648A09037	INE-648A09078	INE-648A09045	INE-648A09052	INE-648A09060	INE-648A08013
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws						
Regulatory treatment								
4	Transitional Basel III rules	CET 1	T2	T2	T2	T2	AT1	T2
5	Post-transitional Basel III rules	CET1	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Common shares	Tier 2 Debt Instrument	Tier 2 Debt Instument	Upper Tier 2 Debt Instrument	Upper Tier 2 Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Basel III Compliant Tier 2 Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crore, as of most recent reporting date)	70	500	500	150	300	200	200
9	Par value of instrument	10/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-
10	Accounting classification	Shareholder Equity	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	Various date	10.08.2006	20.03.2012	23.03.2007	15.10.2007	20.03.2008	20.03.2015

12	सतत अथवा दिनांकित	सतत	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	सतत	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं	10.08.2016	20.03.2022	23.03.2022	15.10.2022	कोई परिपक्वता नहीं	20.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि	लागू नहीं	नहीं	नहीं	22.03.2017 ₹150 करोड़	15.10.2017 ₹300 करोड़	20.03.2015 ₹200 करोड़	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/ कूपन	अस्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	9.15%	9.02%	10.25%	9.78%	9.85%	8.30%
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अधविवेकाधिकार अथवा अनिवाय।	पूर्ण विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अर्धविवेकाधिकार	अर्धविवेकाधिकार	अर्धविवेकाधिकार	अर्धविवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
22	गैर-संचयी अथवा संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णत: अथवा अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated
13	Original maturity date	No maturity	10.08.2016	20.03.2022	23.03.2022	15.10.2022	No maturity	20.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	No	No	22.03.2017 Rs.150 Crore	15.10.2017 Rs. 300 crore	20.03.2018 Rs.200 crore	No
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	No	No	No	NA
	Coupons/Dividends		Dividends	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	9.15%	9.02%	10.25%	9.78%	9.85%	8.30%
19	Existence of a dividend stopper	No	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory	Mandatory	partially discretionary	partially discretionary	partially discretionary	partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NA	No	No	Yes	Yes	Yes	No
22	Noncumulative or cumulative	NA	Non cumulative	Non cumulative	Non cumulative	Non cumulative	Non cumulative	Non cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन प्रकार के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां, यदि ऐसे ट्रिगर, जिसे अव्यिहायाता बिंदु (पीओएनबी) ट्रिगर कहा जाता है, की स्थिति आती है तो ऐसे लिखितों में भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर रिटन आफ अपेक्षित होगा।
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर घटना निम्न से पूर्व कि स्थिति है: क. स्थायी राईट आफ का निर्णय, जिसके बिना बैंक गैर-अर्थक्षम बन जाएगी, आवश्यक है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तय किया है; तथा ख. सरकारी क्षेत्र से पूंजी का अंत: क्षेपन या तत्सम सहायता का निर्णय, जिसके बिना गैर अर्थक्षम बन सकती थी, जैसाकि संबंधित प्राधिकारी ने तय किया है।
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णत: अथवा अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूर्ण
33	यदि अवलिखित है तो, स्थाई अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थाई अवलिखित
34	यदि अस्थाई अवलेखन है तो, राईट अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No	Yes These instruments are subject to permanent write off upon the occurrence of trigger event called PONV as determined by RBI.
31	If write-down, write- down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	The PONV Trigger event is the earlier of a decision that a write off is necessary without which the Bank would become non- viable, as determined by the RBI; and the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non- viable, as determined by the relevant authority.
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Full
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permanent write-off.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

35	परिसमापन कमें अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के लिक्विडेशन होने की स्थिति में सबसे अधिक अधीनस्थ	पूर्णतया प्रदत, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावे से अधीनस्थ	पूर्णतया प्रदत, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावे से अधीनस्थ	(अ) टियर 1 पूंजी में शामिल होने योग्य लिखतों में निवेश से उच्चस्थ तथा (ब) अन्य सभी लेनदारों के दावे से अधीनस्थ	(अ) टियर 1 पूंजी में शामिल होने योग्य लिखतों में निवेश से उच्चस्थ तथा (ब) अन्य सभी लेनदारों के दावे से अधीनस्थ	अंश पूंजी में शामिल निवेश से उच्चस्थ तथा अन्य सभी लेनदारों के दावे से अधीनस्थ	टियर 1 पूंजी में शामिल होने योग्य लिखतों में निवेश से उच्चस्थ तथा अन्य सभी लेनदारों के दावे से अधीनस्थ
36	गैर कार्यावित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं (बासेल III अनुपालक)
37	यदि हां, गैर कार्यावित संक्रमण विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	हानि अवशोषकता का अभाव	हानि अवशोषकता का अभाव	हानि अवशोषकता का अभाव	हानि अवशोषकता का अभाव	हानि अवशोषकता का अभाव	लागू नहीं

35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Most subor-dinated claim in liquidation of the Bank	Fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors Yes No loss absorption features	Fully paid-up, unsecured, subordinate d to the claims of other creditors	(a) Superior to the claims of investments in instruments eligible for inclusion in Tier-I capital and (b) Subordinated to the claims of all other creditors	(a) Superior to the claims of investments in instruments eligible for inclusion in Tier-I capital and (b) Subordinated to the claims of all other creditors	Superior to the claims of investors in equity shares and subordinated to the claims of all other creditors	i) Senior to the claims of investors in instrument eligible for inclusion in Tier 1 capital; ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No (Basel III compliant)
37	If yes, specify non-compliant features	NA	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	NA

डीएफ-14

नवोन्मेष, जटिल (Complex) अथवा हाइब्रिड पूंजी विलेख सहित, जो कि स्तरीय-I एवं स्तरीय-II पूंजी में शामिल करने योग्य हैं, समस्त

पूंजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ
नवोन्मेषी शाश्वत ऋण विलेख 20.03.2008	विलेख का प्रकार : प्रांमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, गौण एवं शाश्वत बाँण्ड्स। कॉल ऑप्शन एवं स्टेप-अप कूपन 10 वर्ष पश्चात उपलब्ध है (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की शर्त पर)। **अन्य विवरण:** राशि : 200 करोड़ कूपन : 9.85% (स्थिर, वार्षिक देय) अवधि : शाश्वत रेटिंग : केयर द्वारा 'AAA' एवं क्रिसिल द्वारा 'AAA' - स्थिर
अपर स्तरीय-II गौण बॉण्ड्स 22.03.2007	विलेख का प्रकार : प्रांमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एवं अपरिवर्तनीय गौण अपर स्तरीय-II बौण्ड्स कॉल ऑप्शन 120 माह बाद उपलब्ध है (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की शर्त पर)। **अन्य विवरण:** राशि : 150 करोड़ कूपन : 10.25% (स्थिर, वार्षिक देय) अवधि : 180 माह परिपक्वता दिनांक : 22.03.2022 रेटिंग : केयर द्वारा 'AAA' एवं क्रिसिल 'AAA/ स्थिर
अपर स्तरीय-'II गौण बॉण्ड्स 15.10.2007	विलेख का प्रकार : प्रांमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप असुरक्षित, मोचनीय, एवं अपरिवर्तनीय गौण अपर स्तरीय-II बौण्ड्स। कॉल ऑप्शन 120 माह बाद उपलब्ध है (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की शर्त पर)। **अन्य विवरण:** राशि : 300 करोड़ कूपन : 9.78% (स्थिर, वार्षिक देय) अवधि : 180 माह परिपक्वता दिनांक : 15.10.2022 रेटिंग : केयर द्वारा 'AAA' एवं क्रिसिल 'AAA/ स्थिर
लोअर स्तरीय-II गौड बॉण्ड्स (पाँचवी सीरीज) 10.08.2006	विलेख का प्रकार: प्रांमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एवं अपरिवर्तनीय गौण बौण्ड्स। बिना पुट और कॉल ऑप्शन की विशिष्ट विशेषताओं के, ये सादे वनीला (Vanilla) बॉण्ड्स हैं। **अन्य विवरण** राशि : 500 करोड़ कूपन : 9.15% (स्थिर, वार्षिक देय) अवधि : 120 माह परिपक्वता दिनांक : 10.08.2016 रेटिंग : क्रिसिल द्वारा 'AAA'/स्थिर एवं इकरा द्वारा 'AAA'/स्थिर
लोअर स्तरीय-II गौण बॉण्ड्स 20.03.2012	विलेख का प्रकार: प्रांमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एवं अपरिवर्तनीय गौण बौण्ड्स। बिना पुट और कॉल ऑप्शन की विशिष्ट विशेषताओं के, ये सादे वनीला (Vanilla) बॉण्ड्स हैं। अन्य विवरण राशि : 500 करोड़ कूपन : 9.02% (स्थिर, वार्षिक देय) अवधि : 120 माह परिपक्वता दिनांक : 20.03.2022 रेटिंग : क्रिसिल द्वारा 'AAA' एवं इकरा द्वारा 'AAA'
बासेल-III अनुपालक टियर-II बॉण्डस 20.03.2015	विलेख का प्रकार: ऋण पत्र की प्रकृति के अनुरुप असुरक्षित, मोचनीय एवं अपरिवर्तित बासेल III अनुपालक टियर-II बॉण्ड्स बिना पुट और काल आप्शन के। **अन्य विवरण** राशि : 200 करोड़ कूपन : 8.30% (स्थिर, वार्षिक देय) अवधि : 120 माह परिपक्वता दिनांक : 20.03.2025 रेटिंग : इकरा द्वारा 'AAA' (hyb) एवं क्रिसिल द्वारा 'AAA'

DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Type of Capital Instruments	Full Terms and Conditions (Main Features)
Innovative Perpetual Debt Instruments 20.03.2008	Unsecured, non-convertible, subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option and step-up coupon available after 10 years (subject to RBI permission at the time). **Other details:** Amount: Rs.200 cr. Tenor: Perpetual (call option available after 10 years with permission of RBI). Coupon: 9.85% payable annually. Ratings: CARE AAA and CRISIL AAA/ Stable
Upper Tier-II Subordinated Bonds 22.03.2007	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option and step up is available after 120 months(subject to RBI permission at the time) **Other details:** Amount : Rs.150 cr Tenor : 180 months maturing on: 22.03.2022 Coupon : 10.25% (fixed, payable annually) Rating : Care AAA and CRISIL AAA/ Stable.
Upper Tier-II Subordinated Bonds 15.10.2007	Type of Instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option and step up is available after 120 months(subject to RBI permission at the time) **Other details:** Amount : Rs.300 cr Tenor : 180 months maturing on: 15.10.2022 Coupon : 9.78% (fixed, payable annually) Ratings: CARE AAA and CRISIL AAA/ Stable by
Lower Tier-II Subordinated Bonds (Fifth Series) 10.08.2006	Type of instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible subordinated bonds in the nature of Promissory Note. These are plain vanilla bonds with no special features like put or call option. **Other details:** Amount : Rs.500 cr Tenor : 120 months maturing on: 10.08.2016 Coupon : 9.15% (fixed, payable annually) Ratings: ICRA AAA/Stable and CRISIL AAA/ Stable by CRISIL.
Lower Tier-II Subordinated Bonds 20.03.2012	Type of instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible subordinated bonds in the nature of Promissory Note. These are plain vanilla bonds with no special features like put or call option. Other details: Amount : Rs.500 cr Tenure : 120 months maturing on: 20.03.2022 Coupon : 9.02% (fixed, payable annually) Ratings: ICRA AAA/Stable by ICRA and CRISIL AAA/ Stable by CRISIL.
BASEL III Compliant Tier-2 Bonds 20.03.2015	Type of instrument: Unsecured, redeemable, non-convertible Basel III compliant Tier 2 bonds for inclusion in tier 2 capital of the Bank, in the nature of Debentures. The Bonds do not have put or call option. Other details: Amount : Rs.200 cr Tenor : 10 years maturing on: 20.03.2025 Coupon : 8.30% (fixed, payable annually) Ratings: ICRA AAA (hyb)/Stable and CRISIL AAA/ Stable

अनर्जक आस्तियाँ परिभाषाएँ

गैर-निष्पादित आस्तियाँ

पट्टाकृत आस्ति सहित एक ऐसी आस्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है, जब वह बैंक के लिए आय अर्जन करना बन्द कर देती है।

कोई भी ऋण या अग्रिम गैर-निष्पादित आस्ति हो जाता है जब:

मियादी ऋण के सम्बन्ध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किश्तें 90 दिनों से अधिक होने पर अतिदेय हो जाती हैं।

अधिविकर्ष/नकद साख में सम्बन्धित खाता अनियमित हो जाता है।

क्रय किये गये एवं बट्टाकृत बिलों के मामले में कोई बिल 90 दिनो से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है।

अल्पावधि फसली ऋणों के मामले में मूलधन की किश्तें अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों तक अतिदेय पड़ा रहता है।

दिर्घावधि फसली ऋणों के मामले में मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम तक अतिदेय पड़ा रहता है।

01 फरवरी, 2006 को जारी किए गए प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनविधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहे तो।

डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में किसी डेरिवेटिव संविदा का सकारात्मक बाजार आधारित मूल्य दर्शानेवाली अतिदेय प्राप्त राशियां यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिन की अवधि तक बकाया रह जाएं।

अगर किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज उस तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों में पूर्णतया वसूल नहीं होता है, तब उस खाते को गैर-निष्पादित आस्तिये के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

'अनियमित स्थिति'

अगर किसी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से आधिक्य में लगातार पड़ी रहती है तब उस खाते को अनियमित खाता कहा जाता है। उन मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते मे बकाया राशि आहरण सीमा से कम है, लेकिन या तो उस खाते में लगातार 90 दिनों तक कोई जमा प्राप्त नहीं हुई या उसी अवधि के दौरान नामे की गई ब्याज की राशि जमा की गई राशि द्वारा पूर्णतया शिधित नहीं होती, तब ऐसी खातों को अनियमित खातों के रूप में जाना जाता है।

'अतिदेय': किसी भी सुविधा क अधीन बैंक की बकाया राशि अतिदेय कहलाती है, अगर उस राशि का भुगतान बैंक को नियत तिथि तक नहीं कया जाता है।

परिशिष्ट-II

एकीकृत जोखिम प्रबन्धन (ए.जो.प्र.) विभाग का संगठनात्मक चार्ट

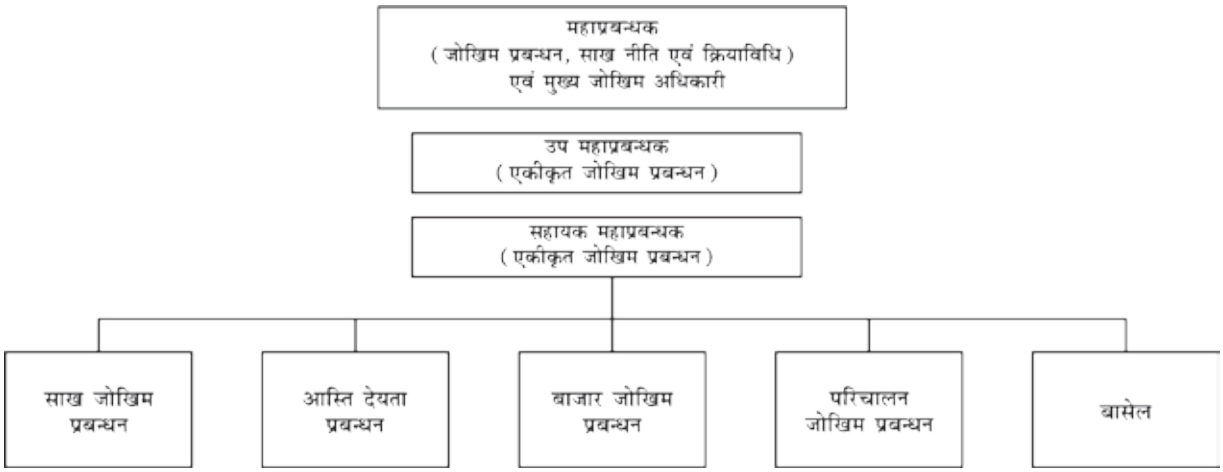

Appendix - I

DEFINITIONS OF IMPAIRED ASSETS

Non-performing assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. Non-Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where:

Interest and/ or installments of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan, The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/ CC),

The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops, The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops,

The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.

In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

In case the interest due & charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter the account is classified as NPA

'Out of order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but either there are no credits continuously for 90 days in the account as on the date of balance sheet or the credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Appendix - II

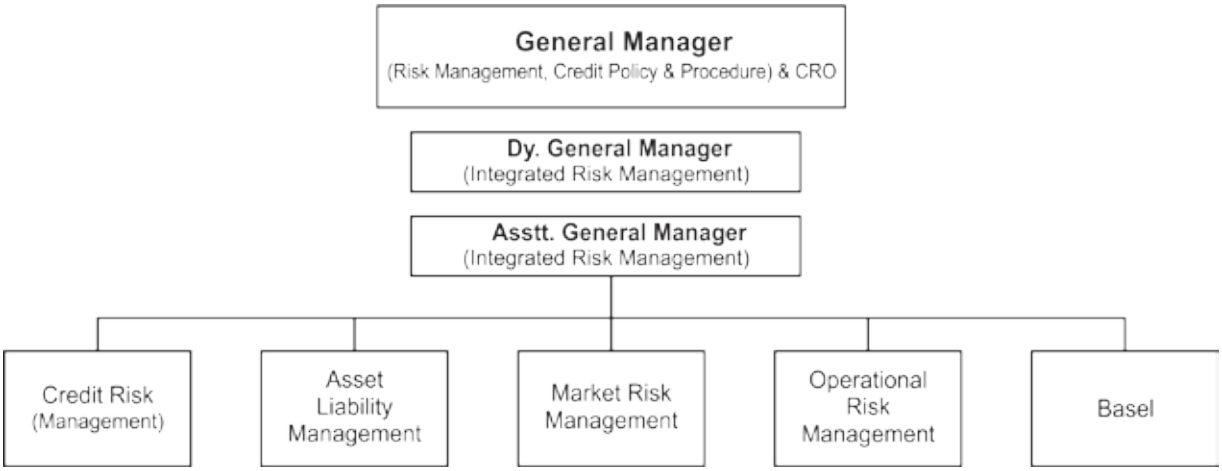

अलबर्ट हॉल, जयपुर का दृश्य

A VIEW OF THE ALBERT HALL, JAIPUR

तुलन-पत्र एवं
लाभ हानि लेखा
BALANCE SHEET AND
PROFIT & LOSS ACCOUNT

स्वायत्त लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

भारतीय स्टेट बैंक को

वित्तीय विवरणियों पर प्रतिवेदन

1. हम, भारतीय स्टेट बैक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 41(1) के तहत नियुक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के 31 मार्च, 2015 के तुलन-पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

   हमने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के 31 मार्च 2015 की संलग्न वित्तीय विवरणियों, जिनमें 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता तथा समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश व अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएं शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा अंकेक्षित 20 शाखाओं, शाखा अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित 661 शाखाओं एवं 61 प्रक्रियागत केन्द्रों की वित्तीय विवरणियां सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखाओं का चयन, बैंक द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि विवरणी में 580 शाखाओं एवं 14 अन्य कार्यालयों की विवरणियां भी सम्मिलित हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है। इन अनअंकेक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 6.84 प्रतिशत, निक्षेपों का 18.90 प्रतिशत, ब्याज से आय का 4.62 प्रतिशत तथा व्यय किये गये ब्याज का 16.01 प्रतिशत लेखांकन है।

वित्तीय विवरणियों के लिये प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

2. वित्तीय विवरणियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 तथा इनके अंतर्गत निर्दिष्ट विनियमों एवं निर्धारित लेखा मानकों, जिस सीमा तक वे लेखा नीतियों के संगत नहीं है तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना की जाने के अनुरूप तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रारूप, कार्यान्वयन तथा आन्तरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है, जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन चाहे वह कपट अथवा त्रुटीवश हों, से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण के आधार पर राय प्रस्तुत करना है। हमने हमारा अंकेक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार हमें नीतिगत आवश्यकताओं तथा अंकेक्षण की योजना एवं वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वे कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त होने का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का पालन करने की आवश्यकता है।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के लिए राशियों तथा प्रकटीकरण हेतु तथ्यों को प्राप्त करने की निष्पादित क्रिया विधि निहित है। चयनित क्रिया विधि अंकेक्षक के विवेक पर निर्भर है जो वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन चाहे वे कपट एवं त्रुटि के कारण हो, की जोखिम के निर्धारण सहित है। इन जोखिमों के निर्धारण में अंकेक्षण प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करने के क्रम में संस्था की तैयारी से सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण तथा वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण पर अंकेक्षक विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुकुल उपयुक्त है किन्तु आन्तरिक नियंत्रण की विद्यमानता की प्रभाव शीलता पर एक अभिमत की अभिव्यक्ति के उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबन्धन द्वारा लेखा अनुमानों की युक्तिसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त तथा लेखा परीक्षा पर हमारी राय के लिये उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

6. बैंक की बहियों में दर्शाये गये तथा हमें प्रदत्त सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The State Bank of India

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

1. We, the undersigned Auditors of State Bank of Bikaner & Jaipur, appointed under section 41(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, do hereby report on the Balance Sheet as at 31st March, 2015, the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date.

   We have audited the accompanying financial statements of State Bank of Bikaner & Jaipur as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 661 branches and 61 processing centres audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 580 branches and 14 other offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.84 per cent of advances, 18.90 per cent of deposits, 4.62 per cent of interest income and 16.01 per cent of interest expenses.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with The Banking Regulation Act, 1949, State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and regulation framed thereunder and prescribed accounting standards to the extent they are not inconsistent with accounting policies and comply with Reserve Bank of India Guidelines from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITORS' RESPONSIBILITY:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.

OPINION

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर यह तुलन-पत्र समस्त आवश्यक विवरणों सहित पूर्ण एवं उचित तुलन पत्र है और इसे 31 मार्च, 2015 को बैंक के कार्यों की वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।

(ii) लाभ-हानि खाता जिसे उसकी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाये, जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है, लेखा वर्ष हेतु यथार्थ लाभ का शेष दर्शाता है।

(iii) वर्ष समाप्ति तिथि को नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह की वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रदर्शित करता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची प्रपत्र क्रमश: 'अ एवं ब' के अनुसार बनाये गये हैं।

8. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में प्रदर्शित लेखा परीक्षण की सीमाओं, जिन्हें खातों पर की गई टिप्पणियों के प्रकटीकरण के साथ पढ़ा जाए तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की आवश्यकता के अनुसार उनमें प्रकटीकरण की आवश्यक सीमाओं के अनुसार हम प्रतिवेदन करते हैं कि:-

   अ) हमने ऐसी सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थी, प्राप्त की एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

   ब) बैंक के जो भी लेन-देन हमारी जानकारी में आये हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र में रहे हैं।

   स) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां, हमारे अंकेक्षण प्रयोजन के लिए सामान्यत: पर्याप्त पायी गयी है।

9. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों की अनुपालना करते हैं।

वास्ते **चतुर्वेदी एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302137 ई

(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
(स.स. 12705)
साझेदार

वास्ते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 01411 एन

(सीए एम.के. अग्रवाल)
(स.स.14956)
साझेदार

वास्ते **पी.एस.डी. एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 004501 सी

(सीए प्रकाश शर्मा)
(स.स. 072332)
साझेदार

वास्ते **ओबेराय, सूद एण्ड कपूर**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001462 एन

(सीए संजय सूद)
(स.स. 80527)
साझेदार

स्थान: मुंबई,
मई 06, 2015

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above read with disclosures in notes to accounts and as required by the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 with the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For Chaturvedi & Co.
Chartered Accountants
FR NO.302137 E

(CA Satish Chandra Chaturvedi)
(M.No.12705)
Partner

For M. K. Aggarwal & Co.
Chartered Accountants
FR NO. 01411N

(CA M.K. Aggarwal)
(M.No.14956)
Partner

For. P S D & Associates
Chartered Accountants
FR NO. 004501 C

(CA Prakash Sharma)
(M.No.072332)
Partner

For Uberoi Sood & Kapoor
Chartered Accountants
FR NO. 001462 N

(CA Sanjay Sood)
(M.No.80527)
Partner

Place : Mumbai
6th May, 2015

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET OF STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR AS ON 31ST MARCH, 2015

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

	अनुसूची Schedule	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
पूँजी और दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	**70,00,00**	**70,00,00**
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	**59,42,67,71**	**52,85,91,69**
निक्षेप Deposits	3	**8,42,39,27,37**	**7,38,74,72,74**
उधार Borrowings	4	**75,73,39,09**	**67,06,35,94**
अन्य दायित्व तथा प्रावधान Other liabilities and provisions	5	**44,76,20,01**	**49,39,96,99**
	योग / TOTAL :	**10,23,01,54,18**	**9,08,76,97,36**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**77,87,19,89**	**67,46,39,94**
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks and money at call and short notice	7	**1,49,65,70**	**2,60,26,98**
विनिवेश Investments	8	**2,24,65,41,59**	**1,77,50,27,54**
अग्रिम Advances	9	**6,95,48,42,23**	**6,41,72,09,23**
अचल सम्पत्तियां Fixed Assets	10	**3,92,71,48**	**2,64,19,18**
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**19,58,13,29**	**16,83,74,49**
	योग / TOTAL :	**10,23,01,54,18**	**9,08,76,97,36**

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET OF STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR AS ON 31ST MARCH, 2015

पूर्वानुबद्ध / Contd.
('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

	अनुसूची Schedule	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	12	**4,44,96,07,36**	**2,82,45,22,20**
संग्रहण हेतु बिल Bills for Collection		**10,45,05**	**20,29,09**
प्रमुख लेखा नीतियां Principal Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on accounts	18		

ज्योति घोष
प्रबन्ध निदेशक
JYOTI GHOSH
MANAGING DIRECTOR

अरुन्धति भट्टाचार्य
अध्यक्ष
ARUNDHATI BHATTACHARYA
CHAIRMAN

वी.जी. कन्नन
V.G. KANNAN

बी. रमेश बाबू
B. RAMESH BABU

रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
RAMESH CHANDRA SRIVASTAVA

वी. श्रीनिवासन
मुख्य महाप्रबन्धक
(वाणिज्यिक बैंकिंग)
V. SRINIVASAN
CHIEF GENERAL MANAGER
(COMMERCIAL BANKING)

एस. वैंकटरामन
मुख्य महाप्रबन्धक
(खुदरा बैंकिंग)
S. VENKATARAMAN
CHIEF GENERAL MANAGER
(RETAIL BANKING)

गुलाब सिंह
GULAB SINGH

मालविका सिन्हा
MALVIKA SINHA

रतन कुमार रुंगटा
RATAN KUMAR ROONGTA

हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव
HIMKAR RAMCHANDRA SRIVASTAVA

भारत रतन
BHARAT RATTAN

एस. के. बिड़ला
उप महाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)
S.K. BIRLA
DY. GENERAL MANAGER
(FINANCE & ACCOUNTS)

सुनील कुमार कौशल
महाप्रबन्धक
(कोष, वित्त एवं लेखा)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
SUNIL KUMAR KOWSHAL
GENERAL MANAGER
(TREASURY, F&A) & CFO

सुनील दत्त बाली
SUNIL DUTT BALI

अरुण कूलवाल
ARUN KOOLWAL

निदेशक DIRECTORS

इसी दिनांक की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **चतुर्वेदी एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302137 ई
(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
(स.स. 12705)
साझेदार

वास्ते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजकरण संख्या 001411 एन
(सीए एम. के. अग्रवाल)
(स.स. 14956)
साझेदार

वास्ते **पी.एस.डी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 004501 सी
(सीए प्रकाश शर्मा)
(स.स. 072332)
साझेदार

वास्ते **ओवेरॉय सूद एण्ड कपूर**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001462 एन
(सीए संजय सूद)
(स.स. 80527)
साझेदार

As per our seperate report of even date

For **Chaturvedi & Co.**
Chartered Accountants
FR NO.302137 E
(CA Satish Chandra Chaturvedi)
(M.No.12705)
Partner

For **M. K. Aggarwal & Co.**
Chartered Accountants
FR NO. 001411N
(CA M.K. Aggarwal)
(M.No.14956)
Partner

For **P S D & Associates.**
Chartered Accountants
FR NO. 004501 C
(CA Prakash Sharma)
(M.No.072332)
Partner

For Uberoi Sood & Kapoor
Chartered Accountants
FR NO. 001462 N
(CA Sanjay Sood)
(M.No.80527)
Partner

मुम्बई Mumbai
06-05-2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		अनुसूची Schedule	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
I.	**आय INCOME**			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	**90,05,45,18**	**81,68,56,31**
	अन्य आय Other income	14	**9,26,39,17**	**8,76,33,68**
	योग / TOTAL :		**99,31,84,35**	**90,44,89,99**
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**60,64,01,71**	**53,44,78,44**
	परिचालन व्यय Operating expenses	16	**17,63,71,37**	**20,05,45,06**
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		**13,27,24,12**	**9,62,97,06**
	योग / TOTAL :		**91,54,97,20**	**83,13,20,56**
III.	**लाभ PROFIT**			
	वर्ष का शुद्ध लाभ Net Profit for the year		**7,76,87,15**	**7,31,69,43**
	अग्रनीत लाभ Profit brought forward		**2**	**2**
	योग / TOTAL		**7,76,87,17**	**7,31,69,45**
IV.	**विनियोजन APPROPRIATIONS**			
	वैधानिक आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		**2,33,06,15**	**2,19,50,83**
	पूंजी आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Capital Reserves		**10,50,56**	**14,30,56**
	विनिवेश आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Investment Reserves		**5,33,29**	**0**
	आयकर अधिनियम की धारा 36 (i) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Special Reserve U/S 36(i)(viii) of IT Act		**71,35,00**	**49,91,00**
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Revenue and Other Reserves		**3,36,51,00**	**3,30,85,84**
	अन्तरिम लाभांश Interim Dividend		**1,00,10,00**	**1,00,10,00**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

पूर्वानुबद्ध / Contd.
('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

	अनुसूची Schedule	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
लाभांश कर Dividend Tax		**20,01,14**	**17,01,20**
लाभ एवं हानि खाते का अतिशेष Balance of Profit & Loss Account		**3**	**2**
योग / TOTAL		**7,76,87,17**	**7,31,69,45**
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ में) Basic Earnings per Share (in ₹)		**110.98**	**104.53**
प्रति शेयर अवमिश्रित अर्जन (₹ में) Diluted Earnings per Share (in ₹)		**110.98**	**104.53**
प्रमुख लेखा नीतियां Principal Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

ज्योति घोष
प्रबन्ध निदेशक
JYOTI GHOSH
MANAGING DIRECTOR

अरुन्धति भट्टाचार्य
अध्यक्ष
ARUNDHATI BHATTACHARYA
CHAIRMAN

वी.जी. कन्नन
V.G. KANNAN

बी. रमेश बाबू
B. RAMESH BABU

रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
RAMESH CHANDRA SRIVASTAVA

गुलाब सिंह
GULAB SINGH

मालविका सिन्हा
MALVIKA SINHA

रतन कुमार रुंगटा
RATAN KUMAR ROONGTA

हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव
HIMKAR RAMCHANDRA SRIVASTAVA

भारत रतन
BHARAT RATTAN

सुनील दत्त बाली
SUNIL DUTT BALI

अरुण कूलवाल
ARUN KOOLWAL

वी. श्रीनिवासन
मुख्य महाप्रबन्धक
(वाणिज्यिक बैंकिंग)
V. SRINIVASAN
CHIEF GENERAL MANAGER
(COMMERCIAL BANKING)

एस. वैंकटरामन
मुख्य महाप्रबन्धक
(खुदरा बैंकिंग)
S. VENKATARAMAN
CHIEF GENERAL MANAGER
(RETAIL BANKING)

एस. के. बिड़ला
उप महाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)
S.K. BIRLA
DY. GENERAL MANAGER
(FINANCE & ACCOUNTS)

सुनील कुमार कौशल
महाप्रबन्धक
(कोष, वित्त एवं लेखा)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
SUNIL KUMAR KOWSHAL
GENERAL MANAGER
(TREASURY, F&A) & CFO

निदेशक DIRECTORS

इसी दिनांक की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **चतुर्वेदी एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302137 ई
(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
(स.स. 12705)
साझेदार

वास्ते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजकरण संख्या 001411 एन
(सीए एम. के. अग्रवाल)
(स.स. 14956)
साझेदार

वास्ते **पी.एस.डी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 004501 सी
(सीए प्रकाश शर्मा)
(स.स. 072332)
साझेदार

वास्ते **ओवेरॉय सूद एण्ड कपूर**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001462 एन
(सीए संजय सूद)
(स.स. 80527)
साझेदार

As per our seperate report of even date

For **Chaturvedi & Co.**
Chartered Accountants
FR NO.302137 E
(CA Satish Chandra Chaturvedi)
(M.No.12705)
Partner

For **M. K. Aggarwal & Co.**
Chartered Accountants
FR NO. 001411N
(CA M.K. Aggarwal)
(M.No.14956)
Partner

For **P S D & Associates.**
Chartered Accountants
FR NO. 004501 C
(CA Prakash Sharma)
(M.No.072332)
Partner

For **Uberoi Sood & Kapoor**
Chartered Accountants
FR NO. 001462 N
(CA Sanjay Sood)
(M.No.80527)
Partner

मुम्बई Mumbai
06-05-2015

अनुसूची 1 **पूँजी**
SCHEDULE 1 **CAPITAL**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
प्राधिकृत पूँजी (₹10/- प्रति शेयर वाले 50,00,00,000 ईक्विटी शेयर)		
Authorised Capital (50,00,00,000 equity shares of ₹10/- each)	**5,00,00,00**	**5,00,00,00**
निर्गमित पूँजी (₹10/- प्रति शेयर वाले 7,00,00,000 ईक्विटी शेयर)		
Issued Capital (7,00,00,000 equity shares of ₹10/- each)	**70,00,00**	**70,00,00**
अभिदत्त, आहूत तथा प्रदत्त पूँजी (₹10/- प्रति शेयर वाले 7,00,00,000 ईक्विटी शेयर)		
Subscribed, Called-up & Paid-up Capital (7,00,00,000 equity shares of ₹10/- each)	**70,00,00**	**70,00,00**
योग / TOTAL :	**70,00,00**	**70,00,00**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014
I.	**वैधानिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves**	₹	₹
	अथशेष Opening Balance	**17,11,96,88**	**14,92,46,05**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**2,33,06,15**	**2,19,50,83**
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	**0**	**0**
	योग / TOTAL :	**19,45,03,03**	**17,11,96,88**
II.	**पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves**		
	अथशेष Opening Balance	**73,37,71**	**59,07,14**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**10,50,56**	**14,30,57**
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	**0**	**0**
	योग / TOTAL :	**83,88,27**	**73,37,71**
III.	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	अथशेष Opening Balance	**8,66,64,49**	**8,66,64,49**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**0**	**0**
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	**0**	**0**
	योग / TOTAL :	**8,66,64,49**	**8,66,64,49**
IV.	**विनिवेश आरक्षित निधियाँ/ Investment Reserves**		
	अथशेष Opening Balance	**0**	**0**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**5,33,29**	**0**
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	**0**	**0**
	योग / TOTAL :	**5,33,29**	**0**
V.	**राजस्व एवं आरक्षित निधियाँ/ Revenue & Other Reserves**		
	अथशेष Opening Balance	**24,89,54,60**	**21,81,48,80**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**3,36,51,00**	**3,40,16,84**
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	**0**	**32,11,04**
	योग / TOTAL :	**28,26,05,60**	**24,89,54,60**
VI.	आयकर अधिनियम की धारा 36 **(i) (viii)** के अन्तर्गत विशेष आरक्षितियाँ **Special Reserve U/S 36 (i)(viii) of IT Act**		
	अथशेष Opening Balance	**1,44,38,00**	**94,47,00**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**71,35,00**	**49,91,00**
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the year	**0**	**0**
	योग / TOTAL :	**2,15,73,00**	**1,44,38,00**
VII.	**लाभ और हानि खाते का अतिशेष** **Balance in Profit & Loss Account**	**3**	**2**
	योग : (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) / TOTAL (I, II, III. IV, V, VI and VII)	**59,42,67,71**	**52,85,91,69**

अनुसूची 3 — निक्षेप
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
क. A.	I.	**मांग निक्षेप Demand Deposits**		
		i) बैंकों से / From banks	**2,56,57,04**	**2,63,77,52**
		ii) अन्य से / From others	**39,31,01,06**	**38,67,19,59**
	II.	**बचत बैंक निक्षेप Savings Bank Deposits**	**2,85,38,65,89**	**2,50,58,06,18**
	III.	**सावधि निक्षेप Term Deposits**		
		i) बैंकों से / From Banks	**7,45,71,94**	**6,78,44,28**
		ii) अन्य से / From Others	**5,07,67,31,44**	**4,40,07,25,17**
		योग : **(I, II एवं III) TOTAL (I, II and III)**	**8,42,39,27,37**	**7,38,74,72,74**
ख. B.	I.	भारत में शाखाओं के निक्षेप Deposits of branches in India	**8,42,39,27,37**	**7,38,74,72,74**
	II.	भारत के बाहर की शाखाओं के निक्षेप Deposits of branches outside India	**0**	**0**
		योग : **(I एवं II) TOTAL (I and II)**	**8,42,39,27,37**	**7,38,74,72,74**

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.		**भारत में उधार Borrowings in India**		
	i)	भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	**0**	**0**
	ii)	अन्य बैंक Other Banks	**16,00,00,00**	**8,00,00,00**
	iii)	अन्य संस्थाए और अभिकरण Other Institutions and Agencies	**28,48,39,09**	**32,17,12,44**
		भारत में कुल उधार Total Borrowing in India	**44,48,39,09**	**40,17,12,44**
II.		**भारत के बाहर से उधार Borrowings outside India**	**12,75,00,00**	**5,39,23,50**

III.	सतत टियर-I (आई.पी.डी.आई) बंधपत्र सीरिज-I **Perpetual Tier-I (IPDI) Bonds Series-I**		**2,00,00,00**	**2,00,00,00**
IV.	गौण देयताएं **Subordinated Debts**			
	i)	गौण देयताएं /बन्ध पत्र टियर-II पूंजी Subordinate Debts/Bonds Forming Tier-II Capital	**10,00,00,00**	**15,00,00,00**
	ii)	समिश्र देयताएं/बन्ध पत्र टियर-II पूंजी Hybrid Debts/Bonds Forming Tier-II Capital	**4,50,00,00**	**4,50,00,00**
	iii)	टियर-II बासेल-III अनुपालना बाण्ड्स 2015 Tier-II Basel-III Compliant Bonds 2015	**2,00,00,00**	**0**
		योग : (I से IV)/ TOTAL : (I to IV)	**75,73,39,09**	**67,06,35,94**
	उपर्युक्त में सम्मिलित जमानती कर्ज Secured borrowings included in above		**43,92,14,09**	**39,03,28,59**

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और प्रावधान
SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.	संदेय बिल **Bills Payable**	**12,15,67,36**	**11,99,79,29**
II.	अंश पत्र आवेदन राशि **Share Application Money**	**0**	**0**
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) **Inter-office adjustments (net)**	**72,26,96**	**7,75,67,93**
IV.	उपचित ब्याज **Interest accrued**	**7,83,83,18**	**7,30,20,05**
V.	आस्थगित कर दायित्व (निवल) **Deffered Tax Liability (Net)**	**86,64,84**	**32,58,31**
VI	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) **Others (including provisions)**	**23,17,77,67**	**22,01,71,41**
	योग / TOTAL :	**44,76,20,01**	**49,39,96,99**

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष
SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.	**हाथ में नकदी** **Cash in hand** (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) (including foreign currency notes)		**5,58,04,53**	**4,32,77,04**
II.	**भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष** **Balance with Reserve Bank of India**			
	i)	चालू खातों में In Current Accounts	**72,29,15,36**	**63,13,62,90**
	ii)	अन्य खातों में in Other Accounts	**0**	**0**
		योग : (I एवं II) / TOTAL : (I & II)	**77,87,19,89**	**67,46,39,94**

बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I. भारत में In India		
i) **बैंकों में अतिशेष Balance with banks**		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	1,12,79	14,75,56
ख) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts	0	1,00,00,00
ii) **मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice**		
a) बैंकों के पास With banks	0	0
b) अन्य संस्थाओं के पास With other institutions	0	0
योग : (i एवं ii) / TOTAL : (i & ii)	**1,12,79**	**1,14,75,56**
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	23,52,91	1,45,51,42
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1,25,00,00	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	0	0
योग : (i, ii एवं iii) / TOTAL : (i, ii & iii)	**1,48,52,91**	**1,45,51,42**
योग : (I एवं II) / TOTAL : (I & II)	**1,49,65,70**	**2,60,26,98**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.	**भारत में विनिवेश Investments in India in**		
i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	**2,06,32,26,02**	**1,65,27,63,65**
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	**0**	**0**
iii)	अंश पत्र / Shares	**1,34,44,43**	**1,19,79,03**
iv)	ऋणपत्र और बंधपत्र / Debentures and Bonds	**4,48,60,71**	**4,76,60,71**
v)	समनुषंगी और / अथवा संयुक्त उद्यम / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Subsidiaries and/or joint ventures/Regional Rural Banks	**56,40,16**	**56,40,16**
vi)	अन्य / Others		
	• प्रतिभूति रसीद / Security Receipts	**1,91,01,77**	**0**
	• वाणिज्यिक पत्र /Commercial Paper	**49,46,48**	**97,73,83**
	• भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंशदायी शेयर Contributory shares of UTI	**0**	**0**
	• नाबार्ड के पास आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत जमा Deposit with NABARD under RIDF Scheme	**3,14,77,76**	**3,82,68**
	• निक्षेप प्रमाण पत्र / Certificate of Deposit	**6,00,71,80**	**4,41,31,58**
	• यू.एच.एफ./आर.एच.एफ. के अर्न्तगत एन.एच.बी. के पास जमा Deposits with NHB under UHF/RHF	**12,01,50**	**0**
	• उद्यम पूंजी कोष/ Venture Capital Fund	**24,70,96**	**0**
	• म्युच्युअल फंड / Mutual Funds	**1,00,00**	**26,95,90**
	योग (i से vi) / TOTAL (i to vi):	**2,24,65,41,59**	**1,77,50,27,54**
II.	**भारत के बाहर विनिवेश Investments outside India in**		
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government securities (including local authorities)	**0**	**0**
ii)	विदेशों में समनुषंगी और / अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**0**	**0**
iii)	अन्य विनिवेश Other investments	**0**	**0**
	योग (i से iii) / TOTAL (i to iii) :	**0**	**0**
	योग : (I एवं II) / TOTAL : (I & II)	**2,24,65,41,59**	**1,77,50,27,54**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
(क) A.	i)	क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted	**18,82,83,02**	**18,68,19,66**
	ii)	नकद-साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति-संदेय उधार Cash Credits, overdrafts and loans repayable on demand	**3,47,59,68,61**	**3,12,91,67,51**
	iii)	सावधि उधार Term loans	**3,29,05,90,60**	**3,10,12,22,06**
		योग / TOTAL :	**6,95,48,42,23**	**6,41,72,09,23**
(ख) B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरूद्ध अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**6,04,27,09,52**	**5,47,36,95,27**
	ii)	बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**18,30,69,41**	**13,39,89,68**
	iii)	अप्रतिभूत Unsecured	**72,90,63,30**	**80,95,24,28**
		योग / TOTAL :	**6,95,48,42,23**	**6,41,72,09,23**
(ग) C.	**I.**	**भारत में अग्रिम Advances in India**		
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	**2,69,34,17,78**	**2,31,30,26,39**
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**33,16,25,75**	**31,33,25,90**
	iii)	बैंक Banks	**48,70**	**6,50,18,44**
	iv)	अन्य Others	**3,92,97,50,00**	**3,72,58,38,50**
		योग / TOTAL :	**6,95,48,42,23**	**6,41,72,09,23**
	II.	**भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India**		
	i)	बैंकों से प्राप्य Due from Banks	**0**	**0**
	ii)	अन्य से प्राप्य Due from others		
		क. a) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted	**0**	**0**
		ख. b) सामूहिक उधार Syndicated loans	**0**	**0**
		ग. c) अन्य Others	**0**	**0**
		योग / TOTAL :	**0**	**0**
		योग : (ग.I एवं ग.II) / TOTAL : (C.I & C.II)	**6,95,48,42,23**	**6,41,72,09,23**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.	**परिसर** **Premises**		
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	70,71,26	70,58,14
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	0	13,12
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
	अब तक मूल्यहास/Depreciation to date	20,62,71	37,19,37
	योग / TOTAL :	50,08,55	33,51,89
II.	**अन्य अचल सम्पत्तियां** **Other Fixed Assets** (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (including furniture and fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	8,65,33,60	7,56,92,24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1,57,78,64	1,36,15,94
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	56,05,15	27,74,57
	अब तक मूल्य हास / Depreciation to date (₹32.87 करोड़ के विक्रय /अपलेखन के कारण समायोजन के पश्चात् शुद्ध; गत वर्ष ₹ 4.39 करोड़) (Net of adjustments on account of sale/write-off ₹ 32.87 Crore; Previous year ₹ 4.39 Crore)	6,64,13,73	6,34,66,32
	योग / TOTAL :	3,02,93,36	2,30,67,29
III.	***पट्टाकृत आस्तियां** ***Leased Assets**		
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	45,20,02	45,20,02
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
	अब तक मूल्य हास / Depreciation to date	40,49,57	40,49,57
	पट्टा समायोजन / Lease Adjustment	-4,70,45	-4,70,45
	*(पूर्ण परिशोध्य आस्तियां, जिनका समस्त पट्टा प्रतिफल प्राप्त हो गया है) *(Represents fully amortised assets where entire lease consideration has been received)		
	योग / TOTAL :	0	0
IV.	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर** **Capital Work in Progress**	39,69,57	0
	योग : (I, II, III एवं IV) / TOTAL : (I, II, III & IV)	3,92,71,48	2,64,19,18

अनुसूची 11
SCHEDULE 11

अन्य आस्तियां
OTHER ASSETS

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) **Inter-office adjustments (net)**	**0**	**0**
II.	उपचित ब्याज **Interest accrued**	**10,07,68,17**	**8,82,42,44**
III.	अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को घटाकर) **Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)**	**5,71,93,64**	**2,70,57,15**
IV.	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) **Deferred Tax Assets (Net)**	**0**	**0**
V.	लेखन-सामग्री और स्टाम्प **Stationery and Stamps**	**4,69,60**	**4,71,75**
VI.	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर बैंककारी आस्तियां **Non-banking assets acquired in satisfaction of claims**	**0**	**0**
VII.	अन्य **Others**	**3,73,81,88**	**5,26,03,15**
	योग / TOTAL :	**19,58,13,29**	**16,83,74,49**

अनुसूची 12 आकस्मिक दायित्व
SCHEDULE 12 CONTINGENT LIABILITIES

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015 ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014 ₹
I.	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	26,31,97	45,13,28
II.	अंशतः संदत्त विनिवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	1,17,67	1,17,67
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	3,56,45,96,42	1,95,00,79,25
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां @ Guarantees given on behalf of constituents @		
	क) भारत में a) In India	40,21,38,54	39,20,91,55
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	0	0
V.	स्वीकृत बिल, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ # Acceptances, endorsements and other obligations #	39,52,54,15	39,95,64,80
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	8,48,68,61	7,81,55,65
	योग / TOTAL :	4,44,96,07,36	2,82,45,22,20

@ ₹ 948.80 करोड़ से नकदी मार्जिन/प्रावधान घटाकर निवल (गत वर्ष ₹ 757.62 करोड़)
Net after deducting cash margin/provision of ₹948.80 crores. (Previous year ₹757.62 crores)

₹379.09 करोड़ से नकदी मार्जिन घटाकर निवल (गत वर्ष ₹ 439.62 करोड़)
Net after deducting cash margin of ₹ 379.09 crores. (Previous year ₹ 439.62 crores)

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 INTEREST EARNED

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
I.	अग्रिमों/ विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	71,20,41,42	65,62,46,22
II.	विनिवेशों पर आय Income on investments	18,24,33,56	15,50,56,26
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	49,00,99	30,76,36
IV.	अन्य / Others	11,69,21	24,77,47
	योग / TOTAL :	90,05,45,18	81,68,56,31

अनुसूची 14
SCHEDULE 14

अन्य आय
OTHER INCOME

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली **Commission, exchange and brokerage**	**6,17,90,55**	**6,06,74,30**
II.	विनिवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) **Profit on sale of investments (net)**	**1,54,01,77**	**1,38,63,39**
III.	विनिवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ **Profit on revaluation of investments**	**0**	**0**
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय/अपलेखन पर लाभ/हानि **Profit/Loss on sale/write off of land, building and other assets**	**0**	**0**
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ (निवल) **Profit on exchange transactions (net)**	**62,08,83**	**54,77,51**
VI.	विदेश / भारत में स्थापित समनुषंगी / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय **Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India**	**0**	**0**
VII.	पट्टा किराया **Lease Rental**	**0**	**0**
	पट्टा समकरण **Lease Equalisation**	**0**	**0**
VIII.	विविध आय **Miscellaneous Income**	**92,38,02**	**76,18,48**
	योग / TOTAL :	**9,26,39,17**	**8,76,33,68**

अनुसूची 15
SCHEDULE 15

व्यय किया गया ब्याज
INTEREST EXPENDED

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
I.	निक्षेपों पर ब्याज **Interest on Deposits**	**54,67,36,07**	**48,65,40,14**
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज **Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings**	**4,15,08,79**	**2,83,06,65**
III.	अन्य **Others**	**1,81,56,85**	**1,96,31,65**
	योग / TOTAL :	**60,64,01,71**	**53,44,78,44**

(‘000 को छोड़ दिया गया है)
(‘000 omitted)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान **Payments to and provisions for employees**	**10,12,91,19**	**12,95,63,15**
II.	किराया, कर और रोशनी **Rent, taxes and lighting**	**1,69,19,97**	**1,45,63,39**
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री **Printing and stationery**	**18,87,23**	**15,50,58**
IV.	विज्ञापन और प्रचार **Advertisement and publicity**	**16,27,20**	**14,94,60**
V.	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास **Depreciation on Bank's property**	**37,46,63**	**75,55,44**
VI.	पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास **Depreciation on Leased Assets**	**0**	**0**
VII.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय **Directors' fee, allowances and expenses**	**25,95**	**50,09**
VIII.	लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों सहित) **Auditors' fee and expenses (including branch auditors)**	**15,28,74**	**15,18,05**
IX.	विधि प्रभार **Law charges**	**3,44,14**	**4,00,19**
X.	डाक, तार, टेलीफोन **Postage, Telegrams, Telephones**	**24,81,94**	**25,73,30**
XI.	मरम्मत और अनुरक्षण **Repairs and maintenance**	**22,44,43**	**20,18,71**
XII.	बीमा **Insurance**	**90,61,53**	**83,04,60**
XIII.	अन्य व्यय **Other expenditure**	**3,52,12,42**	**3,09,52,96**
	योग / TOTAL :	**17,63,71,37**	**20,05,45,06**

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

अ. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणियाँ, अवधिगत लागत आधार तथा लेखों के प्रोद्भवन आधार पर तैयार की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा गया हो तथा वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में वर्णित सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में बैंकिग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल हैं।

ब प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबन्धन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताऐं सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एंव व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है । प्रबन्धन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेक पूर्ण और यथोचित है । भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं । लेखा प्राक्कलनों में किसी संशोधनों का वर्तमान और भविष्यगत अवधियों के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञान किया गया है ।

1. राजस्व गणना

1.1 आय एवं व्यय की गणना उपार्जित आधार पर की जाती है, सिवाय निम्नांकित आय के, जिनकी गणना नकद आधार पर की जाती है :

i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी नियमों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों पर ब्याज एवं अन्य आय
ii) गैर निष्पादित निवेशों पर ब्याज
iii) साख-पत्रों एवं प्रत्याभूतियों पर कमीशन (आस्थागित भुगतान प्रत्याभूतियों के अतिरिक्त)
iv) बीमा दावे
v) अंश एवं म्युच्युअल फण्ड यूनिटों पर लाभांश
vi) खरीदे गये अतिदेय माँग बिलों पर ब्याज
vii) लॉकर किराया
viii) कर वापसी पर ब्याज
ix) परस्पर विक्रय कार्य से कमीशन

1.2 विनिवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के विनिवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को लागू करों और 'पूंजी आरक्षित खाते' में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।

1.3 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के विनिवेश, जो अंकित मूल्य से बट्टे पर प्राप्त किये गये हैं, पर आय (ब्याज को छोड़कर) को निम्नानुसार अभिज्ञानित किया गया है:

(अ) ब्याज धारित प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है।

(ब) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखों में लिया गया है।

2. विदेशी विनिमय के अन्तर्गत संव्यवहार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के विदेशी विनिमय व्यवहारों के रूपान्तरण से सम्बन्धित लेखा मानक संख्या-11 (संशोधित 2003) का बैंक द्वारा अनुसरण किया गया है एवं तदनुसार:-

2.1 विदेशी मुद्रा से संव्यवहारों को लेन-देन की तिथि पर विदेशी मुद्रा राशि को प्रतिवेदित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर के प्रयोग द्वारा फलित प्रतिवेदित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया जाता है।

2.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को फेडई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग कर प्रतिवेदित किया जाता है तथा इससे परिणामित लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में ले जाया जाता है।

2.3 मौद्रिक मदों को दर्ज करने की दरों एवं उनके निपटान पर आए विनिमय अन्तर को उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय में शामिल किया गया है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention, on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, and are in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India (GAAP), statutory requirements prescribed under the Banking Regulation Act 1949, circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and current practices prevailing within the banking industry in India.

B USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements require the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

1. REVENUE RECOGNITION

1.1 Income & Expenditure are accounted on accrual basis except the following income, which are recognised on cash basis:

i) Interest and other income on Non Performing Assets as per IRAC norms prescribed by RBI
ii) Interest on Non-performing Investments
iii) Commission on L.Cs. and Guarantees (excluding Deferred Payment Guarantees)
iv) Insurance claims
v) Dividend on shares and units of Mutual Funds
vi) Interest on overdue demand bills purchased
vii) Locker Rent
viii) Interest on Tax refund
ix) Commission from Cross Selling Activities

1.2 Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however, the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.

1.3 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

a) On Interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/redemption.
b) On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

The Bank has followed the Accounting Standard-11 (Revised 2003) issued by the Institute of Chartered Accountants of India regarding foreign exchange transactions and accordingly:-

2.1 Foreign Currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

2.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rate and resultant gain / loss is recognised to Profit and Loss Account.

2.3 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at the rates different from those at which they were initially recorded, are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

2.4 विदेशी मुद्रा में जारी किये गये गारंटी, साख पत्र तथा वायदा विनिमय संविदाएं फेडई दर पर तुलन-पत्र की तिथि को तय किये जाते हैं।

3. विनिवेश

3.1 सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में 31.12.2010 तक किये गये लेन देन 'व्यापार तिथि' पर दर्ज किए गये हैं तथा 01.01.2011 से 'निपटान तिथि' को लेखों में लिये गये हैं।

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार विनिवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'विक्रय के लिये उपलब्ध' तथा 'व्यवसाय के लिये रखी गई' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखने हेतु किये गये निवेश को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

3.3 बैंक द्वारा अल्प कालीन मूल्य/ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों का लाभ प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियों को 'व्यवसाय के लिये रखी गई' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

3.4 उक्त दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत नही आनेवाली प्रतिभूतियों को 'विक्रय के लिये उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

3.5 'व्यवसाय के लिए रखी गई'/'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के प्रतिभूति का 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अन्तरण, अन्तरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। ऐसे अन्तरण पर ह्रास, यदि कोई हो, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है। तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी की प्रतिभूतियों का 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अन्तरण अर्जन मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अन्तरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुर्नमूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामित ह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है।

3.6 निवेश की अर्जन लागत का निर्धारण करने हेतु:-

अ प्रतिभूति की लागत से दलाली/निवेश पर प्राप्त कमीशन को घटा दिया जाता है।

ब प्रतिभूति को अभिग्रहित करने हेतु भुगतान की गई दलाली, कमीशन इत्यादि को राजस्व व्यय माना जाता है।

स प्रतिभूति को अभिग्रहित करने की तिथि तक का उपार्जित ब्याज अर्थात खण्डित अवधि के ब्याज को अभिग्रहण लागत से निकाल दिया जाता है तथा इसे 'ब्याज उपार्जित पर देय नहीं' खाते में सम्मिलित किया जाता है।

3.7 निवेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक/फिमडा के दिशानिर्देशानुसार निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:-

'परिपक्वता तक धारित'

i) 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों को अभिग्रहण लागत पर रखा जाता है। जहां पुस्तक मूल्य, अंकित मूल्य/शोधन मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ii) समनुषंगी/सह उद्यमों/सहयोगियों में किये गये निवेश का मूल्यांकन वहन मूल्य पर, अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, ह्रास को कम करके किया जाता है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये गये निवेश का मूल्यांकन वहन मूल्य पर किया जाता हैं।

iv) उद्यम पूंजी कोष में किये गये निवेश का मूल्यांकन वहन मूल्य पर किया जाता है।

'विक्रय के लिये उपलब्ध' तथा 'व्यवसाय के लिये रखी गयी' :-

अ.	सरकारी प्रतिभूतियां I. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	बाजार मूल्य पर/फिमडा द्वारा प्रकाशित परिपक्वता प्रतिफल दर पर
	II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	फिमडा/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उपयुक्त परिपक्वता प्रतिफल दर पर
ब.	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन्ध-पत्र (जो अग्रिमों के अंतर्गत नहीं है)	फिमडा/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उपयुक्त परिपक्वता प्रतिफल दर पर
स.	कोषागार बिल	वहन मूल्य पर
द.	समता अंश	बाजार मूल्य पर, यदि उद्धरित हो, अन्यथा अंश के बही मूल्य पर, यदि नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) हो अन्यथा ₹1/- प्रति कम्पनी
य.	अधिमान अंश	बाजार मूल्य पर, यदि उद्धरित हो, अथवा उपयुक्त परिपक्वता प्रतिफल दर पर जो भारतीय रिज़र्व बैंक/फिमडा के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत शोधन मूल्य से अधिक न हो

2.4 Guarantees, Letters of Credit and Forward Exchange Contracts issued in foreign currencies are translated at FEDAI rates on the Balance Sheet date.

3. INVESTMENTS

3.1 The Transactions in all types of securities including Government Securities are recorded on 'Trade Date' upto 31.12.2010 and on 'Settlement date' with effect from 01.01.2011.

3.2 Investments have been classified into 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading' in terms of RBI guidelines. Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity is classified under 'Held to Maturity'.

3.3 The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantage of short-term price/ interest rate movements are classified under 'Held for Trading'.

3.4 The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under 'Available for Sale'.

3.5 Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

3.6 In determining acquisition cost of an investment:-

a. Brokerage / commission received on subscription is deducted from the cost of securities.

b. Brokerage, commission etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

c. Interest accrued up to the date of acquisition of securities i.e. broken-period interest is excluded from the acquisition cost and the same is accounted in interest accrued but not due account.

3.7 Investments are valued as per RBI/FIMMDA guidelines, on the following basis:

'Held to Maturity'

i) Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity.

ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary, in nature.

iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

iv) Investment in venture capital is valued at carrying cost.

'AVAILABLE FOR SALE' AND 'HELD FOR TRADING':-

a)	Govt. Securities I. Central Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)
	II. State Govt. Securities	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
b)	Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines
c)	Treasury Bills	At carrying cost
d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per the latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at ₹1/- per company
e)	Preference shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines

र.	बन्ध-पत्र एवं ऋण-पत्र (जो अग्रिमों के अन्तर्गत न हो)	बाजार मूल्य पर, यदि उद्धरित हो, अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक/फिमडा के दिशानिर्देशानुसार उपयुक्त परिपक्वता प्रतिफल दर पर
ल.	म्युच्युअल फण्ड यूनिट	स्टाक एक्सचेंज द्वारा उद्धरित मूल्य पर, यदि उद्धरित है, यदि अउद्धरित है तो पुर्नखरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य पर
व.	वाणिज्यिक प्रपत्र	वहन मूल्य पर
श.	जमा प्रमाण-पत्र	वहन मूल्य पर
ष.	आरसिल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद	आरसिल द्वारा घोषित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य पर
स.	उद्यम पूंजी कोष	उद्यम पूंजी कोष द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य पर
ह.	अन्य निवेश	ह्रास को घटाने के पश्चात, वहन मूल्य पर

'विक्रय के लिये उपलब्ध' तथा 'व्यवसाय के लिये रखी गई' श्रेणी का उपरोक्त मूल्यांकन लिखतों के आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक श्रेणी हेतु मूल्य ह्रास/वृद्धि को समेकित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी हेतु निवल ह्रास का प्रावधान किया जाता है जबकि निवल वृद्धि को छोड़ दिया जाता है।

3.8 निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर निष्पादित निवेश वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण मानदण्डों के अन्तर्गत उपयुक्त प्रावधान/आय की अमान्यता के अधीन है। गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के मूल्य ह्रास/प्रावधान को अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों की वृद्धि के साथ पूरित नही किया जाता है।

3.9 रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेनदेन का लेखा (भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि समायोजन सुविधा के अन्तर्गत किये गये लेन-देनों के अतिरिक्त)

रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेनदेनों के अन्तर्गत विक्रय तथा क्रय की गयी प्रतिभूतियों का लेखा संपार्श्विक ऋण एवं उधार लेनदेनों के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अन्तरण सामान्य एक मुश्त विक्रय/क्रय माना गया है एवं प्रतिभूतियों का संचलन रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खाता तथा दुतरफा प्रविष्टि का प्रयोग करते हुए दर्शाया जाता है। उक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तन किया जाता है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखों में लिया गया है। रिपो खाते की शेष राशि का वर्गीकरण अनुसूची-4 (उधार) तथा प्रत्यावर्तित रिपो खाते की शेष राशि का वर्गीकरण अनुसूची-7 (बैंकों में अतिशेष तथा मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन) में किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखों में लिया गया है।

4. अग्रिम

4.1 गैर निष्पादित अग्रिमों के सम्बन्ध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आय अभिज्ञान एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

4.2 अग्रिमों को विशेष ऋण हानि प्रावधान, अस्थाई प्रावधान, ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावे, पुनर्बट्टाकृत बिल, उचित मूल्य में हुई कमी एवं त्याग किये गये ब्याज को कम करके दिखाया गया है।

4.3 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलपनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4.4 धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित किए गए आस्तियों पर प्रावधान, आस्तियों के धोखाधड़ी रूप में घोषित होने के पश्चात अगले चार तिमाहियों में किया जाता है।

f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/ FIMMDA guidelines.
g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted
h)	Commercial paper	At carrying cost
i)	Certificate of Deposits	At carrying cost.
j)	Security receipts of ARCIL	At net asset value of the asset as declared by ARCIL
k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value

The above valuation in category of 'Available for Sale' and 'Held for Trading' are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification if any is provided for while net appreciation is ignored.

3.8 Investments are subject to appropriate provisioning/de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

3.9 Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

4. ADVANCES

4.1 Assets Classification and provisioning in respect of Non-Performing Advances is made as per Income Recognition, Asset Classification & Provisioning (IRAC) norms issued by the Reserve Bank of India.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, floating provision, ECGC claims received, bills rediscounted, provision for diminution in fair value and interest sacrifice.

4.3 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions–Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

4.4 In case of assets identified as fraud, the provisioning is done over four quarters upon declaration of fraud.

4.5 वाद दायर हो चुके खातों में विधिक व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है तथा इनमें हुई वसूली को राजस्व व्यय में जमा किया जाता है।

4.6 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशानुसार लेखों में लिया गया है:-

i) जब कोई बैंक / वित्तीय संस्था अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय करती है तो अन्तरण के पश्चात यह आस्ति उसकी बही से हट जायेगी।

ii) यदि प्रतिभूतिकरण/पुर्ननिर्माण कंपनी को विक्रय निवल बही मूल्य (एन.बी.वी) (अर्थात प्रावधान घटाकर बही मूल्य) से कम है, तो इस कमी को उसी वर्ष लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। अनर्जक खाते के बिक्री पर हुए घाटे, अर्थात जब विक्रय निवल बही मूल्य (एन.बी.वी) से कम पर हो, को पूरा करने हेतु बैंक प्रति चक्रीय प्रावधान/चलायमान प्रावधान का उपयोग कर सकता है।

iii) 26 फरवरी, 2014 से पूर्व विक्रय किए गए आस्तियों का विक्रय मूल्य यदि निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान की उलट प्रविष्ठि नहीं की जायेगी अपितु इसका उपयोग प्रतिभूतिकरण/पुर्ननिर्माण कंपनी को घाटे में बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों हेतु किया जायेगा। 26 फरवरी, 2014 के बाद विक्रय किए गए आस्तियों के मामले में यदि विक्रय राशि एन.बी.वी. से अधिक है तो अनर्जक आस्तियों की बिक्री पर अधिक्य प्रावधान को अभिलेखित किया जायेगा। पुन: अधिक्य प्रावधान के राशि की उलट प्रविष्ठि आस्ति के एन.बी.वी से अधिक प्राप्त नकदी तक ही सीमित रहेगी।

तथापि 26 फरवरी, 2014 के बाद तथा 31 मार्च, 2015 तक बेची गई आस्तियों के लिए, अनर्जक आस्तियों के शीघ्र विक्रय पर प्रोत्साहन स्वरूप, यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से कम पर है, तो कमी का प्रावधान दो वर्षों में किया जाता है।

4.7 अग्रिमों की पुनर्रचना/पुननिर्धारण के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर अग्रिमों के उचित मूल्य में हुई कमी हेतु प्रावधान किया जाता है।

5. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में अग्रिमों, विनिधानों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक रूप में अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु अनुमोदित नीति है, सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किया जाएगा, इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है।

6. देश सम्बन्धी निवेश (एक्सपोजर) हेतु प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किये गये विशिष्ट प्रावधानो के अतिरिक्त व्यक्तिगत देश सम्बन्धी निवेश (एक्सपोजर) (गृह देश के अतिरिक्त) के लिए भी प्रावधान किया जाता है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यथा गैर महत्वपूर्ण, निम्न, मध्यम, उच्च, अतिउच्च, प्रतिबन्धित एवं गैर-साख तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया जाता है। यदि प्रत्येक देश के साथ बैंक के देश सम्बन्धी निवेश (निवल) बैंक के कुल कोष आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है तो इन देश सम्बन्धी निवेश पर प्रावधान नहीं रखा जाता है। प्रावधान को तुलन-पत्र की अनुसूची-5 'अन्य दायित्व एवं प्रावधान' के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

7. पट्टाकृत आस्तियाँ

7.1 पट्टा आय भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पट्टे की प्राथमिक अवधि में आन्तरिक प्रतिफल दर से अभिज्ञानित कर लेखित की जाती है।

7.2 ह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर समान दर विधि से किया जाता है। अतिरिक्त पट्टा मूल्यह्रास को लागू दिशा-निर्देशानुसार पट्टा समायोजन खाते के द्वारा पट्टाकृत आस्तियों की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

7.3 गैर-निष्पादित पट्टाकृत आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अग्रिमों पर लागू आईआरएसी के प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है।

8. व्युत्पन्न

8.1 तुलनपत्र/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं अथवा इनके क्रय विक्रय उद्देश्यों हेतु बचाव व्यवस्था करने के लिए व्युत्पन्न संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार निष्पादित किए जाते हैं, तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो, इन व्युत्पन्न लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

8.2 सभी व्युत्पन्न लिखतों को तुलनपत्र में आस्तियों या देयताओं के रूप में शामिल किया गया है और इनकी बाजार के अंकित मूल्य के अनुसार गणना की गई है।

4.5 Legal expenses incurred in respect of suit filed accounts are treated as revenue expenditure and on recovery the same are credited to revenue expenditure.

4.6 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI :-

(i) When a bank/FI sells its financial assets, on transfer the same will be removed from its books.

(ii) If the sale to SC/RC is at a price below the net book value (NBV) (i.e., book value less provisions held), the shortfall should be debited to the profit and loss account of that year. Bank can also use countercyclical/ floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the net book value (NBV).

(iii) With regard to assets sold before February 26, 2014, excess provision, on account of sale value being higher than NBV, is not reversed but is utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC/RC. In case of assets sold after February 26, 2014 excess provision on sale of NPAs is accounted if the value is higher than NBV. Further, reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the assets.

However, for assets sold on or after February 26, 2014 and upto March 31, 2015, as an incentive for early sale of NPAs, Bank is providing, any shortfall, if the sale value is lower than the NBV, over a period of two years.

4.7 In case of restructuring /rescheduling of advances, erosion in the fair value of advances is provided on the basis of present values computed in the manner prescribed by the RBI.

5. FLOATING PROVISION

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6. PROVISION FOR COUNTRY EXPOSURE

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the “Other liabilities & Provisions–Others”.

7. LEASED ASSETS

7.1 Lease income is recognised based on the internal rate of return method over the primary period of the leased assets and accounted for in accordance with guideline/Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

7.2 Depreciation is provided on Straight Line Method at rates prescribed under Schedule-XIV of the Companies Act 1956. Extra lease depreciation, in accordance with the applicable guidelines, is adjusted against the cost of Lease assets through lease equalization account.

7.3 Provision for Non-Performing leased assets is made on the basis of IRAC norms applicable to advances, as per RBI guidelines.

8. DERIVATIVES

8.1 Derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, cross currency interest rate swaps and forward rate agreements are entered, in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

8.2 All derivative instruments are recognized as assets or liabilities in the Balance Sheet and measured at marked to market.

8.3 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्न संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है, बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती है जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हो।

8.4 सिवाय उपर्युक्त के, सभी अन्य व्युत्पन्न संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार मूल्य के अनुसार अंकित की जाती हैं, बाजार मूल्य के अनुसार अंकित व्युत्पन्न संविदाओं के संबंध में परिवर्तन की अवधि में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में अभिज्ञानित किया जाता हैं।

8.5 संदत्त या प्राप्त प्रीमियम विकल्प, विकल्प की अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। विक्रय किए गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए विकल्पों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर विकल्पों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

9. स्थिर आस्तियाँ

9.1 स्थिर आस्तियों का संचित मूल्य ह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

9.2 परिसर में पट्टाकृत सम्पत्तियों के साथ-साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्तियां सम्मिलित हैं।

9.3 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थल की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल है। तद्नुसार उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गये अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों की कार्य क्षमता को बढाते हैं।

9.4 स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्र.स.	विवरण	समान दर विधि के अनुसार मूल्य ह्रास की दर
1.	परिसर जिसमें बैंक व्यवसाय हेतु प्रयुक्त भवन, अतिथि गृह तथा आवासीय प्रयोजन के भवन शामिल हैं	1.6667%
2.	वाहन (मोटर कार)	20%
3.	सुरक्षा जमा लाकर, अग्नि रोधी डाटा सेफ, वज्र गृह द्वार	5%
4.	बिजली के फिटिंग व जुड़नार को छोड़कर फर्नीचर व जुड़नार	10%
5.	बिजली के फिटिंग एवं जुड़नार	20%
6.	अधिकारियों के आवास पर उपलब्ध कराई गई मदे- बिजली के उपकरण लकड़ी तथा स्टील के फर्नीचर दरी एवं पर्दे	 20% 10% 33.33%
7.	कम्प्यूटर एवं ए.टी.एम.	33.33%
8.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के अविभाज्य भाग है	33.33%
9.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के अविभाज्य भाग नहीं है	100%

अविभाज्य सॉफ्टवेयर को छोड़कर, जो कि पहले वर्ष में उपयोग किए गए दिनों की गणना किये बिना पूर्णत: मूल्य ह्रासित कर दिए जाते हैं, अन्य सभी मदों पर मूल्य ह्रास की गणना उनके उपयोग किए गए दिनों के आनुपातिक आधार पर की जाती है।

9.5 जहाँ कहीं भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग पहचान योग्य नहीं है, वहाँ परिसर पर मूल्य ह्रास का प्रावधान समिश्र लागत पर किया जाता है।

9.6 वर्ष के दौरान बिक्री/निस्तारित की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता है।

9.7 प्रगतिगत पूँजीगत कार्य में आस्तियों के क्रय के लिए किया गया अग्रिम भुगतान भी सम्मिलित है।

10. आस्तियों की अपसामान्यता

लेखा मानक-28 के अनुसार जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रनित राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है, धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रनित मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है, यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रनित मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

8.3 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

8.4 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the Profit and Loss Account in the period of change.

8.5 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Marked to Market value for forex Over the Counter options.

9. FIXED ASSETS

9.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation.

9.2 Premises include freehold as well as leasehold properties.

9.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

9.4 Depreciation on Fixed Assets is provided as under :-

S.No.	PARTICULRS	Rates of Depreciation on SLM basis
1.	Premises including building used for the Bank's business, guest house and residential purpose	1.6667%
2.	Vehicles (Motor cars)	20%
3.	Safe Deposit Lockers, Fire proof Data Safe, Strong Room Doors	5%
4.	Furniture & Fixture other than Electrical Fittings & Fixtures	10%
5.	Electrical Fittings and Fixtures	20%
6.	Items provided at residence of officials – Electrical Equipments Wooden & Steel Furniture Carpets & Curtains	 20% 10% 33.33%
7.	Computer & ATM	33.33%
8.	Computer Software forming an integral part of hardware	33.33%
9.	Computer Software which does not form an integral part of hardware	100%

Depreciation has been charged on the basis of number of days put to use on a proportionate basis except in the case of non integral software, which is depreciated fully in the first year of use irrespective of number of days put in to use.

9.5 Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identifiable.

9.6 No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

9.7 Capital Work in Progress also includes advance payment for purchase of assets.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

As per Accounting Standard – 28, Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

11. कर्मचारी लाभ

11.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अघोषित राशि यथा चिकित्सा लाभ, आकस्मिक अवकाश इत्यादि जो कि कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं के बदले में भुगतान की जाती है, को इस अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण अभिज्ञानित किया गया हैं।

11.2 नियोजनोत्तर लाभ योजनायें

i) निर्धारित लाभ योजना

बैंक अपने समस्त पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना संचालित करता हैं। बैंक उन कर्मचारियों के लिए जिन्होने पेंशन विकल्प नहीं दिया हैं, के लिए अपना मासिक अंशदान एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के मूल वेतन एवं देय योग्य भत्ते का 10%) पर योगदान करता है। अंशदान की राशि को इस उद्देश्य के लिए स्थापित अनुमोदित ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाता है एवं जिसे लाभ हानि खाते के नामे किया जाता है।

बैंक उपदान एवं पेंशन योजनाओं का संचालन करता है जो निर्धारित लाभ योजनाए हैं।

बैंक समस्त पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान राशि का प्रावधान करता हैं। उपदान राशि जो उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्रदत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सेवा काल हेतु 15 दिन के योग्य वेतन के बराबर अधिकतम ₹ 10,00,000/- भुगतान की जाती है जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (कर्मचारियों को उपदान राशि भुगतान) विनियम, 1970 के अधीन अधिक न हो। इसके लिए बैंक द्वारा वार्षिक अंशदान जो वार्षिक आधार पर किए गए एक स्वतंत्र बाहरी एक्चुरियल मूल्यांकन पर आधारित होता है, को एक निधि को अन्तरित किया जाता है जिसका संचालन न्यासियों द्वारा किया जाता है।

बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार समस्त पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। यह लाभ पात्र कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। इसके लिए बैंक, न्यासियों द्वारा नियंत्रित एक कोष में किए गए वार्षिक बाह्य एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक अंशदान करता है।

निर्धारित लाभों को प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को एक्चुरियल मूल्यांकन के तहत प्रॉजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड (एएस-15 के तहत अनुशंसित पद्धति) द्वारा किया जाता है।

लाभ/हानि को लाभ एवं हानि विवरणी में अभिज्ञानित किया जाता है एवं आस्थगित नहीं किया जाता।

ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आये सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) परिचालित की गई है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, बैंक की सेवा में आने वाले ऐसे नये अधिकारी/कर्मचारी विद्यमान एस.बी.बी.जे. पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। योजना के अनुसार इस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते है और साथ में उतना ही अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। पंजीकरण प्रक्रिया लंबित होने के कारण, ये अंशदान बैंक में जमा के रूप में रखे गये हैं तथा ये भविष्य निधि के चालू खाते के शेष में वर्तमान ब्याज दर की राशि के बराबर ब्याज अर्जित करती हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज को उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में अभिज्ञानित करता है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्थाई सेवानिवृत खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने के पश्चात्, इस समेकित राशि को एनपीएस ट्रस्ट को स्थानान्तरित किया जाता है।

iii) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक के समस्त पात्र कर्मचारी क्षतिपूरित अनुपस्थित, रजत जयंती पुरस्कार, यात्रा रियायत अवकाश, सेवानिवृत्ति पारितोष एवं रिसेटलमेंट भत्तों के लिए पात्र हैं। ऐसे दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की लागत की व्यवस्था बैंक द्वारा आन्तरिक निधिक की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकक द्वारा प्रक्षेपित इकाई साख विधि से मूल्यांकन कर किया जाता है। गत सेवा लागत को आस्थगित न कर लाभ हानि खाता विवरणी में अभिज्ञानित किया जाता है।

12. प्रति शेयर आय

12.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है, प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees are recognized during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i) Defined Benefit Plan

The Bank operates a Provident Fund scheme for its all eligible employees. The Bank contributes monthly its contribution for the employees who have not opted for pension, at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to an approved trust established for this purpose and are charged to Profit & Loss Account.

The Bank operates gratuity and pension schemes, which are defined benefits plans.

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The gratuity, an amount equivalent of 15 days eligible salary payable for each completed year of service, is paid subject to a maximum amount of ₹10,00,000/- as per Gratuity Act, 1972 unless the same is higher in terms of the State Bank of Bikaner & Jaipur (Payment of Gratuity to Employees) Regulation, 1970. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

The Bank provides for pension to all eligible employees as per the State Bank of Bikaner & Jaipur (Employees') Pension Regulation, 1995. The benefit is in the form of monthly pension to eligible employees. The Bank makes annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method (recommended method under AS-15), with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date.

Gains/ losses are recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii) Defined Contribution Plans

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees who joined the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new employees/officers not being entitled to become members of the existing SBBJ Pension Scheme. As per the scheme, the employees covered contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures, these contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

iii) Other Long Term Employee benefits:

All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the bank.

The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

12. EARNINGS PER SHARE

12.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

12.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया हो तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आयेगी।

12.3 तनुकृत प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और संम्भाव्य इक्विटी शेयरो के द्वारा की जाती है।

13. आय पर कर

13.1 आयकर व्यय के अन्तर्गत वर्तमान कर, आस्थगित कर एवं धन कर की कुल राशि है। वर्तमान वर्ष के करों का निर्धारण प्रचलित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान आस्थगित कर समायोजनों में, आस्थगित आस्तियां अथवा दायित्वों में परिवर्तन समाविष्ट है।

13.2 आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों को विवेक सम्मत आधार पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वहनीय मूल्यों और उनसे सबंधित कर आधार एवं अगले लाभों से घाटापूर्ति के बीच समय अन्तरालों के भावी कर परिणामों हेतु अभिज्ञानित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों का मापन कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर किया गया है जो कि तुलन पत्र की तिथि से पूर्व अधिनियमित अथवा अनुवर्ती अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों का प्रभाव लाभ-हानि खाते में अभिज्ञानित किया जाता है।

13.3 आस्थगित कर आस्तियां एएस-22 एवं प्रबन्धन के निर्णय के आधार पर यदि वसूली निश्चित मानी गई हो, तो प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि को निर्धारित एवं पुनः मूल्यांकित की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी अभिज्ञानित किया जाता है यदि सही मायने में यह सम्भव हो, कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी कर योग्य आय से की जा सकेगी।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-29 के अनुसार जारी ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'', की संगति में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है:

i) पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी अथवा

ii) किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योकि

अ यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ब. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

iii) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आय के निर्धारण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इसकी वसूली नहीं की जा सकती।

15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ नकदी एवं एटीएम में नकदी तथा धारित स्वर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य बैंकों के साथ जमायें एवं मांग पर देय व अल्प सूचना पर प्राप्य धन शामिल है।

16. निवल लाभ एवं आकस्मिकता निधि

(अ) निवल लाभ की गणना निम्नानुसार प्रावधान एवं आकस्मिकताएं करने के पश्चात की गई है:-

i) निवेशों पर मूल्यहास
ii) आयकर एवं सम्पदा कर हेतु प्रावधान
iii) ऋण हानियों हेतु प्रावधान
iv) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान एवं
v) अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधानों और आकस्मिकताओं में अन्तरण

(ब) आकस्मिक निधियों को तुलन पत्र में अनुसूची-5 में "अन्य दायित्वों एवं प्रावधानों" शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत/समूहित किया गया है।

12.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year.

12.3 Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

13. TAXES ON INCOME

13.1 Income Tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and wealth tax. Current year taxes are determined in accordance with the prevailing tax rates and tax laws. Deferred tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year.

13.2 Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or subsequently enacted prior to the balance sheet date. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

13.3 Deferred tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, in accordance with AS -22 and based upon management's judgment as to whether realisation is considered certain. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

14. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

14.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognized for:

i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because

a) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

15. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATM’s, and gold in hand, balances with RBI, balances with other banks, and money at call and short notice.

16. NET PROFIT AND CONTINGENCY FUND

a) Net Profit is arrived at after accounting for the following "Provisions and Contingencies".

i) Depreciation on Investments

ii) Provision for Income Tax and Wealth Tax

iii) Provision for Loan Losses

iv) Provision for Standard Assets and

v) Other usual and necessary provisions and transfer to contingencies.

b) Contingency funds are grouped in Schedule-5 of the Balance sheet under the head "Other Liabilities and Provision".

अनुसूची 18

टिप्पणियाँ, जो कि तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते का संरूपित भाग है:

विनिवेश:-

1. (अ) तत्काल सकल निपटान (आर.टी.जी.एस)/रेपो/सी.बी.एल.ओ. लेनेदेन के लिए ₹7657.00 करोड़ (गत वर्ष ₹7477.00 करोड़) के विनिधान भारतीय रिज़र्व बैंक/क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इडिंया के पास मार्जिन के रूप में रखे गये हैं।

   (ब) निजी समता कोष में रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध सूचना अर्थात 31.03.2014 के आधार पर किया गया है।

स्थिर आस्तियां:-

2. (अ) परिसरों के सम्बन्ध में, जिनका सकल मूल्य ₹0.42 करोड़ (गत वर्ष ₹0.42 करोड़) है, के मामले में नियत कानूनी औपचारकताओं के पूरा न होने के कारण, स्वत्वाधिकार विलेखों का बैंक के पक्ष में निष्पादन/पंजीयन होना अब तक शेष है।

   (ब) स्थिर आस्तियों के सकल मूल्य में (परिसर के अलावा) हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का मूल्य ₹736.43 करोड़ (गत वर्ष ₹734.05 करोड़) जो कि बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य सहयोगी बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में हैं, शामिल है।

ऋण:-

3. (अ) सीडीआर/गैर सीडीआर के अर्न्तगत पुनर्संरचित मानक अग्रिमों की स्थिति में, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा परिणामी आय निर्धारण पुनर्संरचित प्रस्ताव के नियम और शर्तों की मुख्य अनुपालनाओं के आधार पर, विस्तारित अवधि जहां लागू हो सहित, किया गया है।

   (ब) पुर्नसरचित/पुन: निर्धारित अग्रिमों पर त्याग की राशि की व्यवस्था हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी ₹436.75 करोड़ की (गत वर्ष ₹212.50 करोड़) की व्यवस्था की गई है।

   (स) धोखाधड़ी वाले खातों के प्रावधान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी/बी.सी./83/21.04.048/2014-15 दिनांक 01.04.2015 के अनुसार वर्तमान वर्ष में ₹78.33 करोड की राशि (विगत वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है। ₹234.98 करोड़ की राशि का प्रावधान अगले तीन तिमाहियों में बराबर किश्तों में किया जाना है।

   (द) अनर्जक आस्तियों के विक्रय के संबंध में लेखा नीतियों में एक बदलाव किया गया है जिसके अनुसार घाटे में बेची गई अनर्जक आस्तियों को, बिक्री के वर्ष के बदले, दो साल की अवधि में अभिलेखित किया जायेगा। तद्नुसार, कुल घाटे की राशि ₹39.25 करोड़ में से इस वर्ष ₹11.09 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

4. निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 143% यथा ₹14.30 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर) अन्तरिम लाभांश की घोषणा की गई है।

5. **अविलीनीकृत पेंशन एवं उपदान दायित्व**

   वित्तीय वर्ष 2010-11 मे बैंक द्वारा ₹384.45 करोड़ का दायित्व, जो पेंशन विकल्प पुन: खोलने से ₹234.45 करोड़ व उपदान सीमा में वृद्धि से ₹150.00 करोड़ था, वहन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी/बीपी/बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने उपरोक्त दायित्व को वर्ष 2010-11 से 5 वर्ष मे विलीन करने का निश्चय किया है। तदनुसार ₹76.89 करोड़ (जो ₹384.45 करोड़ का 1/5 वा हिस्सा है) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लाभ हानि खाते में नामे किया गया है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल दायित्व	पिछला शेष आगे लाया गया	वर्ष के दौरान विलीन किया गया	शेष अग्रेषित किया गया
पेंशन	234.45	46.89	46.89	शून्य
उपदान	150.00	30.00	30.00	शून्य
कुल	384.45	76.89	76.89	शून्य

6. अंत: कार्यालय समायोजन खातों का मिलान एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंधन यह प्रत्याशित नहीं करता है कि इन खातों के पूर्ण मिलान होने पर वित्तिय विवरणियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

7. वित्त वर्ष में वेतन पुनर्निधारण हेतु बकाया के रूप में ₹113.70 करोड़ (विगत वर्ष ₹115.70 करोड़) का प्रावधान किया गया है। जो 1 नवम्बर 2012 से लागू होगा।

SCHEDULE 18

Notes forming part of the Balance Sheet and Profit and Loss Account

INVESTMENTS :-

1. (a) Investments amounting to ₹.7657.00 crores (previous year ₹. 7477.00 crores) are kept as margin with the Reserve Bank of India/Clearing Corporation of India Limited towards Real Time Gross Settlement (RTGS)/REPO/CBLO transactions.
   (b) The valuation of the securities held in private equity funds are valued as per latest available information i.e. 31.03.2014.

FIXED ASSETS :-

2. (a) In respect of premises having gross value of ₹ 0.42 crore (Previous year: ₹ 0.42 crore) pending completion of certain legal formalities/ procedural actions, title deeds are yet to be executed/ registered in favour of the Bank.
   (b) Gross Value of fixed assets (other than premises) includes ₹. 736.43 crores (previous year ₹.734.05 crores) upto 31.03.2015 of Bank's share jointly owned by SBI and other Associate Banks towards Hardware & Software.

LOAN :-

3. (a) In case of restructured loans as standard assets under CDR/Non-CDR, classification of advances and consequent income recognition have been done based on major compliances of terms and conditions of restructured package including extension period wherever applicable.
   (b) In terms of the RBI guidelines on provision for the sacrifice amount on restructured/ rescheduled advances, erosion in fair value of advances has been provided amounting to ₹436.75 crores (previous year ₹212.50 crores) and the shortfall in the value of securities has been ignored.
   (c) In terms of RBI circular No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated 01.04.2015, regarding provisions pertaining to fraud accounts, an amount of ₹78.33 crores (Previous year NIL) has been provided during the current year. An amount of ₹234.98 crores is required to be provided over next three quarters in equal installments.
   (d) There has been a change in the accounting policy in respect of sale of non performing assets whereby loss if any is accounted within a period of two years from sale, as against in the year of sale. Accordingly a sum of ₹11.09 crores has been provided out of total loss of ₹39.25 crores during the year.
4. The Board of Directors declared an interim dividend of 143% i.e ₹14.30 per share (face value of share ₹10/- per share) during the FY 2014-15.
5. **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities:** During the FY 2010-11, the Bank has incurred a liability amount ₹384.45 crores, on account of reopening of pension option (₹234.45 crores) and enhancement of Gratuity Ceiling (₹150.00 crores). The Bank has amortised the said liability over a period of five years commencing from FY 2010-11 in terms of RBI circular No.DBOD.BP.BC. 80/21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011. Accordingly ₹76.89 crores (Representing one fifth of ₹384.45 crores) has been charged to Profit & Loss Account during the current FY 2014-15. The detailed break up is as under :-

(₹ in Crores)

Particulars	Original Liability	Balance Brought Forward	Amortized during the year	Balance Carried Forward
Pension	234.45	46.89	46.89	NIL
Gratuity	150.00	30.00	30.00	NIL
Total	384.45	76.89	76.89	NIL

6. Inter office adjustment accounts are subjected to reconciliation which is an ongoing exercise. On completion of matching/reconciliation in respect of the above accounts, the management does not anticipate any material impact on the financial statement.
7. Provision of ₹113.70 crores (Previous year ₹115.70 crores) has been made during the year towards arrears for wage revision, which will be effective from 1st November, 2012.

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आवश्यक प्रकटीकरण

8. पूंजी

(अ) पूंजी पर्याप्तता

बासेल-II एवं बासेल-III के तहत बैंक के पूंजी जोखिम धारिता आस्ति अनुपात (पूंजी पर्याप्तता अनुपात) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन-नवीन पूंजी पर्याप्तता रुपरेखा विनियमन पर जारी मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है। दोनों रुपरेखाओं के अनुसार, बैंक के साख जोखिम, विपणन जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात सतत 9% बनाये रखने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2015 को बासेल-II रूपरेखा के अनुसार टियर-I पूंजी अनुपात न्यूनतम 6% जबकि बासेल-III रूपरेखा के अनुसार न्यूनतम साझा टियर-I (सीईटी-I) पूंजी अनुपात 5.50% एवं टियर-I पूंजी अनुपात 7% बनाये रखने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बासेल-II एवं बासेल-III रुपरेखाओं के अनुसार, गणना की गयी बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	बासेल-**II** रुपरेखा के अनुसार		बासेल-**III** रुपरेखा के अनुसार	
	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014	मार्च 31, 2015	मार्च 31, 2014
सीईटी-1 पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	6007.34	5279.02
टियर-**I** पूंजी	6179.14	5527.72	6147.34	5439.02
टियर-**II** पूंजी	1775.21	1512.33	1740.41	1512.54
कुल पूंजी	7954.35	7040.05	7887.75	6951.56
जोखिम धारित आस्तियां	68049.91	60136.12	68190.91	60200.23
न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	6124.49	5412.25	6137.18	5418.02
पूंजी पर्याप्तता अनुपात				
सीईटी-1 अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	8.81%	8.77%
टियर-**I**	9.08%	9.19%	9.01%	9.04%
टियर-**II**	2.61%	2.52%	2.56%	2.51%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.69%	11.71%	11.57%	11.55%

बासेल-II एवं बासेल-III रुपरेखाओं के अनुसार, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2015 को न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

बासेल-II एवं बासेल-III रुपरेखाओं के अंर्तगत जोखिम भारित आस्तियों एवं पूंजी कोष में अन्तर निम्न मुख्य परिवर्तनों के कारण है :-

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विनिवेश बासेल-II के अंतर्गत पूंजी से घटाया जाता है (टियर-I से 50% तथा टियर-II से 50%) जबकि बासेल-III में ये जोखिम धारित (250% जोखिम भार) होते हैं।

2. नवोन्मेषी शाश्वत ऋण विलेख तथा गौण बाण्ड्स जो कि बासेल-III अनुपालित नहीं है, वे बासेल-III पूंजी रूपरेखा के अनुसार ग्रैंडफादर्ड किए गए हैं।

(ब) अंशधारिता

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i.	(क) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	**शून्य**	शून्य
	(ख) भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत	**75.07**	75.07
ii.	आई.पी.डी.आई. की राशि	**200.00**	200.00
iii.	लोअर टियर-II पूंजी के रूप में गौण ऋण की राशि	**800.00**	700.00
iv.	अपर टियर-II बंधपत्र की राशि	**450.00**	450.00

DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

8. **Capital**

(a) Capital adequacy :

Bank's Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (Capital Adequacy Ratio) under Basel II and Basel III are calculated in accordance with RBI's "Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline: Implementation of the New Capital Adequacy Framework" and "Basel III Capital Regulations" respectively. Under both of the frameworks, Bank is required to maintain a minimum capital adequacy ratio of 9.00% on an ongoing basis for credit risk, market risk and operational risk. For Basel II, however, Bank has to maintain a minimum Tier I Capital Ratio of 6.00% whereas, as per Basel III, Bank has to keep a minimum Common Equity Tier I (CET I) Ratio of 5.50% and a Tier I Ratio of 7.00% as on 31.03.2015.

The Bank's Capital Adequacy ratio, calculated in accordance with the RBI guidelines under both Basel II and Basel III framework, is as follows:

(₹ in Crores)

Particulars	As per Basel II Framework		As per Basel III Framework	
	Mar 31, 2015	Mar 31, 2014	Mar 31, 2015	Mar 31, 2014
CET I Capital	NA	NA	6007.34	5279.02
Tier I Capital	6179.14	5527.72	6147.34	5439.02
Tier II Capital	1775.21	1512.33	1740.41	1512.54
Total Capital	7954.35	7040.05	7887.75	6951.56
Risk Weighted Assets	68049.91	60136.12	68190.91	60200.23
Minimum Capital Required	6124.49	5412.25	6137.18	5418.02
Capital Adequacy ratios				
CET I Ratio	NA	NA	8.81%	8.77%
Tier I	9.08%	9.19%	9.01%	9.04%
Tier II	2.61%	2.52%	2.56%	2.51%
CRAR	11.69%	11.71%	11.57%	11.55%

The Bank's Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2015 are higher than the minimum required under the Basel II and Basel III framework.

The difference between risk weighted assets and capital funds under the Basel II and Basel III framework is a net impact of the following key changes:

1. Investments in RRB is deducted from Capital in Basel II (50% from Tier 1 and 50% from Tier II), whereas it is risk weighted in Basel III (250% Risk Weight)
2. Innovative Perpetual Debt Instruments and Subordinated Bonds, which are not Basel III compliant, are grandfathered as per Basel III Capital Framework.

(b) Share holding

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i. (A) Percentage of the shareholding of the Government of India	Nil	Nil
(B) Percentage of the shareholding of State Bank of India	75.07%	75.07%
ii. Amount of IPDI	200.00	200.00
iii. Amount of subordinated debt as Lower Tier-II capital	800.00	700.00
iv. Amount of Upper Tier - II Instruments	450.00	450.00

9. **विनिवेश**

(करोड़ ₹ में)

विवरण				चालू वर्ष	विगत वर्ष
(1)	**निवेशों का मूल्य**				
	i.	**निवेशों का सकल मूल्य**		**22470.25**	**17766.65**
		(क)	भारत में	22470.25	17766.65
		(ख)	भारत के बाहर	**शून्य**	शून्य
	ii.	**मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**		**4.84**	**16.38**
		(क)	भारत में	4.84	16.38
		(ख)	भारत के बाहर	**शून्य**	शून्य
	iii.	**निवेशों का निवल मूल्य**		**22465.41**	**17750.27**
		(क)	भारत में	22465.41	17750.27
		(ख)	भारत के बाहर	**शून्य**	शून्य
(2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का उतार-चढ़ाव**				
	i.	अथ शेष		16.38	16.79
	ii.	जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान		0.00	6.51
	iii.	घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/प्रतिलेखन किये अतिरिक्त प्रावधान		11.54	6.92
	iv.	इति शेष		4.84	16.38

10. **रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य के रूप में)**

(करोड़ ₹ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2015 की स्थिति
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
(1) सरकारी प्रतिभूतियां	100.00	3520.00	1307.11	2635.00
(2) कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	**शून्य**
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
(1) सरकारी प्रतिभूतियां	35.00	1800.00	47.52	**शून्य**
(2) कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	**शून्य**

गैर एसएलआर विनिवेशों का संविभाग

i) **गैर एसएलआर विनिवेशों का निर्गमकर्ता संघटन**

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी नियोजन का विस्तार	'निवेश श्रेणी से नीचे' प्रतिभूतियो का विस्तार	'अनिर्धारित' प्रतिभूतियों का विस्तार	''गैर सूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	703.30	703.30	0.00	17.42	703.30
ii	वित्तीय संस्थाएं	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
iii	बैंक	621.90	620.71	0.00	1.19	20.00
iv	निजी कॉर्पोरेट	77.57	77.57	0.00	0.00	76.84
v	सहायक संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम	56.40	56.40	0.00	56.40	56.40
vi	अन्य	353.82	261.89	193.72	218.43	261.89

9. Investments

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(1) Value of Investments		
i. Gross Value of Investments	**22470.25**	**17766.65**
a) In India	22470.25	17766.65
b) Outside India	NIL	NIL
ii. Provisions for Depreciation	**4.84**	**16.38**
a) In India	4.84	16.38
b) Outside India	NIL	NIL
iii. Net Value of Investments	**22465.41**	**17750.27**
a) In India	22465.41	17750.27
b) Outside India	NIL	NIL
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
i. Opening balance	16.38	16.79
ii. Add: Provisions made during the year	0.00	6.51
iii. Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	11.54	6.92
iv. Closing balance	4.84	16.38

10. Repo Transactions (In face value terms)

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2015
Securities sold under Repos				
(1) Government Securities	100.00	3520.00	1307.11	2635.00
(2) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	NIL
Securities purchased under Reverse Repos				
(1) Government Securities	35.00	1800.00	47.52	NIL
(2) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	NIL

Non- SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non- SLR Investments

(₹ in crore)

S.No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of 'below investment grade' securities	Extent of 'unrated' securities	Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i	PSUs	703.30	703.30	0.00	17.42	703.30
ii	FIs	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
iii	Banks	621.90	620.71	0.00	1.19	20.00
iv	Private Corporates	77.57	77.57	0.00	0.00	76.84
v	Subsidiaries/Joint Ventures	56.40	56.40	0.00	56.40	56.40
vi	Others	353.82	261.89	193.72	218.43	261.89

	योग	**1837.99**	**1719.87**	**193.72**	**293.44**	**1143.43**
vii	मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधान	4.84	X	X	X	X
	निवल राशि	**1833.15**	**X**	**X**	**X**	**X**

ii) **अनर्जक गैर एसएलआर विनिवेश** (करोड़ ₹ में)

विवरण	राशि
प्रारंभिक शेष 01.04.2014 को	4.89
1 अप्रैल 2014 से वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.84
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	4.89
31.03.2015 का इतिशेष	4.84
कुल धारित प्रावधान	4.84

iii) परिपक्वता तक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों को/ से स्थानान्तरित तथा विक्रय की गई राशि, वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों में विनिवेश के पुस्तक मूल्य के 5% से अधिक नहीं है (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति के अतिरिक्त)।

iv) प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य से संबंधित प्रकटीकरण

(करोड़ ₹ में)

विवरण	**बैंक द्वारा विक्रय किए गए अनर्जक आस्तियों द्वारा अभिभूत**		**अन्य बैंको/वित्तिय संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए अनर्जक आस्तियों द्वारा अभिभूत**		**योग**	
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष
	2.70	193.72	शून्य	शून्य	2.70	193.72

11. **व्युत्पन्न**

गुणात्मक प्रकटीकरण:

अ. बैंक के पास व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन हेतु अग्र, मध्य एवं बैक-ऑफिस की स्पष्ट भूमिका के साथ पूर्ण परिभाषित संरचना एवं संगठन है।

ब. जोखिम माप एवं अनुवर्तन हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, समय-समय पर बकाया वायदा संविदा का अनुवर्तन करता है एवं बीस उच्च ऋणीयों के खातों के बकाया वायदा संविदा को उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करता है।

स. बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न, अग्रिम दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप तथा साख चूक स्वैप में कोई दायित्व/वचनबद्धता नहीं करता है।

द. बैंक स्वयं के खाते में व्युत्पन्न संव्यवहार में कोई व्यापार नहीं करता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अपने घटकों के लिए तुलन पत्र/तुलन पत्र इत्तर आस्तियों/दायित्वों के बचाव हेतु प्रतिपक्षकारों के साथ आगामी वायदा संविदा करता है।

य. इस तरह बुक की गई वायदा संविदा, प्रतिपक्षकारों के साथ एक के बाद एक संरक्षित रखे जाते हैं।

र. सभी बकाया वायदा संविदाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाता है और तुलन पत्र में आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया जाता है।

	Total	**1837.99**	**1719.87**	**193.72**	**293.44**	**1143.43**
vii	Provision held towards depreciation	4.84	X	X	X	X
	Net Value	**1833.15**	**X**	**X**	**X**	**X**

ii) Non-performing Non-SLR Investment

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Opening balance as on 01.04.2014	4.89
Additions during the year since 1st April 2014	4.84
Reductions during the above period	4.89
Closing balance as on 31.03.2015	4.84
Total provisions held	4.84

(iii) The value of sales and transfer of securities to / from HTM category does not exceed 5% of the book value of investments held on HTM category at the beginning of the year (except where allowed by RBI).

(iv) Disclosure regarding Book Value of Investments in Security Receipts :-

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
Book value of investments in security receipts	2.70	193.72	NIL	NIL	2.70	193.72

11. Derivatives

Qualitative Disclosure

a. The Bank has well defined structure and organization for management of risk in derivatives, with clear role of Front, Mid and Back office for Risk Management.

b. For risk measurement and monitoring, Integrated Risk Management Department is periodically monitoring risk on account of outstanding forward contracts and outstanding forward contracts of top 20 borrower account is advised to the user department.

c. Bank is not undertaking Exchange Traded Interest Rate Derivatives, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps and Credit Default Swaps.

d. Bank is not undertaking any trading in derivative transaction in its own account. The Bank undertakes Forward contracts with counter parties only on behalf of its constituents in order to hedge their on balance-sheet/ off-balance-sheet assets and liabilities as per the RBI directives.

e. Forward contracts so booked are covered back to back with counter parties.

f. All outstanding forward contracts are marked to market as per the RBI directives and are shown in the balance-sheet as contingent liabilities.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(वायदा संविदा घटकों के आधार पर बुक की जाती हैं)

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	**व्युत्पन्न (अनुमानिक मूल मूल्य)**		
	अ. प्रतिरक्षा हेतु	35645.96	**शून्य**
	ब. व्यापार हेतु	**शून्य**	**शून्य**
(ii)	**बाजार मूल्य पर अंकित**		
	अ. आस्तियां	17796.45	**शून्य**
	ब. दायित्व	17471.21	**शून्य**
(iii)	**साख विनिधान**	**207.76**	**शून्य**
(iv)	**ब्याज दर में 1% परिवर्तन का सम्भाव्य प्रभाव (100*PV01)**		
	अ. प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	**शून्य**	**शून्य**
	ब. व्यापार व्युत्पन्न पर	**शून्य**	**शून्य**
(v)	**100*PV01 का वर्ष के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम टिप्पण**		
	अ. प्रतिरक्षा पर	**शून्य**	**शून्य**
	ब. व्यापार पर	**शून्य**	**शून्य**

12. आस्ति गुणवत्ता

i) **अनर्जक आस्ति**

(करोड़ ₹ में)

	विवरण		चालू वर्ष	विगत वर्ष
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)**		**2.54%**	**2.76%**
(ii)	**अनर्जक आस्तियों (सकल) का उतार-चढ़ाव**			
	(क)	अथ शेष	2732.78	2119.49
	(ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	1687.45	2123.54
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1475.09	1510.25
	(घ)	**इति शेष**	2945.14	2732.78
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव**			
	(क)	अथ शेष	1770.85	1303.28
	(ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	1119.91	1605.50
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	1121.59	1137.93
	(घ)	**इति शेष**	1769.17	1770.85
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव**			
	(क)	अथ शेष	961.93	836.38
	(ख)	वर्ष दौरान किए गए प्रावधान	577.15	534.74
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को समायोजन/बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	363.12	409.19
	(घ)	**इतिशेष**	1175.96	961.93

ii) **प्रावधान आच्छादन अनुपात**

31.03.2015 को बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियों (एयूसी सहित) पर 57.05% का प्रावधान है (गत वर्ष में 56.67%)।

Quantitative Disclosure

(Forward Contracts booked on behalf of constituents)

(₹ in crore)

S. No.	Particular	Currency Derivative	Interest rate Derivative
(i)	**Derivative (Notional Principal Value)**		
	(a) For hedging	35645.96	NIL
	(b) For Trading	NIL	NIL
(ii)	**Marked to Market (1)**		
	(a) Assets	17796.45	NIL
	(b) Liabilities	17471.21	NIL
(iii)	**Credit Exposure**	**207.76**	NIL
(iv)	**Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)**		
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL
(v)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**		
	a) on hedging	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL

12. Asset Quality

i) Non-Performing Asset

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	**2.54%**	**2.76%**
(ii) Movement of Gross NPAs		
a. Opening balance	2732.78	2119.49
b. Additions during the year	1687.45	2123.54
c. Reductions during the year	1475.09	1510.25
d. Closing balance	2945.14	2732.78
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	1770.85	1303.28
b. Additions during the year	1119.91	1605.50
c. Reductions during the year	1121.59	1137.93
d. Closing balance	1769.17	1770.85
(iv) Movement of provisions for NPAs		
a. Opening balance	961.93	836.38
b. Provisions made during the year	577.15	534.74
c. Write-off/write back/adjustment of excess provisions	363.12	409.19
d. Closing Balance	1175.96	961.93

ii) Provisioning Coverage Ratio

Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank (including AUCA) as on 31st March, 2015 is 57.05%. (previous year 56.67%).

iii) **क्षेत्र-वार अग्रिम**

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	क्षेत्र	चालू वर्ष (2014-15)			विगत वर्ष (2013-14)		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिम में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिम में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
अ.	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1.	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	11927.00	781.00	6.55	10962.00	719.00	6.56
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण हेतु योग्य उद्योगी को अग्रिम	8239.00	339.00	4.11	6667.00	247.00	3.70
3.	सेवा क्षेत्र	3803.00	165.00	4.39	2794.00	213.00	7.62
4.	वैयक्तिक ऋण	3564.00	85.00	2.38	3216.00	98.00	3.05
	उप योग (अ)	27533.00	1370.00	4.61	23639.00	1277.00	5.40
ब.	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1.	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2.	उद्योग	34946.00	1516.00	4.39	33864.00	1387.00	4.10
3.	सेवा क्षेत्र	44.00	0.00	0.00	749.00	13.00	1.73
4.	वैयक्तिक ऋण	8625.00	58.00	0.67	7081.00	56.00	0.80
	उप योग (ब)	43620.00	1575.00	3.61	41694.00	1456.00	3.50
	कुल (अ+ब)	**71153.00**	**2945.00**	**4.14**	**65333.00**	**2733.00**	**4.18**

iv) **(अ) अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
01.04.2014 को सकल अनर्जक आस्तियां	2732.78	2119.49
वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियां)	1687.45	2123.54
उप योग (अ)	4420.23	4243.03
घटाएं (i) उन्नयन (ii) वसूली/समझौता (iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन (iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त अपलेखन	536.80 575.17 356.35 6.77	639.02 471.75 392.12 6.95
उप योग (ब)	1475.09	1510.25
31.03.2015 को सकल अनर्मक अस्तियां (अ-ब)	2945.14	2732.78

(ब) तकनीकी अपलेखन तथा उसमे वसूलियों के स्टाक से संबंधित प्रकटीकरण

(करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
दिनांक 01.04.2014 को तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन का अथ शेष	1354.52	1131.36
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन	356.35	392.12
उप योग (अ)	1710.87	1523.48
घटाए: वर्ष के दौरान विगत तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों में की गई वसूलिया (ब)	536.63	168.96
दिनांक 31.03.2015 को इतिशेष (अ-ब)	1174.24	1354.52

iii) Sector-wise advances

(₹ in crore)

S. No	Sector	Current Year 2014-15			Previous year 2013-14		
		o/s total advances	Gross NPAs	% of Gross NPA s to total ad-vances in that sector	o/s total advances	Gross NPAs	% of Gross NPA s to total ad-vances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agr. & allied activities	11927.00	781.00	6.55	10962.00	719.00	6.56
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	8239.00	339.00	4.11	6667.00	247.00	3.70
3.	Services	3803.00	165.00	4.39	2794.00	213.00	7.62
4.	Personal loans	3564.00	85.00	2.38	3216.00	98.00	3.05
	Sub-Total (A)	27533.00	1370.00	4.61	23639.00	1277.00	5.40
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agr. & allied activities	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2.	Industy	34946.00	1516.00	4.39	33864.00	1387.00	4.10
3.	Services	44.00	0.00	0.00	749.00	13.00	1.73
4.	Personal loans	8625.00	58.00	0.67	7081.00	56.00	0.80
	Sub-Total (B)	43620.00	1575.00	3.61	41694.00	1456.00	3.50
	Total A+ B	**71153.00**	**2945.00**	**4.14**	**65333.00**	**2733.00**	**4.18**

iv) (a) Movement of NPAs :-

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Gross NPA as on 01.04.2014	2732.78	2119.49
Additions (Fresh NPA) during the year	1687.45	2123.54
Sub Total (a)	4420.23	4243.03
Less (i) Upgradations	536.80	639.02
(ii) Recovery/compromise	575.17	471.75
(iii) Technical/Prudential write off	356.35	392.12
(iv) Write off other than those under (iii) above	6.77	6.95
Sub Total (b)	1475.09	1510.25
Gross NPA as on 31.03.2015 (Closing Balance : a-b)	2945.14	2732.78

(iv) (b) Disclosure of stock of technical write-offs and the recoveries made threreon :-

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance of technical/prudential write-off accounts as at 01.04.2014	1354.52	1131.36
Add : Technical/prudential write-offs during the year	356.35	392.12
Sub Total (A)	1710.87	1523.48
Less : Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	536.63	168.96
Closing Balance as at 31.03.2015 (A-B)	1174.24	1354.52

v) पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण–31.03.2015 की स्थिति

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार →		सी.डी.आर. संरचन के अन्तर्गत					एस.एम.ई. ऋण पुनर्संरचना के अन्तर्गत					अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को पुनर्संरचित खाते (अथ शेष)*	ऋणियों की संख्या	29	3	1	0	33	393	109	5219	278	5999	21917	1711	6476	127	30231	22339	1823	11696	405	36263
		बकाया राशि	1750.62	115.62	23.32	0.00	1889.56	41.71	3.17	16.56	0.93	62.37	2829.13	110.50	147.81	0.67	3088.11	4621.46	229.29	187.69	1.60	5040.04
		उन पर प्रावधान	233.98	10.87	4.16	0.00	249.01	0.00	0.33	10.29	0.93	11.55	130.09	2.11	13.65	0.39	146.24	364.07	13.31	28.10	1.32	406.80
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	ऋणियों की संख्या	7	0	1	0	8	34	0	0	0	34	7639	1	0	0	7640	7680	1	1	0	7682
		बकाया राशि	991.03	0.00	5.25	0.00	996.28	48.65	0.00	0.00	0.00	48.65	1625.74	30.42	0.00	0.00	1656.16	2665.42	30.42	5.25	0.00	2701.09
		उन पर प्रावधान	176.92	0.00	1.72	0.00	178.64	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35	313.60	8.36	0.00	0.00	321.96	493.87	8.36	1.72	0.00	503.95
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित श्रेणी में उन्नयन	ऋणियों की संख्या	0	0	0	0	0	323	114	60	94	591	67	-1	9	0	75	390	113	69	94	666
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.15	0.96	0.06	1.94	29.24	-26.67	0.00	0.00	2.57	30.01	-26.52	0.96	0.06	4.51
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.26	0.06	0.36	1.02	-0.60	0.00	0.00	0.42	1.02	-0.56	0.26	0.06	0.78
4	वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनपर अधिक प्रावधान तथा/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार बनाया जाना आवश्यक नहीं हो, अत: अगले वित्तीय वर्ष में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया जाना आवश्यक नहीं हो	ऋणियों की संख्या	0				0	0				0	0				0	0				0
		बकाया राशि	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		उन पर प्रावधान	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00

v) Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2015

(₹ in Crore)

S. No.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details ↓																					
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	29	3	1	0	33	393	109	5219	278	5999	21917	1711	6476	127	30231	22339	1823	11696	405	36263
		Amount outstanding	1750.62	115.62	23.32	0.00	1889.56	41.71	3.17	16.56	0.93	62.37	2829.13	110.50	147.81	0.67	3088.11	4621.46	229.29	187.69	1.60	5040.04
		Provision thereon	233.98	10.87	4.16	0.00	249.01	0.00	0.33	10.29	0.93	11.55	130.09	2.11	13.65	0.39	146.24	364.07	13.31	28.10	1.32	406.80
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	7	0	1	0	8	34	0	0	0	34	7639	1	0	0	7640	7680	1	1	0	7682
		Amount outstanding	991.03	0.00	5.25	0.00	996.28	48.65	0.00	0.00	0.00	48.65	1625.74	30.42	0.00	0.00	1656.16	2665.42	30.42	5.25	0.00	2701.09
		Provision thereon	176.92	0.00	1.72	0.00	178.64	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35	313.60	8.36	0.00	0.00	321.96	493.87	8.36	1.72	0.00	503.95
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	323	114	60	94	591	67	-1	9	0	75	390	113	69	94	666
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.15	0.96	0.06	1.94	29.24	-26.67	0.00	0.00	2.57	30.01	-26.52	0.96	0.06	4.51
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.26	0.06	0.36	1.02	-0.60	0.00	0.00	0.42	1.02	-0.56	0.26	0.06	0.78
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	0				0	0				0	0				0	0				0
		Amount outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		Provision thereon	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00

पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण-31.03.2015 की स्थिति

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार →		सी.डी.आर. संरचन के अन्तर्गत					एस.एम.ई. ऋण पुनर्संरचना के अन्तर्गत					अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण ↓																					
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों में गिरावट	ऋणियों की संख्या	-5	5	0	0	0	116	81	25	208	430	-2	3082	777	72	3929	109	3168	802	280	4359
		बकाया राशि	-216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	10.68	2.49	0.81	0.40	14.38	-39.37	71.12	6.65	0.48	38.88	-245.30	290.22	7.46	0.88	53.26
		उन पर प्रावधान	-35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.04	0.40	0.77	-9.84	15.09	1.92	0.36	7.53	-44.92	50.50	1.96	0.76	8.30
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	ऋणियों की संख्या	0	0	0	0	0	26	24	877	22	949	2441	272	922	14	3649	2467	296	1799	36	4598
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.56	2.79	0.09	6.78	26.97	3.58	10.09	0.05	40.69	30.31	4.14	12.88	0.14	47.47
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.56	0.04	1.98	0.00	0.38	1.56	0.04	1.98
7	वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (इति शेष)*	ऋणियों की संख्या	28	5	3	0	36	608	118	4377	142	5245	19669	4434	6186	247	30536	20305	4557	10566	389	35817
		बकाया राशि	2546.57	216.61	69.40	0.00	2832.58	77.11	0.27	13.92	0.50	91.80	4084.64	155.90	86.68	1.76	4328.98	6708.32	372.78	170.00	2.26	7253.36
		उन पर प्रावधान	441.63	35.08	23.64	0.00	500.35	3.35	0.04	10.51	0.50	14.40	601.60	27.13	24.74	1.76	655.23	1046.58	62.25	58.89	2.26	1169.98

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के अतिरिक्त, जिनपर अधिक प्रावधान अथवा जोखिम भार (यदि हो) आवश्यक नहीं है।

(₹ in Crore)

S. No.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-5	5	0	0	0	116	81	25	208	430	-2	3082	777	72	3929	109	3168	802	280	4359
		Amount outstanding	-216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	10.68	2.49	0.81	0.40	14.38	-39.37	71.12	6.65	0.48	38.88	-245.30	290.22	7.46	0.88	53.26
		Provision thereon	-35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.04	0.40	0.77	-9.84	15.09	1.92	0.36	7.53	-44.92	50.50	1.96	0.76	8.30
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	26	24	877	22	949	2441	272	922	14	3649	2467	296	1799	36	4598
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.56	2.79	0.09	6.78	26.97	3.58	10.09	0.05	40.69	30.31	4.14	12.88	0.14	47.47
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.56	0.04	1.98	0.00	0.38	1.56	0.04	1.98
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	No. of borrowers	28	5	3	0	36	608	118	4377	142	5245	19669	4434	6186	247	30536	20305	4557	10566	389	35817
		Amount outstanding	2546.57	216.61	69.40	0.00	2832.58	77.11	0.27	13.92	0.50	91.80	4084.64	155.90	86.68	1.76	4328.98	6708.32	372.78	170.00	2.26	7253.36
		Provision thereon	441.63	35.08	23.64	0.00	500.35	3.35	0.04	10.51	0.50	14.40	601.60	27.13	24.74	1.76	655.23	1046.58	62.25	58.89	2.26	1169.98

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not atract the higher provisioning or risk weitht (if applicable)

vi) **आस्तियों की पुनर्संरचना हेतु सुरक्षा रसीदों (एससी)/नकदी के एवज में प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i. खातों की संख्या	23	शून्य
ii. एस सी/आर सी को बेचे खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को छोड़कर)	262.94	शून्य
iii. कुल प्रतिफल	245.94	शून्य
iv. पिछले वर्षों में अंतरित किए गए खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v. निवल पुस्तक मूल्य की तुलना में कुल लाभ/हानि	(17.00)	शून्य

vii) **अनर्जक वित्तीय आस्तियों के क्रय/विक्रय का विवरण**
(बैंको द्वारा प्रकटीकरण जो अनर्जक वित्तीय आस्तियों को अन्य बैंकों से क्रय करते हैं)

(अ) अनर्जक वित्तीय आस्तियों के क्रय का विवरण

(करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. (अ) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ब) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (अ) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ब) कुल बकाया	शून्य	शून्य

(ब) अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विक्रय का विवरण

(करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. विक्रय किये गये खातों की संख्या	23	शून्य
2. कुल बकाया	644.63	शून्य
3. कुल प्राप्त प्रतिफल	245.94	शून्य

vii) **प्रतिभूतिकरण से संबन्धित प्रकटीकरण**

क्र.सं.	विवरण	संख्या/राशि (करोड़ ₹ में)
1.	प्रतिभूतिकरण लेन देनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस.पी.वी. की संख्या*	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस.पी.वी. की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	तुलनपत्र की तिथि को एम.आर.आर. की पालना करने हेतू बैंक द्वारा रखे गये निवेश (एक्सपोजर) की कुल राशि	
	अ) गैर तुलन पत्र निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ब) तुलन पत्र निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

vi) Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company against Security Receipt/Cash

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i. No. of accounts	23	Nil
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	262.94	Nil
iii. Aggregate consideration	245.94	Nil
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v. Aggregate gain/loss over net book value.	(17.00)	Nil

vii) Details of non-performing financial assets purchased/sold

(Disclosure by banks, which purchase non performing financial assets from other banks)

a) Details of Non-Performing financial assets purchased:

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

b) Details of Non-Performing financial assets sold:

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. No. of accounts sold	23	Nil
2. Aggregate outstanding	644.63	Nil
3. Aggregate consideration received	245.94	Nil

viii) Disclosure relating to Securitisation :

S.No.	Particulars	No./Amount (₹in Crore)
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions*	-- NIL--
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	(a) Off- balance sheet exposures	
	First Loss	
	Others	
	(b) On-balance sheet exposures	
	First Loss	
	Others	

4	एम.आर.आर. के अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेन देनों के निवेश की राशि	शून्य
	अ) गैर तुलन पत्र निवेश (एक्सपोजर)	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ब) तुलन पत्र निवेश (एक्सपोजर)	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

ix) **मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान** (करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान	157.86	73.00
मानक आस्तियों के लिए संचयी प्रावधान	533.00	375.14

x) **विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां तथा राजस्व** (करोड़ ₹ में)

विवरण	राशि
कुल सम्पतियाँ	**शून्य**
कुल गैर-निष्पादित आस्तियाँ	**शून्य**
कुल राजस्व	**शून्य**

13. कारोबारी अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.68%	9.67%
ii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.00%	1.04%
iii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.26%	2.01%
iv. आस्तियों पर प्रतिफल	0.84%	0.87%
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम) (करोड़ ₹ में)	11.00	9.77
vi. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ ₹ में)	0.06	0.06

4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MMR	--NIL--
	(a) Off- balance sheet exposures	
	(i) Exposure to own securitisations	
	First Loss	
	Others	
	(ii) Exposure to third party securitisations	
	First Loss	
	Others	
	(b) On- balance sheet exposures	
	(i) Exposure to own securitisations	
	First Loss	
	Others	
	(ii) Exposure to third party securitisations	
	First Loss	
	Others	

ix) Provisions on Standard Asset

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets-made during the year	157.86	73.00
Cumulative Provision held for Standard Assets	533.00	375.14

x) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	Nil
Total NPAs	Nil
Total Revenue	Nil

13. Business Ratios

Particulars	Current Year	Previous Year
i. Interest Income as a percentage to Working Funds	9.68%	9.67%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.00%	1.04%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.26%	2.01%
iv. Return on Assets	0.84%	0.87%
v. Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	11.00	9.77
vi. Net Profit per employee (₹ in crore)	0.06	0.06

14. **आस्ति-देयता प्रबंधन**

आस्तियों और देयताओं की विशेष मदों की परिपक्वता का स्वरूप (लाख ₹ में)

	1 दिन	2 से 7 दिनों तक	8 से 14 दिनों तक	15 से 28 दिनों तक	29 दिन सें 3 महीने तक	3 महीने से अधिक तथा 6 महीने तक	6 महीने से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	18221	133748	137709	54575	486136	328196	680408	2762796	1476909	2345229	8423927
अग्रिम	69613	69057	265468	49170	205876	333936	411805	4072540	408166	1069211	6954842
निवेश	2571	3536	7483	39312	146933	58858	70447	554748	327068	1035586	2246542
उधार	0	212500	0	15625	44000	170375	105625	88745	5469	115000	757339
विदेशी मुद्रा आस्तियां	20007	3711	1027	1334	51365	48622	6855	8877	0	0	141798
विदेशी मुद्रा देयताएं	2323	52515	44	15781	25412	35792	9960	2525	2754	0	147106

15. **निवेश (एक्सपोजर)**

i) **स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश (एक्सपोजर)** (करोड़ ₹ में)

श्रेणी	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
क) प्रत्यक्ष निवेश (एक्सपोजर)		
i) आवासीय बंधक-उधार जो आवासीय संपतियों जो कि ऋणी द्वारा-धारित है या धारित होनी है या किराए पर है के बंधक द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है।	5930.07	4130.10
उपरोक्त में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास ऋण	3448.62	2719.97
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार जो कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा के बंधक द्वारा सुरक्षित है। (गैर निधिक आधारित सीमा सहित)	1816.96	1070.62
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर		
क. आवासीय	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.00	0.00
ख) अप्रत्यक्ष निवेश (एक्सपोजर) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) के संबंध में निधि तथा गैर-निधि आधारित निवेश (एक्सपोजर)	1944.58	1604.90
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश (एक्सपोजर)	**9691.61**	**6805.62**

14. Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in lacs)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	18221	133748	137709	54575	486136	328196	680408	2762796	1476909	2345229	8423927
Advances	69613	69057	265468	49170	205876	333936	411805	4072540	408166	1069211	6954842
Investments	2571	3536	7483	39312	146933	58858	70447	554748	327068	1035586	2246542
Borrowings	0	212500	0	15625	44000	170375	105625	88745	5469	115000	757339
Foreign Currency Assets	20007	3711	1027	1334	51365	48622	6855	8877	0	0	141798
Foreign Currency Liabilities	2323	52515	44	15781	25412	35792	9960	2525	2754	0	147106

15. Exposures :

i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Category	**Current Year**	**Previous Year**
a) **Direct Exposure**		
i) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	5930.07	4130.10
-Out of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	3448.62	2719.97
ii) Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estates (including Non-fund based (NFB) limits)	1816.96	1070.62
iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securities exposures:- a) Residential	0.00	0.00
b) Commercial Real Estate	0.00	0.00
b) **Indirect Exposure** Fund and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	1944.58	1604.90
Total Exposure to Real Estate Sector	**9691.61**	**6805.62**

ii) **पूंजी बाजार में निवेश (एक्सपोजर)** (करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	श्रेणी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूलनिधि पूरी तरह से कंपनी ऋण में निवेश नहीं की जाती है	42.64	51.98
ii)	शेयरों (आईपीओ/इएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.00	0.00
iii)	किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों में परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	0.00	0.00
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम जिस सीमा तक वह शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की समपार्श्विक जमानत द्वारा जमानत प्राप्त है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्ण जमानत प्रदान नहीं करती	0.00	0.00
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गई गारंटियां	160.25	141.88
vi)	कंपनियों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनी की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूति की जमानत पर या निर्बंध आधार पर मंजूर ऋण	0.00	0.00
vii)	संभावित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संदर्भ में बैंकों द्वारा किये गये हामीदारी वायदे	0.00	0.00
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	0.00
x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में निवेश (एक्सपोजर)	24.71	26.90
	पूँजी बाजार में कुल निवेश (एक्सपोजर)	227.60	220.76

ii) Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity–oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	**42.64**	**51.98**
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	**0.00**	**0.00**
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	**0.00**
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	**0.00**	**0.00**
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	**160.25**	**141.88**
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	**0.00**	**0.00**
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues	**0.00**	**0.00**
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	**0.00**	**0.00**
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading	**0.00**	**0.00**
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**24.71**	**26.90**
	Total Exposure to Capital Market	**227.60**	**220.76**

16. **जोखिम श्रेणी-वार किसी देश में बैंक ऋण (एक्सपोजर)** (करोड़ ₹ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2015 (चालू वर्ष) को ऋण (निवल)	31 मार्च 2015 (चालू वर्ष) को धारित प्रावधान	31 मार्च 2014 (विगत वर्ष) को ऋण (निवल)	31 मार्च 2014 (विगत वर्ष) को धारित प्रावधान
महत्वपूर्ण नहीं	665.28	शून्य	810.50	शून्य
निम्न	286.02	शून्य	176.05	शून्य
मध्यम निम्न	50.48	शून्य	75.83	शून्य
मध्यम	21.68	शून्य	31.73	शून्य
मध्यम उच्च	0.16	शून्य	2.19	शून्य
उच्च	0.00	शून्य	0.00	शून्य
अति उच्च	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	1023.62	शून्य	1096.30	शून्य

प्रत्येक देश के साथ विदेशी विनिमय संव्यवहारों में बैंक का निवल निधिक विनिवेश (एक्सपोजर) बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर है। अत: प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

17. **बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एस.बी.एल) समूह उधारकर्ता सीमा (जी.बी.एल.) के उल्लंघन का विवरण।**

बैंक ने वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ता सीमा तथा समूह उधारकर्ता सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

18. **अप्रतिभूत अग्रिम** (करोड़ ₹ में)

(i)	अप्रतिभूत अग्रिमो की कुल राशि, जिनके लिए अमूर्त जमानत जैसे कि अधिकारो, लाइसेंसो, प्राधिकारो आदि पर ऋण भार-सृजित किया गया है।	शून्य
(ii)	इन अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य	शून्य

19. **लाभ-हानि खाते में प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विवरण निम्नानुसार है:** (करोड़ ₹ में)

श्रेणी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
विनिधानों पर मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान	(11.54)	6.51
गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान	566.07	534.74
गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए अस्थायी प्रावधान	0.00	0.00
मानक आस्तियों पर प्रावधान	157.86	73.00
कराधान हेतु प्रावधान:		
(i) आयकर	303.85	265.59
(ii) धन कर	0.30	0.22
सीडीआर/गैर सीडीआर खातों पर ब्याज त्याग का प्रावधान	229.75	76.14
अन्य/अकस्मिकताएं	26.89	(6.65)
उप-योग	**1273.18**	**949.55**
आस्थगित कर दायित्व/(आस्ति)	54.07	13.42
योग	**1327.25**	**962.97**

20. **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई शास्तियों का प्रकटीकरण**

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के प्रावधानो के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की किसी अन्य अपेक्षा की अनुपालना न करने के लिए वर्ष के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया है।

16. Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2015 (Current Year)	Provision held as at March 31, 2015 (Current Year)	Exposure (net) as at March 31, 2014 (Previous Year)	Provision held as at March 31, 2014 (Previous Year)
Insignificant	665.28	NIL	810.50	NIL
Low	286.02	NIL	176.05	NIL
Moderately Low	50.48	NIL	75.83	NIL
Moderate	21.68	NIL	31.73	NIL
Moderately High	0.16	NIL	2.19	NIL
High	0.00	NIL	0.00	NIL
Very High	0.00	NIL	0.00	NIL
Total	1023.62	NIL	1096.30	NIL

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank, hence no provision is required.

17. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

The Bank has not exceeded the Single Borrower Limit and Group Borrower Limit during the year.

18. Unsecured Advances

(₹ in Crore)

(i)	Total amount of unsecured advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. has been taken	NIL
(ii)	Estimated value of such intangible collateral	NIL

19. Details of Provisions & Contingencies in Profit & Loss Account are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Depreciation/Amortisation on investments	(11.54)	6.51
Provision for Non Performing Assets	566.07	534.74
Floating provision towards NPAs	0.00	0.00
Provision on Standard Assets	157.86	73.00
Provision for Taxation:		
(i) Income Tax	303.85	265.59
(ii) Wealth Tax :	0.30	0.22
Provision for Sacrifice of Interest in CDR/Non CDR A/cs	229.75	76.14
Others/Contingencies	26.89	(6.65)
SUB-TOTAL	**1273.18**	**949.55**
Deferred Tax Liabilities/(Asset)	54.07	13.42
TOTAL	**1327.25**	**962.97**

20. Disclosure of Penalties Imposed by RBI

No penalty was imposed during the year as per Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949, for contraventions of any of the provisions of the Act or non-compliance with any other requirement of the Banking Regulation Act, 1949.

21. **अस्थायी प्रावधान**

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	40.97	61.14
2.	लेखा वर्ष में किये गये अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान किये गये आहरण का प्रयोजन और राशि (राशि का अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान हेतु उपयोग किया गया)	20.48	20.17
4.	अस्थायी प्रावधान खाते में अतिशेष	20.49	40.97

22. शिकायतों/बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अक्रियान्वित अधिनिर्णयों का विवरण

अ. ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	107
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	7574
(ग)	वर्ष के दौरान दूर की गयी शिकायतों की संख्या	7676
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5*

*लंबित 5 शिकायतें सतर्कता विभाग से संबंधित है।

ब. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	**3**
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	**7**
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	**8****
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	**0**

**दो मामलों को छोड़कर जिनमें अपील स्वीकार की गयी तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय को अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया।

स. एटीएम संबंधित ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतें की संख्या	**90**
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**14790**
(ग)	वर्ष के दौरान दूर की गयी शिकायतों की संख्या	**14840**
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**40**

23. **तुलन पत्रेतर प्रायोजित एस.पी.वी (जिन्हें लेखा मापदंडों के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए)**

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम : मिलेनियम सिटी एक्सप्रेसवे (प्रा.) लिमिटेड
निम्न अंशधारिता स्वरूप में दिल्ली गुड़गांव रोड़ प्रोजेक्ट के ऋण दाताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित

	घरेलू					विदेशी
बैंक/ वित्तीय संस्था	**अंशधारिता का प्रतिशत**	**समता अंशों की संख्या**	**ओसीआरपीएस की संख्या**	**अंशों की कुल संख्या**	**अंशों का मूल्य (₹ में)**	
1. आईडीएफसी	29.98%	176608965	0	176608965	1766089650.00	**शून्य**
2. बीओआई	29.98%	176608965	0	176608965	1766089650.00	
3. पीएनबी	29.07%	144896831	26250000	171146831	1711468310.00	
4. ओबीसी	7.42%	36137063	7560000	43697063	436970630.00	
5. एसबीबीजे	3.55%	18158176	2780000	20938176	209381760.00	
कुल	**100.00%**	**552410000**	**36590000**	**589000000**	**5890000000.00**	

21. Floating Provisions

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Opening balance in Floating Provisions Account	40.97	61.14
2.	The quantum of Floating Provisions made in the accounting year	0.00	0.00
3.	Purpose and amount of draw down made during the accounting year (Amount used for specific provisions for NPA)	20.48	20.17
4.	Closing balance in Floating Provisions Account	20.49	40.97

22. Details of Complaints/unimplemented awards of Banking Ombudsman(BO)

A. Customer Complaints

(a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	107
(b)	No. of Complaints received during the year	7574
(c)	No. of Complaints redressed during the year	7676
(d)	No. of Complaints pending at the end of the year	5*

(*) Pending 5 complaints related to Vigilance Department.

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	3
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	7
(c)	No. of Awards implemented during the year	8**
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0

** Excluding 2 cases where appeal allowed and award passed by BO set aside by the Appellate Authority.

C. ATM Related Customer Complaints

(a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	90
(b)	No. of Complaints received during the year	14790
(c)	No. of Complaints redressed during the year	14840
(d)	No. of Complaints pending at the end of the year	40

23. Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored :- Millennium City Expressway (P) Ltd.
Sponsored jointly by lenders of Delhi Gurgaon Road Project in the following shareholding pattern

Domestic						Overseas
Bank/FI	%age of share holding	No. of equity shares	No. of OCRPS	Total No. of shares	Share Value (in ₹)	
1. IDFC	29.98%	176608965	0	176608965	1766089650.00	-- NIL--
2. BOI	29.98%	176608965	0	176608965	1766089650.00	
3. PNB	29.07%	144896831	26250000	171146831	1711468310.00	
4. OBC	7.42%	36137063	7560000	43697063	436970630.00	
5. SBBJ	3.55%	18158176	2780000	20938176	209381760.00	
Total	**100.00%**	**552410000**	**36590000**	**589000000**	**5890000000.00**	

24. जमाओं, अग्रिमों, निवेश (एक्सपोजर) तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

(अ) जमा राशि का संकेंद्रण (करोड़ ₹ में)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	8787.60
बैंक की कुल जमाराशियो में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	10.43%

(ब) अग्रिमों का संकेंद्रण (करोड़ ₹ में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	9119.00
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	12.80%

(स) निवेशों (एक्सपोजर) का संकेंद्रण (करोड़ ₹ में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	10840.25
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	13.43%

(द) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (करोड़ ₹ में)

चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातो में कुल एक्सपोजर	659.54

25. बैंक एश्योरेंश कारोबार

31.3.2015 को समाप्त वर्ष में बैंक एश्योरेंश कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण

(करोड़ ₹ में)

कम्पनी का नाम	राशि
जीवन बीमा	
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	**21.38**
गैर जीवन बीमा	
एस.बी.आई. सामान्य बीमा कं. लि.	**3.21**
कुल	**24.59**

26. बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) का प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	यूएसडी	यूरो	येन	राशि (करोड़ ₹ में)
1.	अन्य बैंक	146107640.63	1520794.51	0.00	414.63
2.	भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी	47695336.68	498319.09	0.00	72.74
	कुल	**193802977.31**	**2019113.60**	**0.00**	**487.37**

27. आरक्षित निधियों का आहरण

चालू वित्त वर्ष के दोरान आरक्षित निधि में कोई आहरण नहीं हुआ है (गत वर्ष आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि पर आस्थागित कर देयता सृजित करने हेतु राजस्व एवं आरक्षित निधि में आहरण द्वारा ₹32.11 करोड़ का आहरण किया गया था।

24. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	8787.60
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	10.43%

b) Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	9119.00
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to total Advances of the bank	12.80%

c) Concentration of Exposure

(₹ in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	10840.25
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to total Exposure of the bank on Borrowers / customers	13.43%

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	659.54

25. Bancassurance Business :

Details of fees/remuneration received in respect of the bancassurance business for the year ended 31st March, 2015

(₹ in Crore)

Name of the Company	Amount
LIFE INSURANCE	
SBI Life Insurance Co. Ltd.	21.38
NON LIFE INSURANCE	
SBI General Insurance Co. Ltd.	3.21
TOTAL	**24.59**

26. Disclosure of Letter of Comfort (LOCs) issued by banks

S. No.	Particulars	USD	Euro	Yen	INR (₹. in crore)
1	Other Banks	146107640.63	1520794.51	0.00	414.63
2	SBI & Associates	47695336.68	498319.09	0.00	72.74
	TOTAL	**193802977.31**	**2019113.60**	**0.00**	**487.37**

27. Draw Down from Reserves

There has been no draw down from Reserves during the year (During Previous year, there was a draw down of ₹32.11 crores from "Revenue & Other Reserves" for creation of Deferred Tax Liability (DTL) on Special Reserve created U/S 36(1)(VIII) of the Income Tax Act, 1961, as per RBI guidelines).

28. एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से क्रय चल सम्पत्ति तथा सेवाओं के क्रय से संबंधित सूचना का विवरण

क्र.सं.	विवरण	मूल राशि	ब्याज
1.	31.03.2015 को किसी भी आपूर्तिकर्ता की बकाया मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज (अलग अलग दर्शाया जाये)	**शून्य**	शून्य
2.	वर्ष 2014-15 के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को नियत दिवस के पश्चात् किये गये भुगतान की राशि एवं एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत क्रेता द्वारा चुकाये गये ब्याज की राशि	**शून्य**	शून्य
3.	भुगतान (जो वर्ष के दौरान नियत दिवस के पश्चात चुकाये गये हैं), जिन्हें इस अधिनियम में उल्लेखित ब्याज को जोड़ें बिना किया गया है, में देरी की अवधि हेतु देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि		शून्य
4.	31.03.2015 को अदत्त रहने वाले उपार्जित ब्याज की राशि		शून्य
5.	अनुवर्ती वर्षों में भी, जब तक लघु उद्यमी को उपयुर्क्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता, भुगतान योग्य आगे के अदत्त ब्याज की राशि, जो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकार्य की जानी है।		शून्य

29. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(अ) बैंक के पास अन्हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में मुद्रा प्रभावित साख जोखिम प्रबंधन हेतु पूर्ण परिभाषित संरचना एवं संगठन है।

(ब) बैंक के पास अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हेतु निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत पॉलिसी है जो कि बैंक की वेबसाइट पर पॉलिसी शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(स) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रावधान, आवश्यकता की देखरेख अंर्तराष्ट्रीय बैंकिग विभाग द्वारा समय-समय पर की जाती है तथा उपयोगकर्ता विभाग को सूचित किया जाता है।

(द) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हेतु बैंक द्वारा रखे गए वृद्धिपरक जोखिम भारित अस्ति तथा पूंजी के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग समय-समय पर अनुवर्तन करता है तथा उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

क्र.स.	विवरण	राशि ₹ में
1	**₹ 25.00 करोड़ तक एवं अधिक के सीमा हेतु प्रावधान राशि**	**10,76,20,684.00**
2.	(अ) कोष आधारित एक्सपोजर के लिए 80 आधार अंक समूह के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों की वृद्धिपरक जोखिम भारित अस्ति	139,10,11,000.00
	(ब) गैर कोष आधारित एक्सपोजर के लिए 80 आधार अंक समूह के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों की वृद्धिपरक जोखिम भारित अस्ति	88,63,93,000.00
	80 आधार अंक समूह के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों की कुल वृद्धिपरक जोखिम भारित अस्ति	**227,74,03,000.00**
3.	वृद्धिपरक जोखिम भारित आस्ति हेतु बैंक द्वारा रखी गई पूंजी (वृद्धिपरक जोखिम भारित आस्ति का 9%)	**20,49,66,270.00**

28. DISCLOSURES IN TERMS OF MSMED ACT

DETAILS OF INFORMATION RELATING TO PURCHASE OF MOVEBALE PROPERTY & SERVICES FROM MICRO AND SMALL ENTERPRISES

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as on 31/03/2015	Nlil	Nlil
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year 2014-15.	Nlil	Nlil
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act		Nlil
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid as on 31/03/2015		Nlil
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.		Nlil

29. DISCLOSURE ON UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPSOURE :-

Qualitative Disclosure :

(a) The Bank has well defined structure and organisation for management of currency induced credit risk in Unhedged Foreign Currency Exposure.

(b) The Bank has Board approved policy on Unhedged Foreign Currency Exposure, which is available on Banks website under the policy head.

(c) For provision requirement of Unhedged Foreign Currency and monitoring, International Banking Department has periodically monitored and has advised to the user department.

(d) For incremental RWA and capital held by the Bank towards Unhedged Foreign Currency Exposure, Integrated Risk Management Department is periodically monitoring it and is advised to user department.

Quantitative Disclosure :

S.No.	Particulars	Amount in ₹.
1.	**Provision amount of limit upto and above ₹25 Crore**	**10,76,20,684.00**
2.	(a) Incremental RWA for entities falling in 80 bps bucket for Fund Based Exposure	139,10,11,000.00
	(b) Incremental RWA for entities falling in 80 bps bucket for Non-Fund Based Expsoure	88,63,93,000.00
	Total Incremental RWA for entities falling in 80 bps bucket	**227,74,03,000.00**
3.	**Capital held by Bank towards incremental RWA (9% of incremental RWA**	**20,49,66,270.00**

30. **जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (डीफ) के अन्तर्गत अन्तरण का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
डीफ में अंतरित की गई राशि का अथशेष	0.00	0.00
जोडे: वर्ष के दौरान डीफ में अंतरित की गई राशि	161.30	0.00
घटाए: डीफ द्वारा दावा हेतु पुनर्भरित की गई राशि	0.00	0.00
डीफ में अंतरित की गई राशि का इतिशेष	161.30	0.00

योजना वर्तमान वित्त वर्ष में ही लागू की गई है अत: विगत वर्ष के आकड़े नही दिए गए हैं।

31. **तरलता आच्छादन अनुपात हेतु प्रकटीकरण:**

गुणात्मक प्रकटीकरण

अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तरलता नियमों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके परिपत्र डीबीओडी बी.पी.बी.सी.संख्या 120/21.04.098/2013-14 दिनांक 09.06.2014 द्वारा तरलता आच्छादन अनुपात, जोखिम निगरानी उपकरणों तथा एल.सी.आर. प्रकटीकरण मानकों के दिशा-निर्देश जारी किए जो 01 जनवरी 2015 से प्रभावी है।

एलसीआर संभावित तरलता अवरोधो के विरूद्ध बैंकों के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देता है ताकि 30 दिनों तक चलने वाली उच्च तनाव की स्थिति को झेलने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति (एच.क्यू.एल.ए.) उपलब्ध रहे।

कैलेण्डर वर्ष 2015 के लिए आवश्यक न्यूनतम तरलता आच्छादन अनुपात 60% है।

- बैंक के तरलता आच्छादन अनुपात के मुख्य घटक है:-
  - (i) एच.क्यू.एल.ए. स्तर-I के आस्ति, जिसमें मुख्यत: एस.एल.आर. आवश्यकताओं के आधिक्य की सरकारी प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एम.एस.एफ. तथा एन.डी.टी.एल. के 5% के बराबर रखी सरकारी प्रतिभूतियों के अन्तर्गत अनुमत।
  - (ii) कुल निवल नकद बाह्य प्रवाह, मुख्यत: गैर वित्तीय कारपोरेटस तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त एकमुश्त जमाओं से बने असुरक्षित थोक फंडिग तथा खुदरा एवं छोटे ग्राहकों से प्राप्त जमाओं के साथ-साथ नाबार्ड/सिडबी/एन.एच.बी. से प्राप्त पुनर्वित्त के माध्यम से सुरक्षित फंडिग शामिल है।
- एल.सी.आर. में अन्तर अवधि परिवर्तन, मुख्यत: अतिरिक्त सीआरआर शेष तथा भार-रहित अतिरिक्त एस.एल.आर. शेष के कारण होते है।
- बैंक के उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्ति में स्तर-I आस्तियों का 99% योगदान है।
- बैंक के वित्तीय स्त्रोतो में विविधता है जो निरंतर निगरानी के अधीन है।
- डेरिवेटिव में बैंक का एक्सपोजर नगण्य है।
- बैंक के तरलता प्रबंधन के कार्यकलापों का उत्तर दायित्व कोष विभाग मुम्बई तथा आस्ति देयता प्रबंधन विभाग जयपुर में निहित है जो कि आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) को रिपोर्ट करते है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

तरलता आच्छादन अनुपात (एलसीआर) की विवरणी			
		गैर भारित राशि (औसत)	भारित राशि (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति (एचक्यूएलए)			
1.	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल अस्ति (एचक्यूएलए)		9852.23
नकदी बाह्य प्रवाह			
2.	खुदरा जमायें तथा लघु व्यवसायिक ग्राहकों की जमायें- जिसमें से:-	60341.67	4804.24
(i)	स्थिर जमायें	24598.60	1229.93
(ii)	कम स्थिर जमायें	35743.07	3574.31
3.	असुरक्षित थोक फंडिंग, जिसमें से:-	21569.54	8552.44
(i)	परिचालनात्मक जमायें (सभी संबंधित पक्षकारों के)	1356.74	317.67

30. Disclosure in regard to Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) :-

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	0.00	0.00
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	161.30	0.00
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.00
Closing balance of amounts transferred to DEAF	161.30	0.00

The Scheme is introduced in current financial year, hence, previous year figures have not been given.

31. Disclosure on Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

Qualitative Disclosure

With the objective to strengthen liquidity regulations to promote a more resilient banking sector, Reserve Bank of India, vide Circular No. DBOD.BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 dated June 9, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR), Risk monitoring tools and LCR disclosure standards, which become effective from January 1, 2015.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

The LCR requirement is minimum 60% for the calendar year 2015.

- Main drivers of the Bank's LCR

(i) HQLA Level 1 Asset, majority of which is contributed by Government securities in excess of SLR requirement and Government securities within the mandatory SLR requirement to the extent allowed by RBI under MSF and Government securities held up to 5% of NDTL

(ii) Total net cash out flow, which is mainly contributed by Unsecured Wholesale Funding consisting of Bulk Deposits from Non-financial Corporates and PSEs, Retail Deposits and deposits from small customers as well as Secured Funding by way of refinance from NABARD/ SIDBI/ NHB.

- Intra-period changes in LCR occurred mainly on account of excess CRR balance and unencumbered excess SLR balance.
- Level 1 Assets contributes almost 99% of HQLAs of the Bank.
- Bank's funding sources are well diversified, which are closely monitored on an ongoing basis.
- Bank's exposure in derivatives is very negligible.
- Liquidity management function of the Bank is the responsibility of Treasury Department, Mumbai and ALM Department, Jaipur, who reports to Asset Liability Management Committee (ALCO).

Quantitative Disclosure :

(₹ in Crore)

Statement on Liquidity Coverage Ratio (LCR)			
		Unweighted Amount (Average)	Weighted Amount (Average)
High Quality Liquid Assets(HQLAs)			
1.	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		9852.23
Cash Outflows			
2.	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	60341.67	4804.24
(i)	stable Deposits	24598.60	1229.93
(ii)	less Stable Deposits	35743.07	3574.31
3.	Unsecured wholesale funding, of which:	21569.54	8552.44
(i)	Operational deposits (all counterparties)	1356.74	317.67

(ii)	गैर परिचालनात्मक जमायें (सभी संबंधित पक्षकारों के)	20212.81	8234.77
(iii)	असुरक्षित देनदारी	0.00	0.00
4.	सुरिक्षत थोक फंडिंग		2799.55
5.	अतिरिक्त आवश्यकतायें जिसमें से-	8679.56	2868.66
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	2416.74	2416.74
(ii)	ऋण उत्पादों के फंडिंग में हुए नुकसान से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00
(iii)	साख एवं तरलता सुविधाएं	6262.82	451.92
6.	अन्य अनुबंध के वित्तीय दायित्व	533.33	533.33
7.	अन्य समाश्रित वित्तीय दायित्व	9185.85	459.29
8.	**कुल नकद बाह्य प्रवाह**		**20017.51**
नकद अन्त:प्रवाह			
9.	सुरक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो)		
10.	पूर्णत: निष्पादित एक्सपोजर से अन्त:प्रवाह	6532.42	3266.21
11.	अन्य नकद अन्त:प्रवाह	4405.95	4405.95
12.	**कुल नकद अन्त:प्रवाह**		**7672.17**
	कुल एच.क्यू.एल.ए.		**9852.23**
	कुल निवल नकद बाह्य प्रवाह		**12345.35**
	तरलता आच्छादन अनुपात (%)		**79.81%**

32. **अन्तर - समूह एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	राशि
(अ)	अन्तर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	5177.95
(ब)	बीस सबसे बड़े अन्तर समूह एक्सपोजर की कुल राशि	5177.95
(स)	बैंक के ऋणियों/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर में अन्तर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	5.46%
(द)	अन्तर-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन तथा परिणाम स्वरूप नियामक कार्यवाही, यदि कोई हो, का विवरण	**शून्य**

लेखा मानकों (एएस) से सम्बन्धित प्रकटीकरण

33. **एएस-5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों एवं लेखा नीतियों में परिवर्तन)**

(अ) एएस-5 के तहत पूर्व अवधि आय/व्यय मदों हेतु कोई वस्तुपरक प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

(ब) 01.11.2012 से 31.03.2014 की अवधि के सरकारी व्यवसाय पर सेवाकर देयता जो सरकारी एजेंसियों से प्राप्य है की राशि ₹14,97,82,395.00 का प्रावधान वर्तमान वर्ष में किया गया है अत: खातों में इसकी मिलान प्रविष्ठि की गई है तथा तदनुसार लाभ हानि खाते पर इनका प्रभाव नहीं है।

34. **एएस-6 हास का लेखांकन**

(अ) प्रत्येक श्रेणी की आस्ति के लिए वर्ष के दौरान ह्रास का विवरण

आस्ति की श्रेणी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
परिसर	-165665603.31	15002337.56
अन्य स्थिर आस्तियां	547772281.68	252870948.01
कम्प्यूटर मदें	-13457124.04	384890659.39
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6013040.12	102780030.32
योग	**374662594.45**	**755543975.28**

(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	20212.81	8234.77
(iii)	Unsecured debt.	0.00	0.00
4.	Secured wholesale funding		2799.55
5.	Additional requirements, of which :	8679.56	2868.66
(i)	Outflows related derivative exposures and other collateral requirements	2416.74	2416.74
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	6262.82	451.92
6.	Other contractual funding obligations	533.33	533.33
7.	Other contingent funding obligations	9185.85	459.29
8.	**Total Cash Outflows**		**20017.51**
Cash inflows			
9.	Secured lending (e.g. reverse repos)		
10.	Inflows from fully performing exposures	6532.42	3266.21
11.	Other Cash Inflows	4405.95	4405.95
12.	**Total Cash Inflows**		**7672.17**
	Total HQLA		**9852.23**
	Total Net Cash Outflows		**12345.35**
	Liquidity Coverage Ratio (%)		**79.81%**

32. Disclosure on Intra Group Exposure :-

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Amount
(a)	Total amount of Intra Group Exposures	5177.95
(b)	Total amount of top-20 Intra Group Exposure	5177.95
(c)	Percentage of intra-group exposure to total exposure of the Bank on borrowers/ customers	5.46%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL

DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

33. AS-5 (Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies)

(a) There are no material prior period income/expenditure items require disclosure under AS-5.

(b) Service Tax Liability pertaining to 01.11.2012 to 31.03.2014 has been provided during the year amounting to ₹14,97,82,395.00 on Govt. Business is recoverable from Government Agencies and hence matching entry has been made in the accounts and accordingly there is no impact on the profit and loss account.

34. AS-6 – Depreciation Accounting :

(a) Breakup of total depreciation for the year for each class of assets.

Class of assets	Current Year	Previous Year
Premises	-165665603.31	15002337.56
Other Fixed Assets	547772281.68	252870948.01
Computer Items	-13457124.04	384890659.39
Computer Software	6013040.12	102780030.32
Total	**374662594.45**	**755543975.28**

(ब) अस्तियों के उपयोग लायक अवधि के आधार पर मूल्य ह्रास की लेखांकन पद्धति में बदलाव किया गया है तद्नुसार स्थिर आस्तियों के मूल्य ह्रास की दर तथा गणना पद्धति में बदलाव हुआ है तथा मूल्य ह्रास का प्रावधान संशोधित आधार पर किया गया है। मूल्य ह्रास नीतियों में संशोधन के परिणाम स्वरूप मूल्य ह्रास की राशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	राशि
(अ)	31.03.2014 तक नयी दर तथा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास की संचयी राशि	578.66
	31.03.2014 तक वास्तविक रूप से प्रभावित मूल्य ह्रास की संचयी राशि	671.85
(ब)	यदि दर तथा पद्धति में बदलाव नहीं होते तो वित्त वर्ष 2014-15 में लाभ हानि खाते में प्रभारित होने वाली मूल्य ह्रास की राशि	91.87
(स)	मूल्य ह्रास की नयी पद्धति से लाभ-हानि खाते में प्रभारित मूल्य ह्रास की राशि	37.47

35. लेखा मानक-9 : राजस्व अभिज्ञान

लेखा नीति, जिसका अनुसरण किया गया है, के अनुसार जिन आय-व्यय की मदों का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप वस्तुपरक नहीं समझे गये है, अत: प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

36. लेखा मानक 11-विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा निधि का उतार-चढ़ाव

विवरण	राशि
1 अप्रेल 2014 को शेष	शून्य
01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान जमा	शून्य
01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान आहरण	शून्य
31.03.2015 को शेष	शून्य

37. लेखा मानक 15-कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005)

1) निर्धारित लाभ पेंशन योजना एवं उपदान

(अ) लेखा मानक-15 के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना एवं उपदान योजना की स्थिति निम्न सारणी में दी गई है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना	उपदान
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
01.04.2014 को आरंभिक निर्धारित लाभ दायित्व	2694.25	466.78
चालू सेवा लागत	51.72	10.91
ब्याज लागत	221.20	38.32
पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	--	--
पूर्व सेवा लागत (गैर-अनिहित लाभ)		
जीवनांकिक हानियां (लाभ)	-124.32	-15.61
अदा किये गये लाभ	-181.21	-52.88
31.3.2015 को अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व	2661.64	447.52
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
01.04.2014 को योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	2360.83	390.71
योजना आस्तियों का अनुमानित प्रतिफल	200.52	31.60
नियोक्ता द्वारा योगदान	347.66	40.99

(b) There is a change in the system of accounting for depreciation on account of reassessment of useful life of the assets and accordingly, the method of computation and rates of depreciation has undergone a change on fixed assets, and depreciation has been provided on the revised basis. The detailed breakup in amount of depreciation due to change in Depreciation Policy is as under :-

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Amount
(a)	Amount of cumulative depreciation as per new rates & method till 31.03.2014	578.66
	Amount of cumulative depreciation actually applied till 31.03.2014	671.85
(b)	Depreciation amount which would have been charged to P&L account for FY 2014-15, had there been no change in the rates and method of depreciation	91.87
(c)	Depreciation charged to P&L as per new method of depreciation	37.47

35. AS- 9 Revenue Recognition

In line with the Accounting Policy followed, items of income / expenditure accounted on cash basis are considered not material, in terms of RBI guidelines, hence do not require disclosure.

36. AS 11 – Changes in foreign exchange rates :

Movement of foreign currency translation reserve.

Particulars	Amount
Balance as at 1st April, 2014	NIL
Credited during the period 01.04.2014-31.03.2015	NIL
Withdrawal during the period 01.04.2014-31.03.2015	NIL
Balance as at 31.03.2015	NIL

37. AS – 15 Employee Benefits (Revised 2005)

1) Defined Benefit Pension Plan and Gratuity

a) The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15:

(₹ in Crore)

Particulars	Pension Plans	Gratuity
Change in the present value of the defined benefit obligations		
Opening defined benefit obligation at 01.04.2014	2694.25	466.78
Current Service Cost	51.72	10.91
Interest Cost	221.20	38.32
Past Service Cost (Vested Benefit)	--	--
Past Service Cost (Non Vested Benefit)	--	--
Actuarial losses (gains)	-124.32	-15.61
Benefits paid	-181.21	-52.88
Closing defined benefit obligation at 31.03.2015	2661.64	447.52
Change in Plan Assets		
Opening fair value of plan assets at 1.04.2014	2360.83	390.71
Expected Return on Plan assets	200.52	31.60
Contributions by employer	347.66	40.99

सदस्यों को योगदान	-	-
अदा किये गये लाभ	-181.21	-52.88
जीवनांकिक लाभ (हानियां)	22.87	3.43
31.03.2015 को योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	2750.67	413.85
दायित्व के वर्तमान मूल्य एवं योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31.03.2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	-2661.64	-447.52
31.03.2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2750.67	413.85
कमी/(आधिक्य)	89.03	-33.67
अभिज्ञानित पूर्व सेवा लागत	-	-
एएस 15 के पैरा 59 बी में वर्णित आस्तियों की गैर अभिज्ञानित राशि	-	-
शुद्ध दायित्व (आस्ति)	89.03	-33.67
योजना आस्तियों पर अनुभव का समायोजन	22.87	3.43
योजना देयताओं पर अनुभव का समायोजन	-14.35	-21.09
लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञानित शुद्ध लागत		
चालू सेवा लागत	51.72	10.91
ब्याज लागत	221.20	38.32
योजना आस्तियों में अनुमानित प्रतिफल	-200.52	-31.60
अभिज्ञानित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)		
अभिज्ञानित पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	46.89	30.00
वर्ष के दौरान अभिज्ञानित शुद्ध जीवनांकिक हानि (लाभ)	-147.19	-19.04
चालू वर्ष के लाभ हानि खाते की अनुसूची 16 में ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' में सम्मिलित निर्धारित लाभ योजनाओं की कुल लागत	-27.90	28.59
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रत्याय और वास्तविक प्रत्याय का समाधान		
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रत्याय	200.52	31.60
योजना आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ/(हानि)	22.87	3.43
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रत्याय	223.39	35.03
तुलनपत्र में अभिज्ञानित आरंभिक एवं अंतिम शुद्ध दायित्व (आस्ति) का समाधान		
01.04.2014 को आरंभिक शुद्ध दायित्व	286.53	46.07
लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञानित व्यय	-27.90	28.59
घटाइयें: नियोक्ता द्वारा योगदान	-347.66	-40.99
31.03.2015 को तुलन पत्र में अभिज्ञानित शुद्ध दायित्व/(आस्ति)	-89.03	33.67
अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्याशित योगदान (2015-16)	**59.61**	**48.57**

31 मार्च 2015 को उपदान कोष, पेंशन कोष तथा अन्य योजनाओं में निवेश का विवरण

आस्तियों की श्रेणी	उपदान कोष		पेंशन कोष		अन्य योजनाएँ	
	राशि	नियोजित आस्तियों का प्रतिशत	राशि	नियोजित आस्तियों का प्रतिशत	राशि	नियोजित आस्तियों का प्रतिशत
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	93.72	22.64	733.92	26.68	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	49.72	12.01	410.59	14.93	-	-
सार्वजनिक क्षेत्र ईकाईयों के बंधपत्र	34.43	8.32	174.73	6.35	-	-

Contributions from members		
Benefit Paid	-181.21	-52.88
Actuarial Gains / (Losses)	22.87	3.43
Closing fair value of plan assets at 31.03.2015	2750.67	413.85
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets		
Present Value of Funded obligation at 31.03.2015	-2661.64	-447.52
Fair Value of Plan assets at 31.03.2015	2750.67	413.85
Deficit/(Surplus)	89.03	-33.67
Unrecognised Past Service Cost		
Amount not recognised as asset because of limit in paragraph 59 (b) of AS-15		
Net Liability (Assets)	89.03	-33.67
Experience adjustment on plan assets	22.87	3.43
Experience adjustment on plan liabilities	-14.35	-21.09

Net Cost recognised in the profit and loss account		
Current Service Cost	51.72	10.91
Interest Cost	221.20	38.32
Expected return on plan assets	-200.52	-31.60
Past Service Cost (Vested Benefit) Recognised		
Past Service Cost (Non Vested Benefit) Recognised	46.89	30.00
Net actuarial losses(Gain) recognized during the year	**-147.19**	**-19.04**
Total costs of defined benefit plans included in current year P&L under Sch 16 'Payments to and provisions for employees'	-27.90	28.59
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets		
Expected Return on Plan Assets	200.52	31.60
Acturial Gain/ (loss) on Plan Assets	22.87	3.43
Actual Return on Plan Assets	223.39	35.03
Reconciliation of opening and closing net liability (Asset) recognized in Balance Sheet		
Opening Net Liability as at 1.04.2014	286.53	46.07
Expenses as recognized in profit and loss account	-27.90	28.59
Less : Employers Contribution	-347.66	-40.99
Net liability/(Asset) recognized in Balance Sheet as at 31.03.2015	-89.03	33.67
Expected contribution in the next financial year (i.e. 2015-16)	**59.61**	**48.57**

Particulars of Investments under Plan Assets of Gratuity and Pension Fund and any other Plan as on 31st March 2015

(₹ in Crore)

Category of assets	Gratuity Fund		Pension Fund		Any other plan	
	Amount	% of Plan Assets	Amount	% of Plan Assets	Amount	% of Plan Assets
Central Government Securities	93.72	22.64	733.92	26.68	-	-
State Government Securities	49.72	12.01	410.59	14.93	-	-
PSU Bonds	34.43	8.32	174.73	6.35	-	-

अन्य बंधपत्र	10.16	2.46	10.42	0.38	-	-
बैंक की मियादी जमाएँ	80.65	19.49	945.53	34.38	-	-
विशेष जमाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
बीमा योजनाएँ	13.72	3.32	211.63	7.69	-	-
बैंक खाता	107.04	25.86	0.00	0.00	-	-
अन्य (उपचित ब्याज/म्युच्युअल फंड आदि)	24.41	5.90	263.85	9.59	-	-
कुल	**413.85**	**100.00**	**2750.67**	**100.00**	**-**	**-**

उपर्युक्त वर्णित में से स्टेट बैंक समूह में निवेश (स्टेट बैंक तथा इसकी समानुषंगी/सह उद्यम) **₹ करोड़ में**

आस्तियों की श्रेणी	उपदान कोष		पेंशन कोष		अन्य योजनाएँ	
	राशि	नियोजित आस्तियों का प्रतिशत	राशि	नियोजित आस्तियों का प्रतिशत	राशि	नियोजित आस्तियों का प्रतिशत
बंधपत्र	11.00	4.95	70.50	5.17	-	-
बैंक जमाएँ	13.72	6.17	211.63	15.51	-	-
बैंक की स्थाई/मियादी जमा रसीदे	80.65	36.26	945.53	69.30	-	-
बीमा प्रबंधन योजनाएं	107.04	48.12	0.00	0.00	-	-
अन्य (उपचित ब्याज/म्युच्युअल फंड आदि)	10.00	4.50	136.79	10.02	-	-
कुल	**222.41**	**100.00**	**1364.45**	**100.00**	**-**	**-**

प्रमुख जीवनांकिक अनुमान

विवरण	उपदान योजना (%)		पेंशन योजना (%)		अन्य योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21%	9.31%	8.21%	9.27%	-	-
योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	8.21%	9.00%	8.21%	9.00%	-	-
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	-	-
क्षय दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	-	-

निर्धारित अंशदान योजना बाबत लाभ-हानि खाते में अभिज्ञानित व्यय का विवरण **₹ करोड़ में**

निर्धारित अंशदान योजना का नाम	वर्ष 2014-15 में लाभहानि खाते में नामे राशि	वर्ष 2013-14 में लाभहानि खाते में नामे राशि
प्रावधायी निधि में योगदान	0.20	0.22
नवीन पेंशन योजना	9.51	7.51
अन्य योजना यदि कोई हो तो	-	--

Other Bonds	10.16	2.46	10.42	0.38	-	-
FDR/TDR of Banks	80.65	19.49	945.53	34.38	-	-
Special Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Bank A/C	13.72	3.32	211.63	7.69	-	-
Insurer Managed Scheme	107.04	25.86	0.00	0.00	-	-
Others (Intt accrued, Mutual Fund etc.)	24.41	5.90	263.85	9.59	-	-
Total	**413.85**	**100.00**	**2750.67**	**100.00**	**-**	**-**

Out of above following Investments are made in State Bank Group (State Bank and its Subsidiaries/ joint Ventures)

(₹ in Crore)

Category of assets	Gratuity Fund		Pension Fund		Any other plan	
	Amount	% of Plan Assets	Amount	% of Plan Assets	Amount	% of Plan Assets
Bonds	11.00	4.95	70.50	5.17	-	-
Bank Deposits	13.72	6.17	211.63	15.51	-	-
FDR/TDR of Banks	80.65	36.26	945.53	69.30	-	-
Insurer Managed Scheme	107.04	48.12	0.00	0.00	-	-
Others (Intt accrued, Mutual Fund etc.)	10.00	4.50	136.79	10.02	-	-
Total	**222.41**	**100.00**	**1364.45**	**100.00**	**-**	**-**

Principal Actuarial Assumptions

Particulars	Gratuity Plan (%)		Pension Plan (%)		Any other Plan (%)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Discount Rate	8.21%	9.31%	8.21%	9.27%	-	-
Expected Rate of Return on Plan assets	8.21%	9.00%	8.21%	9.00%	-	-
Salary escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	-	-
Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	-	-

Particulars about expense recognized in P&L Account in respect of Defined Contribution Plans

(₹ in Crore)

Name of the Defined Contribution Plan	Amount debited to P&L in 2014-15	Amount debited to P&L in 2013-14
Contribution to Employees Provident Fund	0.20	0.22
New Pension Scheme (NPS)	9.51	7.51
Other plans (If any)	-	--

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अवकाश नकदीकरण के लिए मुख्य जीवनांकिक पूर्वानुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21%	9.31%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
क्षय दर	2.00%	2.00%

₹ करोड़ में

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ का नाम	वर्ष 2014-15 में लाभहानि खाते में नामे राशि	वर्ष 2013-14 में लाभहानि खाते में नामे राशि
सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित साधिकार अवकाश का नकदीकरण	6.52	5.08
अवकाश किराया/गृह किराया रियायत (नकदीकरण/उपभोग)	0.50	-1.27
रुग्ण अवकाश	0.00	-5.38
रजत जयंती पुरस्कार	0.51	0.21
सेवानिवृत्ति पर पुनर्संस्थापना व्यय	0.72	0.17
आकस्मिक अवकाश	0.00	0.00
सेवानिवृत्ति पुरस्कार	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00
योग	**8.25**	**-1.19**

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

वर्ष 2014-2015 के दौरान अभिज्ञानित एवं प्रावधानित दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का विवरण निम्नलिखित हैं:-

₹ करोड़ में

क्र.सं.	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का विवरण	01.04.2014 को अथ शेष	चालू वर्ष की देयतायें	31.03.2015 का अंतिम शेष
1.	अवकाश नकदीकरण	184.48	6.52	191.00
2.	अवकाश किराया रियायत	22.67	0.50	23.17
3.	रजत जयंती प्रावधान	2.49	0.51	3.00
4.	पुर्नस्थापना व्यय	2.07	0.72	2.79
	जोड़	**211.71**	**8.25**	**219.96**

38. **लेखा मानक - 17 : खण्डवार प्रतिवेदन**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. बीपीबीसी 81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित खण्डों की प्राथमिक/व्यवसाय खण्ड के रूप में पहचान की है

(अ) कोष परिचालन

(ब) निगमित थोक बैंकिंग

(स) खुदरा बैंकिंग

(द) अन्य बैंकिग परिचालन

Other Long term Employee Benefits:
Principal Actuarial Assumptions for Leave Encashment

Particulars	Current Year	Previous Year
Discount Rate	8.21%	9.31%
Salary Escalation	5.00%	5.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%

(₹ in Crore)

Name of the long term employee benefit	Amount debited to P&L in 2014-15	Amount debited to P&L in 2013-14
Privilege Leave (Encashment) including leave encashment at the time of retirement	6.52	5.08
Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/ Availment)	0.50	-1.27
Sick Leave	0.00	-5.38
Silver Jubilee Award	0.51	0.21
Resettlement expenses on Superannuation	0.72	0.17
Casual Leave	0.00	0.00
Retirement Award	0.00	0.00
Others	0.00	0.00
Total	**8.25**	**-1.19**

Long term Employee Benefits:
Details of long-term employee benefits that are recognised and provided during the year 2014-15 are as under:-

(₹ in Crore)

S.No.	Details Of Long Term Employee Benefits	Opening Balance as on 01.04.2014	Current Year Liability	Closing Balance as on 31.03.2015
1.	Leave Encashment	184.48	6.52	191.00
2.	L F C	22.67	0.50	23.17
3.	Silver Jubilee Provision	2.49	0.51	3.00
4.	Resettlement Expenses	2.07	0.72	2.79
	Total	**211.71**	**8.25**	**219.96**

38. AS-17 : Segmental Reporting

In terms of RBI Cir. No. BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18th April 2007, the Bank has identified following segments as Primary / Business Segment:

(a) Treasury Operations
(b) Corporate/Wholesale Banking
(c) Retail Banking
(d) Other Banking Operations

अंतर-खण्ड अन्तरणों का मूल्यन

निगमित/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालन स्रोत जुटाने वाली प्रमुख इकाई है। कोष खण्ड को अन्य दो बैंकिंग खण्डों से निधि ऐसे मूल्य पर मिलती है, जिसे अन्य बैंकिंग परिचालन की जमाओं की लागत एवं निधि एकत्र करने पर हुए परिचालन व्यय को जोड़कर निकाला जाता है।

आय एवं व्यय तथा आस्तियों/दायित्वों का आवंटन

(अ) खण्ड विशेष से सीधे आय एवं व्ययों एवं आस्तियों/दायित्वों को सम्बन्धित खण्ड को आवंटित किया जाता है।

(ब) खण्डों से सीधे संबंधित ना होने वाली मदों को खुदरा एवं थोक खण्ड को किये गये व्यवसाय/कर्मचारियों की संख्या के मूल्यानुपात/सीधे आय से संबंधित मूल्यानुपात में आवंटित किया जाता है।

बैंक के पास निश्चित सामान्य सम्पत्तियां/दायित्व एवं आय/व्यय है जिन्हें किसी विशेष खण्ड से संबंधित नहीं किया जा सकता है अत: उन्हें गैर आवंटित में दर्शाया है।

भाग क - व्यवसाय खण्ड (₹ करोड़ में)

विवरण	व्यवसाय खण्ड								जोड़	
	कोष		निगमित/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन			
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष		चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
राजस्व	2027.03	1719.76	5014.43	4637.94	4621.32	4220.22	--	--	11662.78	10577.92
घटाइये : गैर आवंटित अंतर खंड राजस्व									1730.95	1533.03
परिचालन से आय									9931.83	9044.89
परिणाम	-114.39	-98.51	742.58	681.42	684.37	620.04	--	--	1312.58	1202.94
गैर-आवंटित व्यय									177.50	192.02
संचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)									1135.08	1010.92
कराधान हेतु प्रावधान									358.21	279.23
असाधारण लाभ/हानि									--	--
निवल लाभ									**776.87**	**731.69**
खण्ड आस्तियाँ	29983.59	23316.91	40045.04	39765.94	31700.99	27523.56	--	--	101729.62	90606.41
गैर-आवंटित आस्तियाँ									571.94	270.57
कुल आस्तियाँ									**102301.56**	**90876.98**
खण्ड देयताएँ	30000.08	23309.34	35894.42	35420.68	28415.22	24516.04	--	--	94309.72	83246.05
गैर-आवंटित देयताएँ									1979.14	2275.01
कुल देयताएं									**96288.86**	**85521.06**

Pricing of Inter-segmental transfers:

The Corporate / wholesale Banking and Retail Banking Operations are the primary resource mobilizing unit. The treasury segment receives funds from the other two Banking Operations unit at a cost, which is computed on cost of deposits of Other Banking Operations plus operating expense incurred for mobilizing funds.

Allocation of Income and Expenses and Assets/Liabilities:

a) Income and Expenses and Assets/Liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Items that are not directly attributable to segments are allocated to retail and wholesale segments in proportion to the business managed / ratio of number of employees/ ratio of directly attributable income.

The bank has certain common assets /liabilities and income / expense that cannot be attributed to any particular segment and hence the same are treated as unallocated.

PART – A: BUSINESS SEGMENTS

(₹ in Crore)

Particulars	BUSINESS SEGMENTS								TOTAL	
	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations			
	Current Year	Prev. Year	Current Year	Prev. Year	Current Year	Prev. Year	Current Year	Prev. Year	Current Year	Prev. Year
Revenue	2027.03	1719.76	5014.43	4637.94	4621.32	4220.22	--	--	11662.78	10577.92
Less Inter Segment Revenue (Un-allocated)									1730.95	1533.03
Income from Operations									9931.83	9044.89
Result	-114.39	-98.51	742.58	681.42	684.37	620.04	--	--	1312.58	1202.94
Unallocated Expenses									177.50	192.02
Operating Profit (Profit before tax)									1135.08	1010.92
Provision for Taxes									358.21	279.23
Extra-ordin ary profit/loss									--	--
Net Profit									**776.87**	**731.69**
Segment As-sets	29983.59	23316.91	40045.04	39765.94	31700.99	27523.56	--	--	101729.62	90606.41
Unallocated Assets									571.94	270.57
Total Assets									**102301.56**	**90876.98**
Segment Li-abilities	30000.08	23309.34	35894.42	35420.68	28415.22	24516.04	--	--	94309.72	83246.05
Unallocated Liabilities									1979.14	2275.01
Total Liabilities									**96288.86**	**85521.06**

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

भारत में समस्त परिचालनों को एक एकल प्रतिवेदनीय खण्ड माना गया है एवं इसीलिए द्वितीयक/ भौगोलिक खण्डों को आवश्यक नहीं समझा गया है।

39. **लेखा मानक - 18 - संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के 'सम्बन्धित पक्षकार प्रकटीकरण' सम्बन्धी पैरा 9 के अनुसार, बैंक के राज्य नियन्त्रित उपक्रम होने के कारण अन्य राज्य नियन्त्रित उपक्रमों के साथ सम्बन्धों एवं संव्यवहारों के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित को बैंक द्वारा सम्बन्धित पक्षकार समझा गया:

i) प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए निदेशक मंडल के सभी पूर्णकालिक निदेशक (नामांकित निदेशक के अलावा)

क्र.स.	नाम एवं पद	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक	31.03.2015 को बैंक को देय राशि
1.	श्री बी. श्रीराम प्रबन्ध निदेशक (01.04.2014 से 17.07.2014)	वेतन एवं भत्ते ₹.9,47,089.16*	शून्य
		कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन ₹.5,50,000.00 परस्पर विक्रय पर प्रोत्साहन ₹.1,80,000.00	
2.	श्री ज्योति घोष प्रबन्ध निदेशक (24.07.2014 से)	वेतन एवं भत्ते ₹.14,03,996.11*	

* बैंक द्वारा प्रदत परिलाभों पर कर को सम्मिलित करने के पश्चात्।

ii) उक्त मद (i) में सन्दर्भित सभी निदेशकों के रिश्तेदार शून्य

iii) उक्त मद (i) में सन्दर्भित निदेशकों के स्वयं के स्वामित्व के उपक्रमों की सूची शून्य

इसके अतिरिक्त लेखा मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक सम्बन्धी संव्यवहारों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त वर्णित सम्बन्धित पक्षकरों के साथ गैर-बैंकिंग लेनदेन निम्नानुसार है:

सम्बन्धित पक्ष का नाम	सम्बन्धित पक्ष का विवरण	लेनदेन
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

40. **एएस-19 पट्टा:**

कम्पनी की परिचालित पट्टों के संबंध में कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थायें, जैसे परिचालन इकाइयाँ, अधिकारी आवास इत्यादि हैं। ये पट्टे सामान्यत: एक वर्ष से अधिक अथवा और लम्बी अवधि (अवधि पार पट्टा के अलावा) के लिये होते हैं जो निरस्तीकरण योग्य होते हैं एवं सामान्यत: आपसी सहमति या पारस्परिक सहमति योग्य शर्तो पर नवीनीकरण योग्य होते हैं। समग्र पट्टा किराया लाभ हानि खाते में किराया के रूप में प्रभारित किया गया है।

41. **लेखा मानक-20 : प्रति शेयर अर्जन**

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹. में)	110.98	104.53
अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर (₹. मे)	110.98	104.53
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना		
• समता शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (₹.लाखों में)	77687	73169
• समता शेयरों की भारित औसत संख्या	70000000	70000000
• मूल अर्जन प्रति शेयर (₹. में)	110.98	104.53
• अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर (₹. में)	110.98	104.53
• प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹. में)	10.00	10.00

PART B: GEOGRAPHIC SEGMENT

The entire Indian Operations are being treated as a single reportable segment and hence secondary / geographic segment is not considered necessary.

39. AS-18 : Related party disclosures

As per para 9 of the Accounting Standard 18 issued by the ICAI on "Related party disclosures" the Bank, being a state controlled enterprise is not required to make disclosures of related party relationships with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises. However, the Bank has considered the following as related parties for the purpose of disclosure under AS-18 issued by the ICAI:

i) All whole time Directors on the Board including Managing Director (excluding Nominee Director).

S. No.	Name & designation	Remuneration paid during the year	Amounts due to the bank as at 31.03.2015
1.	Shri B.Sriram Managing Director (01.04.14- 17.07.14)	Salary & Allow. : ₹.9,47,089.16* Performance linked incentive : ₹.5,50,000.00 Incentive on Cross Selling : ₹.1,80,000.00	NIL
2.	Shri Jyoti Ghosh Managing Director (w.e.f .24.07.2014)	Salary & Allow. : ₹.14,03,996.11*	

* Includes tax on perquisites paid by the Bank.

ii) Relatives of the Directors referred to in item (i) above. : NIL

iii) List of enterprises owned by the Directors referred to in item (i) above. : NIL

Further in terms of the paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed. The non-banking transactions with the aforesaid parties are, as under:

NAME OF THE TRANSACTING RELATED PARTY	DESCRIPTION OF THE RELATED PARTY	TRANSACTIONS
NIL	NIL	NIL

40. AS-19: Leases:

The company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases for premises like operational units, officers residences etc. These leases, which are not non-cancelable are generally for more than one year or for longer periods (except expired leases) and are usually renewable by mutual consent on mutually agreeable terms. The aggregate lease rentals payable are charged as "rent" to P&L accounts.

41. AS-20: Earnings per Share

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic EPS (in ₹.)	110.98	104.53
Diluted EPS (in ₹.)	110.98	104.53
Calculation of Basic EPS		
Net Profit after Tax available for Equity share holders (₹. in lacs)	77687	73169
Weighted average number of equity shares	70000000	70000000
Basic earnings per share (in ₹.)	110.98	104.53
Diluted earnings per share (in ₹.)	110.98	104.53
Nominal Value per share (in ₹.)	10.00	10.00

42. **लेखा मानक 21 - समेकित वितीय विवरण**

बैंक की कोई समनुषंगी/सहयोगी इकाई नहीं है अत: यह सूचना शून्य है।

43. **लेखा मानक 22 - आस्थगित कर**

परिसंपत्तियों व दायित्त्वों के धारित मूल्य व उनसे संबन्धित कर आधारों के बीच अस्थायी आवधिक अन्तरों के उत्पन्न होने से भविष्य में कर परिणामों के लिए बैंक द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्तियों व दायित्वों की पहचान की जाती है। आस्थगित परिसंपत्ति की पहचान, प्रबंधन के निर्णयानुसार इस आधार पर की जाती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति की उगाही हो सकेगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों व दायित्वों की गणना तुलनपत्र की तिथि तक अधिनियमित कर कानूनों व कर दरों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण विवेक से की जाती है।

31.03.2015 को आस्थगित कर आस्ति/दायित्व में शामिल घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
आस्थगित कर आस्ति		
अन्य प्रावधान	10.89	8.65
सेवा निवृत्ति हेतु प्रावधान	74.17	71.44
बकाया वेतन हेतु प्रावधान	91.50	51.22
अन्य कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	5.94	5.25
लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) को लागू करने से उत्पन्न संक्रमण कालीन दायित्वों से बनी आस्थगित कर आस्तियां	11.81	41.39
डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
योग	**194.31**	**177.95**
आस्थगित कर दायित्व		
उपचित, लेकिन अदेय ब्याज	190.46	161.41
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	15.84	0.04
आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि	74.66	49.08
योग	**280.96**	**210.53**
निवल आस्थगित कर दायित्व/(आस्ति)	**86.65**	**32.58**

44. **लेखा मानक - 23 : समेकित वित्तीय विवरणो में समनुषंगियों में निवेशो के लिए लेखांकन**

बैंक की कोई समनुषंगी/सहयोगी इकाई नहीं है, अत: यह सूचना शून्य है।

45. **लेखा मानक - 24 : परिचालन समाप्त करना**

परिचालन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप बैक द्वारा आस्तियों की वसूली तथा देयताओं में कोई कमी नहीं हुई है अथवा न ही किसी परिचालन को समाप्त करने के निर्णय जिससे उक्त प्रभाव होगा, को बैक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

46 **लेखा मानक - 26 : अमूर्त आस्तियाँ**

अचल परिसंपतियों के अन्तर्गत ₹ 1.93 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4.69 करोड़) के सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर का अविभाज्य भाग है को छोड़कर कोई अमूर्त आस्ति नहीं है।

47. **लेखा मानक - 28 : आस्तियों में क्षरण**

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान किसी ऐसी आस्ति में क्षरण नहीं हुआ है जिन पर लेखामानक 28 ''आस्तियों में क्षरण'' लागू होता है।

42. AS-21: Consolidated Financial Statement

Bank has no Subsidiary hence the information in this regard is 'NIL'.

43. AS-22: Deferred Taxes

The Bank recognizes the deferred tax assets/liabilities (DTA/DTL) for future tax consequences for temporary difference arising between the carrying value of assets and liabilities and their respective tax bases. DTA is recognized on the basis of management's judgment that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized. After giving due consideration to prudence, DTA/DTL is measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date.

The Components of deferred tax assets/liability as on 31.03.2015 are as under :-

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Other Provisions	10.89	8.65
Provision for Retirement Benefits	74.17	71.44
Provision for Wage Arrear	91.50	51.22
Provision for other staff benefits	5.94	5.25
DTA created out of transitional liabilities arising due to implementation of AS-15 (Revised 2005)	11.81	41.39
Provision for Bad & Doubtful Debts	0.00	0.00
Total	**194.31**	**177.95**
Deferred Tax Liabilities		
Interest accrued but not due	190.46	161.41
Depreciation on Fixed Assets	15.84	0.04
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act.	74.66	49.08
Total	**280.96**	**210.53**
Net Deferred Tax Liability/(Asset)	**86.65**	**32.58**

44. AS-23 : Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

Bank has no Subsidiary/Associates hence the information in this regard is 'NIL'.

45. AS-24: Discontinuing Operations

There has been no discontinuation of operations that has resulted in shedding of liability and realization of the assets by the Bank or decision to discontinue an operation, which will have the above effect, has been finalized by the Bank.

46. AS-26: Intangible Assets

There are no intangible assets, except Software forming integral part of hardware included under Fixed Assets amounting to ₹1.93 crore (previous Year ₹4.69 crore)

47. AS-28: Impairment of Assets

In the opinion of the management, there is no impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

48. **लेखा मानक -29 : प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक आस्तियों का विवरण**

(क) आकस्मिक देयताओं हेतु बनाए प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अथ शेष	25.46	34.89
वर्ष के दौरान प्रावधान	26.13	1.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.14	2.84
वर्ष के दौरान प्रतिलोम	0.00	8.14
इति शेष	51.45	25.46

(ख) अनुसूची 12 के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं

ऐसी देयताएं न्यायालय के फैसले/पंचनिर्णय/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निस्तारण, माँगी गई राशि, संविदागत शर्तों की बाध्यताओं, सम्बधित पक्षकारों द्वारा की गई माँग एवं प्रगति पर आधारित है।

वर्ष के दौरान खंडित अवधि ब्याज को अमान्य करने के मामले में आयकर विभाग ने विभिन्न निर्धारण वर्षों हेतु ₹108.99 करोड़ की मांग जारी की। बैंक ने ₹108.99 करोड़ की राशि को आयकर परिवादों के अंतर्गत आकस्मिक देयता में शामिल किया है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग के पेटे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

49. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

('000 को छोड़ दिया गया है)

	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		17041763		11003736
	ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		(1659893)		(1084249)
	ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		(6080003)		(3218712)
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन		9301867		6700775
	घ. वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		70066692		63365918
	ड़. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य (क+ख+ग+घ)		79368559		70066693
क.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ	11350855		10109222	
	समायोजन :				
	मूल्यह्रास प्रभार	374663		755544	

48. AS-29: Statement of Provisions, Contingent liability & Contingent Assets

a) Movement of provisions for contingent liabilities

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	25.46	34.89
Provided during the year	26.13	1.55
Amount used during the year	0.14	2.84
Reversed during the year	0.00	8.14
Closing Balance	51.45	25.46

b) Under Schedule 12 on Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties.

During the year Income tax department has raised the demand of ₹108.99 Crores in different assessment years on the issue of disallowance of Broken Period Interest. The Bank has filed appeal against the said orders before different appellate authorities and has included the figure of ₹108.99 Crores in its contingent liabilities on account of Income Tax cases. No provision has been created against the said demand in view of the decision of Hon'ble Supreme Court.

49. Statement of cash flow for the year ended 31st March 2015

('000 omitted)

	Particular	Current Year 31.03.2015		Previous Year 31.03.2014	
	A. Cash flow from operating activities		17041763		11003736
	B. Cash flow from investing activities		(1659893)		(1084249)
	C. Cash flow from financing activities		(6080003)		(3218712)
	Net change in cash and cash equivalents		9301867		6700775
	D. Cash and cash equivalents at the beginning of the year		70066692		63365918
	E. Cash and cash equivalents at the end of the year (A+B+C+D)		79368559		70066693
A.	**Cash Flow From Operating Activities**				
	Net Profit before taxes	11350855		10109222	
	Adjustment for :				
	Depreciation Charges	374663		755544	

	संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए प्रावधान (चलन प्रावधान सहित)	7958196		6108759	
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1578580		730000	
	आई.पी.डी.आई. तथा गौण बंध पत्रों पर ब्याज	1920150		1920150	
	निवेशों पर मूल्यह्रास/परिशोधन	(115413)		65087	
	पट्टा समानीकरण	0		0	
	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	65200		50813	
	बोनस व अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	(1549175)		227180	
	वेतन बकाया का प्रावधान	1137000		1157000	
	अन्य प्रावधान	268909		(66420)	
		22988965		21057335	
	घटाया–प्रत्यक्ष कर	3473000		4579442	
	उप–योग		19515965		16477893
	समायोजन :				
	जमा राशियों में वृद्धि/ (कमी)		103645463		17585057
	उधार राशियों में वृद्धि/ (कमी)		11670315		8643306
	निवेशों में (वृद्धि)/ कमी		(47035992)		23890972
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी		(61721496)		(72480020)
	अन्य दायित्वों में वृद्धि/ (कमी)		(6288613)		13930339
	अन्य सम्पतियों में (वृद्धि)/ कमी		(2743879)		2956190
	परिचालन कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी		17041763		11003736
ख.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**				
	स्थिर आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(1659893)		(1084249)	
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी		(1659893)		(1084249)
ग.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**				
	संदत्त लाभांश	(1159853)		(1298562)	
	गौण बंधपत्रों पर ब्याज	(1920150)		(1920150)	
	गौण बंधपत्रों का निवल निर्गम/(परिशोधन)	(3000000)		0	
	वित्तपोषण कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी		(6080003)		(3218712)
घ.	**वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**				
	हाथ नकदी (विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सहित)	4327704		3529964	
	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	63136290		58028636	
	बैंकों में शेष तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	2602698	70066692	1807318	63365918

	Provision for Bad & Doubtful Debts including Floating	7958196		6108759	
	Provision for Standard Assets	1578580		730000	
	Interest on IPDI & Subordinate Bonds	1920150		1920150	
	Depreciation for Investments	(115413)		65087	
	Lease Equalistion	0		0	
	Provision for Leave Encashment	65200		50813	
	Provision for bonus and Other staff benefits	(1549175)		227180	
	Provision for wage arrears	1137000		1157000	
	Other Provisions	268909		(66420)	
		22988965		21057335	
	Less:Direct Taxes	3473000		4579442	
	SUB- TOTAL		19515965		16477893
	ADJUSTMENT FOR :				
	Increase/(Decrease) in Deposits		103645463		17585057
	Increase/(Decrease) in Borrowings		11670315		8643306
	(Increase)/Decrease in Investments		(47035992)		23890972
	(Increase)/Decrease in Advances		(61721496)		(72480020)
	Increase/(Decrease) in Other Liabilities		(6288613)		13930339
	(Increase)/Decrease in Other Assets		(2743879)		2956190
	Net cash provided by operating activities		17041763		11003736
B.	**Cash flow from investing activities**				
	(Increase)/decrease in fixed assets	(1659893)		(1084249)	
	Net cash from investing activities		(1659893)		(1084249)
C.	**Cash flow from financing activities**				
	Dividend paid	(1159853)		(1298562)	
	Interest on subordinate bonds	(1920150)		(1920150)	
	Net issue / redemption of subordinated bonds	(3000000)		0	
	Net cash from financing activities		(6080003)		(3218712)
D.	**Cash and cash equivalents at the beginning of the year**				
	Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	4327704		3529964	
	Balances with Reserve Bank of India	63136290		58028636	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	2602698	70066692	1807318	63365918

ड.	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य**				
	हाथ नकदी (विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सहित)	5580453		4327704	
	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	72291536		63136290	
	बैंकों में शेष तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	1496570	79368559	2602699	70066693

50. विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक है, पुनर्समूहित एवं पुनर्वगीकृत किया गया है।

ज्योति घोष
प्रबन्ध निदेशक

अरुन्धति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

वी.जी. कन्नन

बी. रमेश बाबू

रमेश चन्द्र श्रीवास्तव

वी. श्रीनिवासन
मुख्य महाप्रबन्धक
(वाणिज्यिक बैंकिग)

एस. वैंकटरामन
मुख्य महाप्रबन्धक
(खुदरा बैंकिंग)

गुलाब सिंह

मालविका सिन्हा

रतन कुमार रुंगटा

हिमकर रामचंद्र श्रीवास्तव

भारत रतन

एस. के. बिड़ला
उप महाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

सुनील कुमार कौशल
महाप्रबन्धक
(कोष, वित्त एवं लेखा)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुनील दत्त बाली

अरुण कूलवाल

निदेशक

इसी दिनांक की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **चतुर्वेदी एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302137 ई
(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)
(स.स. 12705)
साझेदार

वास्ते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजकरण संख्या 001411 एन
(सीए एम. के. अग्रवाल)
(स.स. 14956)
साझेदार

वास्ते **पी.एस.डी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 004501 सी
(सीए प्रकाश शर्मा)
(स.स. 072332)
साझेदार

वास्ते **ओवेरॉय सूद एण्ड कपूर**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001462 एन
(सीए संजय सूद)
(स.स. 80527)
साझेदार

मुम्बई
06-05-2015

E.	Cash and cash equivalent at the end of the year				
	Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	5580453		4327704	
	Balances with Reserve Bank of India	72291536		63136290	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1496570	79368559	2602699	70066693

50. Previous year's figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to make these comparable with the current year's figures.

JYOTI GHOSH MANAGING DIRECTOR	ARUNDHATI BHATTACHARYA CHAIRMAN	V.G. KANNAN	B. RAMESH BABU	RAMESH CHANDRA SRIVASTAVA
V. SRINIVASAN CHIEF GENERAL MANAGER (COMMERCIAL BANKING)	S. VENKATARAMAN CHIEF GENERAL MANAGER (RETAIL BANKING)	GULAB SINGH	MALVIKA SINHA	RATAN KUMAR ROONGTA
		HIMKAR RAMCHANDRA SRIVASTAVA		BHARAT RATTAN
S.K. BIRLA DY. GENERAL MANAGER (FINANCE & ACCOUNTS)	SUNIL KUMAR KOWSHAL GENERAL MANAGER (TREASURY, F&A) & CFO	SUNIL DUTT BALI		ARUN KOOLWAL

DIRECTORS

As per our seperate report of even date

For **Chaturvedi & Co.** Chartered Accountants FR NO.302137 E	For **M. K. Aggarwal & Co.** Chartered Accountants FR NO. 001411N	For **P S D & Associates.** Chartered Accountants FR NO. 004501 C	For **Uberoi Sood & Kapoor** Chartered Accountants FR NO. 001462 N
(CA Satish Chandra Chaturvedi) (M.No.12705) Partner	**(CA M.K. Aggarwal)** (M.No.14956) Partner	**(CA Prakash Sharma)** (M.No.072332) Partner	**(CA Sanjay Sood)** (M.No.80527) Partner

Mumbai
06-05-2015

प्रबंध निदेशक पत्रकार सम्मेलन व विश्लेषक बैठक में वर्ष 2014–15 के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए।
Managing Director highlighting the financial results for the year 2014-15 at the Press Conference and Analysts Meet.

बैंक का शीर्ष प्रबन्धन
TOP MANAGEMENT OF THE BANK

श्री ज्योति घोष
प्रबन्ध निदेशक
Shri Jyoti Ghosh
Managing Director

श्री एस. वेंकटरामन
मुख्य महाप्रबन्धक (रिटेल बैंकिंग)
Shri S. Venkataraman
Chief General Manager
(Retail Banking)

श्री वी. श्रीनिवासन
मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक बैंकिंग)
Shri V. Srinivasan
Chief General Manager
(Commercial Banking)

श्री एम.पी. नागपाल
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Shri M.P. Nagpal
Chief Vigilance Officer

श्री सुनील कुमार कौशल
महाप्रबंधक (कोष, वित्त एवं लेखा)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Shri Sunil Kumar Kowshal
General Manger
(Try, F&A) & Chief Financial Officer

श्री के.के. दास
महाप्रबंधक (वसूली एवं पूनर्वास)
Shri K.K. Das
General Manager
(Recovery & Rehabilitation)

श्री अजॅय नक़ीब
महाप्रबंधक (वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण बैंकिंग)
Shri Ajoy Naqib
General Manager
(Financial Inclusion & Rural Banking)

श्री जी.एस. बिक्के
महाप्रबंधक (निगमित बैंकिंग, मुम्बई)
Shri G.S. Bique
General Manager
(Corporate Banking, Mumbai)

श्रीमति पापिया सेनगुप्ता
महाप्रबंधक (दिल्ली नेटवर्क)
Smt. Papia Sengupta
General Manager
(Delhi Network)

श्री अलेख चरण राउत
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं सामान्य प्रशासन)
Shri Alekha Charan Rout
General Manager
(HR & General Administration)

श्री आर. सी. खुल्बे
महाप्रबंधक (वै.एवं से.बै. एवं सू.ल.म.ई.)
Shri R.C. Khulbe
General Manager
(P&SB & MSME)

श्री एम. वरदाराजा अय्यर
महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी, योजना,
निरीक्षण एवं अंकेक्षण)
Shri M. Varadaraja Iyer
General Manager
(IT, Planning, Inspection & Audit)

श्री राजीव शर्मा
महाप्रबंधक (जोधपुर नेटवर्क)
Shri Rajiv Sharma
General Manager
(Jodhpur Network)

श्री रवि कुमार गारू
महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन, साख नीति एवं कार्यविधि)
एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
Shri Ravi Kumar Garoo
General Manager
(Risk Mgmt, Credit Policy & Procedures)
& Chief Risk Officer

श्री एस.के. प्रधान
महाप्रबंधक (निगमित बैंकिंग, जयपुर)
Shri S.K. Pradhan
General Manager
(Corporate Banking, Jaipur)

श्री एच.सी. नेमिराजा
महाप्रबंधक (जयपुर नेटवर्क)
Shri H.C. Nemiraja
General Manager
(Jaipur Network)

SBBJ

Designed by : **Apex Advertising, Jaipur** Printed by : Educational Stores

एसबीबीजे
S B B J

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

टोल फ्री नं. : 1800 180 6005

www.sbbjbank.com